दश माला, खंड 18, अंक 13

सोमवार, 6 मार्च, 2006
15 फाल्गुन, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 60
Dated 21 Feb 2008

(खण्ड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्रतिमा श्रीवास्तव
मुख्य सम्पादक

सरिता नागपाल
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 18, सातवां सत्र, 2006/1927 (शक)]

अंक 13, सोमवार, 6 मार्च, 2006/15 फाल्गुन, 1927 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	205, 206, 216 से 218, 220 और 221	1-39
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	202 से 204, 207 से 215 और 219	39-95
अतारांकित प्रश्न संख्या	1541 से 1670	95-268
सभा पटल पर रखे गए पत्र		268-272
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
कृषि संबंधी स्थायी समिति के छठे और दसवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में		
श्री शरद पवार		273
नियम 193 के अधीन चर्चा		
ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) में भारत द्वारा किए गए मतदान के बारे में		
डा. मनमोहन सिंह .		278-280
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चल रहे व्यापक तोड़-फोड़ अभियान के कारण दिल्ली के निवासियों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की तरफ से निष्क्रियता दिखाए जाने से उत्पन्न स्थिति		
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा		282
श्री [illegible]. जयपाल रेड्डी . .		282
श्री सी.के. चन्द्रप्पन		289
श्री संदीप दीक्षित		290
श्रीमती कृष्णा तीरथ		292

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
गोधरा कांड पर न्यायमूर्ति यू.सी. बैनर्जी आयोग की रिपोर्ट के बारे में	298-304
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में कृषि विभाग के कार्यकरण की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री मनोरंजन भक्त	305
(दो) 1984 के दंगों में लापता हुए लोगों के परिवारों को मुआवजे का दावा दायर करने के प्रयोजन से प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री गुरजीत सिंह राणा .	306
(तीन) वनस्पति अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन के लिए तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के ओड्डनचट्रम टाउन में 'बायो-मेथोनेशन प्लान्ट' को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खारवेनथन	306
(चार) मिलावटी सोने की बिक्री रोकने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन . . .	307
(पांच) झारखंड में सिंदरी उर्वरक कारखाने को पुन: चालू करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रशेखर दूबे	308
(छह) झारखंड में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किए जा रहे भू-जल दोहन को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता	
श्री बागुन सुम्बरूई .	308
(सात) अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री कीरेन रिजीजू .	309

विषय कॉलम

(आठ) बिहार के अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के फारबिसगंज, नरपतगंज और जोगबनी क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. की मोबाइल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री सुकदेव पासवान 309

(नौ) देश में उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. और केरोसिन की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी . 310

(दस) महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कोयला खनन शुरू किए जाने की आवश्यकता

प्रो. महादेवराव शिवनकर . 310

(ग्यारह) कर्नाटक के मैसूर जिले में बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय वनों से 15 किलोमीटर के भीतर वनों की कटाई रोके जाने की आवश्यकता

श्री सी.एच. विजयशंकर. 311

(बारह) पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दारकेश्वर नदी द्वारा होने वाले भू-क्षरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुस्मिता बाउरी 312

(तेरह) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान करने की दृष्टि से धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 312

(चौदह) बिहार के सभी जिलों को त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव . . 312

(पंद्रह) उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में गोमती नदी से गाद निकालने के लिए धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मो. ताहिर 313

(सोलह) बुलढाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में 'लोनर क्रेटर' को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल. . . . 313

विषय कॉलम

(सत्रह) महाराष्ट्र के सतारा जिले में सभी गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील 314

(अठारह) पंजाब के फिरोजपुर में नई रेल लिंक को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए बकाया धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री जोरा सिंह मान . . 314

(उन्नीस) पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के करायकल इलाके में सड़क अवसंरचना का विकास किए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास 315

(बीस) हथकरघा उद्योग के विकास और संवर्द्धन के लिए आर्थिक जोन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री मुंशी राम 315

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2005-2006 316

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2003-2004 316

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 321

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका . . . 322-326

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 327-328

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका . . . 327-328

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 6 मार्च, 2006/15 फाल्गुन, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, अविलम्बनीय लोकमहत्व का मामला उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस समय अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, महाराष्ट्र और उड़ीसा सरकार अवैध रूप से परियोजनाओं का निर्माण कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु : वे बबली परियोजना तथा ऊपरी वामसाधारा तथा निचली वामसाधारा परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु, मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। यह उचित समय नहीं है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, हमारे माननीय मंत्री यहां मौजूद हैं। हमने मंत्री महोदय को अपना अभ्यावेदन दिया है। वे बबली परियोजना तथा ऊपरी वामसाधारा तथा निचली वामसाधारा परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं, जो अंतरराज्यीय समझौते तथा गोदावरी जल विवाद अधिकरण के निर्णय का भी उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 202,

श्री ब्रजेश पाठक — उपस्थित नहीं।

श्री हितेन बर्मन — उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 203,

श्री रघुनाथ झा — उपस्थित नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आगे कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं आपको अनुमति दूंगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 204, श्री धनुषकोडी आर० अतिथन — उपस्थित नहीं।

क्या हम हर सोमवार को प्रश्न काल रोक दें? मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है।

प्रश्न संख्या 205 — श्री असादुद्दीन ओवेसी — उपस्थित नहीं। श्री आनंदराव विठोबा अडसूल।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

+

***205. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 से देश में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन०आर०सी०पी०) क्रियान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी राशि जारी की गयी है और राज्य सरकारों द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या एन०आर०सी०पी० पर भारी धनराशि खर्च करने के बावजूद परिणाम उत्साहजनक नहीं रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो गंगा और यमुना कार्य योजनाओं पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी है;

(ङ) क्या नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु सरकार की कार्य योजनाओं की निगरानी प्रणाली संतोषजनक नहीं है;

(च) यदि हां, तो वांछित परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार एन०आर०सी०पी० के अंतर्गत कतिपय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का है; और

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ज) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ज) जी, हां, वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना चरण-I की शुरूआत के साथ नदियों के प्रदूषण उपशमन के कार्य प्रारंभ हुए थे। तदुपरान्त, गंगा कार्य योजना चरण-II (गंगा कार्य योजना-II) प्रारंभ किया गया जिसमें गंगा नदी की सहायक नदियों, नामतः यमुना, गोमती, और दामोदर के कार्य शामिल थे। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत अन्य राष्ट्रीय नदियों को शामिल करने के लिए योजना को व्यापक बनाया गया। वर्ष 1985 में गंगा नदी के प्रदूषण निवारण कार्यों के साथ जो कार्यक्रम शुरू किया गया उसमें इस समय 20 राज्यों में फैले 160 शहरों में 34 नदियों का कार्य शामिल है। इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2005 तक भागीदार राज्य सरकारों की सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को 2400 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अनुदान जारी किया गया है। जिसकी तुलना में राज्य सरकारों के हिस्से से व्यय स्थानीय निकायों से अंशदान आदि सहित राज्य सरकारों द्वारा 2462 करोड़ रुपए का व्यय किए जाने की सूचना मिली है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत अब तक उपयोग की गई कुल राशि में से गंगा कार्य योजना (चरण-I और II) के अंतर्गत दिसम्बर, 2005 तक 1391 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किए जाने की सूचना मिली है। इसमें वर्ष 1993-2003 के दौरान कार्यान्वित की गई यमुना कार्य योजना और इस समय कार्यान्वित की जा रही यमुना कार्य योजना चरण-II के अंतर्गत 678 करोड़ रुपए की निधि का प्रयोग शामिल है।

तथापि शहरी जनसंख्या में असाधारण वृद्धि से पिछले वर्षों से इन नदियों के प्रदूषण स्तर में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद इसकी सहायक नदी यमुना की अपेक्षा गंगा नदी की जल गुणता में गंगा कार्य योजना से पूर्व इसके मुख्य स्थानों पर इसकी गुणता में सुधार पाया गया है। अनेक मानीटिरिंग स्टेशनों में मलजल द्वारा फैलाए गए प्रदूषण को दर्शाने वाला एक मुख्य मापदण्ड जैव आक्सीजन मांग में परिवर्तन और इसी दौरान ऊर्ध्व-प्रवाह शहरी जनसंख्या में परिवर्तन को दर्शाता एक ग्राफिकल अनुबंध संलग्न है।

सरकार ने नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नदी की जल गुणता निगरानी को पर्याप्त महत्व दिया है। राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण निवारण के कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी केन्द्रीय स्तर पर गठित संचालन समिति और राज्य स्तर पर संबंधित राज्य स्तर संचालन समिति द्वारा की जाती है।

नदियों में प्रदूषण निवारण से निपटने के लिए निधियों की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यमुना कार्य योजना चरण-I और II के अंतर्गत जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोआपरेशन से पहले ही वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली है। उसी एजेंसी के साथ वाराणसी में गंगा नदी के प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यमुना कार्य योजना चरण-III और केरल में पम्बा नदी में प्रदूषण निवारण कार्यों के साथ इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर में ऐसी परियोजनाओं के लिए जापान बैंक ऑफ इन्टरनैशनल कापरेशन से सहायता मांगी गई है।

अनुबन्ध

WATER QUALITY TREND OF GANGA

Water Quality monitored by reputed institutions like CPCB,BHEL,IIT,ITRC etc

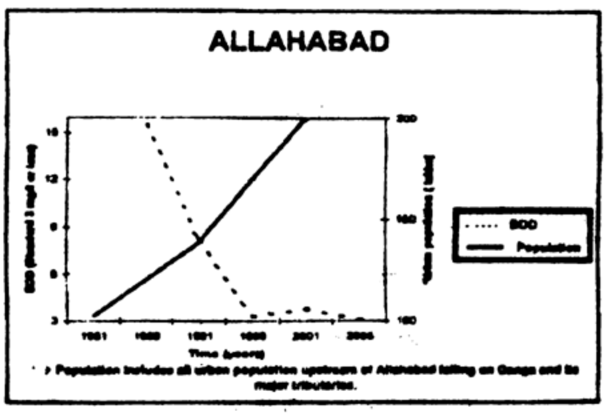

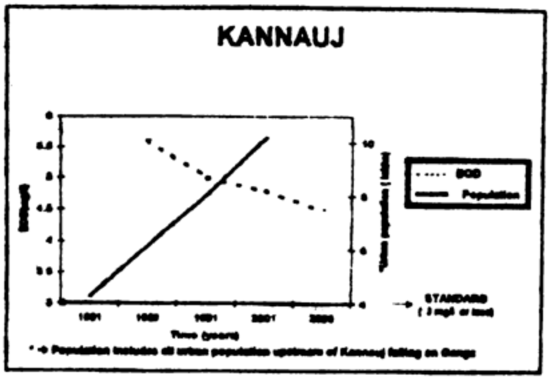

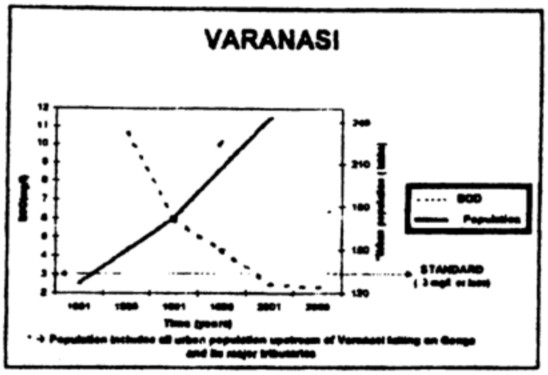

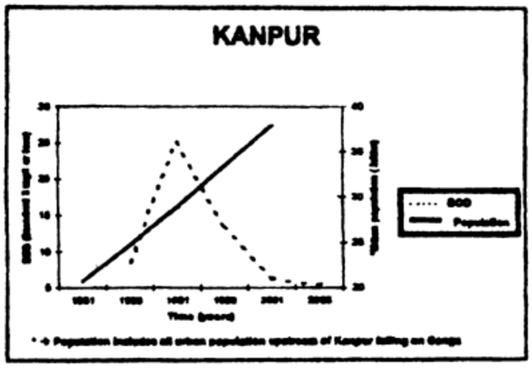

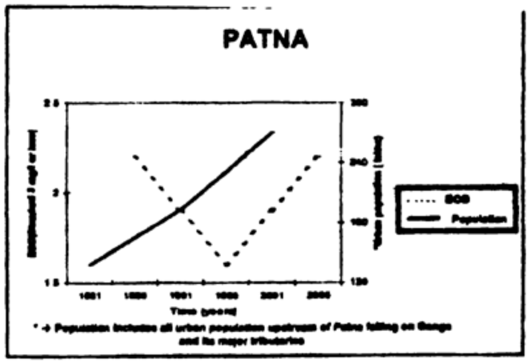

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : महोदय, समूचे देश में, जलस्रोत समाप्त हो रहे हैं तथा प्रदूषित हो रहे हैं। जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के लागू होने के लगभग 21 वर्ष बाद भी अनेक राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों की नदियों में जल की गुणवत्ता के संबंध में अनिवार्य राजपत्र अधिसूचना जारी नहीं की है। देश अपनी नदियों तथा झीलों को स्वच्छ रखने के लिए संघर्षरत है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि नदियों में अयोचित मल-जल एवं शहरी अपशिष्ट को प्रवाहित होने से रोकने के लिए पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एवं राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत क्या परिणाम प्राप्त किए गए है। वह यह भी बताएं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में नदियों तथा झीलों की सफाई पर कितनी राशि व्यय की गई है।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह पता होना चाहिए कि अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। एक अनुपूरक प्रश्न का अर्थ यह नहीं है कि और तीन प्रश्न पूछे जाएं।

श्री नमोनारायन मीना : महोदय. मैं माननीय सदस्य तथा इस सम्माननीय सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार के समक्ष इस देश में नदी संरक्षण का कार्य एक विशालकाय कार्य है, नदियों में प्रदूषण उपशमन की आवश्यकता को समझते हुए केन्द्र सरकार ने 1985 में दिवंगत प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में गंगा कार्य योजना — एक प्रारंभ की थी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन०आर०सी०पी०) के अंतर्गत 5,364 एम०एल०डी० क्षमता के सृजन के लिए कुल 4,735 करोड़ रुपये मूल्य की योजना को मंजूरी दी गई। गंगा कार्य योजना चरण-एक, जिसे 1985 में शुरू किया गया था, कुल 259 परियोजनाएं पूरी की गई थी तथा योजना को बंद घोषित कर दिया गया तथा 865 एम०एल०डी० मल-जल व्ययन क्षमता का सृजन किया गया।

तत्पश्चात्, गंगा कार्ययोजना (जी०ए०पी०) चरण-दो को शुरू किया गया जिसमें गंगा नदी की कुछ सहायक नदियों, नामत: यमुना, गोमती नदी तथा दामोदर नदी को भी सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन०आर०सी०पी०) के अंतर्गत अन्य नदियों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम को और अधिक व्यापक आधार वाला बनाया गया, जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था तथा एन०आर०सी०पी० में वर्तमान में 34 नदियों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत 20 राज्यों में 160 शहरों में कार्य शुरू किया गया है।

महोदय, एन०आर०सी०पी० के अंतर्गत गंगा कार्य योजना चरण-एक सहित 31 दिसम्बर 2005 तक मलजल शोधन सुविधा की 364 एम०एल०डी० की अनुमोदित क्षमता की तुलना में कुल 2320 एम०एल०डी० क्षमता का सृजन किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के उत्तर में यह सारा ब्यौरा नहीं आ सकता है।

श्री नमोनारायन मीना : जी हां, महोदय महाराष्ट्र के संबंध में, मेरे पास ब्यौरा है कि उन्होंने कुछ योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है तथा मैं इसे माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर वक्तव्य में मौजूद है। मेरा विशिष्ट प्रश्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई अवसंरचना के संबंध में था।

दूसरा, अनेक राज्यों ने कोई राजपत्र अधिसूचना जारी नहीं की है। माननीय मंत्री से यह मेरा अनुपूरक प्रश्न था।

श्री नमोनारायन मीना : महोदय, राज्यों में शोधन सयत्रों के माध्यम से सुविधाओं का सृजन किया गया है, तथा उन्हें मल-जल के नियमित शोधन को पूर्ण किए जाने पश्चात् संबंधित राज्यों को सौंप दिया जाता है। तत्पश्चात्, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि यह इसे अधिसूचित करे। हम केवल राज्य सरकारों के संसाधनों में ही वृद्धि कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री ओवेसी, मैं आपको अपना प्रश्न पूछने का एक अवसर दे सकता हूं बशर्ते कि आप खेद व्यक्त करें तथा इसे पूर्व-दृष्टान्त नहीं समझा जाए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : जी हां, महोदय मैं खेद व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, पर आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न ही पूछ सकते हैं।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : महोदय, क्या माननीय मंत्री इस बात से अवगत है कि वर्ष 2004 में एक विशेषज्ञों के दल द्वारा प्रायोगिक अध्ययन कराया गया था, जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बायोलॉजिकल आक्सीजन डिमांड (बी०ओ०डी०) तीन प्रतिशत के मानक स्तर पर नहीं है, बल्कि गंगा नदी की सफाई पर 1,391 करोड़ रुपये व्यय करने बावजूद अभी भी बहुत अधिक है। क्या वे एक गैर सरकारी संगठन, संकट मोचन फाऊंडेशन द्वारा तैयार की गई योजना को स्वीकार करने जा रहे हैं?

श्री नमोनारायन मीना : महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले ही यह कहा है कि गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार हुआ है। परन्तु यमुना नदी के संबंध में कुछ समस्याएं है, जिसका समाधान करना है। वास्तव में समस्या दिल्ली और आगरा के बीच में है और कुछ सीमा तक यमुना कार्य योजना-दो के अंतर्गत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के प्रयोजनार्थ निधियों के प्रावधान के साथ इस समस्या का समाधान करना है।

जहां तक अध्ययन का संबंध है, मुझे इस प्रकार के किसी अध्ययन की कोई जानकारी नहीं है।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : महोदय, वक्तव्य के अंतिम भाग में यह कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जे०बी०आई०सी०) के साथ एक करार किया है। केरल में पंबा नदी के बारे में भी उल्लेख किया गया है। पंबा नदी जो सबरीमाला में स्थित तीर्थस्थल होने के कारण अत्यधिक प्रदूषित है, पर कौन सी परियोजना आरंभ की जाने वाली है? क्या सरकार ने पंबा नदी संबंधित योजना का कार्यान्वियन आरंभ कर दिया है?

श्री नमोनारायन मीना : विदेशी सहायता के संबंध में, हम जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन से ऋण ले रहे हैं। हमने यमुना कार्य योजना चरण-एक तथा यमुना कार्य योजना चरण-दो के लिए ऋण लिया है तथा अन्य नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए हमने सरकार से उसी एजेंसी से और ऋण लेने का अनुरोध किया है। हमने 160 शहरों की सूची में पंबा को शामिल किया है। जैसा कि मैंने अपने लिखित उत्तर में कहा है, पंबा नदी के नाम को पहले ही शामिल किया जा चुका है। पंबा नदी में प्रदूषण उपशमन की अनुमोदित लागत 18.4 करोड़ रुपये है।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : वह केवल वही बात दोहरा रहे हैं जो पहले से ही लिखित वक्तव्य में दिया गया है।

श्री नमोनारायन मीना : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए 18 करोड़ रुपये से अधिक की एक परियोजना पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश की जीवन-रेखा नर्मदा नदी, जोकि मध्य प्रदेश से गुजरात तक अपने धार्मिक, सामाजिक और औद्योगिक महत्व के लिए जानी जाती है, क्या उसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल किया गया है और अगर किया गया है तो उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गयी है और अगर शामिल नहीं किया गया है तो उसे कब तक शामिल करने का विचार है?

[अनुवाद]

श्री नमोनारायन मीना : महोदय, हमारे मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में कुछ परियोजनाएं आरंभ की हैं। हमने भोपाल, छपरा, इन्दौर, जबलपुर, मांडला, नागड़, सिवनी, उज्जैन, बिदिशा आदि शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्य आरंभ किया है। इन शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्य आरंभ करने के लिए धनराशि अनुमोदित की जा चुकी है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार : मेरा स्पैसिफिक प्रश्न नर्मदा नदी को लेकर है। इस पर माननीय मंत्री जी ने कुछ विवरण नहीं दिया है?

[अनुवाद]

श्री नमोनारायन मीना : नर्मदा पहले ही इस सूची में शामिल है। जहां तक प्रदूषण उपशमन का संबंध है, नर्मदा हमारी प्राथमिकता सूची में है तथा हम पहले ही योजना का अनुमोदन कर चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार : उसके लिए कितना पैसा दिया गया है?

[अनुवाद]

श्री नमोनारायन मीना : नर्मदा के लिए अनुमोदित लागत लगभग 13 करोड़ रुपये हैं।

वन ग्रामों के विकास हेतु धनराशि

\+

*206. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल :**
श्री कृष्णा मुरारी मोघे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से वन ग्रामों के विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान वन ग्रामों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि दी गयी है;

(घ) क्या धनराशि के आबंटन के लिए कतिपय मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ङ) जी, हां। एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारत सरकार को 8 राज्यों से वन ग्रामों के विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	राज्य	कवर किये जाने प्रस्तावित वन ग्रामों की संख्या
1	2	3
1.	मध्य प्रदेश	679
2.	असम	373
3.	छत्तीसगढ़	343
4.	गुजरात	199
5.	पश्चिम बंगाल	170
6.	मिजोरम	27
7.	झारखंड	21
8.	उड़ीसा	20
	कुल	1,832

(ग) 2005-06 के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय सब-प्लान को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत 5 राज्यों में 1,624 वन ग्रामों के विकास के लिए 181.04 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। राज्य-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

क्र० सं०	राज्य	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
1.	मध्य प्रदेश	56.07
2.	असम	40.57
3.	छत्तीसगढ़	43.57
4.	गुजरात	19.79
5.	पश्चिम बंगाल	21.04
	कुल	181.04

(घ) और (ङ) मानदंडों के अनुसार, विभिन्न राज्यों में सभी वन ग्रामों को कवर किया जाना है। प्रत्येक वन ग्राम को 15 लाख रुपए की औसत दर पर निधियों का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : अध्यक्ष जी, आज भी जो वन ग्राम हैं उनको सरकार ने राजस्व ग्राम घोषित करने की योजना बनाई थी क्योंकि वन-ग्रामों में जो बैसिक सुविधाएं हैं वे प्राप्त नहीं होती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई पहल की है या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आर्डर लगवाकर इसको रुकवाया है? इसके बारे में मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री नमोनारायन मीना : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सरकार की फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत फॉरेस्ट विलेजिज को फॉरेस्ट रैवेन्यू विवेजिज बनाने की नीति रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक स्टे लगा हुआ है डी-रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड! हमारी मिनिस्ट्री और सरकार इसको खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गयी हुई है लेकिन आज की तारीख में स्टे लागू है लेकिन हमारी नीति यही है कि हम फॉरेस्ट विलेजिज को रैवेन्यू विलेजिज बनाएं।

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : माननीय मंत्री जी, आपने अपनी रिप्लाई में बताया है कि इसके लिए 1832 फॉरेस्ट विलेजिज को इम्प्रूव करने के लिए केन्द्र सरकार ने निश्चय किया था। लेकिन पिछले वर्ष तक कुल राशि 181 करोड़ रुपये दी गयी है। इस राशि में यह भी प्रावधान है कि हर वन-ग्राम के लिए 15 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इतनी कम राशि क्यों दी गयी है और क्या कुछ गांवों के लिए ही दी गयी और 15 लाख रुपये के हिसाब से क्यों नहीं दी गयी। इसके संबंध में माननीय मंत्री जी बताएं?

श्री नमोनारायन मीना : सर, ट्राइबल मिनिस्ट्री ने फॉरेस्ट विलेजिज के लिए वर्ष 2005-2006 में 230 करोड़ रुपये और वर्ष 2006-2007 में 220 करोड़ रुपये यानी कुल 450 करोड़ रुपये खर्च करने का दसवीं पंचवर्षीय योजना में विचार रखा है। पहले साल 230 करोड़ रुपये के अगैंस्ट में 181 करोड़ रुपये 1624 विलेजिज के विकास के लिए रखा हुआ है और कुछ विलेजिज के प्रस्ताव ट्राइबल मंत्रालय में प्राप्त हो चुके हैं जिनके लिए भी राशि स्वीकृत होने जा रही है।

श्री कृष्णा मुरारी मोघे : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से स्पैसिफिक मध्य प्रदेश के बारे में जानना चाहता हूं। कुल वन-ग्राम 827 हैं और 827 में से आधे के प्रस्ताव मध्य प्रदेश ने 82.73 करोड़ रुपये के भेजे थे जो स्वीकृत हुए लेकिन राशि का आवंटन आज तक मात्र 56 लाख रुपये ही हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों के अंदर वन-ग्रामों की स्थिति है ऐसी है कि बिजली और सड़क वहां पहुंचायी नहीं जा सकती है। अगर इसमें विलम्ब होगा तो निश्चित रूप से वह क्षेत्र प्रभावित होगा। क्या इसको समय-सीमा के अंदर करने का निर्णय भारत सरकार ने किया है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री नमोनारायन मीना : सर, मध्य प्रदेश में टोटल विलेजिज 925 हैं और 539 विलेजिज पहले फैज में कवर किये जा रहे हैं और उनके लिए 56 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गयी है, कुछ और प्रस्ताव भी मध्य प्रदेश से मंत्रालय में आ चुके हैं और इनको भी राशि जल्दी ही रिलीज कर दी जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश में 2690 फॉरेस्ट विलेजिज देश के 13 स्टेट्स में हैं। इन सारे विलेजिज को इस साल में और अगले साल में 100 प्रतिशत कवर कर लिया जाएगा और इनको पैसा दिया जाएगा।

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो पूरे हिन्दुस्तान में 8 स्टेट्स इसके अंतर्गत रखी हैं और ये जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर भी एक स्टेट है और इसमें बहुत से जंगल हैं और करीब 720 इसमें गांव हैं। क्या वजह है कि जम्मू-कश्मीर के किसी भी गांव को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है और आगे इनकी पॉलिसी क्या है और क्या ये जम्मू-कश्मीर को इसमें इंक्लूड करेंगे?

श्री नमोनारायन मीना : सर, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि देश के 13 राज्यों में 2690 फॉरेस्ट विलेजिज हैं और ये स्पेशल कंपोनेंट जो है ये फॉरेस्ट विलेजिज को फोकस करने के लिए, उनके विकास के लिए ही ट्राइबल मिनिस्ट्री ने रखा है। लेकिन जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से कोई भी विलेजिज इसमें इंक्लूड करने के लिए नहीं भेजा गया है जो फॉरेस्ट विलेज हो

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : सरकार ...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री खगेन दास : महोदय, सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है कि मौजूदा वन ग्राम छोटे है तथा प्रत्येक ग्राम में जनजाति समुदाय के थोड़े से लोग हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या अवसंरचना सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सरकार की वन ग्रामों के पुन: समूह बनाने की कोई योजना है। क्या 96 जनजातीय वन ग्रामों के विकास के लिए निधियों की स्वीकृति हेतु सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है? क्या मैं यह जान सकता हूं कि मांगी गई निधियां स्वीकृत कर दी गईं हैं?

श्री नमोनारायन मीना : महोदय, इस योजना का उद्देश्य मानव सूचकांक तैयार करना है। इसमें मूलभूत सुविधाएं तथा खाद्य पदार्थ, स्वच्छ पेय जल, स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक शिक्षा, पहुंच मार्ग तथा व्यवसायिक शिक्षा जैसी सेवाएं शामिल हैं। जहां तक त्रिपुरा का संबंध है, इस सूची के अनुसार, त्रिपुरा में 96 वनग्राम हैं *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

श्री नमोनारायन मीना : जैसा कि मैंने कहा है, देश में सभी वनग्रामों को या तो इसी वर्ष अथवा अगले वर्ष शामिल किया जाएगा। इस वर्ष, त्रिपुरा के ग्रामों को शामिल नहीं किया गया है। मंत्रालय 'पहले आओ पहले पाओ' सूत्र का अनुपालन करता है। संबंधित राज्य

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार को प्रस्ताव पहले भेजना चाहिए था। हम 31 मार्च के बाद इन वनग्रामों के लिए प्रक्रिया आरंभ करेंगे। सभी वनग्रामों को शामिल किया जाएगा। त्रिपुरा में स्थित वनग्रामों के लिए निधियां जारी की जाएंगी।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जो जानना चाहता हूं वह इस प्रकार है। उड़ीसा का बहुत बड़ा भाग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा बहुत से ग्राम आरक्षित वन क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जनजातीय बहुल कनाडामल, पुलवाड़ी और मल्कानागिरी क्षेत्र के लोगों की आजीविका विकसित करने के लिए उड़ीसा को निधियां प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह जानना चाहते हैं कि जनजातीय बहुल उन क्षेत्रों के लिए कोई योजनाएं हैं अथवा नहीं? इसके अतिरिक्त, आपका क्या प्रश्न है?

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : क्या निधियां आवंटित कर दी गई हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह ब्यौरा प्रश्न काल में नहीं दिया जा सकता।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : क्या उन क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया है? *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : श्री महताब आपके हस्ताक्षेप को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री नमोनारायन मीना : उड़ीसा में 20 वनग्रामों को शामिल किया जाएगा। 20 ग्रामों के लिए प्रस्ताव आए हैं तथा उन पर कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही निधियां जारी की जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा उत्तर है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने आदिवासी कम्युनिटी के वन ग्रामों का विकास करने की एक स्कीम बनायी है। 1984 का फॉरेस्ट कनजर्वेशन एक्ट है। उसके मुताबिक ग्रामों का विकास करने में बहुत बड़ी मुश्किल आती है। इस कारण वन ग्रामों को विकसित करने के लिए फॉरेस्ट कनजर्वेशन एक्ट में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। क्या सरकार उसमें परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है? महाराष्ट्र में थाणे, नासिक, चन्द्रपुर, गढ़चिरौली है। जिन राज्यों से प्रस्ताव नहीं आए हैं, उनसे प्रस्ताव मांगने के लिए मंत्रालय क्या करने वाला है? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि *(व्यवधान)*।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे अधिक नहीं। तीन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : मेरा एक महत्वपूर्ण क्वैश्चन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें यह सीखाना चाहिए कि अनुपूरक प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री नमोनारायन मीना : महाराष्ट्र के संबंध में, इस योजना के अंतर्गत 73 वनग्राम शामिल किए जाएंगे। इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। परन्तु उन्हें अगले वर्ष शामिल किया जाएगा। अन्य ग्राम, जो कि वनग्राम नहीं है, के संबंध में मैं यह कहूंगा कि उन्हें जनजातीय कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी परियोजनाएं हो उसे समय पर पूरा करना है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, यह योजना जनजातीय योजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी तथा राज्य सरकारों से प्रस्ताव भेजने के लिए कहेगी। आंध्र प्रदेश में अधिक वनग्राम हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी तथा प्रस्ताव भेजने के संबंध में राज्य को कोई पत्र लिखेगी या नहीं।

श्री नमोनारायन मीना : मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि रिकार्ड के अनुसार, आंध्र प्रदेश में कोई वनग्राम नहीं है। राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजने के लिए कहने का प्रश्न ही नहीं उठता *(व्यवधान)*।

श्री किन्जरपु येरननायडु : आंध्र प्रदेश में हमारे पास आठ एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां है *(व्यवधान)*।

मोहम्मद सलीम : वे नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 207 — श्री डी० विट्टल राव — उपस्थित नहीं।
प्रश्न सं० 208 — श्री बीर सिंह महतो — उपस्थित नहीं।
— श्री हरिकेवल प्रसाद — उपस्थित नहीं।
प्रश्न सं० 209 — श्री रघुवीर सिंह कौशल — उपस्थित नहीं।
प्रश्न सं० 210 — श्री गणेश सिंह — उपस्थित नहीं।
प्रश्न सं० 211 — श्री ए० साई प्रताप — उपस्थित नहीं।
प्रश्न सं० 212 — श्री रवि प्रकाश वर्मा — उपस्थित नहीं।
प्रश्न सं० 213 — श्री सुब्रत बोस — उपस्थित नहीं।
प्रश्न सं० 214 — श्री जीवाभाई ए० पटेल — उपस्थित नहीं।

अध्यक्ष महोदय : हमें कुछ दंड लगाने के बारे में सोचना होगा। क्या आप मुझसे सहमत हैं?

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 215 — कुंवर मानवेन्द्र सिंह — उपस्थित नहीं।
प्रश्न सं० 216 — श्री राकेश सिंह — उपस्थित नहीं।

श्री अधलराव पाटील शिवाजी राव अपना प्रश्न पूछें। संभवत: आपको दंड की राशि मिलेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इनसे धनराशि एकत्र करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज मैं आपके साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करूंगा।

[हिन्दी]

रिहायशी तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि

\+
*216. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** :
श्री राकेश सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि भूमि का रिहायशी तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ काम में लिए जाने के कारण देश में कृषि भूमि धीरे-धीरे कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के अलावा अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए भी कृषि भूमि का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान कितनी कृषि भूमि कम हुई है;

(घ) क्या सरकार कृषि भूमि को अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करने से रोकने के लिए कोई विधान लाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) गत 5 वर्षों में कृषि भूमि में कुछ कमी हुई है। यह भूमि 1998-99 में 183.63 मिलियन हैक्टेयर से घटकर 2002-03 में 182.92 मिलियन हैक्टेयर हो गई। इसी अवधि में गैर-कृषि उपयोग के अंतर्गत भूमि 22.80 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 24.25 मिलियन हैक्टेयर हो गई, जिससे पता चलता है कि गैर कृषि भूमि में हुई अधिकतर वृद्धि अकृष्य भूमि के उपयोग के जरिए प्राप्त हुई है।

भूमि राज्य का विषय है और इसीलिए राज्यों से यह अपेक्षित है कि वे किसी अन्य प्रयोजन के लिए कृष्य भूमि के उपयोग के विनियमन के संबंध में उपयुक्त विधान बनाएं। गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की रोकथाम के लिए अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, गोवा तथा संघ शासित क्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा पांडिचेरी में विधान उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और असम राज्य सरकारों ने गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए अच्छी कृषि भूमि के उपयोग की रोकथाम के लिए नियम और कार्यकारी आदेश जारी किए हैं।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि भूमि राज्य का विषय है। महाराष्ट्र और अन्य सभी राज्यों में कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग करना एक अति गंभीर मुद्दा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार के पास ऐसी कोई नीति अथवा योजना है जिससे राज्य सरकारों को यह अनुदेश दिया जा सके कि वे कृषि भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों हेतु प्रयोग की अनुमति न

दे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र खेड़ में विशेषकर मुल्सीताल्लुक में मन और मरूणजी जैसे स्थानों में 'हरित पट्टी' के रूप में आरक्षित सैकड़ों एकड़ भूमि का आई०टी० पुरजों की स्थापना हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करके राज्य सरकारों को यह अनुदेश देगी कि वे ऐसी महत्वपूर्ण कृषि भूमि का औद्योगिक कार्यों में प्रयोग न करे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे? मैं नहीं जानता कि क्या वे यह बात मानेंगें या नहीं।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : महोदय, भूमि राज्य का विषय है। और राज्य का विषय होने के नाते संबंधित राज्य सरकारों को अनुदेश देने के संबंध में भारत सरकार की सीमाएं हैं। माननीय सदस्य द्वारा अपने क्षेत्र के संबंध में जो मुद्दा उठाया गया है यह सही है कि उन्होंने जिस विशेष क्षेत्र का उल्लेख किया है वह पुणे शहर के आसपास कहीं है। यह भी सच है कि राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्यानों के लिए एक वृहद क्षेत्र का अधिग्रहण किया हुआ है और ऐसे कई उद्यान बन रहे हैं।

यह भी सत्य है कि ऐसे कई गांव है जहां किसानों ने इसका विरोध किया है। हम इस मुद्दे को राज्य सरकार के साथ उठा रहे हैं। हम राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम उस भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए जहां सिंचाई की जाती है औद्योगिक विकास अथवा अन्य किसी विकास, जो वे करना चाहें, के मुद्दे पर हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे केवल बंजर भूमि, जिस भूमि में पानी न हो और जो भूमि मवेशियों के लिए उपयोगी न हो, का ही अधिग्रहण करें। इस संबंध में हम निश्चित तौर पर राज्य सरकार से संपर्क करेंगें।

अध्यक्ष महोदय : अब, आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : चूंकि मैं माननीय मंत्री के उत्तर से संतुष्ट हूं अतः मुझे अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है।

मोहम्मद सलीम : महोदय, उत्तर से मुझे यह पता चला है कि कृषि भूमि को कुछ कम किया जा रहा है और भूमि का गैर कृषि कार्यों में अधिकाधिक प्रयोग बढ़ता जा रहा है। मंत्री जी का यह तर्क कि गैर-कृषि योग्य भूमि के कुछ भाग को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने की बजाए उसे औद्योगिक और वाणिज्यिक भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। यह संतुष्टि का मुद्दा है।

परन्तु मुख्य प्रश्न के भाग (ख) अर्थात्, "क्या देश में औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के अलावा अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए भी कृषि भूमि का उपयोग किया जा रहा है," का उत्तर नहीं दिया गया है। चिन्ता का मुद्दा यह है कि औद्योगिक नगरीकरण के कारण उसके लिए कुछ स्थान तो देना होगा। परन्तु प्रश्न यह था कि, "क्या औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के अलावा अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए भी कृषि भूमि का उपयोग किया जा रहा है।" इसका किस लिए उपयोग किया जा रहा है?

श्री शरद पवार : देश के समक्ष जो मुख्य समस्या आ रही है वह तीव्र नगरीकरण की है और इस नगरीकरण के कारण कृषि भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों मुख्य रूप से नगरीय उद्देश्यों में परिवर्तित कर दिया गया है। अधिकतर शहरों और राज्यों में यह एक आम समस्या है।

श्री भर्तृहरि महताब : मेरा अनुपूरक प्रश्न उस उत्तर के बाद आता है जो कृषि मंत्री ने अभी दिया है। चूंकि भूमि राज्य का विषय है अतः संबंधित राज्यों में संबंधित राजस्व कानून है जिन्हें स्पष्टतया यह बताया गया है कि चूंकि नगरीकरण बढ़ रहा है अतः कृषियोग्य भूमि को वासभूमि क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। परन्तु यह देखा गया है कि नगरीकरण के दवाब के कारण कृषियोग्य और कृषि भूमि को वासभूमि क्षेत्र में परिवर्तित किया जा रहा है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार कृषि भूमि को वासभूमि क्षेत्र में परिवर्तित करने से नियंत्रित करने के लिए सभी राजस्व मंत्रियों की एक बैठक बुलाएगा क्योंकि बंजर भूमि बढ़ती जा रही है, चारागाह भी वासभूमि क्षेत्र में परिवर्तित होते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : क्या केन्द्र सरकार सभी राजस्व मंत्रियों की एक बैठक बुलायेंगी और संबंधित राज्य सरकारों पर यह दवाब डालेगी कि एक सीमा निर्धारित की जाए ताकि कृषि भूमि का नगरीकरण, कृषियोग्य भूमि का वासभूमि क्षेत्र में परिवर्तन रोका जा सके?

श्री शरद पवार : महोदय, यह विशेष प्रश्न ग्रामीण विकास मंत्रालय के विचाराधीन है। मुझे माननीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से यह अनुरोध करने में कोई हिचक नहीं है कि वह राज्य सरकारों के साथ कि इस विशेष विषय पर चर्चा के लिए सभी राजस्व मंत्रियों की एक बैठक बुलाए और कोई समाधान ढूंढने का प्रयास करें।

[हिन्दी]

प्रो० राम गोपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है जिसकी वजह से कृषि योग्य भूमि

अधिगृहीत की जा रही है। जैसा कि प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों अर्थात् 1998-99 से 2003 से बीच में लगभग 10 लाख हैक्टेयर खेती की ज़मीन कम हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इसका सिर्फ यही उपाय है कि जो खेती योग्य जमीन नहीं है यानी जो बंजर ज़मीन है, उसे खेती योग्य बनाने के लिये कोई योजना लागू की जाये? क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कुछ राज्य सरकारें इस तरह की योजनायें चला रही हैं कि जो बंजर जमीन है, उसे खेती योग्य किया जाये? क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को इस तरह के निर्देश देने का काम करेगी कि बढ़ते हुये शहरीकरण के कारण, जो कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, बेकार पड़ी जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिये विचार करेगी, यदि नहीं तो कब तक करेगी?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति बनाई गई है और विभिन्न राज्यों को भेज दी गई है। इस नीति के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों को कई सुझाव दिए गए हैं। उदाहरणार्थ राज्य स्तर पर भूमि उपयोग मंडलों को पुनः शुरू किया जाएगा। उन राज्यों में जहां भूमि उपयोग मंडल हैं वह पूरी तरह निष्क्रिय है उन्हें पुनः शुरू किया जाएगा और जहां भी वे विद्यमान नहीं हैं वहां उनका सृजन किया जाएगा। सरकार में संयुक्त रूप से भूमि के सभी प्रयोक्ताओं द्वारा भूमि उपयोग नीति बनाई जाएगी और विशेषकर शहरी नीति आदि पुनः गठित की जाएगी। इसी प्रकार के कई सुझाव राज्य सरकारों को पहले ही दिए जा चुके हैं। कुछ राज्य निश्चित तौर पर इसमें रूचि ले रहे हैं परन्तु दिनोंदिन बढ़ते नगरीकरण के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही है और मैं निश्चय ही इस विषय को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाऊंगा।

श्री प्रबोध पाण्डा : महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न के भाग (ख) से संबंधित है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या संघ सरकार ने कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों में विपणन के बारे में कोई अध्ययन किया है; यदि नहीं, तो क्या वे किसी समिति का गठन कर रहे हैं और कोई अध्ययन कर रहे हैं ताकि वे आकड़े उलपब्ध हो सकें जिनसे यह पता चल सकें कि कृषि भूमि के अन्य प्रयोग के कारण कितनी अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, गरीब और सीमांत कृषक प्रभावित हुए हैं।

श्री शरद पवार : अध्ययन किया जा चुका है और विभिन्न प्रयोगों हेतु कृषि भूमि के आबंटन के संबंध में राज्य सरकारों से नियमित रिपोर्ट एकत्र की जाती है 1950-51 से 2002-03 तक राज्य सरकारों से ये आकड़े एकत्र किए गए थे।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए था।

श्री ई० पोन्नुस्वामी : हमें इसकी पूरी जानकारी है कि भूमि राज्य का विषय है परन्तु तमिलनाडु जैसे राज्य में अधिकारियों की सांठ-गांठ से सत्ता पक्ष के लोगों से कृषि भूमि प्राप्त की जा रही है और परिवात परिवर्तित किया जा रहा है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ई० पोन्नुस्वामी : यदि आप कहते हैं कि यह राज्य का विषय है और केन्द्र इसमें एक सीमित भूमिका ही अदा कर सकता है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यह राज्य का विषय है और उसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए था।

श्री ई० पोन्नुस्वामी : ऐसी आपदा के लिए क्या सुधार किया जा सकता है?

श्री शरद पवार : जब हमें एक और महीने का समय मिलेगा तो हम कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, बंजर भूमि के संबंध में अनेक माननीय सदस्यों ने भी सवाल पूछे हैं। देश के अंदर लाखों एकड़ बंजर भूमि पड़ी है और जो खेतों में काम करने वाले अनुसूचित जाति के भाई हैं, वे अपने हाथों से बंजर भूमि का नवसृजन करने के लिए भी तैयार हैं। क्या ऐसे अनुसूचित जाति के खेत मज़दूरों को बंजर भूमि नवसृजन के लिए देने के संबंध में आपके मंत्रालय से कोई आदेश होगा? यदि होगा तो अच्छी बात है। *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : आदेश देने का कोई हक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : इसके लिए मुझे पृथक् नोटिस की आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

चीनी की कीमतों में वृद्धि

\+
*217. **श्री संतोष गंगवार :**
श्री बी० करूणाकर रेड्डी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान प्रत्येक माह के अंत में खुले बाजार में बेची गई चीनी की दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार चीनी की कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर गन्ने की कीमतों में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) पिछले वर्ष के दौरान देश की प्रमुख मंडियों में मास के अंत में चल रहे चीनी के थोक मूल्य संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) चीनी के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) जनवरी-मार्च, 2006 की तिमाही के लिए 4.5 लाख मी० टन खुली बिक्री की चीनी की अतिरिक्त निर्मुक्ति करना।

(ii) माह विशेष के लिए निर्मुक्त गैर-लेवी चीनी की निर्धारित अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से बिक्री करना।

(iii) खुली बिक्री की चीनी की नहीं बेची गई/नहीं प्रेषित की गई मात्रा को लेवी चीनी में परिवर्तित करना।

(iv) यादृच्छिक (रैंडम) आधार पर चीनी मिलों के प्रवर्तन/जांच करना।

(v) देश में चीनी के मूल्य की गहन और निरंतर मानीटरिंग करना।

(घ) और (ङ) चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को प्रत्येक चीनी मौसम के लिए गन्ने का देय सांविधिक न्यूनतम मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तथा गन्ने के उत्पादन की लागत, वैकल्पिक फसलों से किसानों को लाभ, गन्ने से चीनी की रिकवरी, चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी जिस मूल्य पर बेची जाती है, आदि तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तद्नुसार, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुसार, चीनी मौसम 2005-06 के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 9.0% की मूल रिकवरी पर 79.50 रुपये प्रति क्विंटल पहले ही निर्धारित किया जा चुका है जिसमें इस स्तर से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 88 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम देने की व्यवस्था है।

तथापि, कुछ राज्य सरकारें चीनी फैक्ट्रियों को सामान्यतया गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य का भुगतान करने की सलाह देती रही है।

अनुबन्ध

मूल्य नियंत्रण प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार देश की प्रमुख मंडियों में प्रत्येक मास के अंत में चीनी के थोक मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

वर्ष/मास	दिल्ली	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई
2005				
जनवरी	1870	1850	1900	1800
फरवरी	1840	1875	1850	1800
मार्च	1785	1828	1865	1740
अप्रैल	1800	1868	1870	1740
मई	1755	1820	1815	1700
जून	1830	1773	1845	1680
जुलाई	1875	1905	1910	1700
अगस्त	1865	1905	1900	1770
सितम्बर	1860	1848	1890	1710
अक्तूबर	1820	1930	1890	1740
नवम्बर	1852	1880	1920	1740
दिसम्बर	1830	1930	1910	1765
2006				
जनवरी	2003	1980	2000	1790
फरवरी (15 तक)	2050	2015	2080	2050

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न किया गया था कि देश के अंदर चीनी के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है और उसके उत्तर में मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि लगातार वृद्धि हो रही है और आज चीनी का खुदरा मूल्य 25 रुपये प्रति किलो है। आपने थोक भाव 2080 के आसपास बताया है, तब जबकि एक मुख्य त्यौहार इस समय देश में आ रहा है। आपके निरंतर प्रयास डेढ़ वर्षों में ऐसे रहे कि चीनी का मूल्य आप कम नहीं कर पाए और जो

प्रयास आपने इसमें बताए हैं, उनका कोई असर भी नहीं हुआ। हम कैसे उम्मीद करें कि इसकी रोकथाम के लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं वे सही हैं? कृषि मंत्री जी यहां उपस्थित हैं और किसानों की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा चमत्कारी कदम उठा सकते हैं कि जब एक सप्ताह बाद होली का त्यौहार आए, तब लोगों को चीनी 15 रुपए किलो के भाव के आस-पास मिल सके?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : महोदय, यह जो परिस्थिति पैदा हो गई है, इसका कारण यह है कि पिछले सालों से और खास कर पिछले तीन सालों से किसानों को ठीक कीमत नहीं मिली और गन्ने का प्लांटेशन कम हो गया। देश में आज तक गन्ने की पैदावार इतनी कम नहीं हुई, जितनी पिछले साल हुई। मगर टोटल प्रोडक्शन 180 लाख टन के आस-पास है, जो देश की जरूरत है। आज देश की बफर स्टाक की पोजिशन ठीक है, उत्पादन भी ठीक हो रहा है। इस साल पूरे देश में गन्ने का प्लांटेशन हुआ है, इसकी सूचना प्राप्त करने के बाद यह बात साफ हो गई है कि अगले साल देश में चीनी सरपलस ही सरपलस हो जाएगी और कोई समस्या नहीं होगी। पिछले दो-तीन साल में जो स्थिति पैदा हुई थी, खास कर सूखे की परिस्थिति से गन्ने की कीमत पर असर हुआ था, लेकिन अब परिस्थिति में सुधार हो रहा है।

श्री संतोष गंगवार : महोदय, कृषि मंत्री जी कृषि क्षेत्र के जानकार हैं। इसकी एक साइकिल होती है। हर तीन-चार साल के बाद मूल्यों में कमी या बढ़ोतरी होती है। पिछले वर्ष चीनी मिलों के निजी क्षेत्र के मालिकों ने किसानों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था और किसानों को पूरा मूल्य नहीं दिया। आज वही मिल मालिक ज्यादा मूल्य पर या चोरी से गन्ना खरीद रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज जबकि चीनी का भाव दो हजार से ऊपर है और चीनी और गन्ने के मूल्य का एक रेशो है। आज गन्ने का मूल्य क्या है, यह आपकी जानकारी में है। केंद्र ने मूल्य तय किया है उस मूल्य के बाद भी राज्य सरकारें अपने हिसाब से 110 रुपए या 115 रुपए का भाव देती हैं। कायदे से गन्ने का मूल्य किसानों को दो सौ रुपए प्रति क्विंटल के अनुसार मिलना चाहिए। यह एक प्रक्रिया का प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इनकी हमदर्दी किसानों के साथ नहीं है कि किसानों को डेढ़ सौ से दो सौ रुपए के बीच में गन्ने का मूल्य मिले? मंत्री जी यह न कहें कि चीनी मिल वाले अपने आप में सक्षम हैं कि जो रेट वे देना चाहें, दें। क्या सरकार कोई ऐसा निर्देश दे सकती है कि किसानों को कम से कम डेढ़ सौ रुपए मूल्य मिले? इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? यह गलत बात है कि चीनी का बफर स्टाक हो जाएगा तो गन्ना सौ रुपए के भाव से भी नहीं बिकेगा। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी प्रक्रिया आपके रहते सुनिश्चित हो कि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिले। देश के किसानों की रीढ़ गन्ना मुख्य फसल है।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह प्रश्न पहले ही पूछ लिया है।

श्री शरद पवार : महोदय, एक बात साफ है कि सरकार जब मूल्य देती है तो किसान के हितों की रक्षा करना सरकार का फर्ज है। साथ ही इंडस्ट्री को भी चलाने के लिए ध्यान देना पड़ता है। उपभोक्ता के हितों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सवाल पूछा गया है कि चीनी के दाम ऊपर जा रहे हैं और दो हजार के आस-पास किसानों को कीमत देनी चाहिए। जब हम किसानों को दो हजार रुपए के आस-पास कीमत देंगे तो चीनी की कीमत 27-28 रुपए के ऊपर आ जाएगी। यह ज्यादा कीमत है। किसानों के हितों को सेफगार्ड करने की आवश्यकता है, लेकिन उपभोक्ता के हितों को भी सेफगार्ड करने की जरूरत है। दोनों में बैलेंस होना चाहिए। आज के दाम हमें मालूम हैं। जहां तक पूरे देश में 1700 या 1800 के आस-पास रेट हैं तो किसान को 1000 या 1100 या 1200 तक रेट देने की परिस्थिति पैदा होती है। पूरे देश में कई राज्य इससे ज्यादा कीमत राज्य दे रहे हैं। कम्पीटीशन हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में किसानों को ज्यादा रेट देने के लिए कम्पीटीशन हो रहा है। यह किसानों के लिए अच्छा है।

[अनुवाद]

श्री बी० करुणाकर रेड्डी : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या बी०पी०एल० कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली चीनी का मूल्य कम करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री शरद पवार : बी०पी०एल० कार्ड धारकों हेतु निर्धारित मूल्य निश्चित रूप से कम है और यह बाजार मूल्य से तो काफी कम है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की दलील बड़ी लचर है कि इस साल किसानों ने अधिक गन्ना बो दिया है और अगले साल जब फसल या चीनी आएगी, तो चीनी के दाम अपने आप कम हो जाएंगे। यानी जो उपभोक्ता है उसे सालभर तक चीनी 30-35 रुपए किलो तक खरीदनी पड़ेगी। यदि यह सरकार का तर्क है, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही दुखद है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय जो चीनी का स्टॉक हमारी मिलों और सरकार के पास है, वह इतना पर्याप्त है कि कम से कम जो त्यौहार हैं, उनमें सस्ते गल्ले की राशन की दुकानों के जरिये चीनी की डिलीवरी इतनी हो जाए कि उपभोक्ता को चीनी उचित कीमत पर उपलब्ध हो सके। अत: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे होली के त्यौहार को देखते हुए, चीनी का एलाटमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए बढ़ाने का कष्ट करेंगे?

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, जितनी चीनी इस देश की मिलों में पैदा होती है, उसकी हार्डली 10 चीनी लेने का ही निर्णय

आज से दो-तीन साल पहले सरकार ने लिया था। इसलिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ 10 प्रतिशत ही चीनी अवेलेबल है। बाकी 90 प्रतिशत चीनी मार्केट में अवेलेबल है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि चीनी की कीमत 25, 27 या 28 रुपए तक जाएगी, बात बराबर नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। सरकार चीनी की कीमत वहां तक नहीं जाने देगी। यदि यह परिस्थिति पैदा हो जाएगी, तो हम रिलीज ऑर्डर बढ़ाएंगे। एक-डेढ़ महीने पहले जब चीनी की कीमत थोड़ी ऊपर जानी शुरू हुई, हमने रिलीज ऑर्डर बढ़ाया और चीनी की कीमत नीचे आ गई। इसलिए हमें ऐसी स्थिति में दोनों तरफ देखने की आवश्यकता है जिससे एक तरफ किसानों को उनके गन्ने का ठीक दाम मिले, साथ ही साथ, दूसरी तरफ कंज़्यूमर का इंटरैस्ट भी हमें सेफगार्ड करना है।

श्री मुंशी राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि यदि हम किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम देंगे, तो चीनी का मूल्य 2700 रुपए क्विंटल से ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि गन्ने से चीनी बनाते समय लगभग 10 प्रतिशत चीनी निकलती है, लगभग 15 प्रतिशत खोई निकलती है, 65 और 70 प्रतिशत के बीच में शीरा निकलता है, उसमें कुछ मैली निकलती है। जब हम चीनी 2000 रुपए प्रति क्विंटल बेच रहे हैं, खोई 150 रुपए क्विंटल से अधिक बेच रहे हैं, मैली 100 रुपए प्रति क्विंटल बेच रहे हैं और शीरा, जो बिल्कुल वेस्ट है, वह 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल बेच रहे हैं, तो इस हिसाब से 200 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम बैठता है। इसलिए यदि शीरे के 300 रुपए प्रति क्विंटल के पैसे भी हम किसान को दे दें, तो मैं समझता हूं कि किसान उन्नति करेगा और गन्ने की पैदावार को बढ़ाएगा, चीनी की पैदावार को बढ़ाएगा, क्या वे ऐसा करेंगे?

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, इस साल किसानों को गन्ने की जो कीमत मिल रही है, उतनी गन्ने की कीमत किसानों को इससे पहले कभी भी नहीं मिली। पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा कीमत इस साल दी गई है। जिन्हें इस क्षेत्र के बारे में मालूम है, वे इसे स्वीकार करेंगे कि इस साल गन्ने की कीमत अच्छी मिल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री खारवेनथन, कृपया अगली बार ज्यादा ध्यान दें।

श्री एस०के० खारवेनथन : महोदय, मुझे अफसोस है।

तमिलनाडु और देश में अन्य जगहों पर भी ऐसे कई मामले हैं जहां निजी और सहकारी क्षेत्र की कई चीनी मिलों ने जानबूझकर गन्ना आपूर्ति करने वाले गन्ना उत्पादकों के बकायों का महीनों बाद तक भुगतान नहीं किया है।

क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है? यदि हां, तो गरीब गन्ना उत्पादकों को भूख और कर्ज से बचाने हेतु सरकार क्या उपचारात्मक उपाय करेगी?

श्री शरद पवार : महोदय, निश्चय ही ऐसे उदाहरण हैं। भारत सरकार ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ सरकारों, उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है। 95 प्रतिशत से अधिक का भुगतान कर दिया गया है। यदि तमिलनाडु में कोई विशेष मामला है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर उसे देखूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि किसानों को उनके बकाये का भुगतान कर दिया जाये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 218 श्री कैलाशनाथ सिंह यादव — उपस्थित नहीं।

प्रो० महादेवराव शिवनकर

उर्वरकों का उत्पादन

\+

***218. प्रो० महादेवराव शिवनकर :**
श्री कैलाशनाथ सिंह यादव :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या सभी उपक्रम लाभ अर्जित कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान नुकसान उठाने वाले उपक्रमों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर ऐसी इकाइयों का पुनर्गठन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो उनका उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें लाभकारी बनाने के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों ने वर्ष 2005-06 के दौरान जनवरी, 2006 तक पोषक तत्वों के रूप में लगभग 25.51 लाख टन नाइट्रोजनयुक्त और 2.35 लाख टन फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों का उत्पादन किया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच०एफ०सी०), फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ०सी०आई०) और पाइराइट्स, फॉस्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (पी०पी०सी०एल०) सार्वजनिक क्षेत्र के तीन ऐसे उपक्रम हैं जो रुग्ण हैं और सरकार द्वारा इन्हें बंद करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। इन उपक्रमों में उत्पादन नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (बी०वी०एफ०सी०एल०) पिछले तीन वर्ष से घाटे में चल रहे हैं। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम०एफ०एल०) जिसने वर्ष 2002-03 के दौरान लाभ अर्जित किया था, 2003-04 से घाटे में चल रहा है।

(घ) सार्वजनिक उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आर०पी०एस०ई०) ने फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) और मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम०एफ०एल०) के वित्तीय पुनर्गठन प्रस्तावों पर विचार किया है और सरकार के सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बोर्ड की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है। एच०एफ०सी० और एफ०सी०आई० ने गैस आधारित ब्राउन फील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके बरौनी और दुर्गापुर इकाइयों (एच०एफ०सी०) तथा गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों (एफ०सी०आई०) के पुनरुद्धार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। एच०एफ०सी० की हल्दिया इकाई के संबंध में श्रीराम ई०पी०सी० ने उर्वरकों के उत्पादन सहित कोक ओवन परिसर की स्थापना करके इस इकाई का पुनरुद्धार करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। एफ०सी०आई० अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फेगमिल) के सीधे उर्वरक के रूप में पाइराइट्स का खनन और उसकी बिक्री कर पी०पी०सी०एल० की अमझोर इकाई का पुनरुद्धार करने में रूचि जाहिर की है। तथापि उपर्युक्त इकाइयों का पुनरुद्धार प्रौद्योगिक-आर्थिक व्यवहार्यता और यूरिया इकाइयों के मामले में गैस की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ङ) भारत सरकार ने घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान (फरवरी, 2006 तक) निम्नलिखित बजटीय सहायता जारी की है :-

(करोड़ रुपए)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	योजनागत	योजनेतर
बी०वी०एफ०सी०एल०	35.34	10.61
फैक्ट	40.00	—

प्रो० महादेवराव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि नाइट्रोजनयुक्त और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों का उत्पादन हमारे यहां कितना-कितना हुआ। क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का प्रयत्न करेंगे कि देश की आवश्यकता कितने लाख टन नाइट्रोइजनयुक्त और कितने लाख टन फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की है? इसमें जो डैफीसिट आ रहा है, जो कमी हो रही है, उस देखते हुए हमने कितना इम्पोर्ट किया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यदि इतनी विदेशी मुद्रा अपने देश में बन्द कारखानों को चलाने में खर्च की जाती, तो क्या जो तीन बड़ी-बड़ी कंपनीज बन्द बताई गई हैं, क्या वे चल नहीं सकती थीं? मेरा अगला प्रश्न यह है कि इन तीनों उर्वरकों की देश की कितनी-कितनी आवश्यकता है और उसमें से हमने कितना-कितना इम्पोर्ट किया और इन बन्द मिलों को चलाने के संबंध में सरकार की क्या पॉलिसी है?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मुख्य रूप से हमारे तीन उर्वरक हैं- यूरिया, डी०ए०पी० और एम०ओ०पी० है। हमारे यहां यूरिया का उत्पादन पिछले साल, वर्ष 2005-06 में, 206 लाख टन हुआ। हमने 19.67 लाख टन आयात किया। 232 लाख टन खपत हुई। इसी प्रकार से डी०ए०पी० का 45.41 लाख टन उत्पादन हुआ और 21.77 लाख टन आयात किया। 77.72 लाख टन की खपत हुई। एम०ओ०पी० यानी पोटाश, चूंकि हमारे यहां पैदा ही नहीं होती है, इसलिए उसका टोटल आयात करना पड़ता है। इसका 38.14 लाख टन आयात किया। 28.41 लाख टन खपत हुई। जहां तक आयात पर कितना पैसा खर्च हुआ है, इसका सवाल है, इस बारे में यदि माननीय सदस्य चाहेंगे, तो हम अलग से लिख कर दे देंगे।

प्रो० महादेवराव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि इन उर्वरकों को खरीदने में इस देश का कितना धन विदेशी मुद्रा में गया, इसका जवाब नहीं दिया है। क्या मंत्री महोदय इस संबंध में बताने का कष्ट करेंगे? इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। इसके साथ-साथ आप मुझे मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर भी देंगे?

अध्यक्ष महोदय : दे दिया। एक ही साथ पूछ लीजिए।

प्रो० महादेवराव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कॉर्पोरेशन लि०, फर्टीलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०, पायराइट फॉस्फेट एंड केमीकल्स लि०, ये जो रुग्ण उपक्रम हैं, इन्हें चलाने के संबंध में क्या सरकार कोई नीति अख्तियार कर रही है, यदि ये उपक्रम, सरकारी उपक्रम के रूप में नहीं चलाए जा सकते हैं, तो क्या इनका प्राइवेटाइजेशन करके, या इन्हें खासगी हाथों में, प्राइवेट हाथों में देकर, चलाने के संबंध में क्या कोई एक नीति निर्धारित कर रहे हैं या यह मामला ऐसे ही पड़ा रहेगा?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पहले प्रश्न के 'ख' भाग का जवाब मैंने पहले ही दे दिया था कि जहां तक एमाउंट का सवाल है, हर साल फास्फोरिक एसिड, डी०ए०पी०, एम०ओ०पी० या यूरिय के दाम विदेशी मार्केट में घटते-बढ़ते रहते हैं। वह अलग से हम माननीय सदस्य को भेज देंगे। जहां तक बन्द उद्योग का सम्बन्ध है, हम जानते हैं कि जो एन०डी०ए० की सरकार

थी, उन्हीं के जमाने में यह बन्द कर दिया गया था और बन्द ही नहीं किया गया था बल्कि उन्हें कह दिया गया था कि इन्हें बेचो। *(व्यवधान)*।

प्रो० महादेवराव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, प्रॉब्लम कंटीन्यू *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है? आप प्रौफेसर हैं?

प्रो० महादेवराव शिवनकर : जी हां सर।

अध्यक्ष महोदय : तो सुनिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, कोई 1999-2000 में बन्द हुआ, कोई 2002 में बन्द हुआ, कोई 2003 में बन्द हुआ। स्वाभाविक है कि उस समय एन०डी०ए० की सरकार थी। उस सरकार ने यह भी कहा था कि फर्टीलाइजर के प्लांट चाहे सिन्दरी में हों, बरौनी में हों, गोरखपुर में हों या हल्दिया में, सबको बन्द कर दो, बेच दो। जब हम आए, तो हमने कहा कि हम बेचेंगे नहीं। क्योंकि यह सम्पत्ति एक बार बिक जाएगी, तो सिर्फ कारखाना ही नहीं बिकेगा, बल्कि जब कारखाना बिकता है, तो पूरा शहर बिकता है। इसलिए हम उसे बेचेंगे नहीं। हम उसे दुबारा चालू करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि दुबारा चालू करने के लिए हमें रॉ-मटीरियल भरपूर मात्रा में चाहिए। इस समय दो तरह के रॉ-मटीरियल हैं। फीड स्टॉक एक होता है नैफ्था और दूसरा होता है गैस। नैफ्था की कीमत, गैस से कई गुनी अधिक है। इसलिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि जो नैफ्था बेस कारखाने हैं, उन्हें धीरे-धीरे गैस में बदलो और गैस की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हमारे यहां गैस चाहिए 34 एम०एम०एस०सी०एम०डी० और हमारे पास अभी केवल 28 एम०एम०एस०सी०एम०डी० है। इन कारखानों को यदि चालू करेंगे, तो हमें गैस 68 एम०एम०एस०सी०एम०डी० चाहिए। अब इस परिस्थिति में, हम लोग भारत सरकार की पैट्रोलियम एवं नैचुरल गैस मिनिस्ट्री से बातचीत में लगे हुए हैं, गेल से भी बात कर रहे हैं और प्राइवेट कंपनियों से भी बातचीत में लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि वर्ष 2009 तक गैस उपलब्ध हो जाएगी। जब गैस उपलब्ध हो जाएगी, तो हम इन कारखानों को चालू कर देंगे।

जहां तक इनको प्राइवेट के हाथ में बेचने का सवाल है तो एक जगह हल्दिया में हमारे पास आया है, स्टेट गवर्नमेंट भी मन से तैयार है। यदि प्राइवेट सैक्टर वाला कोई आना चाहे तो उसका हम स्वागत करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव : महोदय, उर्वरक किसानों के महत्वपूर्ण आदानों में से एक हैं। स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद, चूंकि, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए बड़े निजी निवेशक तैयार नहीं थे अतः, सरकार को इन क्षेत्रों में प्रवेश करना पड़ा। शुरूआत में सरकारी उपक्रमों ने बड़ी सक्षमता से कार्य किया। मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए निजी क्षेत्र पर नियंत्रण में भी सरकारी उपक्रमों ने भूमिका निभाई। लेकिन, हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय में अक्षमता, गैर-जवाब देही, उत्तरदायित्व की कमी और भ्रष्टाचार के कारण से सभी कंपनियां रुग्ण हो गईं और नियमित तौर पर मूल्यों में वृद्धि की मांग करने लगीं। निजी क्षेत्र की कंपनियों ने सरकारी उपक्रमों की इस अक्षमता का लाभ उठाया और मूल्यों में वृद्धि के कारण उन्होंने काफी लाभ अर्जित किया।

माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे चुके हैं कि सरकार इन इकाइयों को बेचने के पक्ष में नहीं है, लेकिन मैं भी इन्हें बेचने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि ये परिसंपतियां काफी मंहगी है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन इकाइयों को दस या पन्द्रह वर्षों की अवधि के लिए निजी उद्यमियों को पट्टे पर देने पर विचार करेगी ताकि वे उन्हें लाभकारी उद्यम बना सकें। तब सरकार इन इकाइयों को फिर से अपने हाथ में लेने पर विचार कर सकती है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जैसा हमने कहा, हमारी मेन चिन्ता है कि वह प्रापर्टी सरकार के पास रहे। सरकार के पास यदि कोई लीज के लिए आना चाहे तो हम उसको देखेंगे, लेकिन हमारे पास ज्यों ही गैस की एवेलेबिलिटी हो जायेगी, हम उसे शुरू करेंगे और जो अमझोर के सम्बन्ध में भी कहा गया है, उसका भी यही मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 219 श्री पी० मोहन — उपस्थित नहीं।

किसानों के लिए कृषि-क्रेडिट कार्ड

*220. **चौधरी लाल सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को कृषि क्रेडिट कार्ड जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस क्रेडिट कार्ड की सहायता से किसान नुकसान होने के तुरन्त बाद प्रतिपूर्ति पाने में सक्षम होंगे जैसा कि एल०आई०सी० और जी०आई०सी० के मामलों में होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई दीर्घकालीन नीति बनाई गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस योजना से लाभान्वित हुए किसानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ज) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (छ) किसानों के लिए कृषि-क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने की कोई स्कीम नहीं है, तथापि किसानों को उनकी खेती संबंधी जरूरतों के लिए बैंकिंग प्रणाली से एक लचीले और सरल तरीके से समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में ऋण समर्थन प्रदान करने के लिए किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने की एक माडल स्कीम वर्ष 1998-99 में आरंभ की गई थी, जिसे "किसान क्रेडिट कार्ड (के०सी०सी०) स्कीम" के नाम से जाना जाता है।

2. **के०सी०सी० स्कीम की मुख्य विशेषताएं हैं:—**

- पात्र किसानों को एक किसान क्रेडिट कार्ड और एक पासबुक अथवा एक कार्ड-कम-पासबुक मुहैया की जाती है।
- कार्ड धारी के लिए आवर्ती (रिवोल्विंग) नकद ऋण सुविधा उपलब्ध है जिसमें स्वीकृत ऋण सीमा के भीतर कितनी ही बार नगद आहरण और पुनर्भुगतान करने की सुविधा है।
- किसान की पूरे वर्ष की उत्पादन ऋण संबंधी सम्पूर्ण जरूरतों और किसान द्वारा किए जाने वाले फसल उत्पादन से संबंधित सहायक कार्यकलापों के साथ-साथ मध्यावधि निवेश ऋण और खपत ऋण को भी उसी कार्ड में सम्मिलित किया गया है।
- ऋण सीमा का निर्धारण कार्डधारी की प्रचालनात्मक भू जोत, किसान द्वारा अपनाए गए फसल प्रतिमान और उस क्षेत्र में अपनाई गई कृषि पद्धतियों पर आधारित विभिन्न फसलों की खेती के लिए जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा स्वीकृत वित्त के पैमाने के आधार पर किया जाता है।
- समूची ऋण सीमा का संवितरण नकद रूप में किसानों के स्व निर्णय पर किया जाता है ताकि ये अपनी मरजी के बिक्री केन्द्रों से अपनी पसन्द के आदान नकद खरीद सकें।
- वित्त पोषण बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कार्ड 3 वर्ष के लिए वैध होता है।
- कार्ड धारी द्वारा किए गए प्रत्येक आहरण को 12 महीनों के भीतर वापिस भुगतान करना होता है।
- उगाई गई फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति के मामले में ऋण का परिवर्तन/पुन: निर्धारण अनुमत्य है।
- अच्छे कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन के रूप में, ऋण सीमाएं वित्त पोषण करने वाले बैंक द्वारा बढ़ाई जा सकती हैं ताकि लागतों में वृद्धि, किसान द्वारा अपनाए गए फसल प्रतिमान में परिवर्तन और ऐसे ही अन्य कारणों आदि का ध्यान रखा जा सके।
- सभी कार्ड धारियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक समान रूप से ऋणों के लिए प्रतिभूति मार्जिन का निर्धारण किया जाता है।
- क्रेडिट कार्ड खाते पर प्रचालन इसे जारी करने वाली शाखा अथवा अन्य नामित शाखाओं (वित्तपोषण करने वाले बैंक की इच्छा पर) के माध्यम से किया जा सकता है।
- नकद ऋण खाते में जमा शेष बैंक द्वारा ब्याज के भुगतान का पात्र है (जैसाकि बचत बैंक खाते के लिए प्रयोज्य है)।
- खातों से आहरण कार्ड-कम-पासबुक के साथ आहरण स्लिपों/चैकों के माध्यम से किए जाने की अनुमति है।
- के०सी०सी० की कवरेज को बढ़ाया गया है ताकि काश्तकार किसानों, मौखिक पट्टाधारियों, बटाईदारों को इसमें कवर किया जा सके।
- किसानों की सभी ऋण संबंधी जरूरतों को एकल खिड़की के अन्तर्गत उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम के दायरे को बढ़ाया गया है ताकि उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के एक उचित घटक सहित कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए आवधिक ऋण/कार्यकारी पूंजी जैसे अन्य संबंधित प्रयोजनों को इसमें कवर किया जा सके।

3. कार्ड धारी के लिए एक मास्टर पालिसी के तहत दुर्घटनावश मृत्यु/स्थायी अपंगता को कवर करने के लिए 50,000/- रुपए तक के वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवर की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है जिसके लिए एक वर्ष की पालिसी के लिए 15/- रुपए और तीन वर्ष की पालिसी के लिए 45/- रुपए के नाममात्र के प्रीमियम का

भुगतान करना पड़ता है। प्रीमियम राशि का दो-तिहाई हिस्सा वित्तपोषण करने वाले बैंक को वहन करना है।

अधिसूचित फसलों के लिए के०सी०सी० स्कीम के अन्तर्गत संवितरित फसल ऋण राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन०ए०आई०एस०) में कवर किए जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में, दावों का निपटान एन०ए०आई०एस० के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए उपज संबंधी आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।

(ज) किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के माध्यम से लाभान्वित किसानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

अनुबन्ध

के०सी०सी० स्कीम 31 दिसम्बर, 2005 की स्थिति अनुसार प्रगति (संचयी - एजेन्सीवार) (आरम्भ से)

(लाख रु०)

क्र० सं०	राज्य/संघ शसित क्षेत्र	सहकारी बैंक			ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक			वाणिज्यिक बैंक		कुल जारी कार्ड	स्वीकृत राशि
		सं०*	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	सं०*	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	3435529	537808	16	1213606	222728	4561856	828483	9210991	1589019
2.	असम	1	4410	398	5	50810	7042	169789	19935	225009	27375
3.	अरूणाचल प्रदेश #	1	980	147	1	1334	193	8698	1041	11012	1381
4.	बिहार	25	775438	79854	16	188207	48999	666726	145084	1630371	273937
5.	गुजरात	18	1093743	1148274	9	157284	110878	799183	251641	2050210	1510793
6.	गोआ $	1	3310	679				5376	6490	8686	7169
7.	हरियाणा	19	1151120	609690	4	206510	146182	457014	303987	1814644	1059859
8.	हिमाचल प्रदेश	3	44322	22953	2	17038	11519	121521	34232	182881	68704
9.	जम्मू एवं कश्मीर	4	43355	5150	3	7575	4335	5229	1336	56159	10821
10.	कर्नाटक	19	1254599	672768	13	672977	508059	1350536	560327	3278112	1741154
11.	केरल	14	763491	157640	2	276992	71546	914125	218416	1954608	447602
12.	मध्य प्रदेश	38	2601658	684828	19	250341	102045	810846	367570	3662845	1154443
13.	महाराष्ट्र	29	3667537	1878855	10	155126	39546	1246159	413218	5068822	2331619
14.	मेघालय #	1	3251	373	1	7250	798	19107	1911	29608	3082
15.	मिजोरम #	1	2104	126	1	1114	258	5045	779	8263	1163
16.	मणिपुर #	1	491	57	1	1037	152	11719	1956	13247	2165
17.	नागालैण्ड #	1	1209	25	1	659	51	8003	907	9871	983
18.	उड़ीसा	17	2443721	508859	9	304314	56669	545462	75145	3293497	640673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	पंजाब	19	802642	452976	5	62182	50570	819297	532419	1684121	1035965
20.	राजस्थान	27	2644083	728813	14	228767	210456	810083	387018	3682933	1326287
21.	सिक्किम #$	1	1855	188				2778	471	4633	659
22.	तमिलनाडु	22	1472840	322464	3	133679	17691	1982387	426543	3588906	766698
23.	त्रिपुरा #	1	2489	383	1	12597	1551	17328	2101	32414	4035
24.	उत्तर प्रदेश	50	5312308	549497	36	2094905	388441	3371101	991090	10778314	1929028
25.	पश्चिम बंगाल	19	914446	156027	9	161193	36470	677281	105252	1752920	297749
26.	अं० एवं नि० द्वीपसमूह #$	1	2554	352				843	160	3397	512
27.	चंडीगढ़ $							935	172	935	172
28.	दमन एवं द्वीव @#										
29.	नई दिल्ली #$	1	1714	678				2864	1965	4578	2643
30.	दादर एवं नागर हवेली @$							16	14	16	14
31.	लक्षद्वीप @$							308	103	308	103
32.	पांडिचेरी $	1	5793	1127				21242	5422	27035	6549
33.	झारखंड	9	99165	13219	6	173540	14046	191802	25594	464417	52859
34.	छत्तीसगढ़	7	663825	106805	5	137962	24960	124957	33520	926744	165285
35.	उत्तरांचल	9	269665	46215	4	18970	4807	129199	49659	417834	100681
	सीबी के लिए राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है (1998-99)							188005	26604	188005	26604
	कुल	382	29483647	8687228	196	6535879	2079992	20046820	5820566	56066346	16587786

टिप्पणी : # एस०सी०बी० सी०एफ०ए० की तरह कार्य कर रहा है

@ संघ शासित क्षेत्रों में सहकारी बैंक नहीं है

$ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आर०आर०बी० नहीं है।

* स्कीम कार्यालय करने वाले बैंकों की संख्या

स्वीकृत राशि आंकड़े अनन्तिम

सी०बी० संबंधी आंकड़े रिजर्व बैंक से प्राप्त सितम्बर, 2005 तक।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चौधरी लाल सिंह, क्या आप ध्यान से बात सुनते हैं।

क्या आपके पास कोई अनुपूरक प्रश्न है?

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : हां, सर, अभी पूछ लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी सोचना है क्या?

चौधरी लाल सिंह : यह बड़ी खुशी की बात है कि मेरा क्वश्चन लगा और बड़ा अच्छा है कि मंत्री जी ने जवाब दे दिया। यह सैटिसफैक्टरी जवाब है, हम सैटिसफाईड हैं। *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : फ्यूचर में भी इसी तरह कोआपरेशन करिये।

श्री सचिन पायलट : माननीय मंत्री महोदय ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है। इस जवाब में जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत जो नोटीफाइड क्राप्स हैं, उनके लिए नेशनल एग्रीकल्चरल इन्श्योरेंस स्कीम के तहत उनको क्लेम देने की बात कही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नैचुरल केलेमिटीज़ हैं, वह बाढ़ हो सकती है, सूखा हो सकता है, ओलावृष्टि हो सकती है, लेकिन इन नैचुरल केलेमिटीज़ में क्या जो भारी ठण्ड पड़ी थी, उसको भी इन्क्लूड किया गया है? मिसाल के तौर पर पिछली फसल में, खासकर राजस्थान और हरियाणा में ठण्ड के कारण सरसों में लगभग आधी फसल खराब हुई थी तो नैचुरल केलेमिटी के अन्दर इस ठण्ड का प्रावधान भी क्या आप करेंगे?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : जहां तक इन्श्योरेंस की बात है, फसल का इन्श्योरेंस जो लिमिटेड क्राप्स हैं, उनका इन्श्योरेंस करने का प्रावधान है। जब हम इन्श्योरेंस करते हैं तब एरिया एप्रोच लेकर उस एरिया में किस कारण से टोटल प्रोडक्शन पर बहुत असर होगा, चाहे ठण्ड से होगा या ओले पड़े होंगे या और कोई कारण होगा तो वे फार्मर्स इसका कम्पेंसेशन लेने के लिए इल्लीजिबल हों। जहां तक राजस्थान की बात जो उन्होंने कही कि वहां के किसानों ने इन्श्योरेंस लिया होगा तो इस पर ध्यान देने की परिस्थिति है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 221 – श्री प्रभुनाथ सिंह, यह आज का अंतिम प्रश्न है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, यह एक रिकार्ड है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इसका अनुकरण नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि कई सदस्य अनुपस्थित हैं।

खाद्य तेलों में मिलावट

***221. श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मिलावटी पाए गए खाद्य तेल के नमूनों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं उक्त अवधि के दौरान कितने नमूने लिए गए और उनमें से कितने नमूने मिलावटी पाए गए;

(ग) मिलावट को रोकने के लिए विश्लेषण हेतु पर्याप्त संख्या में तेल के नमूने उठाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) खाद्य तेल में मिलावट से संबंधित कितने मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े हैं तथा उनके शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार मिलावट के दोषियों को दण्ड देने का प्रावधान करने का है; और

(च) यदि हां, तो इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (ग) अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2001, 2002, व 2003 में "खाद्य तेल, वसा तथा वनस्पति" वर्ग के अधीन जांच किए गए तथा अपमिश्रित पाए गए खाद्य तेलों के खाद्य नमूनों की संख्या नीचे दी गई है :–

वर्ष	जांच किए गए नमूनों की संख्या	अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या
1	2	3
2001*	15918	1790

1	2	3
2002**	12096	1255
2003***	15650	1578

वर्ष 2004 व 2005 के लिए सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे बाजार में बेचे जा रहे खाद्य तेलों सहित सभी खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखें और सभी स्रोतों अर्थात विनिर्माताओं/थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं से रैंडम खाद्य नमूने लें।

(घ) से (च) विभिन्न न्यायालयों में न्याय निर्णयाधीन खाद्य तेलों सहित सभी खाद्य वस्तुओं से संबंधित मामलों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	न्याय निर्णयाधीन मामलों की संख्या
2001*	53644
2002**	62282
2003***	68735

वर्ष 2004 व 2005 के लिए सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है।

* इसमें गुजरात राज्य की सूचना शामिल नहीं है।

** इसमें गुजरात, बिहार तथा झारखंड राज्यों की सूचना शामिल नहीं है।

*** इसमें तमिलनाडु राज्य की सूचना शामिल नहीं है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में दण्डात्मक उपबंध पहले से मौजूद हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रम

*202. श्री ब्रजेश पाठक :
श्री हितेन बर्मन :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अंतर्गत आज की तिथि के अनुसार सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें से प्रत्येक में कुल कितना निवेश हुआ है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक वर्ष-वार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार प्रत्येक उपक्रम में हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों का पुनरूद्धार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

(च) क्या सरकार ने रूग्ण उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन और बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) उद्योग विभाग के अधीन बी०आई०एफ०आर० को संदर्भित सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यम जिनमें 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार इक्विटी के रूप में किया गया निवेश शामिल है और इन सरकारी क्षेत्रों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान उठाये जा रहे घाटे की सूची वर्ष-वार और उद्यम-वार संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (ङ) राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम (एन०एम०पी०) में परिकल्पना की गई है कि सरकारी क्षेत्र की रूग्ण कंपनियों को आधुनिकीकरण करने तथा रूग्ण उद्योगों को पुनरूद्धार करने के प्रयास किए जाएंगे। तदनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूद्धार और उनके भविष्य के बारे में सिफारिश करने के लिए लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी०आर०पी०एस०ई०) का गठन किया गया है। भारी उद्योग विभाग के सरकारी क्षेत्र के 20 उद्यमों को पहले ही बी०आर०पी०एस०ई० को संदर्भित कर दिया गया है। बी०आई०एफ०आर० को संदर्भित उपरोक्त मामलों में से सरकारी क्षेत्र के 4 उद्यमों नामत: (i) हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० (ii) प्रागा टूल्स लिमिटेड (iii) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० (iv) ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि० की पुनरूद्धार योजनाओं के मामलों को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(च) से (छ) प्राथमिक रूप से यह कम्पनी की जिम्मेवारी है कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन/मजूदरी का भुगतान करें। सरकार सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया कराती रही है जो अपनी स्थिति से उबरने के लिए पर्याप्त संसाधनों को सृजित करने में असमर्थ रहे हैं। विगत डेढ़ वर्ष के दौरान सरकार ने तीन अवसरों पर 761 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी है, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

क्र० सं०	मंजूर की गयी वेतन सहायता	सहायता की अवधि	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि
(i)	अक्टूबर, 2004	31.7.2004 तक	24	517.43 करोड़ रुपये
(ii)	जून, 2005	1.8.2004 से 31.3.2005 (8 महीनें) तक	16	150.23 करोड़ रुपये
(iii)	अक्टूबर, 2005	1.4.2005 से 31.7.2005 (4 महीने) तक	15	93.41 करोड़ रुपये

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के नाम	31.03.2005 को इक्विटी के रूप में निवेश	सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों की (-) हानि		
			2002-03	2003-04	2004-05
1.	एड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	158.84	-60.66	-54.63	-75.44
2.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	108.99	-29.22	-23.56	-21.91
3.	भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	10.10	-10.58	-24.05	-28.10
4.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड	128.82	-73.74	-110.65	-118.72
5.	भारत हेवी प्लेटस एंड वासल्स लिमिटेड	33.80	-187.63	-152.92	-78.24
6.	भारत पम्पस एंड कम्प्रेशर्स लिमिटेड	53.53	-12.92	-18.64	-11.62
7.	रिचर्डसन एंड क्रुडास	54.84	-28.19	-39.26	-33.06
8.	त्रिवेणी स्ट्रेक्चरल्स लिमिटेड	21.02	-26.26	-47.99	-48.00
9.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड	8.44	-2.63	-99.98	-16.64
10.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	419.36	-256.31	-307.87	-270.88
11.	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	432.15	-173.82	-132.68	-285.02
12.	प्रागा टूल्स लिमिटेड	36.34	-37.50	-16.04	-34.39
13.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	83.77	-29.18	-29.02	-16.98
14.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	429.28	-215.36	-80.95	-218.94
15.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मै० कंपनी लिमिटेड	199.87	-385.39	-443.02	-496.41
16.	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड	12.70	-2.78	-2.41	-8.34
17.	नेपा लिमिटेड	105.39	-52.11	-46.17	-48.61
18.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	93.10	-16.91	4.55	-56.87
	कुल	2390.34	-1601.19	-1625.29	-1851.49

टिप्पणी :- इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों क्रमशः भारत ऑफथाल्मिक ग्लास लिमिटेड, नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड और नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड हैं, जो प्रचालन में नहीं हैं।

[अनुवाद]

चूककर्ता नियोक्ताओं पर कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि

*203. श्री रघुनाथ झा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चूककर्ता नियोक्ताओं पर कर्मचारी राज्य बीमा में अंशदान का बकाया साल दर साल बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार कुल बकाया चूक राशि कितनी है और यह कब से बकाया है;

(ग) ऐसे चूककर्ता नियोक्ताओं का ब्यौरा क्या है जिन पर आज की तिथि के अनुसार एक करोड़ रुपये या उससे अधिक कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि देय है; और

(घ) इन बकाया राशियों की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के० चन्द्रशेखर राव) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान चूककर्त्ता नियोजकों से कर्मचारी राज्य बीमा नियम द्वारा एकत्र किया गया अंशदान, उनसे बकाया देय और वसूल किए गए देय निम्नानुसार है :–

वर्ष	अंशदान (रुपये करोड़ों में)	बकाया देय (रुपये करोड़ों में)	वसूल किए गए देय
1	2	3	4
2000-01	1255.44	92.50	72.59
2001-02	1249.91	79.18	88.03
2002-03	1302.38	105.05	131.50
2003-04	1380.71	122.75	176.10
2004-05	1689.08	220.22	111.59 (जनवरी 2006 तक)

(ख) चूककर्त्ता नियोजकों के विरूद्ध बकाया देय निम्नानुसार दर्शाए गए हैं :–

वर्ष	राशि (करोड़ों में)
आरम्भ से 31.3.00	395.45
1.4.00 से 31.3.01	92.50
1.4.01 से 31.3.02	79.18
1.4.02 से 31.3.03	105.05
1.4.03 से 31.3.04	122.75
1.4.04 से 31.3.05	220.22
कुल	1015.15

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा देय के रूप में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अदा न करने वाले 113 चूककर्ता नियोक्ताओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) 31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार बकाया देयों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

31.3.2005 की स्थिति के अनुसार
(रुपये करोड़ों में)

	गैर सरकारी	सार्वजनिक	कुल
	1	2	3
अ वसूल किए जाने वाले बकाय			
वसूली अधिकारियों के पास लंबित राशि	465.37	8510	550.47
कुल	465.37	85.10	550.47
ब वर्तमान में वसूल न किए जा सकने वाले बकाया			
क न्यायालयों में विवादित बकायों की राशि	265.02	101.02	366.04
ख परिसमापन किए गए कारखानों/स्थापनाओं से देय राशि	63.53	11.26	74.79

		1	2	3
ग	कारखानों/स्थापनाओं से देय राशि परन्तु राज्य/केन्द्र सरकार के अधिनियम द्वारा वसूली पर रोक अर्थात् राष्ट्रीय सहायता उपक्रम संदाय आयुक्त के पास जमा किए गए दावे, ऋणस्थगन आदि	1.22	11.12	12.34
घ	बंद हो गए कारखानों स्थापनाओं और उन नियोजकों से देय राशि राशि जिनका पता ठिकाना मालुम नहीं है	10.33	1.09	11.42
ङ	डिग्री प्राप्त की गई और मुकदमा कार्यवाही प्रगति पर है	0.09		0.09
	योग (क) से (ङ)	340.19	124.49	464.68
	कुल योग अ+ब	805.56	209.59	1015.15

* 31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार (जैसा कि उक्त 'क' में दिखाया गया है) कुल 550.07 करोड़ रुपये के कुल वसूली योग्य देय में से,

- 61.26 करोड़ रुपये की राशि के लिए वसूली कार्रवाई आरम्भ की गई और अप्रैल, 2005 के पश्चात् नियोजकों ने न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं।
- 176.136 करोड़ रुपये की राशि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) मामलों में रोक रखी गई है।
- 313.08 करोड़ रुपये वसूली योग्य शेष राशि है।
- क्षेत्रों में तैनात 31 वसूली अधिकारियों और सहयोगी स्टाफ से युक्त निगम के वसूली तंत्र के माध्यम से निगम के देयों की वसूली प्रभावी की जाती है।
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 45-ग से 45-छ के उपबंधों के अनुसार वसूली अधिकारी वसूली कार्रवाई प्रारम्भ करते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/209 के अंतर्गत वर्ष 2004-05 में चूककर्ता नियोजकों के विरूद्ध दायर किए गए अभियोजन मामलों का विवरण नीचे दर्शाया गया है :—

क्रम सं०	विवरण	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85	भारत दण्ड संहिता की धारा 406/409
1.	वर्ष 2004-05 (1.4.2004) के प्रारम्भ में लम्बित मामलों की संख्या	17572	1786
2.	अवधि के दौरान दायर किए गए अभियोजन मामले	2942	39
3.	कुल (उपर्युक्त 1 और 2)	20514	1825
4.	वर्ष 2004-05 के दौरान निर्णीत मामलों की कुल संख्या	1453	30
5.	न्यायालयों द्वारा दी गई सजा का वर्गीकरण :-		
	(क) कैद के साथ सिद्धदोष ठहराए गए चूककर्ता	393	10
	(ख) जुर्माने के साथ सिद्धदोष ठहराए गए चूककर्ता	696	05
	(ग) दोषमुक्त/खारिज किए गए मामले	151	02
	(घ) न्यायालयों द्वारा बंद किए गए मामले की संख्या	174	13
	(ङ) वापस लिए गए मामले	39	—
6.	31.3.2005 को लम्बित अभियोजन मामलों की संख्या	19061	1795

पिछले 5 वर्षों के दौरान वसूली योग्य, वर्तमान में न वसूली योग्य देयों और की गई वसूली के ब्यौरों सहित निगम के देयों की स्थिति निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	बकाया की तारीख	न वसूली योग्य बकाया	वसूली योग्य बकाया	कुल	वसूल किया गया देय
1.	31.3.2001	317.35	332.45	649.80	72.59
2.	31.3.2002	376.24	372.02	748.26	88.03
3.	31.3.2003	245.37	663.62	908.99	131.50
4.	31.3.2004	334.49	583.98	918.47	176.10
5.	31.3.2005	464.68	550.47	1015.15	111.59 (जनवरी, 2006 तक)

कुर्की किए गए बैंक खाते :

2004-05 — 4806

2005-06 — 4052

एक करोड़ रुपये से अधिक बकाया देय अदा न करने वाले 113 चूककर्ताओं के संबंध में 423.69 करोड़ रुपये के कुल देय में से वर्ग-वार ब्यौरें निम्नानुसार है :-

(क) न्यायालयों में विवादित राशि :

(करोड़ रुपये में)

वर्ग	चूककर्ताओं की संख्या	बकाया की राशि
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	10	48.17
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	07	15.86
निजी	31	153.04
कुल	48	217.07

(ख) औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड :

वर्ग	चूककर्ताओं की संख्या	बकाया की राशि
1	2	3
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	09	41.05
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	04	9.71
निजी	12	45.87
कुल	25	96.43

(ग) सरकारी परिसमापक के अधीन रोककर रखे गए मामले :

वर्ग	चूककर्ताओं की संख्या	बकाया की राशि
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	—	—
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	—	—
निजी	09	38.94
कुल	09	38.94

(घ) जिन मामलों में वसूली प्रक्रिया चल रही है :

वर्ग	चूककर्ताओं की संख्या	बकाया की राशि
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	03	9.03
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	14	40.68
निजी	14	21.54
कुल	31	71.25
कुल (क)+(ख)+(ग)+(घ)	113	423.69

निगम के देयों की वसूली करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. निगम के देयों के समाप्त करने के लिए सलाह देने हेतु मंत्रालय ने मामले को संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाया है।

2. निगम के देयों की स्थिति की समीक्षा स्थायी समिति और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठकों में की जाती है।

3. मुख्यालय के स्तर पर स्थिति की मॉनीटरिंग की जाती है और क्षेत्रीय निदेशों को अधिकतम देयों की वसूली की सलाह दी जाती है।

4. सभी राज्य सरकारों के श्रम/स्वास्थ्य सचिवों के साथ जोनल बैठकों का आयोजन कर राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में देयों के परिसमापन का अनुरोध किया गया था।

विवरण

30.09.2005 को समाप्त अवधि का प्रत्येक नियोक्ता-वार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उपरोक्त 1.00 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया संबंधी ब्यौरा

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	कारखाना/प्रतिष्ठान का नाम एवं कूट संख्या	शेष बकाया (लाख रुपये में)	क्या निजी/के. सा.क्षे.ई./रा.सा. क्षे.ई. है	पता	अभ्युक्तियां	बीआईएफआर मामलों का ब्यौरा			विवाद की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मध्य प्रदेश	राज कुमार मिल्स लि० 18-5602	157.44	रा.सा.क्षे.ई.	7, नई दीवान रोड, इन्दौर	बीआईएफआर	06.02.90	16.07.93	बीआईएफआर में लम्बित	
2.		इंदौर टेक्स.मिल्स. लि. 18-7045	232.79	रा.सा.क्षे.ई.	आगरा रोड, उज्जैन	राज्य सरकारों के साथ दावा मामलों को उठाया जा रहा है				
3.		एमपीएसआरटीसी ग्वालियर, 18-5526	147.93	रा.सा.क्षे.ई.	एमपीआरटीसी सेन्ट्रल वर्कशॉप	राज्य सरकारों के साथ दावा मामलों को उठाया जा रहा है				
4.		एमपीएसआरटीसी ग्वालियर, 18-5527	116.4	रा.सा.क्षे.ई.	एमपीआरटीसी डिपो, कम्पू, ग्वालियर	राज्य सरकारों के साथ दावा मामलों को उठाया जा रहा है				
5.		एमपीएसआरटीसी उज्जैन 18-5584	109.71	रा.सा.क्षे.ई.	मैक्स रोड, उज्जैन	कोर्ट केस				दावा-विवादित
6.		एमपीएसआरटीसी सागर, 18-5325	100.99	रा.सा.क्षे.ई.	एमपीआरटीसी वर्कशॉप, साता, सागर	राज्य सरकारों के साथ दावा मामलों को उठाया जा रहा है				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.		श्री सिंथेटिक्स लि. 18-7042	358.36	निजी	मैक्स रोड, उज्जैन	राज्य सरकारों के साथ दावा मामलों को उठाया जा रहा है				
8.		जयंत विटामिन्स लि. 18-7075	205.39	निजी	दोषी गांव, 1/ए, पो.बा. 2, रतलाम	मुंबई उच्च न्यायालय				उच्च न्यायालय ने दावा मामले को डीआरटी मुंबई भेज दिया है
9.		हुकुमचन्द मिल्स. लि. 18-5600	489.06	निजी	मिल एरिया इन्दौर	सरकारी परि-समापक नियुक्त, दावा दायर किया गया				
10.		सज्जन मिल्स, रतलाम 5665	235.14	रा.सा.क्षे.ई.	धामनोड रोड, रतलाम	बीआईएफआर मामला सं० 175/89			बंद करने के आदेश किए गए हैं, कोई सरकारी परिसमापक नियुक्त नहीं	
11.		एमपीएसआरटीसी सतना, 18-6905	113.68	रा.सा.क्षे.ई.	सतना डीपो सतना	लागू नहीं				
12.		विनोद मिल्स उज्जैन, 5577	879.19	निजी	आगरा रोड, उज्जैन	सरकारी परि-समापक नियुक्त, दावा दायर				
13.	मुंबई	श्री सीताराम मिल्स, 31-861 एनटीसी	284.66	के.सा.क्षे.ई.	एनएम जोशी मार्ग, मुंबई 400011	बीआईएफआर			अधिग्रहण-पूर्व से संबंधित विवाद	
14.		ब्रेडबरी मिल्स 31-856-11	273.62	निजी	20, डा. ई मौजेज रोड, जैकब सर्किल मुंबई-11	सरकारी परि-समापक नियुक्त				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.		फिनले मिल्स 31-935 एनटीसी	134.09	के.सा.क्षे.ई.	डा. एस.एस. राव मार्ग, परेल मुंबई-12	बीआईएफआर			अधिग्रहण-पूर्व से संबंधित विवाद	
16.		कैंट इन्टरनेशनल ग्रासेरी मार्केट्स एण्ड शॉप्स 31-31561	1666.73	रा.सा.क्षे.ई.	के.एन. रोड, चिंचबन्दर, मुंबई-9	राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठान को छूट प्राप्त है				
17.		कॉटन मार्केट लेबर 31-31321	139.54	रा.सा.क्षे.ई.	कॉटन ग्रीन, मुंबई 33	राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठान को छूट प्राप्त है				
18.	मदुरै	तूतीकोरीन थर्मल पॉवर 57/32024	255.38	के.सा.क्षे.ई.	मुल्ला कादू ग्राम मुथैयापुरम पंचायत, तूतीकोरीन	कोर्ट केस				अधिनियम का अनुपालन विवादित है
19.	राजस्थान	परफैक्ट ब्रेड, 15-8883	122.99	निजी	पीबीएक्स-59, रा.मा-8, अम्बेरी उदयपुर	बीआईएफआर	08.02.90	28.09.99	बीआईएफआर/ एएआईएफआर का आदेश उच्च न्यायालय में विवादित है	
20.		हिन्दुस्तान जिंक लि. 15-4739	132.97	निजी	देवारी उदयपुर	कोर्ट केस				दावा-विवादित
21.		आरएसआरटीसी (सभी इकाई)	326.44	रा.सा.क्षे.ई.	परिवहन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	उच्च न्यायालय				मजदूरी की उच्च सीमा की वृद्धि-विवादित
22.	पश्चिम बंगाल	एनजेएमसी, (अलेक्जेन्ड्रा) 41-3159	587.04	के.सा.क्षे.ई.	पो.-जगत डाल, 24 परगना (उ.)	उच्च न्यायालय				संदाय आयुक्त का आदेश विवादित

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
23.		एनजेएमसी, (यूनिट खारदा), 41-3194	400.4	के.सा.क्षे.ई.	पो.-टीटागढ़, 24 परगना (उ.)	बी.आई.एफ.आर.	15.05.01	03.01.06	स्कीम अनुमोदित	
24.		एनजेएमसी, (यूनिट किनीसन) 41-3203	615.55	के.सा.क्षे.ई.	पो.-टीटागढ़, 24 परगना (उ.)	उच्च न्यायालय				नुकशान के दावे विवादित
25.		एनजेएमसी (नेशनल जूट मि. इकाई) 41-1049	1171.07	के.सा.क्षे.ई.	राजगंज संकरेल, हावड़ा	बीआईएफआर	15.05.01	03.01.06	स्कीम अनुमोदित	
26.		एनजेएमसी (यूनियन जूट मिल्स इकाई) 41-3156	258.55	के.सा.क्षे.ई.	12, कॉन्वेन्ट लेन, कोलकाता	बीआईएफआर	15.05.01	03.01.06	स्कीम अनुमोदित	
27.		गार्डन रीच वर्कशॉप लि. 41-3771	263.07	के.सा.क्षे.ई.	43/46, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-24	कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश				दावा विवादित
28.		सैल, 41-7192	2122.52	के.सा.क्षे.ई.	दुर्गापुर स्टील प्लांट, जिला-वर्धवान	कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश				अनुपालन/दावा विवादित
29.		हिन्दुस्तान फर्टि, कार्पो. लि. 41-7362	527.95	के.सा.क्षे.ई.	पो.-दुर्गापुर, पिन-713212, जिला-वर्धवान	कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश				अनुपालन/दावा विवादित
30.		बंडेल थर्मल पॉवर स्टेशन 41-5177	520.16	रा.सा.क्षे.ई.	डब्ल्यू बी.पी.डी. सी., बीटीपीएस, त्रिवेणी, हुगली	कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश				छूट के आदेश की अस्वीकृति विवादित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.		मेघना मिल्स का. लि. 40-3183	238.33	निजी	पो.-जगत डाल, 24 परगना (उ.)	कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश				बैंक संलग्नता आदेश विवादित
32.		अगरपारा जूट मिल्स लि. 40-3183	141.77	निजी	पो.-कमरहट्टी, 24 परगना (उ.)	बीआईएफआर			बीआईएफआर में लम्बित	
33.		एवएमपी जूट मि. लि. (यूनिट नादिया) 40-3195	1209.62	निजी	घोषपारा, पो.-नाईहट्टी 24 परगना (उ.)	कोर्ट केस				वसूली अधिकारी की वसूली कार्यवाई विवादित
34.		टीटागढ़ जूट मि. लि. (यूनिट सं० 2) 40-3205	539.09	निजी	पो.-टीटागढ़ 24 परगना (उ.)	उच्च न्यायालय				दावा विवादित
35.		ईस्टर्न मेन्यू.लि. 40-3236	328.39	निजी	अली हैदर रोड, पी. टीटागढ़, 24 परगना	उच्च न्यायालय				दावा विवादित
36.		गौरीपुर मि.कं. लि. 40-3155	397.18	निजी	पो.-गरीफा, 24 परगना (उ.)	उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन				दावा विवादित
37.		कान्कीनारा कं.लि. 40-3163	115.98	निजी	पो.-कान्कीनारा, 24 परगना (उ.)	उच्च न्यायालय				दावा विवादित
38.		एलायंस मि.लि. 40-3164	102.23	निजी	पो.-जगत डाल, 24 परगना (उ.)	उच्च न्यायालय				
39.		कमरहट्टी कं.लि. 40-3165	181.58	निजी	पो.-कमरहटी, 24 परगना (उ.)	उच्च न्यायालय				दावा विवादित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.		केलविन जूट कं. लि. 40-3171	474.49	निजी	पो.-तालपुकुर, टीटागढ़, 24 परगना (उ.)	उच्च न्यायालय				दावा विवादित
41.		बड़ानगर जूट फैक्ट्री 40-3175	423.84	निजी	आलम बाजार, पो.-गरीफा, 24 परगना (उ.)	उच्च न्यायालय				
42.		हावड़ा मि.कं.लि. 41-1047	111.02	निजी	493/1 जी टी रोड, दक्षिण हावड़ा	बीआईएफआर	31.10.95	14.02.02	एएआईएफआर में लम्बित	
43.		डेल्टा इंटरनेशनल लि. 41-1050	108.13	निजी	पो.-डेल्टा मि. माणिकपुर संकैल, हावड़ा	बीआईएफआर	23.06.01	17.01.06	बीआईएफआर में लम्बित	
44.		कन्नोड़िया जूट मि.लि. 41-1068	357.91	निजी	188, लाल बहादुर शास्त्री रोड, पो.-सेजवेरिया, बेंगैल हावड़ा	बीआईएफआर			बीआईएफआर में लम्बित	
45.		प्रेमचन्द जूट मि.लि. 41-1062	166.46	निजी	बंगैल पो.-चक्कासि, हावड़ा	उगाही कार्य प्रगति पर				
46.		कलेडोनियल जूट एण्ड इंड. लि. 41-3176	126.57	निजी	बड़ी कालीनगर, बजबज, 24 परगना	बीआईएफआर	25.06.97	07.07.03	स्कीम अनुमोदित	
47.		न्यू सेंट्रल जूट मि.कं.लि.	1200.15	निजी	जयचन्दपुर, बजबज, 24 परगना (उ.)	बीआईएफआर	06.06.01	08.02.06	बीआईएफआर में लम्बित	
48.		विक्टोरिया जूट कं.लि. 41-5037	346.66	निजी	पो.-तेलिनी पारा, हुगली	उच्च न्यायालय				दावा विवादित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.		श्यामनगर जूट फै. 41-5039	473.75	निजी	26, जी टी रोड पो.-भद्रेश्वर, हुगली	न्यायालय स्थगन				दावा विवादित
50.		अम्बिका जूट मि.लि. 41-1060	238.84	निजी	3, हरेन मुखर्जी रोड, पो.-वेल्लूरमठ, हावड़ा	सरकारी परि-समापक नियुक्त				
51.		एंगस जूट कं.लि. 41-5038	421.65	निजी	भद्रेश्वर, हुगली	बीआईएफआर	87 से	06.07.2002	एएआईएफआर में लम्बित	
52.		इन्डो जापान स्टील्स लि. 41-7965	225.27	निजी	5/1, जी टी रोड, वेल्लूरमठ, हावड़ा	सरकारी परि-समापक नियुक्त				
53.		हुकुमचंद जूट मि.प्रा.लि. 3180	124.88	निजी	पो.-हाजीनगर, 24 परगना (उ.)	उगाही कार्य प्रगति पर				
54.		गौरी शंकर जूट मि.प्रा. 3186	176.09	निजी	श्यामनगर, पो.-गरूलिया, 24 परगना	उगाही कार्य प्रगति पर				
55.		नफर चंद जूट मि. 40-3187	104.09	निजी	कांटाडंगा, पो.-कांकीनारा, 24 परगना	उच्च न्यायालय				दावा विवादित
56.		दुर्गापुर केमिकल्स 41-7211	164.1	रा.सा.क्षे.ई.	दुर्गापुर, जिला वर्धवान	कोर्ट केस				कवरेज विवादित
57.	पुणे	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड 33-3113	549.44	रा.सा.क्षे.ई.	प्रशासनिक बिल्डिंग, पहला तल, रस्ता पथ, पुणे-411011	कोर्ट केस			06.12.97 से 13.09.04 तक का कवरेज विवादित	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.		लक्ष्मी विष्णु मिल्स, 333389	246.8	प्रा.	स्टेशनरोड शोलापुर					डी.आर.टी. द्वारा संपत्ति विवादित। डी.आर.टी. के पास आवेदन प्रस्तुत
59.	थाणे	एच.एम.पी. इंजी. लि., 34-1927	106.04	प्रा.	एच.ओ.एच.एम.पी हाउस, 4 फेयरले पैलेस कोलकाता	सरकारी परिसमापक नियुक्त				
60.		शीना टेक्सटाइल्स 25706	288.57	प्रा.	एल न. ए-145/4 टी.टी.सी. इन्डस्ट्रियल एरिया एम.आई.डी.सी. खेयरने थाणे	बन्द				
61.	गुजरात	बड़ोदा रियन कार्पो. 6989	262	एस.पी.एस.यू.	हॉर्वेस्ट हाउस 193 बैकबे रिकलेमेशन नारीमन प्वाइंट मुम्बई	बी.आई.एफ.आर.			बी.आई.एफ.आर. के पास लंबित	
62.	विजयवाड़ा	सर्वराया टेक्सटाइल्स 27956	125.93	प्रा.	फैक्ट्री और रजिस्टर्ड ऑफिस पी.ओ. फतेनगर उधाना सूरत बीच रोड ककाईनाडा (आंध्र प्रदेश)	बी.आई.एफ.आर	05.02.98	07.07.05	स्कीम संस्वीकृत	
63.		नेल्लीमारला जूट मिल्स 42213	116.32	प्रा.	पी.ओ. नेल्लीमारला जिला विजयनगरम (आंध्र प्रदेश)	बी.आई.एफ.आर.			स्कीम संस्वीकृत	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.		हिन्दुस्तान पेट्रौलियम कार्पो. 33317	789.48	सी.पी.एस.यू.	विशाखा॰ रिफायनरी पी. ओ.बी. नम्बर 15 विशाखापत्तनम 530011 (आंध्र प्रदेश)	कोर्ट केस/एस. एल.पी.				दावा विवादित
65.		हिन्दुस्तान शिपयार्ड 33319	126.65	सी.पी.एस.यू.	गांधीग्राम विशाखापत्तनम	कोर्ट केस				दावा विवादित
66.		ए.एच.एम.ई.एल. 16326	132.16	एस.पी.एस.यू.	कोन्डापल्ली-521228 जिला कृष्णा (आंध्र प्रदेश)	कोर्ट केस				दावा विवादित
67.	सलेम	उमापरमेश्वरी मिल्स 4581	106.75	प्रा.	डिन्डीगुल रोड रंजीनगर त्रिचुरापल्ली-9 टी.एन.	बी.आई.एफ.आर.	?7.10.02	26.07.05	ए.ए.आई.एफ. आर. में खारिज	
68.		उमामाहेश्वरी मिल्स 45015	111.01	प्रा.	प्लाट नम्बर 86-89 सी पॉट इन्डुसट्रियल कॉम्पलेक्स होसुर 635126	कोर्ट केस	19.04.02	31.03.03		वसूली अधिकारी का कुर्की आदेश विवादित
69.	चेन्नई	स्टेन्डर्स मोटर्स 51-3630	839.94	प्रा.	पैरंगुल लाथूर चेन्नई-600063	सरकारी परि-समापक नियुक्त				
70.		एस.पी.आई.सी. लि. 51-18038	7180.97	प्रा.	एस.पी.आई.सी. हाउस, 88 अन्नासलाई गुइंडी, चन्नई-32	कोर्ट केस				दावा विवादित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.		एन.ई.पी.सी. एयर लाइन्स 51633	368.15	प्रा.	जी.आर. कम्पलैक्स 407/408 अन्नासलाई नंडनम चेन्नई	कोर्ट केस				दावा विवादित
72.		किरण फैसन्स 52520	112.4	प्रा.	व्हाईट रोड रॉयल पेट्टा चेन्नई 600014	कोर्ट केस				दावा विवादित
73.		टी.ए.एस.एम.ए. सी. 76166	193.13	एस.पी.एस.यू.	चौथी मंजिल, सी. एम.डी.ए. टावर इगमोर, चेन्नई 600008	छूट प्रदान की गई				
74.	दिल्ली	प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि 11-01200	122.22	प्रा.		कोर्ट केस				दावा विवादित
75.		डिफेन्स सर्विसेस ऑफिसर इंस्टी 11-12357	178.99	प्रा.	धौलाकंआ नई दिल्ली	हाई कोर्ट				दावा विवादित
76.		ग्रुप-4 सिक्योरटीज गार्डिगं लि. 11-16640	219.61	प्रा.	नम्बर 111 एन एच 8 महिपालपुर दिल्ली	दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित				दावा विवादित
77.		अशोका होटल 11-925	130.52	सी.पी.एस.यू	50 बी चाण्क्यपुरी दिल्ली	दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित				दावा विवादित
78.		ओपेरा हाउस एक्सपोर्ट्स 119775	481.56	प्रा.	डी-12/2 ओटीए फेज II नई दिल्ली	बी.आई.एफ.आर.	03.07.2000	20.02.2002	ए.ए.आई.एफ. आर. में खारिज	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	पांडिचेरी	पांडिचेरी ट्रांसपोर्ट एण्ड टूरिज्म डेव.कार्पो. 55-21087	191.82	एस.पी.एस.यू.	नम्बर 40 गोबर्ट एवन्यू पांडिचेरी	हाई कोर्ट				अधिनियम की अनुप्रयोज्यता विवादित
80.	मारोल	लीला स्काटिश 7984	298.66	प्रा.	लीला बंगला एके रोड मरोल	हाई कोर्ट				दावा विवादित
81.	बिहार	आर.बी.एच.एम. जूट मिल्स (एन.जे.एम.सी.) 42-3057	243.48	सी.पी.एस.यू.	पी.ओ. कटिहासर मिल्स कटिहार बिहार	बी.आई.एफ.आर.			बंद करने का आदेश	
82.	आंध्र प्रदेश	आई.टी.सी. भद्राचंलम पेपर बोर्ड	126.52	प्रा.	सरपक्का भद्राचंलम खम्माम डी.टी.	कोर्ट केस हाई कोर्ट				अपर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था के प्रति असंतोष
83.		आई.डी.पी.एल. लि. 52-0742	663.07	सी.पी.एस.यु.	बाला नगर टाउनशिप हैदराबाद	कोर्ट केस				मजदूरी की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी विवादित
84.		सीमेंट कार्पो. लि. 527374	129.39	सी.पी.एस.यू.	एर्रागुन्तुला					छूट आवेदन का अस्वीकरण विवादित
85.		ए.पी.डी.सी.एफ. लि. 52-0877	109.89	सी.पी.एस.यू.	एल.ए.एल.ए., हैदराबाद	कोर्ट केस				मजदूरी की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी विवादित
86.		आलविन वाँचेज 52-11410	139.86	एस.पी.एस.यू.	पार्टनचेरू मेदक डी.टी.	कोर्ट केस				बी.आई.एफ.आर. द्वारा रखी गयी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										निधि से कानूनी देयो के निस्तारण हेतु निर्देश मांगने के लिए निगम द्वारा आवेदन प्रस्तुत
87.	हुबली	मैसूर किर्लोसकर 58-194	123.46	प्रा.	यंत्रपुर हरिहर	सरकारी परि-समापक नियुक्त				
88.	कर्नाटक	आई.टी.आई.लि. बंगलोर 53/130/67	294.2	सी.पी.एस.यू.	दूरवानी नगर बंगलोर	कोर्ट केस				मजदूरी दर में बढ़ोतरी विवादित है।
89.		दि मैसूर लैम्प वकर्स बंगलोर 53/0047/64	316.28	एस.पी.एस.यू.	पीबी नं. 5551 पुराना शंकर रोड माल्लेश्वरम पश्चिम बंगलोर	कर्नाटक राज्य सरकार के आदेशानुसार बंद				
90.		भारत अर्थ मूवर्स लि. 53/1354/76	153.93	सी.पी.एस.यू.	बीईएम एल नगर के.जी.एफ. रजि. आफिस बी.ई. एम.एल. सौंध 23/1 चौथा मेन एस.आर. नगर बंगलौर	कोर्ट द्वारा स्टे				मजदूरी दर में बढ़ोतरी विवादित है।
91.		स्मार्ट अशोका एक्सपोर्ट्स् लि. 53/3239	363.24	प्रा.	85/1 शिव शक्ति बिल्डिंग के.एच. रोड बंगलौर	सरकारी परि-समापक बंदी का दावा				
92.	नागपुर	मॉडल मिल्स, नागपुर 23-292.11	205.08	सी.पी.एस.यू.		बी.आई.एफ.आर.				
93.	उड़ीसा	उड़ीसा टैक्सटाइल मिल 44-1141	263.31	एस.पी.एस.यू.		सरकारी परि-समापक नियुक्त				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.		सोनपुर स्पिनिंग मिल 44-2436	120.93	एस.पी.एस.यू.	पीओ सोनपुर जिला सुवर्नपुर पत्र व्यवहार का पता एबीएस स्पिनिंग उड़ीसा लि. भुवनेश्वर	सरकारी परि-समापक नियुक्त				
95.		मैसर्स ओरिएन्ट पेपर मिल 44-1063	261.54	प्रा.	डा. बृजराजनगर आरसगुडा डा. चौपुर जिला कटक	सरकारी परि-समापक भी नियुक्ति विवादित				दावा विवादित
96.		मैसर्स भास्कर टैक्सटाइल मिल 44-1423	156.77	एस.पी.एस.यू.	डा. जिला झारगुडा	कारखाना बंद				
97.		मैसर्स सेन्डल इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई 44-4212	260.23	प्रा.	18 फोरेस्ट पार्क भुवनेश्वर	उच्च न्यायालय में विवादित				राज्य सरकार द्वारा छूट दिए जाने संबंधी इंकार विवादित
98.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स रेफ हाउसिंग गोरखपुर 13108	121.73	प्रा.	गोलघर गोरखपुर	पता अपेक्षित				
99.		जल संस्थान 21-104	133.59	एस.पी.एस.यू.	स्थानीय निकाय	उच्च न्यायालय				कवरेज विवादित
100.		ए.एफ. हीलर इलाहाबाद 4952	3041.73	प्रा.	इलाहाबाद	ई आई कोर्ट				कवरेज विवादित
101.		पोस्टल सील इन्डस्ट्रियल को. आपरेटिव सोसायटी 7303	153	सी.पी.एस.यू.	भारत सरकार, अलीगढ़	कोर्ट केस				कवरेज विवादित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	कोयाम्बटूर	एसोसिएटिड सीमेंट क. लि., 566031	124.21	प्रा.	एसोसियेटिड सीमेंट क. मधुदुरई-पो.ओ.	कोर्ट केस				छूट प्राप्त करने के लिए नियोजक न्यायालय गया है
103.	केरल	त्रावणकोर प्लाईवुड इण्ड. 54-124	137.15	एस.पी.एस.यू.	पुनालूर कोल्लम	वसूली प्रगति पर है				
104.		केरल रोडवेज 54-3705	112.27	प्रा.	कोझीकोड	कोर्ट केस				विवादित मामला
105.	हरियाणा	झलानी टूल्स लि. 13-5027	187.31	प्रा.	प्रा. 10-12 एनआईए फरीदाबाद	सरकारी परि-समापक नियुक्त				
106.		बी.जे. डुप्लेक्स (प्रा.) लि. 13-19818	380.23	प्रा.		वसूली प्रगति पर है				
107.		झलानी टूल्स लि. कुण्डली, सोनीपत 13-19532	163.66	प्रा.	नरेला रोड कुण्डली सोनीपत	सरकारी परि-समापक नियुक्त				
108.		श्री ललित फेब्रिक्स (प्रा.) लि. फरीदाबाद 13-16082	109.5	प्रा.	13/6 मथुरा रोड फरीदाबाद	सरकारी परि-समापक नियुक्त				
109.		ईस्ट इण्डिया कॉटन मैन्यूफक्चरिंग क. लि. फरीदाबाद 13-2169	1264.11	प्रा.	17-एन.एन.आई. टी. फरीदाबाद	बी.आई.एफ.आर.	1996 से	30.07.02	ए.ए.आई.एफ. आर. में लम्बित	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.		प्रताप स्टील लि. फरीदाबाद 13-6357	144.63	प्रा.	21/3 मथुरा रोड फरीदाबाद	बी.आई.एफ.आर.	1996 से	20.02.99	बंद करने के आदेश दिए गए हैं	
111.	छत्तीसगढ़	मै. ए.सी.सी. जमूल भिलाई	123.68	प्रा.	पो.ओ. जमूल सीमेंट कर्मकार जिला दुर्ग सी.जी. सी. 490024	उच्च न्यायालय				विकसित व्याप्ति
112.	झारखंड	मै. आई.एस. डब्ल्यू.पी. 60-1017	132.71	प्रा.	इन्दिरा नगर जमेशदपुर	कोर्ट केस				वसूली के लिए कुर्की विवादित
113.		मै. टिनप्लेट कोम्प. ऑफ इण्डिया लि. 60-1009	119.91	प्रा.	गोलमुरी जमशेदपुर	कोर्ट केस				दावा विवादित
		कुल योग	42368.68							

खाद्यान्नों और दलहनों का उत्पादन

*204. श्री धनुषकोडी आर० अतिथन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में खाद्यान्नों और दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों को इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गयी हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, हां। विशिष्ट फसल आधारित प्रणालियों के अधीन अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार बृहत् कृषि प्रबंधन (एम०एम०ए०) के अंतर्गत चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०-चावल), गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०-गेहूं), मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०-मोटे अनाज) क्रियान्वित कर रही है। देश में मक्का और दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल, 2004 से 14 राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम तथा मक्का स्कीम (आईसोपाम) क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) बृहत् कृषि प्रबंधन (एम०एम०ए०) के अधीन राज्यों को निधियां एकल स्कीम के लिए नहीं अपितु एकमुश्त आवंटित की जाती हैं। तत्कालीन त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए०एम०डी०पी०) और राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम (एन०पी०डी०पी०), जिसे बाद में अप्रैल, 2004 से समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का स्कीम (आइसोपाम) में मिला दिया गया, के अधीन विभिन्न राज्यों को आवंटित कुल धनराशि संलग्न विवरण-I और II पर दर्शाई गई है। पिछले तीन वर्षों में बृहत् कृषि प्रबंधन के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दर्शाया गया है। वर्ष 2002-03 और वर्ष 2004-05 के दौरान खाद्यान्न के अधीन क्षेत्र में 5.5%, उत्पादन में 17.1% और उपज में 10.9 की वृद्धि हुई है। दलहन के मामले में क्षेत्र में 9.6%, उत्पादन में 20.3% और उपज में 9.6% की वृद्धि हुई।

विवरण-I

त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए०एम०डी०पी०) के अधीन आवंटित निधियां

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1.	आन्ध्र प्रदेश	33.75	5.00	
2.	अरूणाचल प्रदेश	10.46	15.95	आइसोपाम में मिला ली गई।
3.	असम	0.00	4.44	
4.	झारखण्ड	3.00	0.00	
5.	गुजरात	0.00	2.00	
6.	हरियाणा	0.00	0.00	
7.	हिमाचल प्रदेश	47.57	47.27	
8.	जम्मू व कश्मीर	0.00	5.00	
9.	कर्नाटक	42.62	4.00	
10.	मध्य प्रदेश	3.00	20.62	
11.	छत्तीसगढ़	6.36	10.07	
12.	महाराष्ट्र	80.77	15.13	
13.	मणिपुर	13.44	22.30	
14.	मिजोरम	44.72	29.89	
15.	मेघालय	0.00	4.30	
16.	नागालैण्ड	0.00	4.30	
17.	राजस्थान	20.88	50.31	
18.	सिक्किम	17.85	3.00	
19.	तमिलनाडु	11.48	15.75	
20.	त्रिपुरा	13.53	15.82	
21.	उत्तर प्रदेश	38.92	51.20	
22.	उत्तरांचल	10.35	10.65	
23.	पश्चिम बंगाल	1.30	0.00	
	कुल	400.00	337.00	

विवरण-II

राष्ट्रीय दलहन विकाय कार्यक्रम (एन०पी०डी०पी०) तथा समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का स्कीम (आईसोपाम) के अधीन आवंटित निधियां

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एन०पी०डी०पी० 2002-03	एन०पी०डी०पी० 2003-04	आइसोपाम 2004-05
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.00	59.00	3559.97
2.	बिहार	0.00	9.00	145.00
3.	छत्तीसगढ़	45.00	42.00	625.00
4.	गोवा	1.00	1.00	10.00
5.	गुजरात	50.00	42.00	1883.00
6.	हरियाणा	10.00	61.00	497.00
7.	हिमाचल प्रदेश	2.50	4.00	40.00
8.	जम्मू व कश्मीर	4.50	4.00	85.00
9.	झारखण्ड	2.50	9.00	—
10.	कर्नाटक	67.00	117.00	2155.00
11.	केरल	4.00	3.00	5.00
12.	मध्य प्रदेश	132.50	336.00	2925.00
13.	महाराष्ट्र	147.00	212.00	1040.00
14.	उड़ीसा	10.00	33.00	455.00
15.	पंजाब	0.00	9.00	52.50
16.	राजस्थान	254.00	269.00	2000.00
17.	तमिलनाडु	93.00	69.00	990.00
18.	उत्तर प्रदेश	60.00	172.00	785.00
19.	उत्तरांचल	4.50	13.00	—
20.	पश्चिम बंगाल	4.50	21.00	260.00
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.00	—	—
22.	दिल्ली	1.00	—	—
23.	अरूणाचल प्रदेश	5.00	15.00	—
24.	असम	15.00	50.00	4.00
25.	मणिपुर	40.00	20.00	—
26.	मेघालय	15.50	15.00	—
27.	मिजोरम	51.00	25.00	107.00
28.	नागालैण्ड	37.00	35.00	—
29.	त्रिपुरा	37.00	30.00	5.00
30.	सिक्किम	10.00	10.00	—
	कुल	1129.50	1685.00	17628.47

विवरण-III

बृहत् कृषि प्रबंधन (एम०एम०ए०) के अधीन आवंटित निधियां

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3800.00	3400.00	3600.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	500.00	400.00	500.00
3.	असम	700.00	700.00	800.00
4.	बिहार	2400.00	1800.00	1800.00
5.	झारखण्ड	1200.00	1200.00	1400.00
6.	गोवा	200.00	200.00	200.00
7.	गुजरात	3140.00	2300.00	2300.00
8.	हरियाणा	1600.00	1600.00	1600.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	1600.00	1600.00
10.	जम्मू व कश्मीर	1600.00	1600.00	1600.00
11.	कर्नाटक	5800.00	5500.00	5700.00
12.	केरल	3000.00	2900.00	2900.00
13.	मध्य प्रदेश	4500.00	4400.00	4500.00

1	2	3	4	5
14.	छत्तीसगढ़	1400.00	1400.00	1800.00
15.	महाराष्ट्र	8200.00	8000.00	8200.00
16.	मणिपुर	600.00	600.00	700.00
17.	मिजोरम	900.00	800.00	700.00
18.	मेघालय	700.00	600.00	900.00
19.	नागालैण्ड	1000.00	800.00	900.00
20.	उड़ीसा	2400.00	2300.00	2300.00
21.	पंजाब	1600.00	1500.00	1500.00
22.	राजस्थान	6700.00	6700.00	6800.00
23.	सिक्किम	500.00	500.00	600.00
24.	तमिलनाडु	4200.00	4200.00	4300.00
25.	त्रिपुरा	900.00	800.00	800.00
26.	उत्तर प्रदेश	6885.00	6800.00	7000.00
27.	उत्तरांचल	1400.00	1400.00	1600.00
28.	पश्चिम बंगाल	2400.00	2400.00	2400.00
29.	दिल्ली	160.00	100.00	100.00
30.	पांडिचेरी	200.00	100.00	100.00
31.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	200.00	100.00	100.00
32.	चण्डीगढ़	100.00	50.00	25.00
33.	दादर और नगर हवेली	200.00	100.00	50.00
34.	दमन और दीव	100.00	50.00	25.00
35.	लक्षद्वीप	200.00	100.00	100.00
	कुल	70985.00	67000.00	69500.00

जैव संवर्धित खाद्य पदार्थ

*207. **श्री डी० विट्ठल राव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में विशेषत: आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में जैव संवर्धित खाद्य पदार्थों के फील्ड परीक्षणों का विरोध हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) जी, नहीं। जैव संवर्धित खाद्य पदार्थों के फील्ड ट्रायल्स के विरुद्ध देश भर में किसी प्रकार के विरोध की कोई रिपोर्ट नहीं है। वास्तव में इस मंत्रालय ने देश में किसी प्रकार के जैव संवर्धित खाद्य पदार्थों के फील्ड ट्रायल्स या वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति प्रदान नहीं की है। तथापि, जैव संवर्धित खाद्य पदार्थों की 13 फसलों पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग में जेनेटिक मैनुपुलेशन पर समीक्षा समिति (आर.सी.जी.एम.) की देख-रेख में कन्टेन्ड ट्रायल्सचल रहे हैं। एक गैर-सरकारी संगठन ने जिला गुन्टूर, आंध्र प्रदेश में एक खाद्य फसल नामत: बी०टी० ओकरा के कन्टेन्ड ट्रायल्स के बारे में कुछ मुद्दे उठाए हैं। गैर-सरकारी संगठन की सुनवाई करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि उठाए गए मुद्दे व्यर्थ थे। तद्नुसार, इस समय मामले पर जांच के आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता। यह भी उल्लेख किया जाता है कि इन ट्रायल्स के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद ही व्यापक ट्रायल्स और उसके बाद वाणिज्यिक उपयोगों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावों को इस मंत्रालय के पास भेजा जाएगा।

(घ) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रोजगार के अवसरों का सृजन

*208. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए दसवीं योजना के दौरान संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम आधारित क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए लगभग 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से आज की तिथि तक राज्यवार रोजगार के कितने अवसरों का सृजन किया गया है; और

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के० चन्द्रशेखर राव) : (क) जी, हां। 10वीं योजना दस्तावेज ने विभिन्न श्रम सघन क्षेत्रों में रोजगार

संभावना की पहचान की है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्रीय, राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों में 10वीं योजना हेतु 1525639.00 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से, वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान कृषि, परिवहन, सिंचाई, लघु पैमाने के उद्योगों, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 1084259.22 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। इससे विकास तथा रोजगार सृजन में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण जिसके परिणाम प्रकाशित किए जा चुके हैं, वर्ष 1999-2000 से संबंधित है। वर्ष 2004-05 हेतु फील्ड सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है तथा परिणाम अभी प्रकाशित किए जाने हैं। अतः, आज की तिथि तक 10वीं योजना के दौरान रोजगार सृजन के मूल्यांकन के लिए कोई प्रत्यक्ष संकेतक उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, योजना आयोग द्वारा मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान लगाए गए अनुमानों के अनुसार 10वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान प्रति वर्ष औसतन लगभग 70 लाख रोजगार अवसर सृजित किए गए। वास्तविक सृजित रोजगार का विश्वसनीय निर्धारण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 2004-05 के सर्वेक्षण के परिणामों के प्रकाशन के उपरांत ही किया जा सकता है।

विवरण

विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानित रोजगार संभावना

क्षेत्र/कार्यक्रम	दसवीं योजना में सृजित किए गए कुल अतिरिक्त रोजगार अवसर (लाख में)		योग (लाख में)
	विकास आधारित	कार्यक्रम आधारित	
वर्षापोषित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जलाशय विकास परियोजना (एनएसडीआरपीए) सहित कृषि, फार्म प्रबंधन कार्यक्रम, कृषि क्लीनिक, हरित भारत कार्यक्रम, जलाशय एवं बंजरभूमि विकास, औषधीय पौधे, बांस विकास एवं उर्जा पौधारोपण जैसे एथनाल आदि।	4.1	90.6	94.7
खनन एवं खनिज	-2.0		-2.1
निर्माण (प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) को छोड़कर)	14.2 (बड़ा निर्माता)		14.2
	60.0 (एसएसआई)		60.0
विद्युत, गैस एवं जल	-2.1		-2.1
निर्माण	63.0		63.0
व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	112.3		112.3
परिवहन, भंडारण एवं संचार	55.1		55.1
वित्तीय क्षेत्र	19.3		19.3
सामुदायिक क्षेत्र	-27.1	32.0	4.9
विशेष कार्यक्रम :			
प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)		22.0	22.0
(एसएसआई) एवं आरईजीपी (केवीआईसी)		20.0	20.0
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)		12.9	12.9
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) तथा		7.7	7.7
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)		8.0	8.0
योग	296.8	193.2	490.0

टिप्पणी : हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

[अनुवाद]

कृषि में आवधिक अनुसंधान

***209. श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गेहूं, चावल इत्यादि के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए कृषि में कोई आवधिक अनुसंधान कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अनुसंधानों का कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुवीक्षण के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) देश में गेहूं और चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान कर रही है। गेहूं और चावल में अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार परियोजनाएं वर्ष 1965 से शुरू की गईं थीं जिनका उद्देश्य उच्च उपज देने वाली और अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज की उत्कृष्ट किस्मों और संकरों को विकसित करना है, जिन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया जा सके तथा जिनमें प्रमुख कीट और रोगों की प्रतिरोधिता हो। वर्तमान समय में देशभर में 46 (चावल) और 30 (गेहूं) के वित्तीय सहायता प्राप्त केन्द्र हैं जो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/अन्य संस्थानों में स्थित हैं।

इसके अतिरिक्त गेहूं और चावल पर अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा में भी किया जा रहा है। केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक और चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में चावल पर अनुसंधान चल रहा है। इसी प्रकार, करनाल में गेहूं अनुसंधान निदेशालय द्वारा देश में गेहूं अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

अभी तक चावल में 700 किस्में और 23 संकर विकसित किए गए हैं, जबकि गेहूं में विभिन्न कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के अनुकूल 300 से अधिक किस्में विकसित की गई हैं। उपयुक्त फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियां भी विकसित की गई हैं। शून्य जुताई, क्यारियों में पौध लगाने जैसी संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियां भी विकसित की गई हैं। और उन्हें परिशोधित किया गया है। गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों के प्रजनक बीज और संकरों के मूल वंशक्रम उत्पादित किए गए जिससे किसानों को बढ़िया बीज उपलब्ध हो सकें।

इन किस्मों, संकरों और प्रौद्योगिकियों का देश में गेहूं और चावल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है।

इसी प्रकार अन्य फसलों में जहां अनुसंधान कार्य अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है तथा संबंधित संस्थान/निदेशालयों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है उससे भी उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

(ग) और (घ) भारत में कृषि अनुसंधान के प्रभाव का मूल्यांकन भी समय-समय किया जाता रहा है। इन परिणामों में विदित हुआ है कि भारत में कृषि अनुसंधान उत्पादकता वृद्धि और गरीबी उन्मूलन का एक प्रमुख स्रोत रहा है। चावल—गेहूं प्रणाली में संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों का प्रसार तेजी से हो रहा है। चावल के मामले में, चावल के संकरों का प्रसार तेजी से हो रहा है जिसने 7.5 लाख है० से अधिक भूमि के अंतर्गत प्रति हैक्टर 1 से 1.5 टन उपज का लाभ मिला है। गेहूं की पी०बी०डब्ल्यू०—343 जैसी अकेली किस्म 5 मिलियन हैक्टर भूमि पर हो रही है जिससे उच्च उत्पादकता प्राप्त हो रही है। अग्रपंक्ति प्रदर्शनों से भी उन्नत किस्मों और उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रति बढ़ी जागरूकता आयी है जिससे अद्यतन किस्में किसानों तक आसानी से पहुंच रही हैं और उच्च उपज देने वाली किस्मों का प्रसार भी इसी की बदौलत हो रहा है। इन प्रौद्योगिकियों और उन्नत किस्मों को अपनाने वाले किसानों को बढ़ी हुई उत्पादकता से लाभ मिला है तथा उनकी आय में वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित कृषि योजनाएं

***210. श्री गणेश सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि, पशुपालन, डेयरी और कृषि अनुसंधान के संदर्भ में पिछली पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या तथा उनके अन्तर्गत होने वाले आवंटनों में भारी कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका सीमान्त और छोटे किसानों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक/सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) शून्य आधारित बजट बनाने/समभिरूपता लाने के परिणामस्वरूप नौंवी योजना के दौरान क्रियान्वित

कई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का विलयन हुआ। इन्हें कृषि मंत्रालय द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुन: संरचित किया गया था ताकि निधियों के उपयोग, कुशलता और लघु और सीमान्त किसानों पर ध्यान केन्द्रित करने में राज्यों को अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके। तद्नुसार, 9वीं योजना में क्रियान्वित 38 स्कीमों की तुलना में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा 9 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं। ये स्कीमें हैं (i) बृहत् कृषि प्रबंधन (एम०एम०ए०); (ii) समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का स्कीम (आइसोपाम); (iii) कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी०एम०सी०); (iv) राष्ट्रीय बागवानी मिशन; (v) सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन; (vi) लघु सिंचाई; (vii) विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता; (viii) कृषि सांख्यिकी में सुधार; और (ix) कृषि संगणना।

इसी प्रकार, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग नौंवी योजना की 17 स्कीमों की तुलना में 10वीं योजना के दौरान 7 स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है। ये हैं : (i) राष्ट्रीय गौ-पशु और भैंस प्रजनन परियोजना; (ii) कुक्कुट और छोटे पशुओं के सुधार की राष्ट्रीय परियोजना; (iii) गहन डेयरी विकास परियोजना तथा गुणवत्तायुक्त और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण; (iv) आंतर-स्थलीय मात्स्यिकी और जल कृषि का विकास; (v) समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हारवेस्ट संचलनों का विकास; (vi) मछुआरों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम और मानव संसाधन विकास (एच०आर०डी०) सहित प्रशिक्षण और विस्तार; और (vii) पशुधन स्वास्थ्य।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयरी) द्वारा कोई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, शून्य आधारित बजटीय कार्य के अधीन 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयनाधीन लगभग 200 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना स्कीमों को 10वीं पंचवर्षीय योजना में 71 बृहत् केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों में मिला दिया गया है/समेकित कर दिया गया है।

दसवीं योजना के दौरान कृषि मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अधीन योजना आबंटन नौंवी पंचवर्षीय योजना की तुलना में बढ़ा दिया गया है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:—

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अधीन योजना निधियों का आवंटन

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	विभाग का नाम	नौंवी योजना परिव्यय	दसवीं योजना परिव्यय	% वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	3476.55	9847.33	183.25%
2.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	1596.12	1729.00	8.33%
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	3376.95*	5368.00*	58.96%

टिप्पणी : *यह परिव्यय केवल केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के लिए है क्योंकि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कोई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का पलायन

***211. श्री ए० साई प्रताप :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी०एस०यू०) के अनुभवी कर्मचारियों/कार्यकारी अधिकारियों ने बेहतर पारिश्रमिक हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा निजी कंपनियों में जाने के लिए बड़ी संख्या में इस्तीफा दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों में निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कार्यपालकों/कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति, त्यागपत्र आदि जैसे कार्मिक मुद्दों के बारे में निर्णय संबंधित सरकारी उद्यमों के प्रबंधन द्वारा किया जाता है।

(ग) पेट्रोलियम, विद्युत इस्पात तथा दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के कुछेक सरकारी उद्यमों को लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित मॉडल वेतनमान से उच्चतर वेतनमान दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के अनुलाभों व भत्तों का भुगतान भी किया जाता है। कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान करने की भी अनुमति दी गई है।

निजी क्षेत्र के जरिए सिंचाई परियोजनाएं

***212. श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी सिंचाई परियोजनाएं आज की तिथि के अनुसार अपने मूल कार्यक्रम से पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्यों में ऐसी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निजी भागीदारी को आमंत्रित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, वित्तपोषण, प्रचालन और रखरखाव मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निजी भागीदारी को आमंत्रित करने संबंधी कोई प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्र सरकार ने ऐसी अनुमोदित सिंचाई परियोजनाएं, जो निर्माण की अंतिम अवस्था में हैं और राज्यों की संसाधन क्षमता से परे हैं जिन्हें अगले चार वित्तीय वर्षों में पूरा किया जा सकता हो, के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराने के लिए वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) शुरू किया था। 191 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा 4180 सतही जल लघु सिंचाई स्कीमों के संबंध में जनवरी, 2006 तक केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान के रूप में ए०आई०बी०पी० के अंतर्गत 18378 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। ए०आई०बी०पी० के अंतर्गत मुहैया करायी गई सहायता से, अब तक 49 वृहद/मध्य सिंचाई परियोजना घटकों और 3179 सतही जल लघु सिंचाई स्कीमें पूर्ण सूचित की गई हैं। केन्द्रीय जल आयोग ए०आई०बी०पी० के अंतर्गत सभी वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और नियमित आधार पर अन्य चुनिंदा वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की मानीटरी कर रहा है।

आवश्यक वस्तुओं की कमी

***213. श्री सुब्रत बोस** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा उनके समान वितरण के संबंध में अध्ययन/मूल्यांकन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी मिलों का पुनरूद्धार

***214. श्री जीवाभाई ए० पटेल** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूग्ण सहकारी चीनी मिलों को अर्थक्षम बनाने हेतु उनका पुनरूद्धार करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई तथा राज्य-वार कितनी रूग्ण सहकारी चीनी मिलों का पुनरूद्धार किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) सरकार को रूग्ण सहकारी चीनी कारखानों के पुनरुज्जीवन के लिए राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा यथा संस्तुत/अनुमोदित कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गन्ना किसानों के लिए पैकेज

***215. श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना किसानों की बकाया धनराशियों के मद्देनजर गन्ना उगाने वाले किसानों को राहत पैकेज देने के लिए दिल्ली में वर्ष 2003 में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए;

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार गन्ना उगाने वाले किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) गन्ना किसानों को देय बकाया राशि से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिये जुलाई, 2003 में तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार उन गन्ना किसानों की कठिनाइयों का शमन करने के लिये वर्ष 2002-03 के लिये कुछ शर्तों के आधार पर एकमुश्त पैकेज प्रदान करेगी. जिनको भारत सरकार द्वारा घोषित सांविधिक न्यूनतम मूल्य और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, पंजाब तथा हरियाणा राज्यों द्वारा घोषित राज्य परामर्शी मूल्यों के बीच अंतर से उद्भूत गन्ने की बकाया राशि का निजी मिलों द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। सहायता के नियम एवं शर्तों के अनुसार उत्तरांचल और बिहार सरकार को एकमुश्त पैकेज के रूप में क्रमश: 45.54 करोड़ रुपये और 18.8588 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 521.2275 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तथापि, चूंकि इस राज्य ने पैकेज के नियम एवं शर्तों को स्वीकृत नहीं किया था, इसलिये निधियां निर्मुक्त नहीं की गईं। पंजाब और हरियाणा सरकारों ने भी पैकेज की शर्तों को स्वीकार नहीं किया। अत: इन राज्य सरकारों ने सहायता प्राप्त करने के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बिना दावे की जमा धनराशि

***219. श्री पी० मोहन** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अब तक बिना दावे की कितनी धनराशि एकत्रित हो गई है;

(ख) ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) इतनी अधीक असंवितरित धनराशि होने के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसी धनराशि कितने समय से बिना दावे के पड़ी है;

(ङ) क्या वास्तविक अंशदाताओं का पता लगाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के० चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में दिनांक 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार अदावी जमा खाते में जमा पड़ी राशि 877.76 करोड़ रुपये थी। इसके ब्यौरे अनुबंध पर हैं।

(ग) अदावी जमा के लिए उत्तरदायी कारण हैं :–

- कर्मचारियों के अद्यतन पते उपलब्ध न होना
- अंतरण/अंतिम निपटान के लिए दावों को प्रस्तुत न करना।
- एक सदस्य के कई खाते होना।
- अधिक लाभ कमाने की इच्छा होना क्योंकि भविष्य निधि की संचित राशि पर बाजार की तुलना में अधिक लाभ मिलता है।
- भविष्य निधि खाते में बकाया शेष राशि किसी प्राधिकरण अथवा न्यायालय की डिग्री द्वारा कुर्की नहीं की जा सकती है।
- इस पर अर्जित ब्याज पर आयकर से छूट प्राप्त है।

(घ) चूंकि कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 पैरा 72 (6) के अनुसार, अदावी जमा खाते के लिए प्रति वर्ष कुछ राशि अंतरित तथा डेबिट की जाती है, इसलिए यह कब से इस प्रकार है इसे नहीं बताया जा सकता है।

(ङ) और (च) जी, हां। प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर दिए गए थे और सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को अपने प्रतिष्ठानों से दावेदारों के अद्यतन पतों का पता लगाने और उनके दावों का निपटान करने के लिए अभियान चलाने का निदेश दिया गया था। विशेष अभियान के फलस्वरूप, वर्ष 2004-05 के दौरान अदावी जमा खातों के 86.60 करोड़ रुपये राशि का भुगतान कर दिया गया है।

विवरण

दिनांक 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार अदावी जमा खातों के राज्य-वार ब्यौरे

(राशि लाखों में)

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	31.3.2005 की स्थिति के अनुसार शेष
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	26,236.85
2.	बिहार	6.40
3.	छत्तीसगढ़	–
4.	दिल्ली	666.09

1	2	3
5.	गोवा	503.69
6.	गुजरात	240.54
7.	हरियाणा	324.46
8.	हिमाचल प्रदेश	1,361.94
9.	झारखंड	5.03
10.	कर्नाटक	322.98
11.	केरल	17.43
12.	मध्य प्रदेश	30.30
13.	महाराष्ट्र	3,631.53
14.	पूर्व उत्तर क्षेत्र	42.81
15.	उड़ीसा	11.42
16.	पंजाब	1,267.33
17.	राजस्थान	116.35
18.	तमिलनाडु	3,884.85
19.	उत्तरांचल	267.90
20.	उत्तर प्रदेश	1,071.61
21.	पश्चिम बंगाल	47,767.08
	कुल	87,776.59

[हिन्दी]

राजीव गांधी जल निगम योजना

1541. कुंवर मानवेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में 1984 में शुरू की गई राजीव गांधी जल निगम योजना को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना को पुन: शुरू करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल आपूर्ति विभाग) के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1984 में शुरू की गई ''राजीव गाँधी जल निगम स्कीम'' नाम की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बी टी कॉटन

1542. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में बी-टी कॉटन की किस्मों के अस्फल होने के मुख्य कारण के बारे में अग्रणी कीट-विज्ञानियों के बीच आम राय सामने आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में दो जीनों वाली किस्मों के परीक्षण की अनुमति दी थी जबकि दक्षिणी राज्यों में जिन किस्मों को जारी किया गया था उनमें केवल एक जीन था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कीट-वैज्ञानिकों ने वर्ष 2004-05 के दौरान बी टी कपास अर्थात् एम०ई०सी०एच०-184 पर चैक बन्नी के साथ परीक्षण किए हैं। परिणामों से पता लगा है कि चैक (बन्नी) में बालवर्म के नियंत्रण के लिए चार कीटनाशकों के प्रयोग की तुलना में ई०टी०एल० पर आधारित कीटनाशी का एक राउंड इस्तेमाल किया गया। दोनों किस्मों में प्राकृतिक शत्रुओं का प्रकोप सामान्य था। बी०टी० कपास में परिपक्वता 20 दिन पहले पाई गई और सारी फसल की सिर्फ 5 तुड़ाई ही करनी पड़ी जबकि इसकी तुलना में चैक किस्म में 10-11 तुड़ाई आवश्यक होती है। चैक की तुलना में पैदावार में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2005-06 के दौरान तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के निगरानी दल ने तमिलनाडु राज्य के विभिन्न जिलों में बी टी कपास का सर्वेक्षण किया। दल ने किसी भी बी टी कपास किस्म को बालवर्म हानि के संबंध में पूरी तरह नष्ट होते हुए नहीं पाया।

(ग) और (घ) जी, हां। संकर किस्मों के प्रथम सैट का आकलन सिर्फ एकल (काई 1 ए सी) जीन के साथ किया गया। बालवर्म की प्रतिरोधिता वाले अधिक जीनों का पता लगाने के लिए अनुसंधान प्रयास भी साथ-साथ किए जा रहे हैं। चूंकि अधिक जीनों

की पहचान हो चुकी है अत: एक जीनोटाईप में एक से अधिक जीन डालने के प्रयास भी साथ-साथ किए जा रहे हैं। हाल ही में वैज्ञानिक कपास जीनोटाइप में 2 जीनों (काई 1 ए सी तथा काई 2 ए) (बी) को डालने में सफल रहे हैं। इस प्रकार के जीनोटाइप अन्य देशों में पहले से ही उगाए जा रहे हैं। अत: भारतीय कपास संकर किस्मों में इन दोनों जीनों को डालने के प्रयास भारत में भी किए जा रहे हैं। इस प्रकार की संकर किस्मों का मध्य तथा दक्षिण क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परीक्षणों में मूल्यांकन किया जा रहा है।

ट्रेनों द्वारा मारे गए जंगली जानवर

1543. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली रेल लाइन पर ट्रेनों द्वारा अभी तक कितने हाथियों, चीतलों, और अन्य जानवरों की मौतें हुई हैं;

(ख) क्या ट्रेनों के गुजरने के कारण हाथियों सहित अन्य जंगली जानवरों की मौतों को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए मंत्रालय ने इस मामले को रेल मंत्रालय के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1987 और 2002 के बीच रेलवे दुर्घटनाओं के कारण राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में 20 हाथी, 26 सांभर, 19 चीतल, 3 जंगली सुअर, 2 तेंदुए, 1 गोरल तथा 2 अजगर मारे गए थे। तथापि, 2002 के बाद ट्रेन दुर्घटना में किसी हाथी की मृत्यु नहीं हुई है।

(ख) जी, हां। मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा मामले को सुलझाने के क्रम में इसे रेल मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

(ग) इस तरह की घटनाओं को कम करने के उपाय सुझाने के लिए राज्य वन विभाग, रेलवे, भारतीय वन्यजीव संस्थान तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। उक्त टास्क फोर्स द्वारा हरिद्वार और मोतीचुर राऊ के बीच ऐसे 4 कि०मी० रेलवे ट्रैक की पहचान की गई है, जहां बाड़ लगाई जानी है। इस मामले पर राज्य सरकार तथा रेल मंत्रालय द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है। अधिक दुर्घटना होने की संभावना वाले महीनों के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में रात के समय गश्त लगाई जाती है। हाथियों के आने-जाने की संभाव्यता के बारे में ट्रेन चालकों को सावधान करने के लिए ट्रैक पर महत्वपूर्ण जगहों पर संकेत पट्टिकाएं लगाई गई हैं।

देव पहाड़ हिलोक को संरक्षित वन घोषित करना

1544. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 अगस्त, 1999 को राष्ट्रीय राजमार्ग-39 के किनारे स्थित देव पहाड़ हिलोक को ''संरक्षित वन'' घोषित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसे ''संरक्षित वन'' बनाए रखने और इसे जैव विविधता के प्रमुख स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस संरक्षित वन क्षेत्र के अधिकतर भाग का अतिक्रमण हो चुका है; और

(घ) यदि हां, तो अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) असम राज्य सरकार ने भारती वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अंतर्गत, 16.8.1999 को देवपहाड़ पहाड़ी को संरक्षित वन के रूप में घोषित किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए अधिसूचना जारी की। इस क्षेत्र की नमबोर वन्यजीव अभयारण्य की प्रबंधन योजना में हाथी गलियारें के रूप में पहचान की गई है। यह क्षेत्र अन्य वन्य पशुओं और पक्षियों को भी आश्रय प्रदान करता है।

(ग) और (घ) कुल 133.45 हेक्टेयर क्षेत्र में से 6.47 हेक्टेयर क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन है। अतिक्रमण हटाने की दृष्टि से उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

खनन इकाइयों को पर्यावरणीय मंजूरी

1545. श्री दुष्यंत सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कुछ खनन इकाइयों की पर्यावरणीय मंजूरी लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) राजस्थान से मुख्य खनिजों के 5.0 हैक्टेयर से अधिक के प्रत्येक लीज क्षेत्र के 112 खनन प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित है। इन खनन प्रस्तावों में (i) लाइमस्टोन, (ii) सिलिका

बालू, (iii) सोपस्टोन और डोलोमाइट, (iv) क्वार्टज, (v) क्ले और (vi) जिप्सम, सीलीनाइट और मैग्नेशिया का खनन शामिल है।

(ग) उक्त प्रस्तावों की मंजूरी विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित होगी। मूल्यांकन को पूरा करने और निर्णय सूचित करने के लिए निर्धारित वैधानिक अवधि पूरी सूचना प्राप्त होने के बाद 120 दिन की है।

[हिन्दी]

एकीकृत वन संरक्षण योजना

1546. श्री कैलाश मेघवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने एकीकृत वन संरक्षण योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव अनुमोदनार्थ भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान राज्य सरकार ने स्कीम के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान 200 लाख रुपये का वार्षिक कार्य कार्यक्रम प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) वार्षिक कार्य कार्यक्रम 2005-06 को कुल 200 लाख रुपये की लागत पर मंजूर किया गया है (केन्द्र का हिस्सा 150.00 लाख रुपये और राज्य का हिस्सा 50.00 लाख रुपये) और राज्य सरकार को केन्द्र के हिस्से की पहली किस्त के रूप में 100.00 लाख रुपये 22.12.2005 को जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

फलों का उत्पादन

1547. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश में राज्य-वार कितने फलों का उत्पादन किया गया है;

(ख) देश में अन्य विकासशील देशों की तुलना में फलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने प्रकार के फलों का निर्यात किया गया है और उन देशों के क्या नाम हैं तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने प्रकार के फलों का आयात किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान फलों के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) भारत तथा अन्य विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति फलों की उपलब्धता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित फलों की किस्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान आयातित फलों की किस्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

फलों के तहत क्षेत्र और उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.70	16.70	3.9	22.1	3.9	22.1	3.9	22.1
आंध्र प्रदेश	609.54	7404.79	639.556	6871.7	652.042	7735.445	679.814	8410
अरूणाचल प्रदेश	40.81	82.06	51.421	101.26	54.212	103.234	57.382	103.234
असम	91.79	1126.46	94.295	1181.1	94.295	1181.04	94.295	1181.104

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार	294.78	3038.11	295.602	3294.91	291.239	2920.254	291.239	2920.254
चंडीगढ़	0.10	1.10	0.1	1.1	0.1	1.1	0.1	1.1
छत्तीसगढ़	16.00	382.00	16.8	401.1	13.62	325.3	14.43	344.47
दादर एवं नगर हवेली	0.70	7.10	0.7	7.1	0.7	7.1	0.7	7.1
दमन व द्वीव	0.40	3.40	0.017	0.023	0.017	0.023	0.017	0.023
दिल्ली	0.10	1.00	0.1	1	0.1	1	0.1	1
गोवा	10.15	72.78	10.311	78.73	10.311	81.654	10.311	81.645
गुजरात	201.24	2957.46	194.296	3586.8	272.478	4019.096	294	4128
हरियाणा	31.86	237.27	31.611	257.2	24.071	232.22	27.297	210
हिमाचल प्रदेश	165.12	480.40	201.982	588.098	186.903	692.011	191.2	692.2
जम्मू एवं कश्मीर	119.58	983.86	157.585	1180.51	167.538	1217.604	171.018	1348
झारखण्ड	32.67	321.15	32.667	321.15	32.667	321.15	32.667	321.15
कर्नाटक	254.92	4008.76	224.884	3027.26	250	3983	257.167	4142.835
केरल	164.35	837.33	224	1401.8	224	1401.8	224	1401.8
लक्षद्वीप	0.30	1.10	0.3	1.1	0.3	1.1	0.3	1.1
मध्य प्रदेश	47.55	1112.57	63.351	1167.8	66.601	1395.017	68.596	1638.917
महाराष्ट्र	586.01	8400.81	1315	9269.71	1340	10013	1370	10253
मणिपुर	26.68	137.80	53.067	353.257	53.067	353.257	53.067	353.257
मेघालय	15.27	153.32	23.806	199.617	23.806	199.617	23.806	199.617
मिजोरम	17.21	55.01	21.152	42.401	21.152	42.401	21.152	42.401
नागालैण्ड	8.50	65.89	13.314	48.822	13.314	48.822	13.314	48.822
उड़ीसा	234.58	1485.46	227.265	1352.57	230.445	1404.464	268.57	1427.7
पांडिचेरी	1.10	26.70	1	19.1	1	19.1	1	19.1
पंजाब	40.49	578.46	43.711	628.17	47.087	679.546	50.68	731.35
राजस्थान	22.51	184.78	23.295	220.891	23.835	238.598	24.95	248.745
सिक्किम	9.95	8.10	0.007594	0.0115	8.24	12.21	9.55	13.46
तमिलनाडु	223.48	4014.01	206.573	3460.17	38.722	3907.721	257.82	4230.889
त्रिपुरा	28.39	459.90	30.458	482.016	30.458	482.016	30.458	482.016

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	280.29	4313.79	292.51	3381.19	297.81	3525.86	302.97	3624.61
उत्तरांचल	55.58	458.10	78.899	644.633	175.6	667.04	180.8	640.56
पश्चिम बंगाल	152.23	1785.64	172.77	2111.48	166.288	2128.278	215	2780
	3787.9	45203.1	4746.3	45705.9	4815.918	49363.23	5241.67	52051.56

क्षेत्र (000' हैक्ट० में)
उत्पादन (000' मी०टन में)
2005-06 के आंकड़े अनन्तिम हैं।
छायांकित आंकड़े 2003-04 के हैं।
स्रोत — राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

विवरण-II

फलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता — भारत बनाम विकासशील देश

देश	फलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम में)
1	2
भारत	93.72
चीन	129
बंगलादेश	27
पाकिस्तान	93.15
श्रीलंका	114.52

स्रोत :— क्षेत्रीय डाटा एक्सचेंज प्रणाली, एफ०ए०ओ०

विवरण-III

निर्यात निष्पादन

वर्ष 2002-03 से 2004-05

मात्रा मी० टन में
मूल्य करोड़ रुपये में

मद	2002-03		2003-04		2004-05	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
फल और सब्जियां						
ताजा आम	38003.43	84.19	60551.32	110.52	52381.96	86.95
ताजा अंगूर	25680.62	110.15	26783.83	105.89	35936.17	110.67
अन्य फल						
सेब	15632.408	15.72	9032.49	13.18	23210.21	26.30
केला	8655.52	12.72	10876.78	11.72	12571.887	12.94
अमरूद	45.245	0.086	217.97	0.51	224.906	0.55

1	2	3	4	5	6	7
लीची	347.635	1.00	962.05	1.34	544.68	0.71
संतरा	27484.713	28.47	57427.00	52.28	31528.405	33.01
अन्नानास	717.211	1.42	1623.77	2.02	1677.44	2.29
अनार	6303.80	14.35	10315.97	21.09	12034.519	25.87
उपयोग	59186.532	73.77	90456.04	102.13	81792.046	101.67
अन्य	31421.928	47.97	58838.22	69.14	49749.444	62.33
अन्य ताजे फल	90608.46	121.74	149294.26	171.27	131541.49	164.00
कुल ताजे फल	154292.61	316.08	236629.41	387.68	219859.62	361.62

स्रोत : डी०जी०सी०आई०एस०

निर्यात निष्पादन

वर्ष 2002-03 से 2004-05

मात्रा: कि०ग्रा० में मूल्य : रुपये में

आम	2002-03		2003-04		2004-05	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
नीदरलैण्ड एएनटीआई	54720	2422111	0	0	0	0
आस्ट्रेलिया	56400	1782603	0	0	1495	63921
आस्ट्रीया	584	46691	3125	67229	67	4500
अल्जीरिया	0	0	38400	1504568	0	0
बेल्जियम	44995	2084255	105880	4750020	31447	3279232
बंगलादेश	13392850	138854302	23797131	226208796	32503224	297165820
बल्गारिया	0	0	2050	56100	0	0
बहरीन	866887	23493478	635649	23294687	803691	20414309
बहामास	4425	74916	0	0	0	0
बोसनिया-हर्जेगोविन	750	23194	0	0	1168	17403
ब्राजील	526	37305	0	0	0	0
ब्रुनेई	16540	800390	12756	512124	9880	408762
भूटान	0	0	28000	318100	0	0
कनाडा	163893	4822222	116799	4780568	28193	1368572

1	2	3	4	5	6	7
चीन	0	0	41856	875084	1088	49971
चीनी ताईपे	0	0	0	0	0	0
कांगो पी. रिपब्लिक	0	0	0	0	1000	14945
कोलंबिया	250	10000	0	0	0	0
डेनमार्क	3	60	2850	136608	16	2000
डोमिनिक रिपब्लिक	0	0	1500	48075	0	0
ईरिट्रिया	0	0	0	0	40000	837804
मिस्र	30000	3117095	0	0	0	0
स्पेन	32800	732390	17	629	551	27137
इथियोपिया	3000	317688	0	0	10	787
फिनलैंड	17900	1138808	21000	705800	40	1600
फ्रान्स	910464	18662134	245051	2996523	41189	1310897
जर्मनी	136403	8575404	101145	3654049	82551	4333093
ब्रिटेन	1227568	53207383	1511634	72237121	1202362	71813725
जोर्जिया	420	29251	0	0	11	480
ग्रीस	0	0	0	0	2490	250679
हांगकांग	51392	2534585	79112	2359120	38499	2377832
हंगरी	0	0	0	0	29	1200
इंडोनेशिया	21155	716635	0	0	0	0
ईरान	119900	3800845	71200	3686331	17000	491800
ईस्राइल	0	0	1000	39974	0	0
ईटली	17570	407117	400	31407	701	96560
जार्डन	41000	1461148	22910	780630	88000	2711023
जापान	1535	74694	51600	2523076	237243	12335691
केन्या	0	0	0	0	2100	34781
कीरिबटी	3000	166600	1500	20000	0	0
कोरिया रिपब्लिक	1000	26618	16000	541264	296	41796
कुवैत	807408	37363589	438304	17766165	267964	15044865

1	2	3	4	5	6	7
लेबनान	0	0	1000	63745	0	0
श्रीलंका	61000	427229	0	0	10000	129056
म्यन्मार	0	0	5000	558728	0	0
मालदीव	12033	276448	12490	189751	4320	115220
मोरक्को	28100	423017	321	29220	0	0
मारीशस	46500	974048	0	0	300	50512
मलेशिया	372633	8682669	294227	10297800	185002	4980449
नाईजीरिया	0	0	0	0	0	0
नीदरलैण्ड	1089127	32639071	855939	32287369	532001	21268456
नार्वे	271	10774	9698	331837	117878	2830952
नेपाल	426187	3629292	2930112	24386060	3400938	26963514
न्यूजीलैंड	0	0	500	51160	4880	184590
ओमान	512134	9940893	556731	15144824	143397	4273738
फिलिपिंस	0	0	37000	2617689	0	0
कोरिया डीइएम रिप.	19000	368980	19013	399498	0	0
पुर्तगाल	60550	2357259	81003	5852646	41150	2259645
कतर	164991	6370322	232230	8313073	160291	4848812
रियूनियन	0	0	34000	480930	0	0
रूस	0	0	1930800	18892936	30	1600
साउथ अफ्रीका	20020	481725	14540	595575	400	36080
सऊदी अरब	2085023	68151442	3845716	92154976	2300527	74777504
सूडान	15468	386626	251000	5315076	105000	2407227
सिंगापुर	292556	12224425	238838	10418190	159626	8446204
सेंट हेलेना	0	0	1150	33977	0	0
स्लोवेनिया	828	16611	0	0	0	0
साओ टोमे	0	0	0	0	4	2000
स्वीडन	340	10799	2010	40530	248	14000
स्विजरलैण्ड	57660	3584567	76912	3091744	39695	2371787
स्वाजीलैण्ड	2900	188629	2955	233862	2160	224683

1	2	3	4	5	6	7
सीरिया अरब रिप.	0	0	0	0	0	0
थाईलैण्ड	300	10060	580	21399	5440	757548
तुर्कमेनिस्तान	0	0	40	701	0	0
तुर्की	0	0	0	0	23364	1302543
तंजानिया	0	0	0	0	0	0
संयुक्त अरब अमीरात	14033563	370331501	21056161	488544601	9480925	269999474
यूगांडा	2500	118365	0	0	0	0
यूक्रेन	0	0	0	0	18520	868380
संयुक्त राज्य अमरीका	467912	10453529	632606	13327176	34858	1823644
वेनेज्यूएला	98000	1755000	0	0	0	0
यमन अरब रिप.	107000	1293200	80300	1560047	208250	4065300
अन्य देश	1499	53812	1580	61000	0	0
गुएना	0	0	0	0	450	44059
कुल उत्पाद	38003433	841943804	60551321	1105190168	52381959	869548162

अंगूर का निर्यात निष्पादन
वर्ष 2002-03 से 2004-05

मात्रा: कि०ग्रा० में मूल्य : रुपये में

ताजे अंगूर	2002-03		2003-04		2004-05	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
नीदरलैण्ड एएनटीआई	1722041	88592187	623728	33558945	12900	594677
आस्ट्रेलिया	27600	376309	0	0	0	0
बेल्जियम	239034	10538083	780030	31418330	387000	20889302
बंगलादेश	526660	4799733	2125548	20288824	14724373	83040536
बहरीन	172365	6322911	103804	3803043	55300	3587744
बारबेडोस	0	0	18273	324900	0	0
कनाडा	104	13619	19410	1438951	0	0
चीन	16110	863367	16000	793577	0	0
चीनी ताईपे	35640	1670403	189200	8035172	234900	11822076

1	2	3	4	5	6	7
कैमरून	21873	1303241	0	0	0	0
चेक रिप.	64060	2326447	0	0	0	0
डेनमार्क	0	0	25311	1254752	0	0
स्पेन	59799	2445277	0	0	0	0
फ्रान्स	0	0	0	0	0	0
जर्मनी	724862	34246665	2381012	95701788	1082391	43711743
ब्रिटेन	8887827	445775582	6495328	331207106	5145945	286334409
घाना	45636	2455499	0	0	0	0
हांगकांग	14760	454608	157268	7724991	130800	6708092
हैती	0	0	15300	688840	0	0
आयरलैण्ड	28710	1181212	46400	1931264	15000	751488
ईटली	0	0	60000	1857714	0	0
केन्या	0	0	23579	968474	0	0
कोरिया रिप.	106400	1611529	0	0	0	0
कुवैत	40840	723669	32607	1730338	465	14090
लातवीया	0	0	0	0	14634	874821
श्रीलंका	1105920	34838198	1091922	29556957	815000	18028209
मालदीव	208	13198	0	0	15100	362415
मारीशस	0	0	9280	608000	19000	686158
मलेशिया	68310	968021	137100	6094300	96100	4161510
नामिबिया	0	0	15592	702009	0	0
नीदरलैण्ड	3646729	184131540	4260124	196940336	6723407	357733013
नार्वे	14535	741285	0	0	0	0
नेपाल	385518	2767153	2409199	24314045	1440348	11501047
ओमान	425176	14984123	199516	10184514	84750	5515460
फिलिपिंस	0	0	31000	1006322	0	0
कोरिया डीइएम रिप.	0	0	49373	1116630	0	0
कतर	3990	85118	1700	50225	177	43111

1	2	3	4	5	6	7
रूस	0	0	127000	7312664	279550	14803459
साउथ अफ्रीका	19000	858600	0	0	0	0
सऊदी अरब	489223	15707034	239287	8844476	117481	6492748
सिंगापुर	0	0	87200	3548786	45700	1683882
स्लोवाक रिप.	38680	1430720	25420	943059	0	0
थाईलैण्ड	0	0	50000	1920794	1	100
संयुक्त राज्य अमीरात	6617143	223453766	4591376	199601238	4084696	209135030
संयुक्त राज्य अमरीका	17628	1015941	15748	747986	0	0
वियतनाम सोस. रिप.	0	0	16000	618592	0	0
अन्य देश				0	0	
कुल उत्पाद	25566381	1086695038	26469635	1036837942	35525018	1088475120

निर्यात निष्पादन

वर्ष 2002-03 से 2004-05

मात्रा: कि०ग्रा० में मूल्य : रुपये में

अन्य ताजे फल	2002-03		2003-04		2004-05	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
नीदरलैण्ड एएनटीआई	43173	1875576	0	0	0	0
आस्ट्रेलिया	400	16204	0	0	0	0
आस्ट्रीया	0	0	0	0	930	17809
बेल्जियम	51730	987328	40500	621914	59900	1247846
बंगलादेश	6665001	64469341	5618598	51739603	839327	6739996
बल्गारिया	300	7945	0	0	0	0
बहरीन	173625	3740555	108535	2794209	52878	792637
बाह्मास	1000	18769	0	0	0	0
बेलिजे	0	0	0	0	4250	21950
बोसनिया-हर्जेगोविन	0	0	300	3489	0	0
ब्राजील	0	0	0	0	3040	121764

1	2	3	4	5	6	7
भूटान	0	0	20000	191160	0	0
मध्य अफ्रीका	98	1260	0	0	0	0
कनाडा	28960	818167	32303	986052	12800	440728
चीन पी.रिप.	0	0	0	0	92000	2816726
चीनी ताईपे						
साइप्रस	39900	523656	0	0	0	0
डोमिनिक रिपब्लिक	0	0	1211	11395	0	0
स्पेन	86400	1882160	0	0	0	0
फ्रान्स	582453	19116272	32024	923651	8519	424080
जर्मनी	2099	58211	19803	1081010	24150	770919
ब्रिटेन	146846	5996146	194817	6020503	317504	8438117
जार्जिया	0	0	0	0	870	8756
ग्रीस	28928	369466	490	14742	560	68700
हांगकांग	15685	995385	3472	111034	10870	235640
हंगरी	0	0	450	14802	0	0
इंडोनेशिया	5370	147500	21680	794521	0	0
ईरान	13940	331745	0	0	0	0
ईस्राइल	0	0	0	0	0	0
ईटली	0	0	0	0	0	0
जापान	0	0	40418	730294	80	4892
कोरिया रिप.	14000	225040	0	0	0	0
कुवैत	109178	2449603	87968	1711600	95562	1580371
श्रीलंका	0	0	8000	119168	0	0
मालदीव	25261	244674	10947	213341	13186	147282
मलेशिया	16750	228960	7904	205197	0	0
नाईजीरिया	0	0	0	0	7000	77617
नीदरलैण्ड	124636	1423467	71856	2572076	21600	426365
नार्वे	920	57414	0	0	50	655

1	2	3	4	5	6	7
नेपाल	1190364	7928201	6369510	58000431	7574113	66981213
न्यूजीलैंड	80	2864	0	0	0	0
ओमान	134650	1920994	166614	2107404	6440	798080
पुर्तगाल	1494	42447	1300	31476	0	0
कतर	69801	2018776	105313	2118555	44031	824548
रूस	36000	839682	0	0	0	0
साउथ अफ्रीका	13052	197460	80	9546	610	6706
सऊदी अरब	480797	12497372	399137	8985270	140696	2170226
सूडान	0	0	77364	1117686	50000	429455
सेनेगल	500	7215	0	0	0	0
सिंगापुर	87146	2203327	20993	559765	155234	4365648
सेलोमोन आइएस	0	0	0	0	1250	13345
स्विजरलैण्ड	11209	313999	16977	668213	13381	771185
स्वाजीलैण्ड	1871	53849	2016	58539	1300	143268
संयुक्त अरब अमीरात	2162421	40624526	1655487	24042088	499492	7653006
संयुक्त राज्य अमरीका	741861	16386043	221271	5289549	413162	5660886
उजबेकिस्तान	0	0	0	0	10000	385539
अन्य देश	1938	58984	0	0	0	0
कुल उत्पाद	13109837	191080583	15357068	173848283	10474785	114585955

विवरण-IV

फलों का आयात — सभी देशों के लिए जिंसवार

जिन्स :— 08022100 पिंगल फल (छिलका सहित) ताजा या सुखाया हुआ, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)
1.	सिंगापुर	0.69		0.79	
	कुल	0.69			

जिन्स :— 08023100 अखरोट (छिलका सहित) ताजा या सुखाया हुआ, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)
1.	संयुक्त अरब अमीरात	0.40		0.15	
	कुल	0.40			

जिन्स :— 080410 खजूर ताजा या सुखाया हुआ, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)
1.	इंडोनेशिया	39.83		688.08	
2.	ईरान	9,939.14	1,712.73	174,955.49	29,463.34
3.	ईस्राईल		2.77		1.25
4.	ईटली	0.13		0.14	
5.	जोर्डन		0.24		0.50
6.	ओमान	353.18	62.75	2,356.80	469.19
7.	पाकिस्तान आईआर	10,259.28	4,754.95	64,067.93	29,618.41
8.	साउदी अरब	128.77	116.42	929.20	795.52
9.	संयुक्त अरब अमीरात	304.14	99.05	4,876.96	1,276.99
	कुल	21,024.48	6,748.92		

जिन्स :— 080420 अंजीर ताजा या सुखाया हुआ, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)
1.	अफगानिस्तान टीआईएस	1,893.58	249.95	2,701.78	369.03
2.	ईरान	155.21	9.58	411.64	29.28
3.	पाकिस्तान आईआर	14.83		25.76	
4.	सीरिया	9.11		33.00	
5.	तुर्की	35.31	4.45	31.20	4.37
6.	अमरीका	37.99		35.94	
	कुल	2,146.03	263.98		

जिन्स :— 080430 अनन्नास ताजा या सुखाया हुआ, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)
1.	जर्मनी	2.00		4.00	
	कुल	2.00			

जिन्स :— 080440 एवोकेडोस ताजा या सुखाया हुआ, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)
1.	नीदरलैण्ड	0.04		0.02	
2.	श्रीलंका डीएसआर		0.16		0.43
	कुल	0.04	0.16		

जिन्स :— 080450 अमरूद, आम/मैंगस्टीन्स ताजा या सुखाया हुआ, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)
1.	बंगलादेश	2.12		38.30	
2.	सऊदी अरब	0.14	9.43	0.25	13.00
3.	थाईलैण्ड	0.52	12.85	1.44	24.76
	कुल	2.78	22.28		

जिन्स :— 08051000 संतरा ताजा या सुखाया हुआ, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)
1	2	3	4	5	6
1.	आस्ट्रेलिया	51.47	126.98	259.15	571.48
2.	चीन पी.रिप.	11.77	25.16	71.34	132.79

1	2	3	4	5	6
3.	सिंगापुर		6.76		21.39
4.	साउथ अफ्रीका	71.29	39.06	288.85	167.21
5.	थाईलैण्ड	8.59		35.00	
6.	अमरीका	16.96	28.47	60.00	127.50
	कुल	160.09	226.44		

जिन्स :— 080550 नींबू (सिट्रस लाइमन सिट्रस लाइमोनम) तथा जम्बीर (सिट्रस ऑरेंटीफोलिया) ताजा या सुखाया हुआ, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)
1.	थाईलैण्ड	0.07		0.04	
2.	ब्रिटेन	0.21		0.10	
	कुल	0.28			

जिन्स :— 080610 अंगूर ताजा, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)
1.	अफगानिस्तान टीआईएस	7.07		13.47	
2.	आस्ट्रेलिया	152.67	69.52	342.08	155.05
3.	चिली	34.56	39.04	84.35	84.00
4.	साउथ अफ्रीका	4.96		20.00	
5.	यूक्रेन		9.16		18.00
6.	अमरीका	320.60	131.10	651.37	249.14
	कुल	519.86	248.83		

जिन्स :— 08082000 नाशपाती और श्रीफल ताजा, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)
1	2	3	4	5	6
1.	आस्ट्रेलिया	37.32	72.02	147.82	265.84
2.	चीन पी.रिप.	232.71	95.19	1,313.70	590.42
3.	ईटली	10.72		21.91	
4.	सिंगापुर		0.11		0.80
5.	साउथ अफ्रीका	117.36	58.16	488.00	242.63
6.	थाईलैण्ड	0.13		0.79	
7.	संयुक्त अरब अमीरात	0.29		0.40	
8.	अमरीका	189.71	32.25	627.72	144.85
	कुल	588.24	257.73		

जिन्स :— 080910 खुबानी ताजा, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)
1.	अफगानिस्तान टीआईएस	5.93		9.00	
2.	पाकिस्तान आईआर	1.00		2.12	
3.	सीरिया	0.45		0.80	
4.	तुर्की	20.99	54.28	44.54	119.00
5.	संयुक्त अरब अमीरात	0.15		0.16	
	कुल	28.52	54.28		

जिन्स :— 08121000 चैरी अस्थायी रूप से परिरक्षित, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)
1	2	3	4	5	6
1.	अफगानिस्तान टीआईएस	2.66		4.30	
2.	आस्ट्रेलिया	0.03		0.02	
3.	चीन पी.रिप.	4.47		3.36	
4.	डेनमार्क	0.29		0.60	

1	2	3	4	5	6
5.	जर्मनी	0.02		0.01	
6.	नीदरलैण्ड	1.26	0.05	0.33	0.01
7.	संयुक्त अरब अमीरात		0.01		0.01
	कुल	8.73	0.06		

जिन्स :— 080930 शफतालू सहित आडू ताजा, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सित.)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सित.)
1.	आस्ट्रेलिया	3.32		2.57	
2.	आस्ट्रिया	2.28		1.87	
3.	सिंगापुर		0.21		0.24
4.	साउथ अफ्रीका	6.65		2.57	
5.	स्पेन	9.57		3.06	
6.	अमरीका		5.10		14.32
	कुल	21.82	5.32		

जिन्स :— 080940 आलू बुखारा और जंगली आलूचा ताजा, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सित.)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सित.)
1	2	3	4	5	6
1.	अफगानिस्तान टीआईएस	43.69		42.52	
2.	आस्ट्रेलिया	11.69		30.46	
3.	आस्ट्रिया	2.52		2.07	
4.	चिली		3.34		7.20
5.	ताईवान	8.48		8.58	
6.	चीन पी.रिप.	6.70		3.14	
7.	जापान	0.11		0.20	
8.	सिंगापुर		0.03		0.12
9.	साउथ अफ्रीका	8.86		31.00	
10.	थाईलैण्ड		0.38		1.17
11.	अमरीका	51.93	12.94	133.26	46.00
	कुल	133.99	16.68		

जिन्स :— 08109010 अनार ताजा, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सित.)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सित.)
1.	पाकिस्तान आईआर	3.12		19.61	
2.	थाईलैण्ड	0.33	0.06	1.54	0.50
	कुल	3.45	0.06		

जिन्स :— 08109020 इमली ताजा, यूनिट केजीएस

क्र० सं०	देश	मूल्य लाख रुपये में		मात्रा हजार में	
		2004-05	2005-06 (अप्रैल-सित.)	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सित.)
1.	चीन पी.रिप.	0.43		1.60	
2.	इंडोनेशिया	13.00		146.00	
3.	म्यनमार	14.69		116.91	
4.	थाईलैण्ड	16.71	14.97	46.80	66.80
	कुल	44.83	14.97		

स्रोत: डीजीएफटी

[हिन्दी]

ए०पी०एल० परिवारों को पी०डी०एस० लाभ न मिलना

1548. **श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी के ऊपर के कार्डधारक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संवितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों का मूल्य अधिक होने के कारण उक्त योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गरीबी रेखा के ऊपर के कार्ड-धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देने के लिए कौन सी योजना तैयार की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) गरीबी रेखा से ऊपर के कार्डधारकों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजसहायता दरों पर खाद्यान्न दिए जाते हैं। चावल की 12.86 रुपये प्रति किलोग्राम तथा गेहूं की 9.83 रुपये प्रति किलोग्राम की आर्थिक लागत के प्रति गरीबी रेखा से ऊपर का केन्द्रीय निर्गम मूल्य क्रमश: 7.95 रुपये और 6.10 रुपये है।

गरीबी रेखा से ऊपर के कार्डधारकों के मामले में खाद्यान्नों का उठान 2002-03 में 30.78 लाख टन, 2003-04 में 42.24 लाख टन, 2004-05 में 67.28 लाख टन तथा 2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक) में 57.01 लाख टन था।

लेवी चीनी की खुली बिक्री

1549. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चीनी मिलों द्वारा लेवी चीनी की खुली बिक्री से संबंधित जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी चीनी मिलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या लेवी चीनी की बिक्री आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के दायरे में आती है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी चीनी मिलों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एक चीनी मिल नामत: मैसर्स किसानवीर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, भुंज ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3(5)(1) के तहत अधिसूचित लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खंड 2 का उल्लंघन करते हुए खुले बाजार में 2728.6 मी० टन लेवी चीनी बेची थी। तदनुसार, सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई की है :—

(i) 2005-06 मौसम के उत्पादन में से 2728.6 मी० टन खुली बिक्री की चीनी लेवी चीनी खाते में रख ली गई है।

(ii) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उपर्युक्त मिल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उक्त मिल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

[अनुवाद]

किसान विकास परिषद की स्थापना

1550. श्री ई०जी० सुगवनम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसान विकास परिषद की स्थापना संबंधी मांग लम्बे समय से की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, किसान विकास परिषद की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने कृषि क्षेत्र और किसानों से संबंधित मुद्दों को डील करने के लिए एक राष्ट्रीय किसान आयोग (एन०सी०एफ०) की स्थापना की है। आयोग को दिए गए संदर्भित विषय व्यापक प्रकृति के हैं जिसमें नीति और कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के विकास से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्न के कोटे में कमी

1551. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजस्थान को गरीबी रेखा के ऊपर और गरीबी रेखा के नीचे के वर्गों के लिए जारी किए गए खाद्यान्न का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत राजस्थान को जारी किए जाने वाले खाद्यान्न के कोटे में कोई कमी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अंत्योदय अन्न योजना सहित गरीबी रेखा से ऊपर तथा गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणियों को वितरण के लिए राजस्थान

को आवंटित खाद्यान्नों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आहार आदतों को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा से नीचे (अंत्योदय अन्न योजना को छोड़कर) और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए आवंटन में गेहूं और चावल के अनुपात को 1 अगस्त, 2005 से सुप्रवाही बनाया गया है। राजस्थान, जो गेहूं की खपत वाला राज्य है, के मामले में गेहूं और चावल के अनुपात को 1 अगस्त, 2005 से संशोधित करके 70:30 कर दिया गया है। तथापि खाद्यान्नों के कुल आबंटन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राजस्थान को खाद्यान्नों का वर्तमान मासिक आबंटन निम्नानुसार है :–

(टन में)

खाद्यान्न	अंत्योदय अन्न योजना	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	जोड़
गेहूं	31145	37513	161219	229877
चावल	350	5512	69094	74956
मक्का		10565		10565
जोड़	31495	53590	230313	315398

विवरण

राजस्थान के मामले में विगत तीन वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के आबंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(लाख टन में)

वर्ष	गरीबी रेखा से नीचे (अंत्योदय अन्न योजना सहित)		गरीबी रेखा से ऊपर	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
2003-04	9.61	7.90	27.64	1.11
2004-05	9.61	8.82	27.64	3.02
2005-06 (जनवरी, 2006 तक)	8.00	6.22	23.03	1.62

नकली वस्तुओं की बिक्री

1552. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बाजार में नकली उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा उठाए गए राजस्व घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विधिक और प्रशासनिक तंत्र की पर्याप्तता की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) नकली आई०एस०आई० चिह्न वाले सामानों की बिक्री भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यक्षेत्र में आती है। भारतीय मानक ब्यूरो ऐसे सामानों के बारे में सूचना मंगाता रहा है जिनका विनिर्माण भारतीय मानक ब्यूरो से वैध लाइसेंस प्राप्त किए बिना किया जा रहा है और बाजार में बेचा जा रहा है।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने तलाशी और छापे आयोजित किए हैं। पिछले तीन वर्षों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

वर्ष	तलाशी और जब्तियों की संख्या
2003-04	206
2004-05	217
2005-06 (फरवरी, 2006 तक)	172

(ग) उपर्युक्त के परिणामस्वरूप भारतीय मानक ब्यूरो को कोई प्रत्यक्ष राजस्व घाटा नहीं हुआ।

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो के पास ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक समुचित प्रक्रिया है और समूचे देश में इसकी सभी 33 शाखाओं में नॉडल प्रवर्तन अधिकारियों सहित एक पृथक प्रवर्तन विभाग है।

(ङ) ब्यूरो की प्रवर्तन और कानूनी गतिविधियों को पिछले वर्षों में सुदृढ़ बनाया गया है।

(च) उपर्युक्त तलाशी और जब्तियां उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। नकली आई०एस०आई० चिह्न वाले सामानों के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार किया जाता है।

इसके अलावा, यदि उपभोक्ता द्वारा खरीदा गया कोई सामान नकली पाया जाता है तो दुखी उपभोक्ता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत संबंधित उपभोक्ता मंच में शिकायत दायर कर

सकता है। अधिनियम के उपबंध में उपभोक्ता मंचों को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं जो प्रतिपूरक, दण्डात्मक और निवारक हैं। इसके अलावा, कोई उपभोक्ता भारतीय दण्ड संहिता आदि के उपबंधों के तहत भी नकली सामानों के खिलाफ कानूनी समाधान की मांग कर सकता है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में ऋण समस्या

1553. प्रो० एस० रामदास : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कृषि अथवा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा सामना की जा रही बढ़ती हुई ऋण संबंधी समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) कृषि अथवा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अनुभव की गई ऋण संबंधी किसी विशेष समस्या की सूचना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, ऋण की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बजट 2006-07 में घोषणा की है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बैंक ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में माना जाए। यह घोषणा की गई है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इस क्षेत्र विशेषतया कृषि प्रसंस्करण बुनियादी विकास एवं बाजार विकास के लिए पुनर्वित्तपोषण ऋण देने के वास्ते 1000 करोड़ रुपये के कारपस समेत एक पृथक खिड़की (विंडो) सृजित करे। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए एक योजना स्कीम भी कार्यान्वित की है। खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33.33% जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, कि दर से सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु केन्द्रीय अंश

1554. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने एक केन्द्र प्रायोजित प्रशिक्षण और विस्तारण योजना के अंतर्गत तीन प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु 52.49 लाख रुपये के केन्द्रीय अंश की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। हालांकि वर्ष 2005-06 में मानव संसाधन विकास क्रियाकलापों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन स्कीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को 52.50 लाख रुपये की धनराशि की निर्मुक्ति की है। इसमें इंदौर, भोपाल और होशंगाबाद में स्थित विद्यमान प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थानों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रत्येक को 10.00 लाख रुपये शामिल हैं।

[अनुवाद]

पेट्रोरसायन में वैश्विक निवेश

1555. श्री नवीन जिन्दल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोरसायन में वैश्विक निवेश आकर्षित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्डिक) : (क) से (ग) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने पेट्रोरसायन संबंधी राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया है जिसमें इस क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने संबंधी उपायों का सुझाव दिया गया है। नीति का प्रारूप अब विचारार्थ मंत्रिमंडल के समक्ष है। विश्वस्तरीय विकासकर्ताओं और निवेशकों को शामिल करते हुए ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए 20.1.2006 को प्रधानमंत्री कार्यालय में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पी०सी०पी०आई०आर०) संबंधी एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। अभी कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

एस०एस०पी० यूनिटों के तकनीकी उन्नयन हेतु धनराशि

1556. श्री अधीर चौधरी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में लघु स्तर की भेषज (एस०एस०पी०) यूनिटों के तकनीकी उन्नयन हेतु कोई निधि सृजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, हां।

(ख) औषध और सौंदर्य प्रसाधन (8वां संशोधन) नियमावली, 2001 की संशोधित सूची एम' के अनुसार, औषध क्षेत्र से संबंधित लघु और मध्यम इकाइयों को उनके विनिर्माण संयंत्रों में अच्छी विनिर्माण प्रथा (जी०एम०पी०) सुविधाएं लगाने में उनकी मदद करने के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में एक औषधीय प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (पी०टी०यू०एफ०) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। अतः लघु और मध्यम इकाइयों द्वारा 1.00 करोड़ रुपए तक उपयोग में लाए गए ऋण पर ब्याज के पांच प्रतिशत बिन्दु के पुनर्भुगतान की पेशकश करते हुए इस निधि को क्रियान्वित करने के लिए योजना का एक प्रारूप तैयार किया गया है। यह योजना समयबद्ध आधार पर प्रचालित की जाएगी जो उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए केन्द्र बिन्दु प्रदान करेगी तथा सभी दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग, वित्त आदि जैसे संबंधित विभिन्न विभागों को भेजा गया है और इन विभागों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजना को अंतिम स्वरूप दिया जाएगा।

उर्वरकों का कम्प्यूटरीकृत विपणन

1557. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी० पटेल :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में उर्वरकों के विपणन का कम्प्यूटरीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके द्वारा किस सीमा तक उर्वरकों की कमी को पूरा और किसानों द्वारा राजसहायता का समुचित उपयोग किया जाएगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) उर्वरक विभाग ने देश में नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी व के) उर्वरकों अर्थात् डी०ए०पी०, एम०ओ०पी० और एन०पी०के० मिश्रित उर्वरकों के 11 ग्रेडों के उत्पादन, वितरण और बिक्री की मानीटरिंग के लिए दिनांक 1.1.2006 से वेब आधारित ऑन लाइन "उर्वरक मानीटरिंग प्रणाली" आरम्भ की है। इस प्रणाली का उद्देश्य उर्वरक वितरण में पारदर्शिता लाना और विभिन्न गंतव्यों पर पी एवं के उर्वरकों के प्रेषणों तथा प्राप्तियों के विषय में जनता को रोजाना की अद्यतन जानकारी प्रदान करना है। वेब आधारित ऑनलाइन मानीटरिंग प्रणाली इस समय परीक्षण के चरण में है। इस प्रणाली के सुस्थापित हो जाने पर राज्यों में प्राप्त होने वाले प्रेषणों के आधार पर नियंत्रणमुक्त पी एवं के उर्वरकों के उत्पादकों/आयातकों को रियायत के भुगतान और गणना के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। उपरोक्त कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन प्रणाली द्वारा राज्य किसी भी समय उर्वरकों की उपलब्धता/कमी की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

जाखू मत्स्य बंदरगाह

1558. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :
श्री पी०एस० गढ़वी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एक केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1143.60 लाख रुपए की लागत से जाखू मत्स्य बंदरगाह हेतु मई, 1993 में प्रशासनिक स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यावरण संबंधी स्वीकृति में विलंब होने से परियोजना की लागत में वृद्धि हो गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लागत में कितनी वृद्धि हुई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त धनराशि जारी कर दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्र सरकार ने 100 प्रतिशत अनुदान सहायता से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 1143.60 लाख रुपए की लागत से गुजरात सरकार के जखाऊ में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण के प्रस्ताव को मई, 1993 में स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस परियोजना को स्वीकृत लागत के अंतर्गत मई, 1996 से पूर्व पूरा किया जाना था। गुजरात सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। इसके बजाय उसने लागत वृद्धि को 1143.60 लाख रुपए से बढ़ाकर 2455 लाख रुपए करके संशोधित लागत प्राक्कलन की मंजूरी के लिए प्रारंभिक रूप से केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जिसे और संशोधित करके मई, 2005 में 5291 लाख रुपए कर दिया गया। राज्य सरकार ने बताया कि पर्यावरणीय मंजूरी को प्राप्त करने में हुआ विलंब उन कई प्रमुख कारणों में से एक है जिनकी वजह से लागत वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) परियोजना की 1143.60 लाख रुपए की संपूर्ण अनुमोदित लागत को राज्य सरकार को दिसम्बर, 1999 तक छः किश्तों में जारी कर दिया है। संशोधित लागत प्राक्कलन के संबंध में, गुजरात सरकार को लागत मूल्य वृद्धि की व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लिए तकनीकी-आर्थिक ब्यौरों से संबंधित व्यापक संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

पोत-भंजक उद्योग

1559. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में कौन-कौन से प्रमुख पोत-भंजक केन्द्र हैं और इस उद्योग में भारत की विश्व स्तर पर कितनी भागीदारी है;

(ख) क्या भारत में पोत-भंजक उद्योग पर्यावरण संबंधी सीमाओं की वजह से भारी मुश्किलों का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो श्रम की भारी संभावनाओं वाले इस क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है;

(घ) क्या समुद्री जल प्रदूषण को कम करने के लिए पोत-भंजक उद्योग को ड्राई-डॉकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) इस समय देश में कुल पोत भंजन क0ार्य का लगभग 90% गुजरात के अलंग में किया जाता है। तथा शेष 10% मुंबई, कोलकाता तथा साचना (गुजरात) में किया जाता है। इस उद्योग में भारत की अंतर्राष्ट्रीय हिस्सेदारी में काफी उतार-चढ़ाव रहा है जो 2003 में 43% से घटकर 2005 में लगभग 20% हो गई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान में शुष्क बंदरगाह सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्व बाजार में कृषि उत्पाद का निर्यात

1560. श्री हंसराज जी० अहीर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय कृषि उत्पाद को विश्व बाजार में निर्यात के लिए व्यवहार्य बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समुचित दिशानिर्देश जारी करने और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि भारतीय किसानों को विश्व बाजार में पर्याप्त लाभ मिल सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) भारत भारत सरकार कृषि निर्यात का प्रत्यक्षत: तथा जिंस बोर्डों, निर्यात संवर्द्धन परिषदों और जिंस परिसंघों के जरिये बढ़ावा देती है। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार प्रचार अभियान, मण्डी सर्वेक्षण आयोजित करने, शिष्टमंडल बाहर भेजने, अंतराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने, सक्षम क्रेताओं को आमंत्रित करने आदि के लिये निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के अलावा जिंस बोर्डों के माध्यम से अवसंरचना विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, मण्डी विकास एवं प्रोत्साहन, पैकेजिंग, प्रचार, सूचना के प्रचार-प्रसार आदि के लिये विभिन्न प्रत्साहन प्रदान करती है। इसके अलावा, सरकार ने कृषि को जनसंचार की सहायता, जिसमें कृषि से जुड़ी हुई जानकारी और ज्ञान खेतिहर समुदाय तक सम्प्रेषित करने के लिये दूरदर्शन की सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, के जरिये खेती की अद्यतन तकनीकी के बारे में किसानों को जागरूक बनाने के उपाय किये हैं। नि:शुल्क टेलीफोन लाइनों के जरिये कृषक समुदाय को कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिये किसान कॉल सेंटर स्कीम 21 जनवरी, 2004 को शुरू की गई थी। विस्तार सुधारों के लिये राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता कार्यक्रम 29 मार्च, 2005 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य विस्तार सुधारों को प्रचालनात्मक बनाने के लिये जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेन्सी के रूप में प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के लिये नई संस्थागत व्यवस्था के जरिये विस्तार प्रणाली को कृषक संचालित और किसानों के प्रति उत्तरदायी बनाना है। कृषि क्लिनिक तथा कृषि व्यापार केन्द्र स्कीम आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना के जरिये भुगतान के आधार पर किसानों को विस्तार सेवायें प्रदान करने के लिये 9.4.2002 को शुरू की गई थी। किसानों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों से संबंधित जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिये राज्य कृषि विभाग द्वारा क्षेत्रीय प्रदर्शन तथा समेकित कीट प्रबंधन (आई०पी०एम०) प्रदर्शन तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अग्रणी प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं।

[अनुवाद]

सहकारिता कानून में संशोधन

1561. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सहकारिता संस्थाओं के बेहतर कार्यकरण के लिए सहकारिता कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषकों की बेहतरी के लिए यह संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) सहकारिताओं को उनके स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यवसायिक प्रबंधन के जरिये इनके सशक्तिकरण

के लिए मुख्य मुद्दों पर ध्यान देकर संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

(ग) संशोधन के लिए विधेयक को प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद संसद में लाया जाएगा।

निर्यात के लिए लाभप्रद मूल्य

1562. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमण्डलीकरण का किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उन्हें निर्यात में लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने से रोका है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) भारत में कृषि से जी०डी०पी० की प्रतिशता के रूप में कृषि आयात 4% से कम है। जैसा कि नीचे तालिका में स्पष्ट है, भारत में कृषि में आयात की तुलना में निर्यात अधिशेष भी है :–

वर्ष	आयात (करोड़ रु० में)	निर्यात (करोड़ रु० में)	अधिशेष (करोड़ रु० में)
1999-2000	16066	25313	9247
2000-2001	12086	28657	16571
2001-2002	16256	29728	13472
2002-2003	17608	34653	17045
2003-2004	21894	36893	14999

ऐसे परिदृश्य में, यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि आयात के लिए जरिए वैश्वीकरण के कारण किसान अपने निर्यात के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

कृषि क्षेत्र में वैश्वीकरण के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया द्विआयामी रही है। एक तरफ, आयात के बढ़ने से किसानों के संरक्षण के लिए टैरिफ को समुचित रूप से समायोजित किया गया है। दूसरी तरफ भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं, ताकि निर्यात बढ़ाया जा सके और किसान लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कृषि उत्पादों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कई पहलें और हस्तक्षेप शुरू किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम एवं मक्का स्कीम (आईसोपाम), राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा समेकित अनाज विकास कार्यक्रम शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान अपने निर्यातों के लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक उनकी अधिक पहुंच बन सके, परिवहन सहायता स्कीम और विशेष कृषि उपज योजना जैसी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

असिंचित भूमि

1563. श्री काशीराम राणा :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार कुल कितनी हेक्टेयर भूमि असिंचित और गैर-कृषि योग्य है;

(ख) प्रत्येक राज्य में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार पृथकत: कुल कितने हेक्टेयर भूमि ऐसी सिंचाई सुविधा से वंचित पाई गई है;

(ग) ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) ऐसी भूमि पर सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए गत दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (घ) कृषि मंत्रालय द्वारा संकलित वर्ष 2003-04 के भूमि प्रयोग गणना के अनुसार, निवल बुवाई क्षेत्र का आकलन 139.64 मिलियन हेक्टेयर किया गया है, जिसमें से 53.92 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई की गई है। असिंचित क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सिंचाई विकास एक सतत प्रक्रिया है और सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और वित्तपोषण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है। तथापि, भारत सरकार निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के तहत राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता (सी०एल०ए०) मुहैया कराती है। ए०आई०बी०पी० के तहत पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम सहित विशेष श्रेणी राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के पर्वतीय राज्यों तथा उड़ीसा के कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट जिलों के विशेष श्रेणी राज्यों की लघु सिंचाई स्कीमों के लिए वर्ष 1999-2000 से सी०एल०ए० भी मुहैया कराई जाती है। फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अंतर्गत गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 70% ऋण और 30% अनुदान तथा विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 10% ऋण और 90% अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए अप्रैल, 2004 से ए०आई०बी०पी० को संशोधित किया गया है। अब तक, इस

कार्यक्रम के अंतर्गत सी०एल०ए०/अनुदान के रूप में 18378 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

विवरण

निवल सिंचित क्षेत्र, निवल बुआई क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा

अनंतिम (हजार हेक्टेयर में)

क्र० सं०	राज्य	निवल बुआई क्षेत्र (एनएसए)	निवल सिंचित क्षेत्र (एनआईए)	असिंचित क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10118	3634	6484
2.	अरूणाचल प्रदेश	164	42	122
3.	असम	2793	174	2619
4.	बिहार	5725	3462	2263
5.	छत्तीसगढ़	4779	1090	3689
6.	गोवा	141	24	117
7.	गुजरात	9622	2994	6628
8.	हरियाणा	3534	2969	565
9.	हिमाचल प्रदेश	545	124	421
10.	जम्मू एवं कश्मीर	747	307	440
11.	झारखंड	1769	164	1605
12.	कर्नाटक	9847	2384	7463
13.	केरल	2190	384	1806
14.	मध्य प्रदेश	14518	4494	10024
15.	महाराष्ट्र	17432	2944	14488
16.	मणिपुर	219	40	179
17.	मेघालय	227	60	167
18.	मिजोरम	98	16	82
19.	नागालैण्ड	333	65	268
20.	उड़ीसा	4889	1119	3770
21.	पंजाब	4254	4042	212
22.	राजस्थान	17394	5420	11974
23.	सिक्किम	110	9	101
24.	तमिलनाडु	4689	2148	2541
25.	त्रिपुरा	280	40	240
26.	उत्तरांचल	793	347	446
27.	उत्तर प्रदेश	16812	12391	4421
28.	पश्चिम बंगाल	5522	2980	2542
	कुल राज्य	139544	53867	85677
	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	17	0	17
	चंडीगढ़	2	1	1
	दमन एवं द्वीव	2	0	2
	दादरा व नगर हवेली	23	7	16
	दिल्ली	27	25	2
	लक्षद्वीप	3	1	2
	पांडिचेरी	21	17	4
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	95	51	44
	कुल जोड़	139639	53918	85721

[अनुवाद]

नए पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना

1564. **डा० के० धनराजू :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पशुचिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या कितनी है और इनसे प्रतिवर्ष कितने चिकित्सक उपाधि प्राप्त करते हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार वर्ष 2006-07 के दौरान नए पशुचिकित्सा महाविद्यालय खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्र सरकार को पशुचिकित्सा कालेजों तथा डाक्टरों की कमी से के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस समय, देश में पशुचिकित्सा संबंधी शिक्षा प्रदान करने वाले 35 पशुचिकित्सा कालेज हैं जहां बी० वी० एससी० तथा ए० एच० की डिग्रियां विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य पशुचिकित्सा/पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा, राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से सम्बद्ध राज्य में दो निजी पशुचिकित्सा कालेज को खोलने की अनुमति प्रदान की है।

प्रत्येक राज्य में कार्यरत पशुचिकित्सा कालेजों तथा 2005-06 के दौरान इन कालेजों में दाखिल एवं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) जी, नहीं। चूंकि पशुचिकित्सा शिक्षा राज्य का विषय है, अत: नए पशुचिकित्सा कालेज खोलने संबंधी प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा देखा जाता है, तथा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार डिग्री अर्हता के मान्यता संबंधी प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेजा जाता है।

विवरण

पशुचिकित्सा कालेजों की राज्यवार सूची के साथ-साथ 2005-06 के दौरान इनमें दाखिल एवं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या

क्र० सं०	राज्य	पशुचिकित्सा कालेज का नाम	दाखिल विद्यार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1. पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, हैदराबाद	65	52
		2. पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, तिरूपति	65	52
		3. पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गन्नावरम	40	24
2.	असम	1. पशुचिकित्सा विज्ञान संकाय, गुवाहाटी	100	53
3.	बिहार	1. बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना	60	33
4.	छत्तीसगढ़	1. पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, दुर्ग	36	45
5.	गुजरात	1. पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, आनंद	60	30
		2. पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, सरदारकृूसीनगर	64	35
6.	हरियाणा	1. पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, हिसार	61	48
7.	हिमाचल प्रदेश	1. पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, पालनपुर	38	35
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1. पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन संकाय, जम्मू	50	25
		2. पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन संकाय, श्रीनगर	81	33
9.	झारखंड	1. पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन संकाय, रांची	33	23
10.	कर्नाटक	1. पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, बंगलौर	69	65
		2. पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, बीदर	57	50
11.	केरल	1. पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, त्रिसुर	78	74
		2. पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, पुकोट	42	27

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	1. पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर	77	33
		2. पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मऊ	76	39
13.	महाराष्ट्र	1. पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, उदगीर	31	12
		2. पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, परभनी	59	44
		3. के०एन०पी० पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, श्रीवल	32	29
		4. नागपुर पशुचिकित्सा महाविद्यालय, नागपुर	67	64
		5. बाम्बे पशुचिकित्सा महाविद्यालय, मुम्बई	68	70
14.	मिजोरम	1. पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, आइजोल, मिजोरम	39	19
15.	उड़ीसा	1. पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, भुवनेश्वर	80	71
16.	पाण्डिचेरी	1. राजीव गांधी पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, पाण्डिचेरी	45	23
17.	पंजाब	1. पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लुधियाना	51	51
18.	राजस्थान	1. पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर	75	86
19.	तमिलनाडु	1. मद्रास पशुचिकित्सा महाविद्यालय, चैन्नई	134	174
		2. पशुचिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, नामाक्कल	74	84
20.	उत्तर प्रदेश	1. पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा	60	48
		2. पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, फैजाबाद	40	39
21.	उत्तरांचल	1. पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, पंतनगर	62	63
22.	पश्चिम बंगाल	1. पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय, कोलकत्ता	72	82
		सकल योग	2141	1735

[हिन्दी]

वर्षा संबंधी अनुसंधान

1565. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वर्षा की अनिश्चितता और सिंचाई पर इसकी निर्भरता को दूर करने हेतु कोई अनुसंधान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) भारत में मानसून के देर से आने और शीघ्र चले जाने के बहुत से दृष्टांत हैं। इसी प्रकार, मानसून के दौरान बिना वर्षा की बहुत सी अवधियाँ है। ऐसी प्राकृतिक घटना के कारण वर्षा में अनिश्चितता रहती है जिससे कृषि एवं सिंचाई प्रभावित होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान सहित देश में विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा निर्णय समर्थन प्रणालियों सहित वर्षापात लक्षणों के विश्लेषण, वर्षा पूर्वानुमान, अन्तर्वाह पूर्वानुमान एवं उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के मॉडलों के विकास के संबंध में अनेक अध्ययन एवं अनुसंधान किए गए हैं।

इस क्षेत्र में अनुसंधान/अध्ययनों से कृषि सलाहकार सेवाओं में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अधिक दूरी (लॉगरेंज) पूर्वानुमान तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मानसून अवधि में कुछ जलाशयों के वास्ते अंतर्वाह पूर्वानुमान में सहायता मिली है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मध्यम दूरी वाले राष्ट्रीय मौसम

पूर्वानुमान केन्द्र (एन०सी०आर०एम०डब्ल्यू०एफ०), अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) आदि जैसे राष्ट्रीय अभिकरण भी कृषि में जलवायु जोखिम प्रबंधन के वास्ते विस्तृत, दूरी वाली पूर्वानुमान प्रणाली के विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एन०आई०एच०), रूड़की और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई द्वारा "डेवलपमेंट आफ ड्राट वल्नरेबिलिटी इंडीसेस फार प्रिपेयर्डनेस एन्ड मिटीगेशन" विषय पर एक अध्ययन भी किया गया है।

[अनुवाद]

मरीन रिसर्च सेन्टर का स्थानांतरण

1566. श्री पन्नियन रवीन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विझहिंजम (त्रिवेन्द्रम) में मरीन रिसर्च सेन्टर एवं मरीन एक्वारियम की स्थापना किन उद्देश्यों के आधार पर की गई थी;

(ख) क्या सरकार ने मरीन रिसर्च सेन्टर एवं मरीन एक्वारियम का विझहिंजम (त्रिवेन्द्रम) से स्थानान्तरण करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान का विझहिंजम अनुसंधान केन्द्र, विझहिंजम (त्रिवेन्द्रम) में मात्स्यिकी संसाधन सर्वेक्षण केन्द्र के रूप में 1951 में शुरू हुआ था और यह 1965 में केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान का एक केन्द्र बन गया। इस केन्द्र के मुख्य उद्देश्य थे तमिलनाडु के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों और दक्षिणी केरल में संसाधन क्षमता और मछली भंडारण पर समुद्री प्रग्रहण मात्स्यिकी उपयोग का प्रभाव और समुद्री जलजीव संवर्धन प्रौद्योगिकियों का विकास, जांच और स्थानांतरण। केन्द्र ने एक समुद्री जलजीवशाला सुविधा की भी स्थापना की है।

दिनांक 20.6.2003 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली में व्यय वित्त समिति जब संस्थान की दसवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव पर विचार कर रही थी तो सी०एम०एफ०आर०आई० के विझहिंजम अनुसंधान केन्द्र को सी०एम०एफ०आर०आई० के मण्डपम अनुसंधान केन्द्र में मिलाने/शामिल करने का फैसला किया था, ताकि चल रहे कार्यक्रमों को ज्यादा प्रभावशाली ढंग से समेकित किया जा सके, चूंकि मण्डपम क्षेत्रीय केन्द्र को प्रमुख समुद्री जलजीव संवर्धन और समुद्री जैव विविधता केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। केन्द्र को मिलाने/शामिल करने के इस प्रकार के फैसले के अन्य कारण हैं : वर्तमान व्यावहारिक अनुसंधान प्रासंगिकता; वैज्ञानिकों और सम्बद्ध मानव शक्ति का उचित उपयोग; अनुसंधान प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचना और अनुसंधान और सामरिक महत्व के लिए पहचाने गए केन्द्रों को सुदृढ़ करना।

(ख) और (ग) जब अनुसंधान केन्द्र को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है तो विझहिंजम स्थित वर्तमान समुद्री जलजीवशाला सुविधाओं को केरल सरकार को सौंपा जा रहा है। जब दिनांक 20.6.2003 को व्यय वित्त समिति (ई०एफ०सी०) की केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की दसवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव के योजना स्कीम पर बैठक में विचार हो रहा था, तो यह निर्णय हुआ कि सी०एम०एफ०आर०आई० के तहत छः अनुसंधान केन्द्रों को मौजूदा अन्य केन्द्रों में पुनः स्थापित किया जाए/मिला दिया जाए, इसमें विझहिंजम अनुसंधान केन्द्र को भी मण्डपम अनुसंधान केन्द्र में मिलाना भी शामिल है।

इस फैसले के पीछे कारण थे, समुद्री मछली संसाधनों और भंडारण मूल्यांकन, मोलस्केन और समुद्री झींगा संवर्धन और सजावटी मछली प्रजनन के संबंध में 1951 में स्थापित केन्द्र के अन्य बातों के साथ-साथ अनुसंधान उद्देश्यों की उपलब्धि; सार्वभौतिक स्तर पर स्पर्धा में शामिल होने के लिए केन्द्रों पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक समुदाय और सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता, अनुसंधान क्रियाकलापों की विविधिकरण के लिए वर्तमान आवश्यकता; मण्डपम केन्द्र में समुद्री जललीव संवर्धन में प्रगतिशील अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव; विझहिंजम में किराये के भवन और अपर्याप्त समुद्री जल पम्पिंग सुविधाओं के साथ प्रचालनों की समस्याएं; सी०एम०एफ०आर०आई० के मुख्यालय का कोच्चि में होना, केरल राज्य के कोजिकोड में संस्थान का अनुसंधान केन्द्र होने के साथ-साथ, इस प्रकार, राज्य में समुद्री मात्स्यिकी की अनुसंधान आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

पक्षियों की मौत

1567. श्री के०सी० सिंह 'बाबा' :
श्री बालेश्वर यादव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ओखला पक्षी अभयारण्य में बड़ी संख्या में पक्षियों की मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से मिली सूचना के अनुसार ओखला पक्षी अभयारण्य में, फरवरी, 2006 में 53 पक्षी मृत पाए गए थे। उच्च सुरक्षा पक्षी रोग प्रयोगशाला, भोपाल को भेजे गए नमूने की जांच की गई है जो एवियन एन्फ्लूएंजा के लिए नेगेटिव पाए गए हैं।

विषाक्त चारे का इस्तेमाल करके इस क्षेत्र में मछलियां पकड़ते हुए तीन लोग पकड़े गए थे जिन्हें वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। पक्षियों की मौत के लिए विषाक्त चारे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि मृत पक्षियों के पास मृत मछलियां भी पाई गई थीं।

(ग) इस क्षेत्र में चौकसी बढ़ाई गई है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आगन्तुकों की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार की सिंचाई परियोजनाएं

1568. श्री आलोक कुमार मेहता : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन माह के दौरान बिहार सरकार से सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित कोई प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस हेतु परियोजना-वार कितना धन आबंटित किया गया है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनको संस्वीकृत नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) जी, नहीं।

केन्द्र सरकार को पिछले तीन महीने के दौरान बिहार सरकार से सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन/अनुमोदन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

बाल श्रम के उन्मूलन हेतु वित्तीय सहायता

1569. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :
श्री उदय सिंह :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु अपेक्षित मूलभूत सुविधाएं एवं अवसंरचनाओं की अभी भी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को बाल श्रम के उन्मूलन हेतु विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं यूनिसेफ से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति में यह वित्तीय सहायता कितनी सहायक होगी?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) आई०एल०ओ० ने आईपेक (अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम) के माध्यम से देश में बाल श्रम उन्मूलन प्रयासों की मदद की है। तथापि, वित्तीय सहायता के रूप में आई०एल०ओ० का योगदान भारत सरकार के आबंटन की तुलना में बहुत अधिक नहीं है। यूनीसेफ भी इसी प्रकार बाल श्रम उन्मूलन के विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए बहुत थोड़ी राशि का योगदान करता है। हालांकि ये वित्तीय साधन भी मद्दगार रहे हैं फिर भी भारत सरकार का वित्तपोषण ही देश में बाल श्रम की समस्या से लड़ने में मुख्य संसाधन रहा है।

[हिन्दी]

गेहूं का आयात

1570. श्री रघुवीर सिंह कौशल :
श्री महेश कनोडीया :
श्री इलियास आजमी :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्री मोहन सिंह :
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आयात करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसका आयात किन देशों से किए जाने का प्रस्ताव है और इसकी प्रस्तावित दर कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा अंतिम रूप दी गई निविदा के अनुसार 5.00 लाख टन गेहूं सप्लाई करने का ठेका 178.75 प्रति मी० टन अमरीकी डालर सी एण्ड एफ (एफ०ओ०) मूल्य पर सबसे कम बोलीदाता मै० आस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड को दिया गया है।

झलेड़ा पुल से संतोखगढ़ पुल तक नहर का निर्माण

1571. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार ने योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात सुआन नदी पर झलेड़ा पुल से संतोखगढ़ पुल तक 123.93 करोड़ रुपए की लागत से 16.67 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु भेजा था;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई और आज तक इसके लंबित रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार से सुआन नदी पर झलेड़ा पुल से संतोखगढ़ पुल तक 123.93 करोड़ रु० की लागत से 16.67 किलोमीटर लम्बी नहर के निर्माण के संबंध में अभी तक भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कोनार सिंचाई परियोजना

1572. श्री टेक लाल महतो : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के हज़ारीबाग में कोनार सिंचाई परियोजना को पूरा करने हेतु काफी समय पहले धन संस्वीकृत किए थे;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक इस परियोजना पर व्यय की गई धनराशि और चालू वर्ष के दौरान आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने और कार्य आरंभ करने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण परियोजनाओं की योजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

जनवरी, 2006 तक कोनार सिंचाई परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा 139.89 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं और वर्ष 2005-06 के लिए झारखंड सरकार द्वारा 12.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की जा चुकी है। इस परियोजना को 2010 के बाद पूरा किये जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कारोबार

1573. श्री एस०के० खारवेनथन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कारोबार कितना है और चालू वर्ष के दौरान अनुमानित कारोबार कितना है;

(ख) क्या सरकार ने टाटा इकोनॉमिक एंड कन्सल्टेंसी सर्विसेज से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में करारोपण संबंधी संरचना का अध्ययन करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या टी०ई०सी०एस० ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है; और

(घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र में है इसलिए उनके द्वारा किए जा रहे कारोबार संबंधी सूचना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु किए जा रहे अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, अनुसंधान एवं विकास हेतु समर्थन, मानव संसाधन विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना स्कीमें कार्यान्वित की कराई जाती है। प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों पर उत्पाद शुल्क हटा लिया गया है। हाल ही में 2004-05 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग के लिए स्थापित किए जाने वाले नए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को पांच साल के लिए लाभ पर 100% आयकर छूट और अगले पांच वर्षों के लिए लाभ पर 25% आयकर छूट दी है। बजट 2005-06 में परिष्कृत खाद्य तेल पर 1.00 रु० प्रति किलोग्राम और वनस्पति पर 1.25 रु० प्रति किलोग्राम के उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। रेफ्रिजरेटिड वैन्स पर सीमा शुल्क को 20% से कम करके 10% किया गया है। प्रसंस्करण उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल ही में संघीय बजट 2006-07 में संघनित दूध, आइसक्रीम, मांस, मछली और पॉल्ट्री के व्यंजनों, पैकटिन, पास्ता और खमीर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया है। शीतल पेयों पर उत्पाद शुल्क को

घटाकर 16% कर दिया गया है। खाने के लिए पैक किए हुए खाद्य और डोसा तथा इडली मिक्स जैसे इस्टेंट फूड मिक्स पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% कर दिया गया है। पैकेजिंग पेपर पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 12% कर दिया गया है। पैकेजिंग मशीनों पर सीमा शुल्क को 15% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

रोग प्रभावित सुपारी के वृक्ष

1574. **श्रीमती पी० सतीदेवी :**
श्री पी० करूणाकरन :
श्री डी०वी० सदानन्द गौडा :
श्री पी०सी० थामस :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और केरल में सुपारी के वृक्ष रोग से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अनुसंधान संस्थान को रोग का कारण पता लगाने का कार्य सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कर्नाटक और केरल के भागों में सुपारी के वृक्ष कोलेरोगा अथवा महाली, बड रॉट, क्राउन रॉट, इन्फ्लोरेसेन्स डाइबैक, लीफ स्पॉट, बटन शैडिंग, अनाबे रोगा अथवा फुट रॉट, यैलो लीफ रोग आदि से प्रभावित हैं।

(ग) केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड़ इन रोगों के प्रबंधन पर अनुसंधान कर रहा है।

(घ) केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा इन रोगों पर नियंत्रण के लिए संस्तुत उपाय हैं:—

(i) कोलेरोगा अथवा महाली : 45 दिनों के अंतराल पर 2 बार बोर्डेक्स मिश्रण 1% का छिड़काव;

(ii) बड रॉट तथा क्राउन रॉट : क्राउन पर बोर्डेक्स पेस्ट लगाना तथा बोर्डेक्स मिश्रण 1% का छिड़काव। क्राउन रॉट के लिए पाम्स के बेस को 0.3% टाइडेमॉर्फ अथवा 0.3% फॉस्फोरिक एसिड (3 मिलीलीटर/ लीटर) में भिगोना;

(iii) इन्फ्लोरेसेंस डाइबैक तथा बटन शैडिंग : 3 ग्राम/लीटर की दर पर इन्डोफिल एम 45 अथवा 4 ग्राम/लीटर की दर पर डाइथेन जेड 78 का छिड़काव;

(iv) लीफ स्पॉट : 0.3% डाइथेन एम-45 (3 ग्राम/लीटर जल) का छिड़काव;

(v) अनाबे रोगा अथवा फुट रॉट : तीन माह के अंतराल पर पाम्स के बेसिन को 0.3% केलिक्सिन (3) मिलीलीटर/लीटर) 51/पाम देना और 125 मिलीलीटर/पाम की दर पर (15 मिलीलीटर/लीटर) 1.5% केलिक्सिन की रूट फीडिंग। 2 किलोग्राम नीम केक/पाम/वर्ष तथा हरी पत्ती और एफ०वाई०एम० 15-20 किलोग्राम/पाम/वर्ष की दर पर लगाना।

(vi) यैलो लीफ रोग : एन०पी०के० उर्वरक तथा चूने के साथ सुपर फॉस्फेट की अतिरिक्त खुराक देना।

विषाणु से प्रभावित काली-मिर्च का उत्पादन

1575. **श्री निखिल कुमार :**
श्री अधीर चौधरी :
श्री के०एस० राव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विषाणुओं के कारण काली-मिर्च की फसल प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) काली-मिर्च के पौधे कुकम्बर मोजैक वाइरस और पीपर येलो माटिल वाइरस नामक दो विषाणुओं से प्रभावित होते हैं। ये रोग संक्रमित तने की कलमों के उपयोग के जरिये और एफिड्स तथा मीली बग्स जैसे वेक्टर कीटों के जरिये फैलते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट ने वाइरस की इन्डेक्सिग के लिये संवेदनशील डायग्नोस्टिक्स का विकास किया है और केवल विषाणु मुक्त रोपण सामग्री की ही रोपण हेतु सिफारिश की जाती है। जहां कहीं भी एफिड्स और मीली बग्स जैसे वेक्टर कीट पाये जाते हैं, वहां पर डाइमेथोएट जैसी कीटनाशी दवाओं के 0.05% की दर पर छिड़काव की सिफारिश की जाती है।

[हिन्दी]

समुद्र से होने वाला कटाव

1576. **श्री मनसुखभाई डी० वसावा :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र से होने वाले कटाव को रोकने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) कटावरोधी कार्यों की आयोजना एवं कार्यान्वयन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। तथापि, पहुंचों (रिचेज) में समुद्र कटाव संबंधी गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मार्च 2004 में संकटपूर्ण क्षेत्रों में समुद्र कटावरोधी कार्यों के लिए प्रायोगिक आधार पर केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सी०एस०एस०) प्रारंभ की है। इस स्कीम को अप्रैल, 2005 से राज्य क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध कराई है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	राशि (करोड़ रु० में)
2003-04	1.50
2004-05	3.40
2005-06 (आज तक)	3.62

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कुशल श्रम

1577. **श्री उदय सिंह** :
श्री अधीर चौधरी :
श्री रामदास आठवले :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल मॉनीटरिंग फंड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कुशल श्रम से भारत में असमानता पैदा होती है जैसा कि दिनांक 10 जनवरी, 2006 के 'द स्टेट्समैन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने विभिन्न राज्यों में कुशल श्रमिकों के बीच ऐसी असमानता को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) विभिन्न राज्यों में कुशल कामगारों द्वारा अर्जित आय राज्य विशेष के आर्थिक विकास पर निर्भर करती है। अत: विभिन्न राज्यों में अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में कुशल कामगारों की आय में आंशिक भिन्नता या असमानता होने की संभावना है।

(ख) और (ग) राज्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए जाते हैं। राज्य उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमतानुरूप प्रयास करते हैं। विशेष राज्य/क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यकतानुसार विशेष प्रोत्साहन दिए जाते हैं तथा योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं।

सैंट्रल एडवाइजरी कांट्रैक्ट लेबर बोर्ड

1578. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैण्ट्रल एडवाइजरी कांट्रैक्ट लेबर बोर्ड (सी०ए० सी०एल०बी०) देश में ठेका मजदूर से संबंधित मुद्दों पर सेक्टर और क्षेत्रवार अध्ययन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या इन्फोटेक सेग्मैंट भी सी०ए०सी०एल०बी० के कार्य क्षेत्र में आता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे सी०ए० सी०एल०बी० के अंतर्गत लाने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड विभिन्न स्थापनाओं में ठेका श्रम पद्धति के उन्मूलन के संबंध में कामगारों/उनके संघ के अभ्यावेदन पर अथवा न्यायालयों के दिशा निर्देशों के आधार पर, जैसा संदर्भित हो, विचार करता है तथा केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ने ठेका श्रम प्रणाली का अध्ययन करने हेतु देश भर में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारागार निगम के विभिन्न डिपों में क्षेत्रवार 8 समितियों और भारतीय रेलवे के लिए एक समिति का गठन किया है। एक समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसने केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड को भारतीय खाद्य निगम के कतिपय डिपों में ठेका श्रम के उन्मूलन हेतु सिफारिश की है, अन्य समितियों की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 में विनिर्दिष्ट अनुसार, केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में समुचित सरकार हैं। इन्फोटेक सेग्मैंट उस संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है जिस राज्य में प्रतिष्ठान स्थित हैं और संबंधित राज्य ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

उत्तर प्रदेश में खरीद केन्द्रों की कमी

1579. श्री दरोगा प्रसाद सरोज : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय खाद्य निगम के कितने खरीद केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश खरीद केन्द्रों में काम नहीं हो रहा है और वे किसानों से अनाज नहीं खरीद रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने रबी विपणन मौसम 2005-06 के दौरान उत्तर प्रदेश में 184 वसूली केन्द्र खोले थे। आगामी रबी विपणन मौसम 2006-07 में भारतीय खाद्य निगम का उत्तर प्रदेश में 350 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात में कृषि का योगदान

1580. श्री रनेन बर्मन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुल निर्यात में कृषि योगदान का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कृषि को निर्यातोन्मुखी बनाने तथा कृषि क्षेत्र में और अधिक पूंजी निवेश सुनिश्चित करने हेतु कोई नीतिगत परिवर्तन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) वर्ष 2004-05 के दौरान कुल निर्यात में कृषि निर्यात का योगदान 11.2% था।

(ख) से (घ) भारतीय कृषि में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि निर्यात बढ़ सके। इस संबंध में, सरकार ने कृषि उत्पादों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई पहलें और अंतः क्षेपण शुरू किया है, जिसमें अन्य के साथ-साथ समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पॉम और मक्का स्कीम (आईसोपाम), राष्ट्रीय बागवानी मिशन और समेकित मोटे अनाज विकास कार्यक्रम शामिल हैं। परिवहन सहायता स्कीम और विशेष कृषि उपज योजना जैसी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं जिससे किसान अपने निर्यातों और अंतर्राष्ट्रीय मंडी तक बढ़ी हुई पहुंच के लिए लाभप्रद मूल्य पा सकें।

पिछले पांच वर्षों में, कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश, वर्ष 1999-2000 (1999-00 कीमतों पर) के 7754 करोड़ रु० से पर्याप्त बढ़कर वर्ष 2004-05 में (1999-00 कीमतों पर) 12591 करोड़ रु० हो गया है।

बढ़े हुए पूंजी निर्माण के माध्यम से कृषि विकास के लिए किए गए मुख्य उपायों में कृषि विविधीकरण; कृषि विपणन अवसंरचना; मरम्मत; जल निकायों का नवीकरण पुनः स्थापना; और लघु सिंचाई, माइक्रो वित्त, माइक्रो बीमा और ग्रामीण क्रेडिट भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

इस्पात विनियामक आयोग

1581. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक इस्पात विनियामक आयोग गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

औषध मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत दवाएं

1582. श्री पंकज चौधरी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ दवाओं को औषध मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) वर्तमान औषध मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध और उन पर

आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत हैं और डी०पी०सी०ओ०, 95 के प्रावधानों के अंतर्गत उनके मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन०पी०पी०ए०) द्वारा निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। इन औषधों को सितंबर, 1994 में घोषित "औषध नीति, 1986 में संशोधन" में उल्लिखित मानदंड के आधार पर मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत रखा गया है।

सरकार ने संयुक्त सचिव (फार्मास्युटिकल्स) की अध्यक्षता में गठित समिति और डा० प्रणब सेन, प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 (भाग-क) का प्रारूप तैयार किया है जिसे टिप्पणियों के लिए विभिन्न स्टेकधारकों को परिचालित किया गया है। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर सरकार द्वारा नई औषध नीति को शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

मछली उतराई केन्द्र

1583. श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री ए० साई प्रताप :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश में राज्यवार कितने मछली उतराई केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यवार कितने प्रयास लंबित हैं;

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ङ) क्या राज्यों को अब स्वीकृत राशि जारी कर दी गई है;

(च) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(छ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों (2002-03 से 2004-05 तक) और चालू वर्ष (2005-06) के दौरान स्वीकृत किए गए मछली उतारने वाले केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) नए मछली उतारने वाले केन्द्रों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता और ढांचे की स्वीकृति के साथ-साथ तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि करने वाला कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) से (छ) परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर, तटवर्ती राज्य सरकारों को मछली उतारने वाले केन्द्रों के निर्माण के लिए किश्तों में केन्द्रीय धनराशि प्रदान की गई है। पिछले तीन वर्षों (2002-03 से 2004-05 तक) और चालू वर्ष (2005-06) के दौरान मछली उतारने वाले केन्द्रों के निर्माण के लिए तटवर्ती राज्य सरकारों को जारी की गई धनराशि के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान देश में संस्वीकृत मछली उतारने वाले केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा :

क्र० सं०	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1. बरुवा	1. इटिमोगी	शून्य	शून्य
		2. पेरुपलेम	2. मिनावानिलंका		
		3. गोंदिसामुद्रम	3. वोडेरेवु		
		4. इसाकापल्लीपट्टपुपलेम	4. कोथपटनम		
		5. थाटिचेतलापलेम			
		6. नवालारेवु			
		7. बंदरुवानिपेटा			
		8. चिंतापल्ली			

1	2	3	4	5	6
		9. पुडिमाडका			
		10. मुक्कम			
		11. मिपाडु			
2.	तमिल नाडू	शून्य	1. सोलियाकुडि	शून्य	शून्य
			2. मंदापम		
			3. अरकोत्तुथुरई		
3.	उड़ीसा	1. बलुगांव	शून्य	शून्य	शून्य
4.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1. डेयरी फार्म (जंगलीघाट)	शून्य	शून्य	शून्य
5.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	1. मायागोलिनिघाट
		13 संख्या	7 संख्या	शून्य	1 संख्या

विवरण-II

मछली उतारने वाले केन्द्रों के निर्माण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत नई और चालू दोनों परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1.	केरल	71.485	—	—	—
2.	तमिलनाडु	93.48	—	—	—
3.	आंध्र प्रदेश	254.425	30.57	123.175	106.13
4.	गोवा	14.60	—	—	—
5.	कर्नाटक	—	7.50	—	—
6.	उड़ीसा	67.75	4.43	—	—
7.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	100.00
8.	गुजरात	—	7.50	—	—
9.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	168.00	100.00	—	100.00
	कुल	669.74	150.00	123.75	306.13

सर्दी में बढ़ते तापमान के कारण प्रभावित फसलें

1584. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सर्दी के मौसम में बढ़ते तापमान से रबी की फसल और सेब की फसल प्रभावित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या आकलन किया गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई आकस्मिक योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) फरवरी, 2006 के दौरान उच्चतम तापमान सूचित किया गया, जिससे देश के कुछ उत्तरी और पूर्वी राज्यों में कुछ फसलों विशेषकर गेहूं की उत्पादकता प्रभावित हुई। फसल कटाई के पश्चात ही वास्तविक हानि का निर्धारण किया जा सकता है। फसलों पर बढ़ते हुए तापमान के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, किसानों को बारम्बार हल्की सिंचाई करते रहने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

इस्पात एककों के लिए विदेशी कंपनियों के साथ करार

1585. श्री अशोक कुमार रावत :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
प्रो० महादेवराव शिवनकर :
श्री शिशुपाल पटले :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इस्पात एककों की स्थापना हेतु विदेशी कंपनियों के साथ करार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान विदेशी कंपनियों के सहयोग से कितनी कंपनियां स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या विदेशी कंपनियों के सहयोग से भारत में इस्पात क्षेत्र में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) केन्द्र सरकार ने देश में इस्पात इकाइयां स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ करार नहीं किए हैं। लागू नीति के अनुसार इस्पात क्षेत्र में ऑटोमैटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

(ख) से (ङ) उपयुक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन

1586. श्री के०एस० राव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके बाद कितना कृषि उत्पादन हुआ है;

(ख) कृषि में धीमी गति से विकास होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि विकास में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु कृषि नीति की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से 2002-03 से 2004-05 तक के दौरान और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्यान्न, तिलहन, कपास, गन्ना, पटसन एवं मेस्ता के उत्पादन का ब्यौरा नीचे तालिका में दर्शाया गया है :—

(मिलियन टन)

फसल	2002-03	2003-04	2004-05*	2005-06$
1	2	3	4	5
खाद्यान्न	174.77	213.46	204.61	209.32
तिलहन	14.84	25.29	26.10	26.37
कपास**	8.62	13.87	17.00	16.45
गन्ना	287.38	237.31	232.32	266.88
पटसन एवं मेस्ता$$	11.28	11.23	10.49	10.65

*वर्ष 2004-05 के चौथे अग्रिम अनुमान

$वर्ष 2005-06 के दूसरे अग्रिम अनुमान

**170 कि०ग्रा० प्रत्येक की मिलियन गांठें

$$180 कि०ग्रा० प्रत्येक की मिलियन गांठें

(ख) वर्ष 2002-03 में कृषि उत्पाद में कमी रही क्योंकि अनेक क्षेत्र/राज्य सूखे से प्रभावित थे। वर्ष 2003-04 में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अच्छी वर्षा हुई और इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष 2004-05 के दौरान, मानसूनी वर्षा में 13% तक कमी आई जिसके कारण खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई। सामान्य मानसूनी वर्षा के कारण वर्ष 2005-06 में यथोचित अच्छा कृषि उत्पादन होने की आशा है।

(ग) और (घ) कृषि क्षेत्र में सतत् वृद्धि के लिए अनेक नीतियां तैयार की गई हैं। इन नीतियों का मुख्य जोर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में ब्राड बेस पूंजी निवेश पर है। ऋण, सिंचाई सुविधाएं, फसल विविधीकरण, विपणन अवसंरचना, बागवानी तथा विस्तार सेवाएं जैसे अनिवार्य क्षेत्रों में नीतिगत पहलों की एक श्रृंखला शुरू की गई है। कृषि यंत्रीकरण, कृषि क्लीनिकों और कृषि बिजनेस केन्द्रों तथा विस्तार सेवाओं के माध्यम से इस प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। अधिक निवेश के लिए अन्य क्षेत्रों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई वाली सूक्ष्म सिंचाई, एक समेकित ढंग से एक ही स्थान पर अनुसंधान, उत्पादन, फसल कटाई पश्चात प्रबंध, प्रसंस्करण और विपणन को कवर करते हुए अग्र एवं पश्च सम्पर्कों के साथ सर्वांगीण दृष्टिकोणपरक राष्ट्रीय बागवानी मिशन शामिल हैं।

ग्रामीण कृषि-भाण्डागार

1587. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण कृषि-भाण्डागारों की संख्या में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां।

कृषि उत्पादों के भण्डारण हेतु किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता के सृजन के लिए दिनांक 1.4.2001 से देश में 'ग्रामीण भण्डारण योजना' नामक एक पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम कार्यान्वित की गई है। इस स्कीम के अंतग्रत 31 जनवरी, 2006 तक 11025 भण्डारण परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण गोदाम स्कीम की प्रगति

(31.10.2006 के स्थिति के अनुसार)

(भौतिक)

		नाबार्ड द्वारा स्वीकृत		एन०सी०डी०सी० द्वारा स्वीकृत (नया)		कुल नया निर्माण		एन०सी०डी०सी० द्वारा स्वीकृत (नवीनीकृत)		कुल	
1	2	3		4		5(3+4)		6		7(5+6)	
क्र० सं०	राज्य	परि० की संख्या	क्षमता मी० टन में	परि० की संख्या	क्षमता मी० टन में	परि० की संख्या	क्षमता मी० टन में	परि० की संख्या	क्षमता मी० टन में	परि० की संख्या	क्षमता मी० टन में
1.	आंध्र प्रदेश	546	2382469	56	4300	602	2386769	51	4750	653	2391519
2.	असम	70	92902	1	650	71	93552	0	0	71	93552
3.	बिहार	2	11000	157	16150	159	27150	2	500	161	27650
4.	छत्तीसगढ़	147	455756	73	357000	220	812756	0	0	220	812756
5.	गुजरात	516	248026	16	48550	532	296576	19	19000	551	315576
6.	हरियाणा	175	1248805	66	10500	241	1259305	103	230817	344	1490122
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	31	3600	31	3600	0	0	31	3600
8.	जम्मू व कश्मीर	1	100	1	1950	2	2050	0	0	2	2050
9.	कर्नाटक	872	724439	41	14825	913	739264	1	100	914	739364
10.	केरल	8	4917	27	8950	35	13867	8	1570	43	15437
11.	मध्य प्रदेश	751	1439893	165	93050	916	1532943	120	72616	1036	1605559
12.	महाराष्ट्र	1052	1193059	31	181000	1083	1374059	129	261300	1212	1635359
13.	मेघालय	2	9600	34	3450	36	13050	3	300	39	13350
14.	नागालैण्ड	1	4000	0	0	1	4000	0	0	1	4000
15.	उड़ीसा	136	319341	0	0	136	319341	0	0	136	319341
16.	पंजाब	2973	3165049	14	1790	2987	3166839	213	771950	3200	3938789
17.	राजस्थान	38	94038	90	48850	128	142888	156	12100	284	154988
18.	तमिलनाडु	28	97666	23	27500	51	125166	2	600	53	125766
19.	उत्तर प्रदेश	97	789921	85	143600	182	933521	693	955468	875	1888989

1	2	3		4		5(3+4)		6		7(5+6)	
20.	उत्तरांचल	20	43452	21	13950	41	57402	0	0	41	57402
21.	पश्चिम बंगाल	1048	350088	91	9100	1139	359188	15	1500	1154	360688
22.	संघ शासित क्षेत्र	0	0	02	1400	2	1400	0	0	2	1400
23.	नेफेड	0	0	02	20000	2	20000	0	0	2	20000
	कुल	8483	12674521	1027	1010165	9510	13684686	1515	2332571	11025	16017257

चावल का पेटेंट

1588. श्री महबूब जाहेदी : क्या कृषि मंत्री 12 दिसम्बर, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2669 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चावल उगाने वाले किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए अब तक कितनी प्रगति की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : इस उद्देश्य के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा गठित सदस्यों की एक समिति ने चावल जीन (जीनों) की श्रृंखला पर सिन्जेटा कम्पनी के पेटेन्ट का अध्ययन किया है। इन्टरनेट सर्च के जरिए 13 पेटेन्ट चुने गये थे एवं विशेषज्ञों द्वारा पेटेन्ट दावों की जांच की गई। दावे प्रजातिगत से सम्बन्धित हैं तथा चावल जनित्रद्रव्य प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले जीनों के कार्य के प्रदर्शन पर आधारित हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए भारत सरकार ने पहले ही निम्नलिखित कानूनी दस्तावेज बनाये हैं :

(i) संशोधित पेटेन्ट अधिनियम (जैसाकि पिछले 2005 में संशोधित किया गया)

(ii) पौध किस्मों का संरक्षण तथा किसान अधिकार अधिनियम 2001

(iii) सामान के भौतिक संकेत (पंजीकरण तथा संरक्षण) अधिनियम 1999, तथा

(iv) जैविक विविधता अधिनियम 2002

इन नियमों से देश के किसानों के हित की सुरक्षा में लम्बा समय लगेगा।

[हिन्दी]

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों का प्रयोग

1589. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों का अंधाधुंध प्रयोग पर्यावरण और मिट्टी के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कीटनाशियों और अन्य हानिकारक रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग रोकने के लिए तथा फसलों को कीट-पतंगों के विनाश से बचाने के लिए क्या वैकल्पिक तरीके अपनाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) रासायनिक उर्वरक पोषकों और कृमिनाशियों (तकनीकी ग्रेड) का औसतन प्रति हैक्टेयर उपभोग क्रमशः 96.59 किग्रा०/हैक्टे० और 0.22 किग्रा/हैक्टे० है। उपभोग के इस स्तर को पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं माना गया है। हालांकि, कुछ दशकों से ''दीर्घकालिक उर्वरक प्रयोगों'' पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि जैविक खाद के बिना रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से गौण और माइक्रो पोषकों की कमी होने के कारण मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक कृमिनाशियों का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता तो इनका कृमिनाशियों में कृमि प्रतिरोध क्षमता का विकास, कृमि पुनरूत्थान, गौण कृमियों का प्रादुर्भाव, कृषि उत्पादों में कृमि, अवशेष, पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थतिकीय असंतुलन जैसे बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं।

(ख) भारत सरकार ने रासायनिक कृमिनाशियों का अविभेदीकरण और अविवेकपूर्ण तरीके से उपयोग को न्यूनतम करने के उद्देश्य से पौध संरक्षण के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में समेकित कृमि प्रबंधन को अपनाया है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय असमानताएं

1590. श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों ने कृषि विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है जबकि हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र इसमें पिछड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय असमानताओं से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) निम्नलिखित सारणी उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के मुख्य राज्यों में खाद्यान्न और तिलहन की सामान्य उत्पादकता और उत्पादन (1999-2000 से 2003-04 तक के 5 वर्षों का औसत) दर्शाती है :

राज्य	उत्पादकता किग्रा/हैक्टे०	उत्पादन ('000 मी० टन में)
1	2	3
खाद्यान्न		
उत्तरी क्षेत्र		
पंजाब	3972	24726.7
उत्तर प्रदेश	2135	42642.0
पश्चिम क्षेत्र		
महाराष्ट्र	861	11157.5
राजस्थान	1045	12050.1
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार	1650	11633.0
पश्चिमी बंगाल	2326	15346.7
पूर्वोत्तर		
असम	1443	4032.3
त्रिपुरा	2183	554.9
तिलहन		
उत्तरी क्षेत्र		
हरियाणा	1369	737.3
उत्तर प्रदेश	818	1050.5
पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात	1016	2875.7
राजस्थान	951	2863.5
पूर्वी क्षेत्र		
उड़ीसा	440	133.4
पश्चिम बंगाल	880	519.9
पूर्वोत्तर		
असम	501	154.0
नागालैण्ड	1082	53.4

जैसा कि उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है खाद्यान्न के मामले में पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की उत्पादकता उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों से कम नहीं है। तथापि तिलहन के मामले में यह कुछ मिलाजुला है।

(ग) उत्पादकता, उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए किसानों हेतु उपयुक्त उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी का विकास सरकार का मुख्य अभिवृद्धि क्षेत्र रहा है। इसके लिए देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में किसानों द्वारा सामना की जा रही आवश्यकता और विशिष्ट समस्याओं पर विचार करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु सभी फसल सुधार कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, पौध रोपण की इष्टतम अवधि, बीज दर, पौधों की उपयुक्त संख्या, खरपतवार नियंत्रण, समेकित कृमि प्रबंध और अंत: फसलन हेतु विकसित कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का मानकीकरण किया गया है तथा अपनाने के लिए किसानों को उपलब्ध कराया गया है।

अरहर में सूखने की समस्या

1591. श्री एम० शिवन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और देश के अन्य राज्यों में अरहर में सूखने की समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) :

(क) और (ख) अरहर में सूखा रोग से कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में निम्नलिखित औसत पौध नश्वरता की रिपोर्ट मिली है—

कर्नाटक	1.1%
बिहार	18.3%
गुजरात	5.4%
आंध्र प्रदेश	5.3%
मध्य प्रदेश	5.4%
महाराष्ट्र	22.6%
उत्तर प्रदेश	8.2%
पश्चिम बंगाल	6.12%
तमिलनाडु	1.4%
अन्य राज्य	1% से कम

(ग) सूखा रोग प्रतिरोधी/सूखा रोग के प्रति सहिष्णु किस्में, जैसे— मरूथी, आशा, बी०एस०एम०आर० 736, बी०एस०एम०आर० 853, आई०सी०पी०एल० 87051, आई०सी०पी०एल० 87, जे०ए० 4, एम०ए० 3, एम०ए० 6, एन०डी०ए० 98-2, बी०डी०एन०-2, नरेन्द्र अरहर-1, आमार, आजाद तथा डी०ए० 11, विकसित और निर्मुक्त की गई हैं। कार्बेन्डाजिम + थीरम या जैव एजेंटों (ट्राइकोडर्मा एस०पी०पी०) के द्वारा बीजों के उपचार की सिफारिश की गई है। अत: फसलन तथा सोरगम के साथ फसल चक्र का भी समर्थन किया गया है। इन सभी घटकों को समेकित कीट प्रबंध के तहत प्रणालियों के एक पैकेज में समाहित किया गया है जिसे कर्नाटक तथा देश के अन्य हिस्सों में कृषक क्षेत्र स्कूलों के जरिये प्रदर्शित तथा क्रियान्वित किया जाता है।

नदियों को जोड़ने की नीति

1592. **श्री तापिर गाव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चीन और म्यांमार के साथ ब्रह्मपुत्र नदी को अन्य नदियों से जोड़ने की कोई नीति तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एन०सी०डी०ई०एक्स० द्वारा निदेश

1593. **डा० वल्लभभाई कथीरिया** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 20 जनवरी, 2006 को नेशनल कोमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड (एन०सी०डी०ई०एक्स०) द्वारा जारी किए गए निदेशों के कारण व्यापारिक समुदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या उक्त पहल के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) भावी सौदा बाजार में सदस्य अपनी अलग-अलग व्यापार नीतियों पर निर्भर करते हुए मूल्यों में गिरावट और वृद्धि के संबंध में अपनी संकल्पना के आधार पर कार्य करते हैं। इसलिए भावी सौदा बाजारों में प्रचालकों को होने वाला घाटा उनकी व्यापार नीति का एक हिस्सा है। इसका केवल अन्दाज लगाया जा सकता है और परिमाण नहीं बताया जा सकता।

(ग) नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड के निदेशों के कारण संविदा के प्रचालन के दौरान संविदा की शर्तों में परिवर्तन हुआ जो एक्सचेंज की उपविधियों, विनियमों और वायदा बाजार आयोग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का उल्लंघन था। तदनुसार एक्सचेंज को निर्णय को तत्काल वापस लेने और उसका व्यापक प्रचार करने तथा अनुपालन की रिपोर्ट देने का निदेश दिया गया।

(घ) और (ङ) एक्सचेंज ने 20 जनवरी, 2006 को उड़द और चने में व्यापार शुरू करने से पहले अपने पिछले निर्णय को बदल दिया।

(च) वायदा बाजार आयोग ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) नियतन मूल्य के निर्धारण की वायदा बाजार आयोग द्वारा अधिक प्रभावशाली मॉनीटरिंग की जा रही है। संविदा के अंतिम नियतन मूल्य के पर्यवेक्षण के लिए आयोग के एक अधिकारी को एक्सचेंज में तैनात किया गया है।

(ii) एक्सचेंजों को निदेश दिया गया है कि वे वायदा बाजार आयोग की पूर्वानुमति के बिना संविदा की किसी शर्त में कोई परिवर्तन न करें।

(iii) एक्सचेंज में सदस्यों की व्यापार गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से उनका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है।

(iv) 6% का मूल्य बैंड नियत किया गया है जिसके पश्चात् 15 मिनट के लिए कूलिंग आफ होगा। 15 मिनट की कूलिंग अवधि के पश्चात् 3% अतिरिक्त मूल्य की अनुमति होगी। यदि मूल्य बैंड पुनः हिट होता है तो 6% + 3% = 9% मूल्य बैंड के बाद व्यापार नहीं हो सकेगा।

(v) आगामी महीनों में शुरू की जाने वाली संविदाओं के संबंध में कुछ मदों के मामले में अनिवार्य सुपुर्दगी शुरू की जा रही है।

(vi) एक्सचेंजों में सदस्यों तथा ग्राहकों की स्थिति सहित व्यापार संबंधी ब्यौरों को दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग की जाती है और मूल्य रुझान की समीक्षा करने हेतु हर सप्ताह अधिकारियों तथा आयोग की एक बैठक आयोजित की जाती है। नेशनल एक्सचेंजों में मॉनीटरिंग तथा निगरानी के लिए उत्तरदायी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वायदा बाजार आयोग के निदेशकों की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(vii) संविदा की समाप्ति पर निवल बकाया स्थिति पर उनकी सुपुर्दगी संबंधी जिम्मेदारियों के संबंध में क्रेता अथवा विक्रेता पर उनके दोषों के लिए 5% की दर से दण्ड लगाया गया है। विक्रेताओं की सुपुर्दगी की अवधि (विक्रेताओं के विकल्प के मामले में) से कम से कम पांच दिन पूर्व अपना इरादा बताना होता है। इरादा बताने वाले प्रचालकों को अपनी बात से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र

1594. श्री अनन्त नायक :
श्री किसनभाई वी० पटेल :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में राज्यवार कितने खाद्य प्रसंस्करण केंद्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक केंद्र को कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) क्या इन प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा समय पर उपयोगिता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) इस स्कीम के शुरू होने से लेकर 31 जनवरी, 2006 तक संलग्न विवरण-I में दर्शाए अनुसार खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता दी गई है।

(ख) पिछले तीन सालों के दौरान और 31 जनवरी, 2006 तक उपलब्ध कराई गई राज्यवार सहायता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) पिछले तीन सालों के दौरान प्रत्येक केन्द्र को जारी धनराशि संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) और (ङ) अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं और शेष बचे कुछ मामलों में, संबंधित राज्य सरकारों को लिखा जा रहा है।

विवरण-I

1992-93 से 2004-05 (31 जनवरी, 2006 तक) के दौरान सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरे

क्रम संख्या	राज्य का नाम	8वीं योजना	नवीं योजना	दसवीं योजना (31 जनवरी, 2006 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	01	—	01
2.	आंध्र प्रदेश	01	04	—	05
3.	अरूणाचल प्रदेश	01	—	—	01
4.	असम	23	02	—	25
5.	बिहार	19	09	01	29
6.	दिल्ली	04	03	—	07
7.	गुजरात	03	—	01	04
8.	हरियाणा	08	01	02	11
9.	हिमाचल प्रदेश	07	—	01	08

1	2	3	4	5	6
10.	जम्मू और कश्मीर	06	02	–	08
11.	कर्नाटक	11	–	–	11
12.	झारखंड	–	–	2	2
13.	केरल	06	–	1	07
14.	महाराष्ट्र	05	12	01	18
15.	मध्य प्रदेश	05	–	–	05
16.	मणिपुर	03	–	01	04
17.	मिजोरम	06	–	–	06
18.	मेघालय	01	–	–	01
19.	नागालैंड	02	–	–	02
20.	उड़ीसा	40	12	3	65
21.	पंजाब	02	–	–	02
22.	राजस्थान	03	–	01	04
23.	तमिलनाडु	16	18	06	40
24.	त्रिपुरा	01	–	–	01
25.	उत्तर प्रदेश	47	27	12	86
26.	पश्चिम बंगाल	11	02	03	16
27.	उत्तरांचल	–	01	03	04
	जोड़	231	104	38	373

विवरण-II

पिछले तीन सालों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यवार जारी धनराशि

(लाख रु० में)

क्रम संख्या	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (31 जनवरी, 2006 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	असम	–	–		
2.	आंध्र प्रदेश	–	–		
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		–		
4.	बिहार	–	–		
5.	दिल्ली	–	–		
6.	गुजरात	–	2.00		
7.	हरियाणा	–	4.00	1.00	
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	1.986
9.	जम्मू और कश्मीर	1.90	–		
10.	झारखंड	2.00	–	–	4.00
11.	कर्नाटक	–	–		
12.	केरल	–	–	–	2.00
13.	महाराष्ट्र	2.00	–		
14.	मध्य प्रदेश	–	–		
15.	मणिपुर	2.00	–		
16.	उड़ीसा	–	1.82	1.985	4.511
17.	पंजाब	–	–		
18.	राजस्थान	–	–	2.00	
19.	तमिलनाडु	2.097	2.00	4.00	9.466
20.	त्रिपुरा	–	–		
21.	उत्तर प्रदेश	4.00	7.50	14.438	9.0565
22.	उत्तरांचल	–	–		3.63
23.	पश्चिम बंगाल	4.00	–	2.00	
	कुल धनराशि	17,997	17.32	25.424	34.65
	खा.प्र. तथा प्र. केन्द्रों को जारी कुल धनराशि	7	6	9	15

विवरण-III

खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्रों के संबंध में जारी स्वीकृतियां

क्रम संख्या	पार्टी का नाम और स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत धनराशि
1.	मैसर्स आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एंड इक्नॉमिक डवलपमेंट, मोईरंगखोम लोकालोबंग, इबोयामा प्रेस बिल्डिंग, इम्फाल — 795001 मणिपुर	2.00 लाख रु० दिनांक 25.3.2003
2.	मैसर्स सुमति ग्रामोत्थान एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बी — 6, इंडस्ट्रियल एरिया, बलभद्रपुर, कोटद्वार, पुरी, गढ़वाल — 264149	2.00 लाख रु० दिनांक 29.9.2002
3.	मैसर्स 24 परगना रूरल डवलपमेंट इंडस्ट्रियल कल्चरल एंड फूड प्रोड्यूसर सोसायटी, पश्चिम बंगाल	2.00 लाख रु० दिनांक 13.11.2002
4.	इंटीग्रेटिड वूमन डवलपमेंट इंस्टिट्यूट, 14/57, थिरूनगर, विलीवकम, चेन्नई — 6000049	9770 रु० (प्रशिक्षुओं को प्रतिपूर्ति) 20.11.2002
5.	मैसर्स विवेकानंद सेवा संस्थान, डाकघर बसिया, जिला गूमल, झारखंड-835229	2.00 लाख रु० दिनांक 16.12.2002
6.	मैसर्स उज्जवल रूरल डवलपमेंट सोसायटी, निवाडे, ताल्लुका: सिंधखेड़ा, जिला धुले, महाराष्ट्र	2.00 लाख रु० दिनांक 1.1.2003
7.	मैसर्स श्रीरामकृष्ण आश्रम, डाकघर निमपाठ आश्रम-743338, दक्षिण 24 परगना (सुंदरबन), पश्चिम बंगाल	2.00 लाख रु० दिनांक 28.1.2003
8.	मैसर्स द्वारा कल्याण समिति, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	2.00 लाख रु० (मूल पूंजी) दिनांक 28.1.2003
9.	मैसर्स शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	1.90 लाख रु० (मूल पूंजी) दिनांक 27.3.2003
10.	मैसर्स थासिम बीवी अब्दुल कादर कॉलेज फॉर वूमन, किलाकराई, रामनाथपुरम, तमिलनाडु	2.00 लाख रु० दिनांक 31.3.2003
	कुल	17,99,770/-

वर्ष 2003-04 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को जारी स्वीकृतियाँ

क्रम संख्या	पार्टी का नाम और स्वीकृति की तिथि	मंजूर की गई राशि
1	2	3
1.	मैसर्स सुरेख्या, जिला ढेनकनाल, उड़ीसा	1,82,000/- रुपये दिनांक 9.6.2003
2.	मैसर्स मणि अम्मान सर्विसेज सोसाइटी, त्रिचि, तमिलनाडु	2,00,000/- रुपये दिनांक 21.7.2003
3.	मैसर्स जय किसान एग्रीकल्चर डेव० एंड रेस० सैंटर, अहमदाबाद	2,00,000/- रुपये दिनांक 19.11.2003

1	2	3
4.	मैसर्स रामपुर समाज सेवा समिति (कुंडल) जिला-सोनीपत, हरियाणा	2,00,000/- रुपये दिनांक 15.1.2004
5.	मैसर्स पूर्वांचल ग्रामोद्योग एवं ग्राम्य विकास संस्थान, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	5,50,000/- रुपये दिनांक 12.2.2004
6.	मैसर्स एक्स-आर्मी मीन सोशल वेल्फेयर सोसाइटी	2,00,000/- रुपये दिनांक 17.3.2004
7.	मैसर्स पूनम सेवा संस्थान, इलाहाबाद	2,00,000/- रुपये दिनांक 18.3.2004
	कुल	17,32,000/- रुपये

वर्ष 2004-05 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को जारी स्वीकृतियाँ

क्रम संख्या	पार्टी का नाम और स्वीकृति की तारीख	मंजूरी की गई राशि
1.	मैसर्स अभिनव, जे-20, इण्डस्ट्रियल एरिया, बेगराजपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश बेगराजपुर, मुजफ्फनगर, उत्तर प्रदेश	1,00,000/- रुपये (मूल पूंजी) दिनांक 25.5.2004
2.	मैसर्स हेडगेवार, समाज कल्याण समिति, कासगंज	1,93,890/- रुपये दिनांक 16.6.2004
3.	मैसर्स रत्नाकर रूरल अर्बन विकास इंस्टीट्यूशन, उड़ीसा	1,98,534/- रुपये दिनांक 16.6.2004
4.	कृषि विज्ञान केंद्र, धौलपुर, राजस्थान क्र०सं० 4-56/2003-एफ०पी०टी०सी०, दिनांक 2.8.2004	2,00,000/- रुपये दिनांक 2.8.2004
5.	श्री अरबिंदों अनुशीलन सोसाइटी, सूरी, पश्चिम बंगाल	2,00,000/- रुपये
6.	सोशल वेल्फेयर सेंटर, तमिलनाडु	2,00,000/- रुपये दिनांक 31.8.2004
7.	मैसर्स रामपुर समाज सेवा समिति रामपुर (कुंडल) जिला-सोनीपत, हरियाणा	1,00,000/- मूल पूंजी के रूप में दिनांक 9.9.2004
8.	तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	2,00,000/- रुपये दिनांक 24.11.2004
9.	मैसर्स अक्कई पोलीक्राफ्ट एसोसिएशन, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2,00,000/- रुपये दिनांक 30.11.2004
10.	लघु उद्योग सेवा संस्थान, सिकरौरा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	2,00,000/- रुपये दिनांक 4.1.2005
11.	डॉ० जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट हेल्थ केयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, जामिया नगर, नई दिल्ली	7,50,000/- रुपये दिनांक 10.3.2005
	जोड़	25,42,424 रुपये

वर्ष 2005-06 (31 जनवरी, 2006 तक) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए जारी किया गया सहायता-अनुदान

क्र०सं०	संगठन का नाम	मंजूर की गई राशि	मंजूरी की तिथि
1.	पवन शिक्षा एवं जन उत्थान समिति, खेती, जिला चमोली, उत्तरांचल	2.00 लाख रुपये	21.4.2005
2.	सायमा एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाइटी, ग्राम महिपुरा, देहरादून रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	1.73 लाख रुपये	18.5.2005
3.	हिमालटो ग्रामोद्योग संस्थान, मिनी इण्डस्ट्रियल एरिया, भटवारी सेन, रूद्रप्रयाग, उत्तरांचल	1.63 लाख रुपये	14.6.2005
4.	करून्या इंस्टिट्यूट ऑफ टेकनॉलॉजी एंड साइंसेज, करून्या नगर, कोयम्बटूर	7.50 लाख रुपये	30.6.2005
5.	जनता ग्राम विकास संस्थान, सराय चावट, नागरा-बलिया, उत्तर प्रदेश	1,73,250/- रुपये	4.7.2005
6.	ज्यूडिशियल एजुकेशन एंड सोशल अपलिफ्ट सोसाइटी, जिला-डिंडीगुल, तमिलनाडु	1,96,600/- रुपये	12.7.2005
7.	उड़ीसा मीडिया सेन्टर, नयापल्ली, भुवनेश्वर	1,82,750/- रुपये	27.7.2005
8.	फैयरडील ग्रामोद्योग सेवा समिति, ग्राम और पोस्ट आ० बिशनपुर जिला बारांबकी, उत्तर प्रदेश	1,78,400/- रुपये	27.7.2005
9.	निर्मल ग्रामोद्योग सेवा निकेतन, ऐटा, उत्तर प्रदेश	1,81,000/- रुपये	8.8.2005
10.	बेटर इंस्टिट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एक्शन, कान्हीपुर जिला-गंजम, उड़ीसा	1,68,404/- रुपये	17.10.2005
11.	पीपुल्स एसोसिएशन फॉर टोटल हेल्प एंड यूथ एप्लॉज़, महेंद्रा पार्क, नई दिल्ली को विशाल खटगा, मन्दर, रांची, झारखण्ड में खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र के लिए	2,00,000/- रुपये	24.10.2005
12.	जाग्रति ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2,00,000/- रुपये	29.11.2005
13.	विकास भारती बिशनपुर, गुमला, झारखण्ड	2,00,000/- रुपये	14.12.2005
14.	अम्बोटा ग्रामोद्योग विकास संस्थान, ग्राम+पो० अम्बोटा, हिमाचल प्रदेश	1,98,680/- रुपये	29.12.2005
15.	नैय्याटिंकारा तालुक ट्रेडिशनल आयल वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लि०, तिरूवन्तपुरम, केरल	2,00,000/- रुपये	10.1.2006
16.	उड़ीसा मीडिया सेंटर, नयापल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा	1,00,000/- रुपये मूल पूंजी सहायता	18.1.2006
	जोड़	34,65,084/-	

कृषि-व्यवसाय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1595. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि व्यवसाय में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने हेतु सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) वर्तमान नीति के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वचल मार्ग (आटोमेटिक रूट) के तहत 100% तक विदेशी सीधा निवेश (एफ०डी०आई०) अनुमत है। एफ०डी०आई० कृषि पौध रोपण में अनुमत नहीं है जहां सरकार के पूर्व अनुमोदन से और प्रेस नोट 6 (2002 श्रृंखलाऐं) में विशेष रूप से उल्लिखित शर्तों की शर्त पर 100% तक एफ०डी०आई० अनुमत है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से

संबंधित नियंत्रित सीतियों के अधीन पुष्पकृषि, बागवानी, बीज विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, जल कृषि, सब्जियों की खेती, मशरूम हेतु स्वचल मार्ग पर 100% तक एफ०डी०आई० अनुमत है।

किसानों को संस्थागत समर्थन

1596. श्री अनंत कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों के सामने कई राज्यों में सहायता प्रदान करने हेतु सरकारी संस्थाओं सहित संस्थागत वित्तीय सहायता की विफलता के कारण कठिनाइयां आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन समस्याओं से निपटने में किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु किसी तंत्र के लिए क्या कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) सरकार का यह मत है कि लाभदायक क्रियाकलाप के रूप में कृषि की पूरी क्षमता को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त किया जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके। इस क्षमता तक पहुंचने में मदद करने वाले कारकों में अधिक किसानों की संस्थागत ऋण तक पहुंच तथा कृषि ऋण की उचित गुणवत्ता हैं। ऋण का प्रवाह बढ़ाने तथा ऋणग्रस्तता की समस्या के कारण किसानों की दयनीय दशा को सुधारने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 18.6.2004 को एक विशेष फार्म ऋण पैकेज घोषित किया। इस पैकेज में यह परिकल्पित है कि अगले तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र को ऋण दोगुना हो जाएगा। इस घोषणा की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

- कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह 30% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाना।
- वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को कृषि ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए सक्रिय करना।
- विशेष कृषि ऋण योजना के अधीन वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में कम से कम 100 नए किसानों का वित्तपोषण किया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप लगभग 50 लाख नए उधारकर्ता पंजीकृत होंगे।
- पौध रोपण तथा बागवानी, मात्स्यिकी, जैविक कृषि आदि से कम 2 से 3 नई निवेश परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।
- वर्तमान वर्ष के दौरान जिले में कम से कम 10 एग्रो-क्लिनिकों को वित्तपोषित करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को अधिक ऋण दिया जाना तथा इसकी प्रगति को मानिटर किया जाएगा।
- काश्तकारों तथा मौखिक पट्टेधारियों को ऋण प्रदान करना।
- ऋण को बट्टे खाते में डालने के बजाय ऋण की पुनः संरचना करना।
- इनके लिए ऋण राहत उपाय
  - > विपदाग्रस्त किसान
  - > बकायदार किसान
  - > छोटे और सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान
  - > गैर-संस्थागत उधारदाताओं के लिए गए पिछले ऋणों से उन्मोचन हेतु किसानों को ऋण।
- किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में संशोधन तथा वित्त के पैमाने को पुनः तैयार करना और इनका किसानों की वास्तविक जरूरतों, विशेषकर पूंजी गहन कृषि प्रचालनों, को पूरा करने के लिए पुनः समंजन करना।
- कृषि, कृषि-प्रसंस्करण और कृषि-जैव प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी उन्नयन का संवर्धन करने के लिए विशेष पैकेज।
- काश्तकारों और मौखिक पट्टेधारियों के स्व-सहायता समूहों के गठन तथा वित्तपोषण को सुकर बनाना ताकि इस वर्ग के किसानों को ऋण प्रदान किया जा सके।

भारत सरकार ने अगस्त, 2004 में सहकारी ऋण संरचना के पुनरूद्धार के लिए उपाय सुझाने हेतु प्रोफेसर ए० वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया। कार्य बल ने फरवरी, 2005 में लघु आवधिक सहकारी ऋण संरचना संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्य बल द्वारा की गई सिफारिशों तथा इन सिफारिशों पर राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ आगे और विचार-विमर्श के आधार पर लघु आवधिक सहकारी ऋण संरचना के पुनरूद्धार के लिए एक पैकेज, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय सहायता का प्रावधान है, को सरकार द्वारा दिसंबर, 2005 में अनुमोदित कर दिया गया है। सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से सहकारी ऋण संरचना के पुनरूद्धार हेतु पैकेज के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम से खरीद संबंधी कार्य वापस लेना

1597. श्री सीताराम सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न खरीद संबंधी कार्य वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्नों की खरीद तथा वितरण हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है;

(ग) इससे बिहार जैसे दुर्गम और अपर्याप्त खाद्यान्न वाले राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु खाद्यान्नों की आपूर्ति में क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) ऐसे राज्यों में खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फसल कृषि उत्पादन हेतु योजना

1598. श्री किसनभाई वी० पटेल :
श्री अनन्त नायक :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में फसल कृषि उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) भारत सरकार देश में शुष्क भूमि क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए शुष्क भूमि कृषि प्रणाली की सततता बढ़ाने के संबंध में एक नई स्कीम पर विचार कर रही है। इसके साथ ही फसलोत्पादन बढ़ाने के लिए कई स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं। सभी स्कीमों का मुख्य अभिबल गुणवत्ताप्रद आदानों के संवर्द्धन तथा उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों द्वारा फसलोत्पादन बढ़ाने पर है।

कपास उत्पादन

1599. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वैश्विक कपास उत्पादन में तेजी के कारण कपास के मूल्यों में काफी गिरावट आई है और गत वर्ष के मूल्यों में कम से कम 33 प्रतिशत से अधिक गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो किसानों द्वारा देश के कपास उत्पादकों के हितों को ध्यान रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उन्हें कपास को औने-पौने दाम पर बेचने से बचाया जा सके;

(ग) क्या व्यापारी कपास की खुले बाजार में मौजूदा स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) वर्ष 2004-05 के दौरान, विभिन्न किस्मों की कपास के मूल्य पूरे विश्व में कम रहे थे और घरेलू मंडी में भी मूल्य 7% और 35% के बीच कम रहे। वर्ष 2004-05 के दौरान 26.30 मिलियन मिट्रिक टन की तुलना में विश्व कपास उत्पादन वर्ष 2005-06 हेतु 25.15 मिलियन मिट्रिक टन का अनुमान लगाया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% की कमी रही है। कपास परामर्शी बोर्ड द्वारा वर्ष 2004-05 में 243.00 लाख गांठों की तुलना में वर्तमान कपास मौसम अर्थात 2005-06 में घरेलू कपास उत्पादन 242.50 लाख गांठें होने का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान कपास मौसम अर्थात 2005-06 के दौरान, मौसम के शुरू में हालांकि कपास मूल्य पिछले वर्ष अर्थात 2004-05 की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम थे, मिल क्षेत्र से लगातार मांग और मण्डी व्यवहार के कारण, मूल्य स्थिर रहे।

(ख) से (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान अपने कपास उत्पाद के लाभकारी मूल्य प्राप्त करें, भारत सरकार कपास की मूल दो किस्मों अर्थात एफ०एक्यू० की एफ-414/एच-777/जे-34 व एच 4 के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) निर्धारित करती है। इसके पश्चात, इन दो मूल किस्मों हेतु समर्थन मूल्यों के आधार पर और गुणवत्ता विशिष्ट, सामान्य मूल्य विशिष्ट तथा अन्य प्रासंगिक घटकों को ध्यान में रखते हुए एफ०एक्यू० की कपास की अन्य फसलों हेतु समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। किसानों द्वारा विपत्ति में की जाने वाली बिक्री से बचने के लिए सरकार कपास के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की स्थिति में भारतीय कपास निगम (सी०सी०आई०) तथा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नैफेड) के माध्यम से कपास के मूल्य समर्थन प्रचालन कार्य करती है। किसानों की मदद करने के लिए, भारतीय कपास निगम (सी०सी०आई०) एफ०एक्यू० और इससे नीचे की श्रेणी की कपास की तीन चरणों तक खरीद करती रही है। सी०सी०आई० द्वारा कपास की सभी खरीदारियां केवल अधिसूचित मंडी यार्डों से कृषि उत्पाद मंडी समिति (ए०पी०एम०सी०) की उपस्थिति में की जाती है।

वर्ष 2004-05 के दौरान एम०एस०पी० के अधीन सी०सी०आई० द्वारा 27.51 लाख गांठों (प्रत्येक 170 किग्रा०) की मात्रा की खरीद की गई थी। वर्ष 2005-06 के दौरान 28 फरवरी, 2006 तक सी०सी०आई० ने कपास की 10.40 लाख गांठों की अधिप्राप्ति की। नैफेड ने वर्ष 2004-05 के दौरान 0.395 लाख गांठों और 2005-06 में 8.2.2006 तक 7497 गांठों की अधिप्राप्ति की।

अंतर्देशीय मत्स्यपालन में सुनामी के बाद आए परिवर्तन संबंधी अनुसंधान

1600. डा० के०एस० मनोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्यरत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अंतर्देशीय मत्स्यपालन अनुसंधान इकाइयों के स्थानों सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक इकाई द्वारा अंतर्देशीय जल का राज्यवार कितना क्षेत्र कवर किया गया है;

(ग) क्या आई०सी०ए०आर० के केन्द्रीय अंतर्देशीय अनुसंधान संस्थान (सी०आई०एफ०आर०आई०) ने सुनामी के कारण आए पारिस्थितिकीय, पर्यावरणीय और अंतर्देशीय मत्स्यपालन के संबंध में आए परिवर्तनों पर कोई अनुसंधान कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है;

(च) क्या केरल स्थित सी०आई०एफ०आर०आई० इकाई को बेंगलूर में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कान्तिलाल भूरिया) : (क) केन्द्रीय अंत:स्थलीय मछली अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक घटक है जिसे अन्त:स्थलीय मात्स्यिकी में अनुसंधान कार्य करने का कार्य सौंपा गया है जिसमें इसके क्षेत्रीय केन्द्र भी शामिल हैं जैसे इलाहाबाद (उ० प्र०), बंगलौर (कर्नाटक), गुवाहाटी (असम) तथा वडोदरा (गुजरात) तथा फील्ड केन्द्रों में करनाल (हरियाणा), कोयम्बटूर (तमिलनाडु) एवं एलप्पुझा (केरल)।

(ख) इस संस्थान में अन्त:स्थलीय जल के क्षेत्र हैं जिसमें नदियां, मुहाने, जलाशय तथा झीलें शामिल हैं। मुख्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्रों में उन राज्यों तथा निकटवर्ती राज्यों की अन्त:स्थलीय मात्स्यिकी शामिल है जहां वे स्थित हैं।

(ग) हालांकि केरल राज्य के अन्त:स्थलीय मात्स्यिकी पर सुनामी का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ था फिर भी, केन्द्रीय अन्त:स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने कयामकुलम झील की जल गुणवत्ता पर कुछ टिप्पणियां की हैं।

(घ) 2005 के शुरू में कयाकुलम झील में जल की लवणीयता तथा चालकता में न्यूनतम बढ़ोतरी के सिवाग पारिस्थितिकी अथवा मात्स्यिकी में कोई अन्य प्रमुख परिवर्तन नहीं पाया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, हां।

(छ) एलाप्पुझा केन्द्र को सौंपा गया वेमबनद तथा कयामकुलम पर अनुसंधान कार्य पूरा कर लिया गया है। केन्द्रीय अन्त:स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर की 20.6.2003 को दसवीं योजना के प्रस्तावों पर विचार करते हुए व्यय वित्त समिति ने ठोस अनुसंधान तथा विकास प्रयत्नों को ध्यान में रखकर सी०आई०एफ०आर०आई० के एलाप्पुझा अनुसंधान केन्द्र को सी०आई०एफ०आर०आई० के बंगलौर अनुसंधान केन्द्र के साथ विलय करने तथा हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। केन्द्र के हस्तांतरण/विलय के ऐसे निर्णय लेने के अन्य कारण ये हैं—मौजूदा अनुसंधान संबद्धता, वैज्ञानिकों एवं सहयोगी मानव शक्ति का उपयुक्त उपयोग, अनुसंधान प्रयत्नों की पुनरावृत्ति से बचना एवं नीतिगत एवं व्यावहारिक अनुसंधान के लिए पता लगाए गये केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण।

वर्षा जल संचयन हेतु योजना

1601. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में प्रत्येक उस किसान के लिए वर्षा जल संचयन योजना लागू करने और अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है जिनके पास अपनी भूमि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु कोई सहायता प्रदान की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई

1602. श्री धनुषकोडी आर० अतिथन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के सिंचाई की अन्य प्रणालियों की तुलना में क्या लाभ हैं;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार सिंचाई की उक्त प्रणाली के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितना भू-क्षेत्र है; और

(ग) उक्त प्रणाली का विस्तार अन्य राज्यों तक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाईयों के लाभ प्रमुखतया जल की बचत और फसल उत्पादकता में वृद्धि के रूप में प्राप्त होते हैं। पारम्परिक विधि की तुलना में मिलने वाले लाभों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त प्रणाली के तहत शामिल भूमि का कुल क्षेत्र 2.3 मिलियन हैक्टे है। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) सरकार ने 10वीं योजना के दौरान ''सूक्ष्म सिंचाई'' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है और यह सक्षम राज्यों के किसानों को कृषक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के साथ-साथ ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली के क्रियान्वयन के लिये सहायता प्रदान कर रही है।

विवरण-I

सिंचाई की पारम्परिक विधियों की तुलना में ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई से प्राप्त होने वाले लाभ

निष्पादन सूचक	सिंचाई की पारम्परिक विधियां (फ्लड, नालिया, बेसिन, बार्डर)	स्प्रिंकलर सिंचाई	ड्रिप सिंचाई
1	2	3	4
जल की बचत	अधिक जल की बरबादी, अपवाह वाष्पीकरण और रिसाव के कारण जल की हानि।	30-35% जल की बचत पारम्परिक सिंचाई की विधियों की तुलना में होती है। अपवाह तथा गहराई में रिसाव की हानि शून्य या नगण्य है।	40-80% जल की बचत पारम्परिक सिंचाई की विधियों की तुलना में होती है। अपवाह तथा गहराई में रिसाव की हानि शून्य या नगण्य है।
जल प्रयोग की क्षमता	25-30% क्योंकि हानि बहुत अधिक होती है।	50-65%	80-95%
श्रम में बचत	सिंचाई के लिए लगाया गया श्रम अधिक है।	प्रणाली के प्रचालन तथा आवधिक देखभाल के लिए श्रम की आवश्यकता होती है।	प्रणाली के प्रचालन तथा आवधिक देखभाल के लिये श्रम की आवश्यकता होती है।
खरपतवार की गहनता में कमी	खरपतवार अधिक पैदा होते हैं।	खरपतवार होते हैं।	खरपतवार लगभग शून्य होते हैं।
लवणीय जल का उपयोग	लवण की सान्द्रता बढ़ जाती है और यह पादप वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। सिंचाई के लिये लवणीय जल का प्रयोग किया जा सकता है।	बार-बार सिंचाई से जड़ के समीप मृदा में लवण की सान्द्रता नुकसानदायक स्तर से नीचे बनी रहती है।	खारे जल का उपयोग किया जा सकता है।
रोग व कीट की समस्या	उच्च	कम वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण अपेक्षाकृत कम	कम वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण अपेक्षाकृत कम
विभिन्न मृदा प्रकारों में उपयुक्तता	सीमित मृदा गहराई के साथ तथा गहरा रिसाव हल्की मृदा में अधिक होता है।	सभी प्रकार की मृदा के लिये उपर्युक्त क्योंकि बहाव की दर नियंत्रित की जा सकती है।	पहाड़ी तथा ऊचे नीचे क्षेत्रों के लिये उपयुक्त

1	2	3	4
जल नियंत्रण	अपर्याप्त	फ्लड से बेहतर	अनुकूलतम
उर्वरक उपयोग की क्षमता	अपवाह और लीचिग के कारण अधिक हानि होने की वजह से प्रभावित) कम होती है।	जल के अपवाह और लीचिंग के जरिये पोषक तत्वों की कम हानि के कारण बेहतर है।	अपवाह जल और पोषक तत्वों की हानि में कमी के कारण बहुत उच्च।
मृदा अपरदन	सिंचाई के लिये उपयोग में लाये जाने वाले बड़ी धाराओं के कारण मृदा अपरदन अधिक होता है।	धीमी प्रयोग की दर से मृदा अपरदन की सम्भावना का उन्मूलन होता है।	मृदा सतह के आंशिक रूप से नम होने और धीमी प्रयोग की दर से मृदा अपरदन की सम्भावना का उन्मूलन होता है।
फसल उपज में वृद्धि	उपलब्ध नमी में असमानता से उपज में कमी आती है।	सिंचाई की पारम्परिक विधियों की तुलना में बार-बार पानी देने से नमी के दबाव का समाधान होता है और उपज में 15-60% की वृद्धि होती है।	सिंचाई की पारम्परिक विधियों की तुलना में बार-बार पानी देने से नमी के दबाव का समाधान होता है और उपज में 20-100% की वृद्धि होती है।

विवरण-II

31.3.2005 की स्थिति के अनुसार ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई के तहत आवंटित क्षेत्र का राज्यवार बयौरा

(क्षेत्र है. में)

क्र० सं०	राज्य	ड्रिप सिंचाई	स्प्रिंकलर	योग
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	4219	503862	508081
2.	राजस्थान	10025	460529	470554
3.	महाराष्ट्र	219696	117320	337016
4.	कर्नाटक	114304	157028	271332
5.	आंध्र प्रदेश	111407	84490	195897
6.	पश्चिम बंगाल	110	150020	150130
7.	तमिलनाडु	116665	26332	142997
8.	मध्य प्रदेश	6483	100000	106483
9.	गुजरात	16686	36333	53019
10.	उड़ीसा	2036	20220	22256
11.	उत्तर प्रदेश	4609	10000	14609
12.	पंजाब	4262	10000	14262
13.	केरल	10559	1529	12088
14.	सिक्किम	80	10030	10110
15.	छत्तीसगढ़	1979	3765	5744
16.	नागालैंड	0	3962	3962
17.	गोवा	741	296	1037
18.	हिमाचल प्रदेश	116	581	697
19.	अरूणाचल प्रदेश	613	0	613
20.	असम	58	129	187
21.	मिजोरम	72	106	178
22.	उत्तरांचल	38	6	44
23.	मणिपुर	30	0	30
	योग	624786	1696538	2321326

विशाखापत्तनम 'इस्पात' संयंत्र का 'उत्पादन/लाभ'

1603. श्री ई०जी० सुगावनम : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी०एस०पी०) का वास्तविक उत्पादन, बिक्री और लाभ कितना है;

(ख) क्या वी०एस०पी० के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) वी०एस०पी० के विस्तार हेतु कितनी धनराशि के निवेश का प्रस्ताव है; और

(घ) विस्तार कार्यक्रम कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का उत्पादन, बिक्री तथा लाभ निम्नानुसार हैं :—

मद	2002-03	2003-04	2004-05
तप्त धातु (हजार टन)	3942	4055	3920
द्रव इस्पात (हजार टन)	3357	3508	3560
विक्रेय इस्पात (हजार टन)	3056	3169	3173
बिक्री/कारोबार (करोड़ रुपए)	5059	6169	8181
निवल लाभ (करोड़ रुपए)	521	1547	2008

(ख) से (घ) दिनांक 28 अक्तूबर, 2005 को सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (आर०आई०एन०एल०), विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी०एस०पी०) की 8692 करोड़ रुपए (आधार जून, 2005 के मूल्य की संशोधित अनुमानित लागत से इसकी द्रव इस्पात क्षमता को 3 मिलियन टन वार्षिक से बढ़ाकर 6.3 मिलियन टन वार्षिक करने के लिए संबंधी विस्तार योजना को अनुमोदित कर दिया है। सम्पूर्ण विस्तार योजना अक्तूबर, 2009 तक पूरी किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

बांधों/सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण

1604. श्री गणेश सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों के संबंध में सिंचाई परियोजनाओं और बांधों के निर्माण हेतु कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) मध्य प्रदेश के सिंचाई परियोजना और वन भूमि पर बांध निर्माण के तीन प्रस्तावों पर इस समय कार्रवाई की जा रही है। दो प्रस्ताव राज्य सरकार के पास अतिरिक्त सूचना की अपेक्षा में लंबित है और एक प्रस्ताव मंत्रालय में जांच के विभिन्न चरणों में है।

(ख) चूंकि विकास प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है और देश के विकास में सहयोग की परियोजनाओं के लिए वन भूमि की आवश्यकता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उपबंधों के अंतर्गत विचारार्थ राज्य/संघ शासित क्षेत्रों से निरंतर प्रस्ताव प्राप्त करता है। अत: हर समय कुछ परियोजनाएं विचारार्थ विभिन्न चरणों में पड़ी होती है। यद्यपि केन्द्र सरकार ने वनभूमि के वनेतर प्रयोग के प्रस्तावों की जांच, विचार और निर्णय लेने के लिए अपने लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की है।

[अनुवाद]

न्यूनतम मजदूरी-अधिनियम, 1948 में संशोधन

1605. प्रो० एम० रामदास : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के लिए व्यापक कानून लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लौह अयस्क कंपनियां

1606. श्री जी० करूणाकर रेड्डी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खनिजों के उत्खनन के कार्य में राज्य-वार कौन-कौन से संयंत्र/लौह अयस्क कंपनियां लगी हैं; और

(ख) इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की इकाइयों का कितना हिस्सा है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान 270 खानों ने लौह अयस्क के उत्पादन की सूचना दी। भारत में वर्ष 2004-05 के दौरान लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादकों की सूची तथा खानों की स्थान-स्थिति (राज्य/ज़िला) सहित संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान लौह अयस्क के उत्पादन की सूचना देने वाली 270 खानों में से 43 खानें सरकारी क्षेत्र में थीं।

विवरण

भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक, 2004-05

(प्रश्न संख्या-1606, दिनांक 06.3.2006)

उत्पादकों का नाम और पता	खानों की स्थान-स्थिति	
	राज्य	जिला
1	2	3
नेशनल मिनरल डवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० खनिज भवन, मासाब टैंक, हैदराबाद-28	कर्नाटक छत्तीसगढ़	बेल्लारी दांतेवाड़ा
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-3	झारखंड कर्नाटक छत्तीसगढ़ उड़ीसा	सिंहभूम (पश्चिम) चिकमंगलूर दुर्ग क्योंझर सुंदरगढ़
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि० 24, होमी मोदी स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400002	झारखंड उड़ीसा	सिंहभूम (पश्चिम) क्योंझर
मैसर्स एस०एल० माइनिग एंड इंडस्ट्रीज लि०, 10 कैमके स्ट्रीट कोलकाता-700017	उड़ीसा	क्योंझर सुंदरगढ़
कुद्रेमुख आयरन ओर कं०लि०, II ब्लॉक, कोरमंगला, बंगलौर-34	कर्नाटक	चिकमंगलूर
मैसर्स सुन्दरलाल सारदा एंड मोहन लाल सारदा, पी०बी० नं० 85, पोस्ट आफिस बचील, क्योंझर, उड़ीसा	उड़ीसा	क्योंझर
मैसर्स रुंगटा माइन्स प्रा० लि०, 206, ए०सी० बोस रोड, कोलकाता-17	झारखंड उड़ीसा	सिंहभूम (पश्चिम) क्योंझर
द उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लि०, पी०बी० नं० 34, भुवनेश्वर	उड़ीसा	क्योंझर सुंदरगढ़
मैसर्स सेसा गोवा लि०, पंणजी, गोवा	गोवा	नॉर्थ गोवा साउथ गोवा
मैसर्स मैसूर मिनरल्स लि०, एम०जी० रोड, बंगलौर-1	कर्नाटक	बेल्लारी

1	2	3
मैसर्स डैम्पो माइनिंग कारपोरेशन लि०, डैम्पो हाउस, पंणजी, गोवा-1	गोवा	नॉर्थ गोवा
मैसर्स, वी०एम० सालगावकर एंड बरो प्रा०लि०, पी०बी० नं०, 14, वास्को-डी-गामा, गोवा-3	गोवा	नॉर्थ गोवा साउथ गोवा
मैसर्स भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि०. एफ०डी० 350, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-16	उड़ीसा	क्योंझर
मैसर्स लक्ष्मीनारायण माइनिंग कंपनी, नं० 33, सनिधि रोड, बासावंगडी, बंगलौर-4, कर्नाटक	कर्नाटक	बेल्लारी
मैसर्स चौगुले एंड कं० लि०, चौगुले हाउस, मरमागोवा हारबर, गोवा-403 803, वास्को-डी-गामा-3	गोवा कर्नाटक	नॉथ गोवा साउथ गोवा बेल्लारी
इंडियन आयरन एंड स्टील कं० लि०, इस्को हाउस, 50, चौरंगी रोड, कोलकाता पश्चिम बंगाल	पश्चिम झारखंड	सिंहभूम
मैसर्स मिनरल्स सेल्स प्रा०लि०, वेलकम को-आपरेटिव कालोनी, हास्पेट, पी०ओ० बरेली-583203	कर्नाटक	बेल्लारी
मैसर्स वी०एस० लाड एंड सन्स, प्रशान्त नीवा, कृष्णा नगर, सन्दूर, कर्नाटक	कर्नाटक	बेल्लारी
जिन्दल स्टील एंड पावर लि०, पी०बी० नं० 6, दिल्ली रोड, हिसार-पी-125005 जिला, हिसार, हरियाणा	उड़ीसा	सुंदरगढ़
ओबूलापुरम माइनिंग कंपनी (पी) लि०, एनोबल हाउस, राघवचारी रोड, बेल्लारी, पी०ओ० बेल्लारी-583 101, कर्नाटक	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर
मैसर्स कोस्मे कोस्टा एंड सन्स, होथूर ट्रेडर्स, माइन ओनर एंड एक्सपोर्टर्स, के०एच०बी० कालोनी, संदूर, पी-583119, बेल्लारी, कर्नाटक	गोवा कर्नाटक	नॉर्थ गोवा बेल्लारी

1	2	3
होथूर ट्रेडर्स, माइन ओनर एंड एक्सपोर्टर्स, के०एच०बी० कालोनी, संदूर, पी-583119, बेल्लारी, कर्नाटक	कर्नाटक	बेल्लारी
आर०एस० सेटी एंड ब्रदर्स, त्रिनोरा अपार्टमेंटस, 14, पहली मंजिल, म्यूनिसिपल बाजार में, पोस्ट पणजी-403001	गोवा	नॉर्थ गोवा
मैसर्स उड़ीसा मिनरल डवलपमेंट कं०लि०, एफ०डी०-350, सेक्टर III, साल्टलेक सिटी, कोलकाता-6	उड़ीसा	क्योंझर
वीडी चौगुले, चौगुले हाउस, मारूम गोवा हार्बर, पोस्ट-मारूमगोवा-403 003	गोवा	साउथ गोवा नॉर्थ गोवा
सिराजुद्दीन एंड कंपनी, पी-16, बेंटिक स्ट्रीट, कोलकाता-700069, पश्चिम बंगाल	उड़ीसा	क्योंझर
श्री कुमार स्वामी मिनरल्स एक्सपोर्टर्स नं० 54 III मेन शाकू नर्सिंगहोम के पीछे, परवस्ता नगर, पी० बेल्लारी-583 103, कर्नाटक	कर्नाटक	बेल्लारी
डोडानवार ब्रदर्स, फोर्ट पी०बी० रोड के पास पी० बेलगाम-590016, कर्नाटक	कर्नाटक	बेल्लारी
सेंडर मैंगनीज एंड आयरन ओर लि०, देवगिरी, संदूर, देवगिरी-583112 बेल्लीरी, कर्नाटक	कर्नाटक	बेल्लारी
एस०बी० मिनरल्स पी०बी० नं० 56, के०आर० रोड, हॉस्पेट	कर्नाटक	बेल्लारी
मैसर्स के०पी० एंटरप्राइज, पीबी नं० 3, पी०ओ० बारबिल-758035, क्योंझर (उड़ीसा)	उड़ीसा	क्योंझर
स्कैलीडेड टिब्लो इनर्मोस लि० पीबी नं० 34, कादर मंजिल, मारगोवा मारगोवा-403601	गोवा	नॉर्थ गोवा साउथ गोवा
कारीगौर मिनरल माइनिंग इंडस्ट्रीज, एमबीटा कॉम्प्लैक्स, बेल्लारी रोड, पी० होस्पेट-583201, बेल्लारी, कर्नाटक	कर्नाटक	बेल्लारी
वीरभद्रप्पा संगप्पा एंड कंपनी, माइन ऑनर, नं० 138 II वार्ड, पी० संदूर-583119 बेल्लारी, कर्नाटक	कर्नाटक	बेल्लारी

गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे वाली श्रेणियां निर्धारित करने हेतु मानदंड

1607. **श्री हितेन बर्मन :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर वाली श्रेणियों का निर्धारण करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवारों को राजसहायता प्राप्त राशन और चीनी न देने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में केवल वास्तविक रूप से गरीब और समाज के कमजोर वर्गों जैसे भूमि हीन कृषि मजदूर, छोटे किसान तथा ग्रामीण क्षेत्र में कुम्हार, टेपर्स, बुनकर, लोहार, बढ़ई आदि जैसे ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार आदि और शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग तथा असंगठित क्षेत्र में दिहाड़ी आधार पर जीविका कमाने वाले व्यक्तियों जैसे कुम्हार, रिक्शा चालक, ठेला चालक, पटरी पर फल तथा फूल बेचने वाले आदि को इसमें शामिल करने का प्रावधान किया गया है। पात्र परिवारों की पहचान करने में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे के अलावा परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराए जाते हैं। तथापि, उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपीय क्षेत्रों को छोड़कर उन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लेवी चीनी उपलब्ध नहीं कराई जाती है ताकि राजसहायता को गरीबों की ओर बेहतर रूप से लक्षित किया जा सके।

[हिन्दी]

बीड़ी कामगारों हेतु अस्पताल

1608. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीड़ी कामगारों हेतु 30 बिस्तर वाले अस्पताल को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त अस्पताल की स्थिति क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) जी, हां।

(ख) अस्पताल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और बिजली संबंधी कार्य प्रगति पर है। अस्पताल के शुरू होने पर इस क्षेत्र के बीड़ी कामगारों एवं उनके परिवार के सदस्यों को सामान्य स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं प्रदान की जा सकेगी।

[अनुवाद]

कृषि योग्य भूमि

1609. श्री रघुनाथ झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 320 मिलियन हेक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र की केवल 181 मिलियन हैक्टेयर भूमि कृषि योग्य है;

(ख) यदि हां, तो कम भूमि पर खेती करने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान ऐसी कितनी भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया गया है जिस पर खेती नहीं की जाती थी और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) वर्ष 2002-03 के दौरान देश में 328.73 मिलियन हैक्टेयर कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 182.92 मिलियन हैक्टे० क्षेत्र खेती के योग्य है। कृषि योग्य भूमि में 132.86 मिलियन हैक्टे० सकल बुवाई क्षेत्र, 21.53 मिलियन हैक्टे० वर्तमान परती भूमि, वर्तमान परती भूमि को छोड़कर 11.68 मिलियन हैक्टे० अन्य परती भूमि, 13.49 मिलियन हैक्टे० संवर्द्धन योग्य बेकार भूमि तथा विविध वृक्ष फसलों व झाड़ियों के तहत 3.36 मिलियन हैक्टे० भूमि शामिल है।

विगत 5 वर्षों में कृषि भूमि में थोड़ी सी कमी आई है जो 1998-99 में 183.63 मिलियन हैक्टे० से घटकर 2002-03 में 182.92 मिलियन हैक्टेयर रह गई है। इसी अवधि के दौरान गैर-कृषि उपयोगों के तहत भूमि 22.80 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 24.25 मिलियन हैक्टे० हो गई है जो यह प्रदर्शित करता है कि गैर-कृषि भूमि में अधिकांश वृद्धि अकृष्य भूमि/निम्नीकृत भूमि का विकास करके हासिल की गई है।

भारत सरकार उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिये निम्नीकृत भूमियों के विकास हेतु विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों के तहत विगत 6 वर्षों (2000-01 से 2004-05) के दौरान 4952.26 करोड़ रुपये का व्यय करते हुये। 1.81 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया है। जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(भौतिक लाख हैक्टेयर में और वित्तीय करोड़ रु० में)

क्र० सं०	कार्यक्रम	उपलब्धियां	
		भौतिक	वित्तीय
1.	वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	19.69	883.25
2.	क्षारीय मृदा का सुधार	0.95	69.44
3.	नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण स्कीम	9.84	597.57
4.	झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना	3.11	93.47
5.	समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम	43.61	1164.00
6.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	64.93	1244.72
7.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम	38.91	899.81
	कुल	181.04	4952.26

फॉरवर्ड मार्केट कमीशन

1610. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ने कतिपय वस्तुओं के लिए विनियामक उपायों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन वस्तुओं के क्या नाम हैं जिनके लिए परिवर्तन किए गए हैं;

(घ) क्या कमीशन ने चूककर्ता भागीदारों से एकत्र दण्ड राशि से निवेशक संरक्षण निधि भी स्थापित की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके उद्देश्य और लाभ क्या हैं; और

(च) ये कदम निवेशकों को किस हद तक सुरक्षा प्रदान करेंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां। वायदा बाजार आयोग ने नेशनल एक्सचेंजों अर्थात नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई; दि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई तथा नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, अहमदाबाद में विनियामक उपायों/संविदा डिजाइनों में निम्नलिखित परिवर्तन के निर्देश दिए हैं :—

(i) संविदा की समाप्ति की नजदीकी अवधि के दौरान चना, तूर, उड़द, ग्वार के बीज, ग्वार की गोंद, मेंथा ऑयल तथा चीनी जैसी संवेदनशील वस्तुओं पर खुली स्थिति की सीमा में कमी।

(ii) यह निर्धारित करना कि संविदा के परिपक्व होने से कम से कम पांच दिन पूर्व सुपुर्दगी नोटिस जारी किए जाएं।

(iii) संविदा के परिपक्व होने की तारीख से पांच दिन पूर्व नवीन खुली स्थिति के ऐसे अधिग्रहण की अनुमति न देना जो विक्रेता को सुपुर्दगी देने हेतु विकल्प उपलब्ध कराता हो।

(iv) संविदा के परिपक्व होने की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व एक्सचेंजों के प्रत्यायित गोदामों में पड़े सुपुर्दगी योग्य स्टॉक संबंधी सूचना को दैनिक आधार पर व्यापक स्तर पर प्रचारित करना।

(v) मुख्य सुपुर्दगी केंद्र से 300 किलोमीटर की परिधि के बाहर अतिरिक्त सुपुर्दगी केंद्र न खोलना।

(vi) एक्सचेंजों को हितों के टकराव को समाप्त करने तथा एक प्रतिनिधि स्पॉट दर पर पहुंचने में सक्षम बनाने हेतु एक्सचेंज भागीदारों द्वारा पोल किए गए मूल्यों की मासिक आधार पर समीक्षा करेंगे ताकि उन भागीदारों का पता लगाया जा सके जो आदतन अवास्तविक मूल्यों की पोलिंग करते हैं। एक्सचेंजों को सलाह दी गई है कि यदि एक्सचेंज/एजेंसियों द्वारा समुचित तौर पर बताए जाने के बावजूद अवास्तविक मूल्यों की पोलिंग की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, तो वे अपने पैनल से ऐसी पोलिंग करने वाले भागीदारों के नाम हटा दें।

(vii) एक्सचेंजों द्वारा नियत किए गए स्पाट मूल्य की प्रमाणिकता तथा प्रतिनिधिकता में सुधार हेतु एक्सचेंजों को परामर्श दिया गया है कि वे संविदा के अंतिम 15 दिनों के दौरान स्पॉट मूल्य नियत करने हेतु वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले नमूने के आकार को दोगुना कर दें। ऐसे प्रतिनिधिक स्पॉट मूल्य के प्रसार से भागीदारों को भावी सौदा बाजार में वास्तविक मूल्य पर बोली लगाने और पेशकश करने में सुविधा होगी।

(viii) एक्सचेंज विभिन्न सुपुर्दगी केंद्रों के मूल्यों और विभिन्न सुपुर्दगी केंद्रों में स्पॉट मूल्यों के सामान्य उतार-चढ़ाव के आधार पर स्पॉट मूल्य तय करने के लिए फार्मूला अथवा प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करें। जहां भी एक्सचेंज द्वारा स्पॉट मूल्यों का निर्धारण ऐसी एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स कराया जा रहा हो, वहां इन फार्मूलों/प्रक्रियाओं को एक्सचेंजों द्वारा बाह्य एजेंसियों को भेजा जाएगा।

(ग) उपर्युक्त उपाय चना, तूर, उड़द, ग्वार के बीज, ग्वार की गोंद, मेंथा ऑयल तथा चीनी पर लागू होंगे।

(घ) और (ङ) वायदा बाजार आयोग ने नेशनल एक्सचेंजों को निवेशक संरक्षण निधि की स्थापना करने का निदेश दिया है। चूककर्ता भागीदारों से एकत्र किए गए दण्ड की राशि इस निधि में जमा की जाएगी। वायदा बाजार आयोग ने एक्सचेंजों से उस देनदारी का पूर्व निर्धारण करने को कहा है जिसे निवेशक संरक्षण निधि से पूरा किया जा सकता है। निवेशक संरक्षण निधि बनाने का उद्देश्य अपने सदस्यों की चूक से ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करना है।

(च) वायदा बाजार आयोग द्वारा उठाए गए उपर्युक्त कदम निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने तथा बाजार की सम्पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त हैं।

[हिन्दी]

औद्योगिक इकाइयों में दुर्घटनाएं

1611. श्री ब्रजेश पाठक : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक देश में औद्योगिक इकाइयों में हुई प्रमुख दुर्घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें मारे गए अथवा घायल कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार की औद्योगिक इकाइयों में ऐसी दुर्घटनाएं रोकने में कोई भूमिका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) कारखाना अधिनियम, 1948 के दायरे में आने वाले कारखानों में पिछले तीन वर्षों में हुई घातक और गैर-घातक चोटों के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कारखानों में नियोजित कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम का प्रवर्त्तन संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के अपने-अपने कारखाना निरीक्षणालयों के माध्यम से कराया जाता है जिन्हें कारखानों का निरीक्षण कराने का अधिकार प्राप्त है कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान (डी०जी० फासली) एक सलाहकार निकाय है और इसलिए वे कारखानों का कोई निरीक्षण नहीं करते हैं। तथापि, यह राज्य सरकारों के निरीक्षकों और उद्योगों के पर्यवेक्षकों/प्रबंधन के लिए औद्योगिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन करता है।

विवरण

कारखानों में राज्य-वार घातक और गैर-घातक चोट (अ)

राज्य	2003		2004		2005	
	घातक चोट	गैर-घातक चोटें	घातक चोट	गैर-घातक चोटें	घातक चोट	गैर-घातक चोटें
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	21	0	0	0	23
आंध्र प्रदेश	98	1801	90	2258	134	1626
असम	6	153	12	66	5	49
बिहार	6	244	6	258	4	130
चंडीगढ़	0	11	0	0	1	1
छत्तीसगढ़	35	1607	48	575	73	582
दमन और दीव और नागर हवेली	6	25	2	28	5	15
गोवा	3	142	12	154	15	187
गुजरात	229	7664	230	7300	200	5574
हरियाणा	25	156	64	134	38	234
हिमाचल प्रदेश	1	16	3	13	3	12
जम्मू और कश्मीर	0	50	1	121	1	125
झारखंड	14	183	21	197	—	—
कर्नाटक	50	1960	48	1403	34	1259
केरल	18	393	10	254	18	377
मध्य प्रदेश	29	1508	34	1338	36	1281
महाराष्ट्र	156	5913	153	5276	173	4137
मणिपुर	—	—	0	0	—	—
मेघालय	—	—	0	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6	1	5	14	17	33
नागालैण्ड	–	–	0	0	–	–
उड़ीसा	49	651	40	654	37	534
पांडिचेरी	5	539	6	352	–	–
पंजाब	7	397	7	698	61	148
राजस्थान	58	1690	52	1234	46	1258
तमिलनाडु	43	1908	53	1846	57	1565
त्रिपुरा	1	3	0	3	2	3
उत्तर प्रदेश	67	329	59	277	77	259
उत्तरांचल	8	48	12	38	10	55
पश्चिम बंगाल	57	30649	63	31675	64	28288
कुल	977	58062	1031	56167	1111	47755

टिप्पणी : अरूणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम और सिक्किम में अभी कारखाना अधिनियम, 1948 लागू किया जाना है। कोई पंजीकृत कारखाना नहीं।

अ: अनन्तिम . . उपलब्ध नहीं।

गाय के दुग्ध का उत्पादन

1612. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री जीवाभाई ए० पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाय के दुग्ध के उत्पादन में प्रति वर्ष कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/प्रस्तावित है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले वर्षों में गाय के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। विगत पांच वर्षों के दौरान देश में गाय के दूध के उत्पादन का अनुमान नीचे दिया गया है :–

वर्ष	गाय के दूध का उत्पादन
1	2
2000-01	32957
2001-02	34516
2002-03	34612
2003-04	34973
2004-05	36169

(ग) तथापि, सरकार देश में दूध के उत्पादन और गुणवत्ता में और सुधार करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियन्वित कर रही हैं :–

(1) राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना

(2) एकीकृत डेयरी विकास परियोजना

(3) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

(4) गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

(5) सहकारिताओं को सहायता; और

(6) डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष।

[अनुवाद]

पशुओं के रखरखाव संबंधी समिति

1613. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में उपयोग में लाए जाने वाले पशुओं के रखरखाव के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए एक समिति की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) समिति द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जीव-जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 15 के अनुसार पशुओं पर किए गए प्रयोगों पर नियंत्रण व निरीक्षण (सी०पी०सी०एस०ई०ए०) के प्रयोजनार्थ एक समिति गठित की गई है।

(ख) सी०पी०सी०एस०ई०ए० स्थाई समिति के स्वरूप की है जो जीव-जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और 2001 में यथासंशोधित जीवजन्तुओं के प्रजनन और उन पर किए प्रयोग (नियंत्रण व निरीक्षण) नियमावली, 1988 की सीमा के भीतर कार्य करती है।

(ग) विशिष्ट प्रस्तावों पर समिति के निर्णय, बैठक के कार्यवृत्त के रूप में अभिलिखित हैं और संबंधित संस्थानों को प्रेषित कर दिए गए थे। सी०पी०सी०एस०ई०ए० द्वारा कोई अलग से रिपोर्ट भेजना अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

वन-रोपण हेतु प्रस्ताव

1614. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से वन-रोपण के संबंध में भेजे गए प्रस्तावों की संख्या कितनी है और ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से वनीकरण के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य से 6-2-2006 तक प्राप्त हुए सभी 47 वन विकास अभिकरण (एफ०डी०ए०) परियोजना प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए हैं जो 110.83 करोड़ रुपये की लागत पर 1,472 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से 75,500 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार करने के लिए है। 6.2.2006 तक 66.59 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। वन विकास अभिकरण-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	वन विकास अभिकरण का नाम (एफडीए)	एफडीए परियोजना की कुल अनुमोदित लागत (लाख रुपये)	कुल वास्तविक लक्ष्य (क्षेत्र-हेक्टेयर)	संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की संख्या	6.2.2006 तक जारी की गई राशि (लाख रुपये)
1	2	3	4	5	6
	मध्य प्रदेश				
1.	गुना	856.50	6500	64	537.00
2.	होशंगाबाद	423.64	2000	93	278.35
3.	साऊथ सियनी	514.47	4000	66	454.01
4.	वेस्ट सिद्धि	261.59	2000	50	224.45
5.	नार्थ सियनी	261.42	2000	55	234.38
6.	सिहोरे	236.51	2000	19	178.96
7.	साऊथ छिंदवाड़ा	220.00	1800	11	173.83
8.	वेस्ट मंडला	480.18	3000	25	213.00
9.	दामोह	248.00	2000	66	171.41
10.	साऊथ पन्ना	388.73	2000	19	304.00
11.	नार्थ बेतुल	251.00	1700	30	207.26
12.	झबुआ	360.26	2000	30	233.31
13.	सतना	351.00	2200	31	211.29
14.	बरवानी	315.16	2000	24	184.28
15.	शिवपुरी	389.70	2000	35	244.00
16.	खरगौन	153.47	1000	19	121.00
17.	रायसेन	337.08	2000	30	164.85
18.	साऊथ सागर	187.90	1700	18	113.00

1	2	3	4	5	6
19.	साऊथ बैतूल	219.77	1500	22	172.12
20.	विदिशा	249.10	1600	16	110.28
21.	हरदा	232.30	1600	18	187.00
22.	रीवा	263.73	1700	31	103.00
23.	इंदौर	241.58	1600	30	141.50
24.	ईस्ट मंडला	233.56	1600	24	159.00
25.	नार्थ पन्ना	248.61	1450	30	138.00
26.	डिंडोरी	154.30	1000	17	106.00
27.	जबलपुर	229.81	1200	44	164.00
28.	उमरिया	175.00	1000	23	125.00
29.	कटनी	122.44	1000	19	85.00
30.	वेस्ट बैतूल	193.02	1500	30	153.00
31.	नार्थ बालघाट	206.05	1000	26	56.00
32.	छिंदबारा वेस्ट	125.83	1000	25	35.00
33.	शियोपुर	107.60	1000	20	68.00
34.	धार	164.76	1200	24	47.00
35.	भिंड	95.80	800	15	24.00
36.	उज्जैन	94.50	600	12	26.00
37.	देवास	115.19	1000	23	59.00
38.	नार्थ सागर	108.52	1000	24	26.50
39.	ईस्ट सिद्धि	132.67	1100	33	25.00
40.	राजगढ़	149.94	900	21	20.00
41.	टिकमगढ़	218.04	1500	60	81.00
42.	साऊथ शहडौल	228.56	1500	70	57.00
43.	नार्थ शहडौल	129.09	900	22	71.00
44.	छतरपुर	157.80	1200	38	63.00
45.	बुरहानपुर	102.06	850	28	45.00
46.	दतिया	63.00	600	20	25.00
47.	छिन्दबाड़ा ईस्ट	83.35	700	22	38.00
	कुल योग	11082.59	75500	1472	6658.78

[अनुवाद]

कृषि उपज उपकर अधिनियम, 1940 और उपज उपकर अधिनियम, 1966

1615. **श्री डी० विट्ठल राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उपज उपकर अधिनियम, 1940 और उपज उपकर अधिनियम, 1966 के निरसन का निर्णय लिया है ताकि कृषि उत्पादों के निर्यात से उपकर हटाया जा सके और उन्हें वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निर्णयों से कृषि आय में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से फार्म आमदनी बढ़ाने में सहायता मिलती है। निर्यातों पर उपकर (सैस) लगाए जाने से कृषि निर्यातों की प्रतिस्पर्धिता घटती है। इसलिए, सरकार ने कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 और उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966 को रद्द करने का निर्णय लिया है।

धोलेरा पत्तन परियोजना

1616. **श्रीमती जयाबेन बी० ठक्कर :**
श्री पी०एस० गढ़वी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को धोलेरा पत्तन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने दस्तावेजों की जांच के बाद परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों पर मैसर्स धोलेरा पोर्ट लिमिटेड से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा है। जिसकी अभी प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

मसालों का उत्पादन

1617. **श्री राकेश सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान और चालू वर्ष में देश में प्रत्येक मसाले का कितना उत्पादन दर्ज किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा मसालों के उत्पादन के संवर्धन के लिए और किसानों में उक्त उत्पादन के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में मसालों के उत्पादन को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) मसालों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी लाने के लिये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जैसा कि क्षेत्र विस्तार समेकित कीट प्रबन्ध, जैविक कृषि, प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम, विभिन्न कृषि जलवायवीय परिस्थितियों के अनुकूल मसालों की उच्च उत्पादक तथा निर्यातोन्मुखी किस्मों के नाभिक पादप रोपण सामग्रियों का उत्पादन और राज्य विभाग नर्सरियों के माध्यम से इनका वितरण। किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

विवरण

(उत्पादन : '000 टन में)

मसाले	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
काली मिर्च	62.44	72.47	73.35
अदरक	317.90	277.00	297.74
मिर्च	1069.00	894.60	1239.25
हल्दी	562.80	522.20	521.90
इलायची	17.80	15.50	14.65
लहसुन	386.30	468.31	694.32
धनिया	319.40	174.31	376.05
जीरा	206.42	134.76	134.76
सौंफ	38.53	27.78	27.78
मेथी	136.64	64.22	64.22
अन्य बीज	22.84	9.62	9.62
लौंग	1.05	1.37	1.81
जायफल	1.99	2.18	2.53
इमली	184.40	182.34	179.31
तेजपत्ता	16.29	16.27	16.28
अन्य	0.06	0.10	0.14
योग	3343.80	2863.04	3653.70

[अनुवाद]

आभूषण निर्माताओं द्वारा धोखाधड़ी

1618. श्री निखिल कुमार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में यह खुलासा किया है कि देश में आभूषण निर्माता अशुद्ध आभूषणों की बिक्री से आम जनता से प्रति वर्ष 6000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए कुछ कठोर विनियम लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष 2001-02 के दौरान बाजार में उपलब्ध स्वर्ण-आभूषणों की जौहरियों द्वारा किए गए दावों की तुलना में वास्तविक शुद्धता का पता लगाने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, बंगलौर, अहमदाबाद और कोलकाता में संबंधित शहर के एक प्रतिष्ठित उपभोक्ता कार्यकर्ता को साथ लेकर सर्वेक्षण किए थे। परीक्षित नमूनों के लगभग 11% नमूने दावाकृत शुद्धता के अनुरूप पाए गए। सर्वेक्षण से शुद्धता में 11% की औसत कमी का पता चला। भारत में प्रतिवर्ष 880 टन सोने की खपत होती है जिसमें से 80% आभूषणों के विनिर्माण पर लगता है। जैसा की सर्वेक्षण में पता चला, शुद्धता में 11% की औसत कमी के आधार पर उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष लगभग 6000 करोड़ रुपए का नुकशान होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) स्वर्ण आभूषणों की खरीद में आम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग स्कीम शुरू की है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

1619. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री मोहन सिंह :
डा० चिन्ता मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू रबी के मौसम के दौरान खाद्यान्नों और तिलहनों सहित विभिन्न फसलों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त फसलों के उत्पादन के लिए नियत लक्ष्यों को हासिल किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो नियत लक्ष्यों के संबंध में ब्यौरा क्या है और चालू रबी के मौसम के दौरान इन्हें हासिल करने के लिए मदवार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या विभिन्न फसलों के बुआई क्षेत्र में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) 2005-06 के उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार आगामी रबी मौसम के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 101.17 मिलियन टन है जबकि 2004-05 के रबी मौसम के दौरान 101.29 मिलियन टन का उत्पादन किया गया था।

तिलहनों के संबंध में 2005-06 के रबी मौसम में आकलित उत्पादन 10.39 मिलियन टन है जोकि 2004-05 के रबी मौसम में प्राप्त तिलहन उत्पादन 11.17 मिलियन टन से आंशिक रूप से कम है। तथापि 2005-06 के दौरान यदि मौसम अनुकूल रहता है तो खाद्यान्नों और तिलहनों के समग्र उत्पादन की पिछले वर्ष से अधिक होने की आशा है।

(ग) और (घ) आगामी रबी मौसम के दौरान खाद्यान्नों और तिलहनों के प्रत्याशित उत्पादन की देश के कुछ क्षेत्रों में प्रतिकूल स्थितियों के कारण लक्ष्य से कुछ कम होने की संभावना है। 2005-06 के रबी मौसम के लिए निर्धारित लक्ष्य के फसल-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

खाद्यान्नों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यक्रमों को शामिल किया गया है :-

राज्यों को क्षेत्रीय रूप से भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार लचीलापन प्रदान करने के विचार से चावल आधारित, गेहूं आधारित और मोटे अनाज आधारित फसलन पद्धति क्षेत्रों में (आई०सी०डी०पी० - चावल, गेहूं और मोटे अनाज) समेकित अनाज विकास कार्यक्रम को अक्तूबर, 2000 से बृहत प्रबन्धन कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। कृषि क्षेत्र को बढ़ाने और उत्पाद को बढ़ाने के लिए उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रचार किया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न आदानों और किसानों/विस्तार कर्मियो को प्रशिक्षण तथा बीज स्प्रेयरों जैसे महत्वपूर्ण आदानों और स्प्रिंकलरों और ड्रिप पद्धतियों जैसे जल बचाव उपकरणों की आपूर्ति के लिए सहायता उपलबध कराई जाती है।

तिलहनों और दलहनों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए "समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का स्कीम" (आईसोपोम) को 1.04.2004 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रजनक बीज के उत्पादन, आधारी बीज और प्रमाणित बीज, गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए क्रैश कार्यक्रम, प्रमाणित बीज और मिनिकिटों का वितरण, अवसंरचना विकास, समेकित कीट प्रबंधन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

'शुष्क भूमि/वर्षासिंचित कृषि पद्धतियों की सततता बढ़ाना' नामक नई स्कीम का उद्देश्य वर्षाजल कर्षण और स्वास्थाने मृदा नमी संरक्षण में इसका कुशलता से उपयोग, जैविकों/जैविक खादों का उपयोग, वैकल्पिक भूमि प्रयोग और उन्नत शुष्क भूमि कृषि प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण जैसे विषयों का पता लगाना है। इस स्कीम को देश के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) नवीनतम उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार चालू रबी मौसम में तिलहनों और खाद्यान्नों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 621.52 लाख हैक्टेयर है जबकि पिछले वर्ष 601.51 लाख हैक्टेयर कवर किया गया था। इस प्रकार 20 लाख हैक्टेयर की बढ़ोत्तरी प्रदर्शित होती है। फसलवार ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :-

*रबी मौसम में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र है**

(लाख हैक्टेयर में)

फसल	2005-06 (27.02.06 के अनुसार)	2004-05 (संगत अवधि)
गेहूं	267.01	264.87
चावल	40.57	34.68
मोटे अनाज	68.52	66.98
दलहन	136.14	128.8
तिलहन	109.28	106.18
कुल	621.52	601.51

*फसल मौसम निगरानी समूह की दिनांक 27.02.2006 को आयोजित बैठक में दी गई सूचना के अनुसार।

विवरण

2005-06 के दौरान रबी मौसम के खाद्यान्नों और तिलहनों के वास्तविक लक्ष्य

खाद्यान्न

(मिलियन टन)

फसल	लक्ष्य 2005-06
चावल	12.35
गेहूं	75.53
ज्वार	3.33
मक्का	2.85
जौ	1.65
चना	6.17
अन्य रबी दलहन	3.20
कुछ खाद्यान्न	105.08

तिलहन

(लाख टन)

फसल	लक्ष्य 2005-06
मूंगफली	19.00
तोरिया और सरसों	41.30
अलसी	2.34
कुसुम	2.40
सूरजमुखी	9.30
कुल नौ तिलहन	104.34

[हिन्दी]

आर्द्र भूमि संरक्षण योजना

1620. **श्री कृष्ण मुरारी मोघे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण के तहत भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावों पर की गई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से वर्ष 2005 के दौरान राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए बरना, यशवंत सागर, केन नदी अभ्यारण्य की आर्द्रभूमियां, राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य, घाटीगांव, रातापानी, डेनवा तावा बाघ रिजर्व, कान्हा बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, दोहेलीया बाघ रिजर्व और साख्यासागर नामक आर्द्रभूमि के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) इन सभी प्रस्तावों पर 1.7.05 को आर्द्रभूमि विशेषज्ञ दल की हुई बैठक में विचार किया गया था/इनमें से साख्या सागर आर्द्रभूमि के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान 11.00 लाख रुपये की सहायता जारी की गई थी। अन्य प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार से मांगे गए स्पष्टीकरण की अभी भी प्रतीक्षा है। उक्त प्रस्तावों पर अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर ही निर्णय लेना संभव होगा।

विपणन हेतु विधान

1621. **श्री हंसराज जी० अहीर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि विपणन हेतु एक आदर्श विधान तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त विधान के अंतर्गत अनुबंध कृषि से विपणन में किसानों को क्या लाभ होने की संभावना है;

(घ) क्या इस प्रकार की संविदा कृषि का देश में पहले से ही प्रयोग किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तथा फसलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। इस मंत्रालय ने राज्य कृषि उत्पाद विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2003 तैयार किया है और इसे सभी राज्यों में परिचालित कर दिया है जिससे कि वे अपने-अपने ए०पी०एम०सी० अधिनियमों में संशोधन कर सकें ताकि प्रत्यक्ष विपणन, अनुबन्धित कृषि और निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धात्मक बाजारों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा सके।

(ख) इस मॉडल अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

i. इससे कोई भी विधिक व्यक्ति, उत्पादक और स्थानीय प्राधिकारी किसी भी क्षेत्र में नई मण्डियों की स्थापना कर सकता है।

ii. उत्पादकों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि वे वर्तमान विनियमित मण्डियों के माध्यम से ही बिक्री करें।

iii. सीधी बिक्री के लिए प्रत्यक्ष बिक्रीकेन्द्र उपभोक्ता/कृषक मण्डियों की स्थापना।

iv. प्याज, फल, सब्जियों और फूलों आदि जिन्सों के लिए विशेष मण्डियों के लिए विशेष प्रावधान।

v. अनुबन्धित कृषि की व्यवस्था को संस्थागत समर्थन देने के लिए एक अलग से अध्याय जोड़ा गया है।

(ग) और (घ) देश के कई भागों में गन्ना, कपास, चाय, कॉफी आदि जैसे वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लिये अनुबंधित खेती की व्यवस्था प्रचलन में है। हालांकि आज के आर्थिक उदारीकरण के समय इस अवधारणा को काफी महत्व मिल गया है। इस अनुबन्धित खेती की मुख्य बात यह है कि इसमें किसान व्यापार एवं प्रसंस्करण में लगी किसी एजेन्सी से यह अनुबन्ध करते हैं कि वह उनके उत्पाद को खरीद लें और तब किसान उस फसल विशेष की खेती करते हैं। हमारे देश में अनुबन्धित खेती के अंतर्गत काफी संभावनायें हैं क्योंकि यहां छोटे और सीमांत किसान आधुनिक प्रौद्योगिकी और समर्थन के बिना ज्यादा प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के अनुबन्ध से किसानों को उत्पादन संबंधी सेवाओं और ऋण के साथ-साथ नई प्रौद्योगिकी मिलती है और उनको एक आश्वासनप्रद बाजार प्राप्त हो जाता है। किसान तथा उद्योग दोनों को समान संरक्षण प्रदान करने के लिये इस माडल अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ प्रायोजक कंपनियों के पंजीकरण, अनुबन्धित कृषि हेतु करार को दर्ज करने, किसानों की भूमि के उन्मोचन के लिए एक संस्थागत व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और विवादों के समयबद्ध निपटान के लिए एक तंत्र की व्यवस्था की गई है।

(ङ) विभिन्न राज्यों में अनुबन्धित खेती के अंतर्गत कवर किये गये क्षेत्र को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में अनुबन्धित कृषि की स्थिति

राज्य	फसल	क्षेत्र (है०)
1	2	3
कर्नाटक	अश्वगंधा धावन; गेंदा एवं शिमला मिर्च; कोलियस; गेरकिन्स; औषधीक पौधे	8,350
महाराष्ट्र	सोयाबीन; अन्य फल; सब्जियां, अनाज मसाले और दालें; आलू; गन्ना, संतरा	1,34,800
मध्य प्रदेश	गेहूं, मक्का, अन्य फल, सब्जियां, अनाज, मसाले, दलहन, सोयाबीन, लहसुन और सफेद प्याज	1,200
पंजाब	टमाटर और मिर्च; जौ, बासमती, मक्का; बासमती, मूंगफली, आलू और टमाटर; हरी सब्जियां और विदेशी सब्जियां	1,00,000
तमिलनाडु	कपास, मक्का, धान, कपास, मुरून्दु कुरूकन (औषधीक पौधा) (कोलियस फोर्सकोली), मक्का गेरकिन्स	1,830
छत्तीसगढ़	सफेद मुसली; टमाटर	–
उत्तरांचल	ग्वार गम	–
हरियाणा	हल्दी, मेन्था, सूरजमुखी, सफेद मुसली	–
आन्ध्र प्रदेश	सफेद वियाग्रा, फल, सब्जियां और पुष्प, गेरकिन्स, कोकोआ, आयलपाम	23,000
गुजरात	औषधिक पौधों और एलोवेरा का प्रसंस्करण	–
उड़ीसा	बीज (धान, रागी, हरा चना, अरहर, मूंगफली आदि), गन्ना, यूकेलिप्टस	7,200
राजस्थान	विदेशी सब्जियां	8
पश्चिम बंगाल	चिप गुणवत्ता वाले आलू	20

[अनुवाद]

पी०ओ०पी० रसायनों का प्रतिकूल प्रभाव

1622. श्री पी० मोहन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पी०ओ०पी०) की श्रेणी में सूचीबद्ध अत्यधिक विषैले रसायन कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या इस श्रेणी में कुछ और हानिकारक रसायनों को जोड़े जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने पर्यावरण संबंधी संयुक्त राष्ट्र की स्टॉकहोम अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया है/अनुसमर्थन करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) स्थायी कार्बनिक प्रदूषक वे रसायन होते हैं जो लम्बे समय तक

पर्यावरण में बने रहते हैं, व्यापक रूप से भू-मण्डल पर चारों तरफ फैल जाते हैं, सजीव सुक्ष्मजीवों के फैटी टिस्यूज में एकत्रित हो जाते हैं और यह मानव एवं वन्यजीवों के लिए विषैले होते हैं। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वैंशन में 12 पी०ओ०पी० नामत: 08 कीटनाशकों (एलड्रिन, क्लोरडेन, डी०डी०टी०, डेलड्रिन, एन्ड्रिन, हैप्टाक्लोर, माइरेक्स और टोक्साफेन); 2 औद्योगिक रसायनों (पोलीक्लोरिनेटड बाई फिनाईल या पी०सी०बी० और हैक्साक्लोरोबेन्जीन) और 02 अनैच्छिक सह उत्पादों (डाइओक्सिन एवं फूरान) को शामिल किया गया है। कन्वैंशन को मई, 2001 में अपनाया गया था और यह 17 मई, 2004 को लागू हुई थी।

(ख) और (ग) शामिल करने के लिए पांच नए रसायन नामत: पैन्टा ब्रोमोडाई फिनाईल इथर, क्लोरडिकोन, हैक्साब्रोमोडाई फिनाईल,, लिन्डेन और परफ्लोरोआक्टेन सल्फोनेट स्टॉकहोम कन्वैंशन की पी०ओ०पी० की समीक्षा समिति के पास विचाराधीन है। प्रस्तावित रसायन पी०ओ०पी० जैसी विशेषताएं प्रकट करने वाले लगते हैं।

(घ) और (ङ) भारत ने अनुसमर्थन पर अपना दस्तावेज 13 जनवरी, 2006 को प्रस्तुत किया। भारत के लिए कन्वैंशन, अनुसमर्थन पर अपना दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद उन्नीसवें दिन से लागू होगी।

तमिलनाडु की सिंचाई परियोजनाएं

1623. डा० के० धनराजू : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तमिलनाडु सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजे गए सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई तथा इन्हें अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, जिन पर अभी निर्णय लिए जाने हेतु विचार नहीं किया गया है तथा इस विलंब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार से वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि प्रायोगिक स्कीम ''कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, पुनरूद्धार और बहाली संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' के तहत 2004-05 में शिवगंगई तथा विल्लुपुरम नामक दो जिला परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी और 2005-06 के दौरान तमिलनाडु सरकार को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 3.97 करोड़ रुपए जारी किए गए।

गहरे समुद्र में टूना मछली पकड़ने हेतु संयुक्त उद्यम

1624. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यूयार्क, अमरीका स्थित एक कंपनी के साथ मिलकर गहरे समुद्र में टूना मछली पकड़ने के संयुक्त उद्यम हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए अनुमति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक अनुमति दे दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने गहरे समुद्र में टूना मात्स्यिकी का दोहन करने के लिए विश्व टूना विकास अंतर्राष्ट्रीय इन्क० (डब्ल्यू०टी०डी०आई०), संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक संयुक्त उद्यम परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव में भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई०ई०जेड) में संचालन के लिए भारतीय संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा 12 टूना लाँग लाइन मत्स्यन जलयानों का आयात शामिल हैं।

(ग) से (ङ) अक्टूबर, 2004 में, सरकार द्वारा घोषित व्यापक समुद्री मत्स्यन नीति के अनुसार, भारतीय उद्यमी कम से कम 51 प्रतिशत भारतीय इक्विटि तथा तट आधारित प्रसंस्करण क्षमता के साथ संयुक्त उद्यम के लिए आवेदन के पात्र हैं। सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को एक संयुक्त उद्यम कंपनी शुरू करने के लिए ''अनापत्ति'' जारी कर दी है।

चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघरों का प्रबंध ग्रहण करना

1625. श्री डी०वी० सदानन्द गौडा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का विचार देश के बड़े तथा छोटे चिड़ियाघरों का प्रबंध ग्रहण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का, देश के छोटे और बड़े चिड़ियाघरों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि संबंधी उप-योजनाओं को मिलाना

1626. श्री अशोक कुमार रावत :
प्रो० महादेवराव शिवनकर :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री शिशुपाल पटले :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आवंटित कृषि संबंधी उप-योजनाओं को एक-साथ मिला दिया है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना अवधि के दौरान, आज की तारीख तक एक बड़ी योजना में कितनी योजनाओं को मिलाया गया है;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान आज की तारीख तक कुल कितनी योजनाओं के माध्यम से किसानों पर धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या 100 करोड़ रु० की लागत वाली बहुत बड़ी योजना में से कई उपयोजनाओं को बनाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी योजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा इनसे कुल कितने किसानों को लाभ पहुंचा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) वृहद् कृषि प्रबन्धन (एम०एम०ए०) स्कीम, जिसे वर्ष 2000-01 में 27 निवर्तमान स्कीमों को समेकित करके शुरू किया गया था, दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिये जारी रखा गया है।

(ख) 27 निवर्तमान स्कीमें जिन्हें उपरोक्त स्कीम के तहत मिला दिया गया था, की सूची संलग्न विवरण-I में है। चालू वर्ष में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन०एच०एम०) की नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की शुरूआत से इन 27 स्कीमों की 10 स्कीमें जिसमें बागवानी विकास शामिल है, को एम०एम०ए० से निकाल कर एन०एच०एम० के तहत समाहित कर दिया गया है। शेष 17 स्कीमें जो एम०एम०ए० के तहत जारी हैं, की सूची संलग्न विवरण-II में है।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान जोड़ी गई 27 स्कीमों के जरिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई।

(घ) से (च) एम०एम०ए० स्कीम में से कोई उप स्कीम नहीं बनाई गई है।

विवरण-I

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची

1. सहकारी कमजोर वर्ग को सहायता
2. महिला सहकारी समितियों को सहायता
3. गैर-अतिदेय कवर स्कीम
4. कृषि ऋण स्थिरकरण कोष
5. अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए विशेष स्कीम
6. चावल आधारित फसलन प्रणाली में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
7. गेहूं आधारित फसलन प्रणाली में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
8. मोटे अनाज आधारित फसलन प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
9. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम
10. गन्ना आधारित फसलन प्रणाली का सतत विकास
11. उर्वरक का संतुलित और समेकित प्रयोग
12. छोटे किसानों के बीच कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना
13. उष्ण कटिबंधीय, शुष्क और शीतोष्ण क्षेत्र के फलों का समेकित विकास
14. सब्जी के बीजों का उत्पादन और आपूर्ति
15. वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास
16. औषधीय और सुगंधित पौधों का विकास
17. कंद और मूल फसलों का विकास
18. कोकोआ तथा काजू का विकास
19. समेकित मसाला विकास कार्यक्रम
20. मशरूम का विकास
21. कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग
22. मधुमक्खी-पालन
23. वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
24. सब्जी फसलों के आधारी और प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु स्कीम
25. नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के लवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
26. क्षारीय मृदाओं का पुनरूद्धार और विकास
27. राज्य भू-उपयोग बोर्ड

विवरण-II

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची

1. सहकारी रूप से कमजोर वर्ग को सहायता
2. महिला सहकारी समितियों को सहायता
3. गैर-अतिदेय कवर स्कीम
4. कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष स्कीम
6. चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
7. गेहूं आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
8. मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकि अनाज विकास कार्यक्रम
9. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम
10. गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों का सतत विकास
11. उर्वरक का संतुलित तथा समेकित उपयोग
12. लघु कृषकों में कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन
13. वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
14. सब्जी फसलों के आधारी और प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु स्कीम
15. नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
16. क्षारीय मृदा का सुधार और विकास
17. राज्य भू उपयोग बोर्ड

[अनुवाद]

घरेलू नौकर

1627. **श्री के०एस० राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरों में काम करने वाले नौकरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या असंगठित क्षेत्र में होने के कारण उनके कार्य के विनियमन हेतु कोई विशिष्ट दिशानिर्देश हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें कानूनी दायरे में लाने के लिए घरेलू नौकर विधेयक लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) से (ङ) "घरेलू कार्य" व्यवसाय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अत: देश में घरों में कार्य करने वाले घरेलू नौकरों की संख्या केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। केन्द्रीय सरकार ने तो उनके कार्यकरण को विनियमित करने के लिए कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश तैयार किए हैं न वर्तमान में घरेलू कामगार विधेयक लाने का ही कोई प्रस्ताव है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में कार्य करने वाले घरेलू नौकरों के लिए न्यूनतम मजदूरी, कार्य घंटे आदि अधिसूचित किए हैं।

कृषि उत्पादन में वृद्धि

1628. **श्रीमती मेनका गांधी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के वर्तमान तथा आगामी वर्ष के लिए अनुमानित कृषि उत्पादन का वस्तुवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किन-किन कृषि क्षेत्रों पर उनका उत्पादन स्तर बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए जा चुके हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) वर्ष 2005-06 के लिए उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, विभिन्न फसलों का उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :–

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन)
1	2
चावल	87.86
गेहूं	73.06
मोटे अनाज	34.00
दलहन	14.40
कुल खाद्यान्न	209.32

1	2
तिलहन	26.37
गन्ना	266.88
कपास*	16.45
पटसन तथा मेस्ता$	10.65

*उत्पादन— प्रत्येक 170 कि०ग्रा० की मिलियन गांठे
$उत्पादन — प्रत्येक 180 कि०ग्रा० की मिलियन गांठे

आने वाले वर्षों के लिए जिन्स वार उत्पादन लक्ष्य कृषि वर्ष (जुलाई-जून) के आरम्भ में निर्धारित किए जाएंगे।

(ख) से (ङ) सरकार कृषि, बागवानी तथा पशुधन क्षेत्रों के विकास के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने और उसके परिणामस्वरूप किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए इसे और अधिक गतिशील तथा सक्रिय बनाने के लिए तैयार की गई नीतियों में (i) किसानों में संस्थागत ऋण का प्रवाह बढ़ाना और सहकारी ऋण संरचना का सुदृढ़ीकरण; (ii) गुणवत्ता प्राप्त आदानों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना; (iii) कृषक अनुकूल, मांग संचालित कृषि विस्तार प्रणाली का संवर्धन; (iv) बागवानी कार्यकलापों सहित अधिक मूल्य वाली फसलों की ओर विविधिकरण को तेज करना; (v) अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना; (vi) सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उलपब्ध जल संसाधनों की कुशल उपयोगिता को अधिकतम करना और शुष्क/वर्षासिंचित खेती प्रणाली की दीर्घकालिकता को बढ़ाना; (vii) कृषि मण्डियों का सुधार तथा फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग और (viii) किसानों के लिए जोखिम प्रबन्धन तंत्र का एक व्यापक स्पैक्ट्रम व्यवस्थित करना शामिल है।

वानिकी, लागिंग तथा मत्स्यन के संबद्ध क्षेत्रों सहित कृषि में कई पूंजी-सघन स्कीमें सार्वजनिक-गैर सरकारी सहभागिता से कार्यान्वित की जा रही है। कुछ प्रमुख स्कीमें/नीति संबंधी पहलें निम्नानुसार हैं :—

- ग्रामीण भण्डारण योजना।
- कृषि विपणन अवसंरचना, श्रेणीकरण और मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण।
- समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना तथा फसलोपरान्त प्रचालनों का विकास।
- राष्ट्रीय मवेशी तथा भैंस प्रजनन परियोजना।

भा०कृ०अ०प० द्वारा आरम्भ किए गए कुछ अन्य उपाय इस प्रकार है :—

1. उच्च उपज वाली किस्मों और फसलों की संकर नस्लों का विकास।
2. बीज उपचार, कीट बायोसिस्टेमैटिक्स के माध्यम से पौध रक्षण।
3. प्रजनक बीज उत्पादन, आणविक प्रजनन।

स्पॉन्ज लौह अयस्क

1629. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थानवार कितने स्पॉन्ज लौह संयंत्र हैं;

(ख) प्रतिस्थापन क्षमता तथा इन संयंत्रों में पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान स्पॉन्ज लौह के वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों में से प्रत्येक द्वारा उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में स्पॉन्ज लौह का निर्यात किया गया?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) से (ग) संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार स्पंज आयरन की चालू इकाइयों की संख्या 150 हैं जिनकी संस्थापित क्षमता 16.15 मिलियन टन वार्षिक है। इन इकाइयों का स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्पंज आयरन के उत्पादन और निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

मद	2002-03	2003-04	2004-05
उत्पादन	6908.4	8085.0	10296.0
निर्यात	शून्य	8.905	29.800

स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति एवं स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन

विवरण

देश के स्पंज लौहा इकाइयों का स्थान-वार ब्यौरा

(हजार टन)

क्र० सं०	राज्य का नाम	चालू इकाईयों की सं०	चालू स्पंज लोहा इकाईयों की क्षमता
1	2	3	4
1.	झारखंड	14	660.6

1	2	3	4
2.	उड़ीसा	33	2193.0
3.	पश्चिम बंगाल	27	1545.0
4.	आंध्र प्रदेश	12	684.5
5.	कर्नाटक	13	477.0
6.	तमिलनाडु	2	130.0
7.	छत्तीसगढ़	38	3783.5
8.	गोवा	4	166.0
9.	गुजरात	1	3600.0
10.	महाराष्ट्र	6	2920.0
	कुल	150	16151.6

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा

1630. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में लंबित चल रही सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार समय-समय पर लंबित/निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित/निर्माणाधीन वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

निर्माणाधीन अनुमोदित वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं
(फरवरी, 2006 के अनुसार)

क्र० सं०	राज्य	अनुमोदित परियोजनाएं		
		वृहद	मध्यम	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7	5	12
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	4	5	9
4.	बिहार	5	3	8
5.	छत्तीसगढ़	3	2	5
6.	गोवा	1	0	1
7.	गुजरात	2	9	11
8.	हरियाणा	3	0	3
9.	हिमाचल प्रदेश	1	2	3
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0	7	7
11.	झारखंड	1	13	14
12.	कर्नाटक	6	7	13
13.	केरल	1	2	3
14.	मध्य प्रदेश	13	4	17
15.	महाराष्ट्र	21	30	51
16.	मणिपुर	2	1	3
17.	मेघालय	0	1	1
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	उड़ीसा	8	7	15
21.	पंजाब	1	0	1
22.	राजस्थान	4	2	6
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	3	3
26.	उत्तरांचल	2	0	2
27.	उत्तर प्रदेश	7	0	7
28.	पश्चिम बंगाल	2	8	10
	कुल	94	111	205

[अनुवाद]

महिला श्रम बल

1631. **श्री एम० श्रीनिवासुलुरेड्डी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिला श्रम बल के लिए रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उल्लिखित उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीतियां अपनाई गई हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) और (ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य है। इससे पुरूष तथा महिला श्रम बल दोनों को ही सहायता प्राप्त होगी। विशेष रूप से महिलाओं के रोजगार तथा जीवन स्तर में सुधार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उनके प्रशिक्षण तथा रोजगार संबंधी अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में, प्राथमिकताएँ इस प्रकार से दी जानी चाहिए कि लाभ प्राप्त करने वालों में कम से कम एक तिहाई महिलाएँ हों।

खाद्यान्नों की प्रति हैक्टेयर उपज हेतु नीति

1632. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी० पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न खाद्यान्नों की प्रति हैक्टेयर उपज को बढ़ाने के लिए सरकार ने उपाय/पद्धतियां तैयार की हैं/तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की पद्धतियों के प्रयोग के बारे में किसानों में जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) जी, हां। विशिष्ट फसल आधारित प्रणालियों के अन्तर्गत अनाजों की प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए, केन्द्र सरकार एम०एम०ए० के अंतर्गत समाहित अन्य स्कीमों के साथ कृषि के वृहद प्रबन्धन (एम०एम०ए०) के अन्तर्गत चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०-चावल), गेहूं आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०-गेहूं), मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०-मोटे अनाज) कार्यान्वित कर रही है। तिलहनों, दलहनों, आयलपाम और मक्का की एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित समेकित स्कीम (आइसोपाम) इन फसलों की प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

केन्द्र सरकार आधुनिक फसल प्रबन्धन प्रणालियों के संबंध में किसानों में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न स्कीमों का समर्थन कर रही है। कृषि-क्लिनिक और कृषि-व्यापार केन्द्र किसानों को विस्तार सेवाएं प्रदान करते हैं। कृषि को मास मीडिया के समर्थन और किसान कॉल सैन्टर संबंधी स्कीम भी केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है। किसान कॉल सैन्टर किसानों को विशेष सलाह देने के लिए पूरे देश में निःशुल्क लाइनों के माध्यम से प्रचालित हैं। कृषि को मास मीडिया का समर्थन दूरदर्शन अवसंरचना के उपयोग पर संकेन्द्रण कर रहा है ताकि कृषक समुदाय को संबंधित जानकारी और ज्ञान उपलब्ध कराया जा सके।

कृषि की नवीनतम तकनीक

1633. **श्री धनुषकोडी आर० अतिथन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीक के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से विभिन्न व्यवस्थाएं की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन माध्यमों तथा व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयासों के बावजूद देश के 60 प्रतिशत किसान नवीनतम तकनीकों के बारे में नहीं जानते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विद्यमान उपायों को और अधिक प्रभावी करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित स्कीमों के तहत अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न माध्यमों के जरिए प्रावधान बनाए गये हैं ताकि नवीनतम कृषि तकनीकों के बारे में देश के किसानों को जागरूक बनाया जा सके :

- कृषि विस्तार को जन संचार समर्थन (2004)
- किसान काल सेन्टर (2004)

— विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन (2005)

— कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष को दर्शाते हैं, जिसमें इन स्कीमों को शुरू किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2003 में आयोजित किए गये सर्वेक्षण पर आधारित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन रिपोर्ट संख्या 499 के अनुसार 40% कृषक परिवार आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों का लाभ ले रहे हैं। प्रगतिशील किसान, आदान डीलर, रेडियो तथा टेलीविजन सूचना के प्रमुख स्रोत साबित हुए हैं।

(ङ) और (च) उपरोक्त उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अधिकतर स्कीमें हाल ही की स्कीमें हैं जिन्हें नवीनतम तकनीकों पर सूचना प्रसार को ज्यादा प्रभावकारी बनाने के लिए शुरू किया गया है। नए कृषि विज्ञान केन्द्र भी इस संबंध में योगदान दे रहे हैं।

असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

1634. श्री जी० करूणाकर रेड्डी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना पर कितने प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की राशि खर्च की जाती है;

(ख) लागू योजनाओं के नाम क्या हैं तथा लाभार्थियों के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी योजनाओं पर व्यय को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (घ) इस समय, देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामान्य रूप में लागू कोई सामाजिक सुरक्षा स्कीम नहीं है। तथापि, कुछ राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के कामगारों के विशिष्ट वर्गों को लक्षित करके कुछ योजनाएं चलाती हैं।

मेगा कैमिकल इंडस्ट्रिअॅल इस्टेट की स्थापना

1635. श्री हितेन बर्मन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री मंगलौर में विशाल पेट्रो-रसायन परिसर की स्थापना के बारे में 18 अप्रैल, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3500 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक मेगा कैमिकल इंडस्ट्रिअॅल इस्टेट (एम०सी०आई०ई०) की स्थापना करने के लिए अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा यह किन-किन स्थानों पर हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) परामर्शदाताओं की सहायता से रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, देश में विभिन्न स्थानों पर मेगा केमिकल इंडस्ट्रियल इस्टेट्स स्थापित करने की संभावना का अध्ययन कर रहा है। पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन के क्षेत्र में विश्वस्तरीय विकासकर्ताओं और निवेशकों को शामिल करते हुए सुविधाओं के पर्याप्त पैमाने और स्तर के निवेश क्षेत्रों के विकास के लिए, तत्काल तथा समन्वित निर्णय लेने और समुचित ढांचा प्रदान करने के लिए 20.1.2006 को प्रधानमंत्री कार्यालय में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पी०सी०पी०आई०आर०) संबंधी एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। यह टास्क फोर्स, पी०सी०पी०आई०आर० की संख्या और स्थान को भी अंतिम रूप देगा। अभी कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

खेती योग्य भूमि का कम होना

1636. श्री ई०जी० सुगावनम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान औसत कृषि जोत-क्षेत्र में भारी कमी देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान खेती योग्य भूमि भी कम हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या न्यूनतम कृषि भूमि निर्धारित करने तथा विधान के माध्यम से इसे व्यवहार्य आय बनाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि संगणना 1985-86, 1990-91 और 1995-96 के अनुसार प्रचालानात्मक जोत का औसत आकार क्रमशः 1.69 हैक्टेयर, 1.55 हैक्टेयर और 1.41 हैक्टेयर था।

(ग) और (घ) उपरोक्त कृषि संगणना के अनुसार देश में कृष्य भूमि क्रमश: 161188 हजार हैक्टेयर, 152659 हजार हैक्टेयर और 153132 हजार हैक्टेयर थी।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में वनरोपण

1637. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री कृष्णा मुरारी मोघे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में वर्ष-वार कितने हैक्टेयर भूमि पर पेड़ लगाए गए;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्तावों को कब तक संस्वीकृत किए जाने तथा राज्य को आवश्यक निधियां जारी किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान 53,050 हैक्टेयर के कुल परियोजना क्षेत्र के लिए वन विकास अभिकरण परियोजनायें अनुमोदित की गई हैं। वर्ष वार ब्यौरा निम्नलिखित है :

वर्ष	अनुमोदित, वन विकास अभिकरण परियोजना की संख्या	परियोजना क्षेत्र (हैक्टेयर)
2002-03	18	32,650
2003-04	5	5,700
2004-05	14	14,700
कुल	37	53,050

(ख) से (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 6.2.2006 तक प्राप्त सभी 47 वन विकास अभिकरण (एफ०डी०ए०) परियोजना प्रस्तावों को 1.472 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से 75,500 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार करने के लिए 110.83 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और 6.2.2006 तक 66.59 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि के धन का निवेश

1638. श्री गणेश सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कंपनियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इन कंपनियों में निवेश किए गए ई०पी०एफ० के धन को वापस करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर कंपनियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई०एफ०सी०आई०) में बड़े स्तर पर निवेश किया है जो ब्याज के भुगतान में डिफॉल्टर हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई०एफ०सी०आई०) में निर्धारित "निवेश पैटर्न" के अनुसार निवेश किया है। तथापि, आई०एफ०सी०आई० को इसकी अनिश्चित वित्तीय स्थिति के कारण, अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अत:, जमीनी वास्तविकताओं तथा अन्य संगत कारकों को ध्यान रखते हुए, 1,006.85 करोड़ रुपये के मूल्य के निवेशों को संशोधित शर्तों पर पुन: संरचित किया गया था। तत्पश्चात, आई०एफ०सी०आई०, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को समय पर ब्याज की अदायगी करने के दृष्टिगत अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है।

[अनुवाद]

लघु सिंचाई के लिए कार्यक्रम

1639. श्री पी० मोहन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दलितों तथा आदिवासियों की सारी भूमि पर लघु सिंचाई के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा भूमि परिसीमन के कार्यान्वयन के माध्यम से भूमिहीन परिवारों को भूमि देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने भूमि पुनर्वितरण विधेयक पुर:स्थापित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) सरकार 1999-2000 से विशेष वर्ग के राज्यों जिसमें पूर्वोत्तर राज्य और पहाड़ी राज्य (जम्मू एवं कश्मीर), हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और उड़ीसा के कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट जिले) शामिल हैं, में वर्द्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) का कार्यान्वयन कर रही है। जनजातीय क्षेत्रों और सूखा प्रवण क्षेत्रों को वरीयता दी जाती है जिससे दलित और आदिवासी लाभान्वित होते हैं। शीर्ष स्कीम कृषि से सीधे जुड़े जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण और पुन: प्रचलन की 'राष्ट्रीय परियोजना' को भी जनवरी, 2005 में अनुमोदित कर दिया गया है। स्कीम के अन्तर्गत प्रमुखता पिछड़े और जनजातीय प्रभुत्व वाले जिलों को दी जाती है। अनुसूचित जन जातियों की भूमि के लिए सूक्ष्म सिंचाई स्कीम शुरू करने के लिए राज्यों को 100% वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी 2005-06 के दौरान शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत पर ही जल प्रबन्धन और स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०) स्कीमों के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई क्रियाकलापों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ख) से (घ) भूमि और इसका प्रबन्धन राज्यों के वैधानिक और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है जैसा कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (II) की प्रविष्टी संख्या 18 के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है। राज्यों ने कृषि जोत क्षेत्रों वाली भूमियों से सम्बन्धित हदबन्दी कानूनी बनाए हैं। उपलब्ध अतिरिक्त भूमियों का पुन: वितरण सम्बन्धित राज्यों द्वारा किए गए वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

तटीय क्षेत्र की भूमि

1640. डा० के० धनराजू : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के तटीय क्षेत्रों की भूमि कृषि प्रयोजनों के लिए उपजाऊ नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस भूमि को कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोगी बनाने के लिए सरकार का क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में तटीय लवणता से 2.515 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित है जिसमें उत्पादकता न्यून है। ऐसे क्षेत्रों में तटीय लवणता की राज्यवार स्थिति इस प्रकार है :–

क्र० सं०	राज्य का नाम	तटीय लवण भूमि क्षेत्र मिलियन हैक्टेयर में
1.	आंध्र प्रदेश	0.276
2.	गुजरात	0.710
3.	कर्नाटक	0.086
4.	केरल	0.026
5.	महाराष्ट्र	0.063
6.	उड़ीसा	0.400
7.	तमिलनाडु	0.100
8.	पश्चिम बंगाल	0.820
9.	गोवा	0.018
10.	पांडिचेरी	0.001
11.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.015
	कुल	2.515

(ग) केन्द्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा और केनिंग-पश्चिम बंगाल में इसके क्षेत्रीय केन्द्र के तटीय लवणता के फैलाने पर रोक लगाने के लिए लवण प्रभावित तटीय और जलोढ़ मृदाओं के उपचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है। इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए राज्य सरकारों को अन्तरित कर दिया गया है।

पशुपालन के विकास हेतु निधि

1641. श्री डी०वी० सदानन्द गौडा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से पशुपालन के विकास के लिए निधियां जारी करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार कर्नाटक में पशुपालन के विकास के लिए

कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान (फरवरी, 2006 तक) इन योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने (1) राज्य कुक्कुट तथा प्रशिक्षण केंद्र, हैस्सरघट्टा तथा (2) क्षेत्रीय कुक्कुट फार्म, गंगावती, जिला कोप्पल को सुदृढ़ करने के लिए 85.00 लाख रुपए प्रत्येक के दो परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। उन्हें धन की कमी के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान मंजूर नहीं किया जा सका। इन प्रस्तावों की मंजूरी आगामी वित्त वर्ष अर्थात् 2006-07 में उनकी व्यवहार्यता और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

समुद्री शैवाल को वाणिज्यिक बिक्री के लिए जैव-उर्वरकों में बदलना

1642. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समुद्री शैवाल को वाणिज्यिक बिक्री के लिए जैव उर्वरक में बदलने हेतु एक पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समुद्री शैवाल से तरल रूप में जैव-उर्वरकों के उत्पादन में रूचि लेने वाले उद्योगों को इस प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय लवण एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर ने शैवाल सम्बन्धी अखिल भारतीय परियोजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के माइक्रो बायोलॉजी प्रभाग के साथ सहभागिता से समुद्री जैव उर्वरक (द्रव) के उत्पादन के लिये एक आचार संहिता तैयार की है।

(ग) इस उत्पाद का खेतों में अभी परीक्षण किया जा रहा है।

उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग

1643. **श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसान उर्वरकों ओर कीटनाशकों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों को उर्वरकों और कीटनाशकों के आवश्यकता से अधिक प्रयोग से खतरों तथा भूजल के इष्टतम उपयोग और "उत्पादन में वृद्धि करने वाले अन्य संसाधनों" के बारे में बताने हेतु कोई सम्भावित प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) रासायनिक उर्वरक पोषकतत्वों और कीटनाशकों (तकनीकी ग्रेड) की औसत प्रति हैक्टेयर खपत क्रमशः 96.59 कि०ग्रा०/है० और 0.22 कि०ग्रा०/है० है। खपत का यह स्तर अत्यधिक नहीं माना जाता और कृषि पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तथापि, कुछ फसलों और क्षेत्रों में उर्वरक के असमान अथवा अत्यधिक उपयोग से देश के कुछ भागों में आर्गेनिक कार्बन की मात्रा गिराने और मृदा में कुद प्रमुख, गौण (सैकेन्डरी) सूक्ष्म पोषकों की कमी की घटनाएं विशेषतया इन्डो-गैंगेटिक मैदानी क्षेत्र के चावल-गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों में हो सकती हैं जिसका कारण आर्गेनिक मैन्योर के बिना रासायनिक उर्वरकों का सतत असंतुलित उपयोग हो सकता है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) "उर्वरकों के संतुलित और एकीकृत उपयोग" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट और बायो उर्वरकों आदि जैसे आर्गेनिक उर्वरको के संयोजन में रासायनिक उर्वरक के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए मृदा परीक्षण पर आधारित समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आई०एन०एम०) का संवर्द्धन।

(ii) संतुलित उर्वरण के लिए दोषनिवारक उपाय के रूप में "राष्ट्रीय आर्गेनिक फार्मिंग परियोजना" आरम्भ की है।

(iii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न फसलों/फसलन प्रणालियों के लिए समेकित पौध पोषकों की आपूर्ति प्रणाली (आई०पी०एन०एस०) की सलाह भी दे रही है।

(iv) रासायनिक कृमिनाशकों के अन्धाधुन्ध और अविवेकपूर्ण उपयोग को न्यूनतम करने के लिए कृषक फील्ड स्कूलों के माध्यम से समेकित कृमि प्रबंधन (आई०पी०एम०) दृष्टिकोण का संवर्धन।

बीड़ी कामगारों की मजदूरी

1644. **श्री रघुनाथ झा :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी कामगारों की मजदूरी की न्यूनतम दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बीड़ी कामगारों को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सम्पूर्ण देश में बीड़ी कामगारों को कम से कम राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) जी, हां।

(ख) बीड़ी कामगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें सामाजिक आर्थिक और कृषि जलवायु दशाओं, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, भुगतान क्षमता, उत्पादकता, मजदूरी दर को प्रभावित करने वाली स्थानीय दशाओं इत्यादि के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होती हैं।

(ग) और (घ) वे राज्य निम्नवत हैं जिनमें बीड़ी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी 66/- रुपये प्रतिदिन पर निर्धारित राष्ट्रीय फ्लोर स्तर न्यूनतम मजदूरी से कम हैं :—

राज्य का नाम	न्यूनतम मजदूरी (रु० में) प्रतिदिन
1. आंध्र प्रदेश	65.00
2. अरूणाचल प्रदेश	55.00 क्षेत्र-I
	57.00 क्षेत्र-II
3. महाराष्ट्र	60.00 जोन-I (प्रति 1000 बीड़ी)
	58.00 जोन-II (प्रति 1000 बीड़ी)
4. राजस्थान	47.00 (1000 बीड़ी के लिए)
5. उड़ीसा	52.50
6. त्रिपुरा	51.00 (1000 बीड़ी के लिए)

(ङ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि बीड़ी निर्माण सहित उनके अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी कम से कम राष्ट्रीय फ्लोर स्तर न्यूनतम मजदूरी के समान निर्धारित/संशोधित की जाए।

बागान परियोजनाओं का विकास

1645. श्री जी० करुणाकर रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर कर्नाटक में बागान परियोजनाओं के विकास और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार इसके लिए कुल कितना परिव्यय आबंटित किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में, देश में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन०ए०पी०) योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफ०डी०ए०) के माध्यम से और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। 6.2.2006 की स्थिति के अनुसार 22,878 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से 9.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार करने के लिए 1489.42 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 680 वन विकास अभिकरण परियोजनाएं अनुमोदित की गई है। कर्नाटक में, 110.42 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 43 वन विकास अभिकरण परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। प्राप्त किए गए और अनुमोदित किए गए वन विकास अभिकरण परियोजना प्रस्तावों और उनकी लागत का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(6.2.2006 के अनुसार)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	प्राप्त एफ.डी.ए. परियोजना प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत एफ.डी.ए. परियोजना प्रस्तावों की संख्या	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	32	32	82.35
2.	अरूणाचल प्रदेश	19	13	24.45
3.	असम	29	29	36.56
4.	बिहार	9	7	13.57
5.	छत्तीसगढ़	32	31	72.87
6.	गोवा	3	3	2.39
7.	गुजरात	22	21	60.87
8.	हरियाणा	17	16	52.24
9.	हिमाचल प्रदेश	29	27	52.53
10.	जम्मू और कश्मीर	31	31	74.61
11.	झारखण्ड	27	27	55.04

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	45	43	110.42
13.	केरल	24	23	47.44
14.	मध्य प्रदेश	47	47	110.83
15.	महाराष्ट्र	45	45	98.62
16.	मणिपुर	14	13	26.58
17.	मेघालय	7	7	12
18.	मिजोरम	30	19	60.12
19.	नागालैंड	18	16	37.71
20.	उड़ीसा	40	34	65.17
21.	पंजाब	15	7	14.16
22.	राजस्थान	31	30	38.19
23.	सिक्किम	7	7	27.72
24.	तमिलनाडु	32	32	93.23
25.	त्रिपुरा	13	12	25.57
26.	उत्तर प्रदेश	61	58	103.88
27.	उत्तरांचल	36	34	51.58
28.	पचिम बंगाल	20	16	38.72
	कुल	735	680	1489.42

कृषकों को वर्षा-जल के संग्रहण हेतु शिक्षा

1646. श्री ई०जी० सुगावनम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेती के लिए वर्षा-जल के संग्रहण के बारे में कृषकों को शिक्षित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ कृषकों को कोई वित्तीय सहायता/राजसहायता/प्रोत्साहन प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) वर्षा के जल का संग्रहण और इसका उपयोग बहुत पुरानी पद्धति है। वर्षा के जल के संग्रहण में लोगों की भागीदारी और इसके अनुकूलतम उपयोग के बारे में सरकार की सुसंगत योजनाओं की तारीफ की गई है। तदनुसार वर्षा के जल का खेती के लिये उपयोग करने के लिये किसानों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरित किया जाता है और इसके बारे में उनको जानकारी दी जाती हैं। 10 वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में उपर्युक्त संदर्भों पर जोर दिया गया है।

कृषि मंत्रालय

1. राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०)।
2. नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियां (आर०वी०पी० तथा एफ०पी०आर०)।
3. झूम खेती वाले क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू०डी०पी०एस०सी०ए०)।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

1. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०)।
2. समेकित पनधारा विकास परियोजना (आई०डब्ल्यू०डी०पी०)।
3. मरूस्थल विकास परियोजना (डी०डी०पी०)।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत पनधारा विकास दृष्टिकोण के आधार पर भू क्षेत्रों का सुधार और विकास करने के लिये विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण उपाय किये गये हैं। वर्षा जल का संग्रहण जल संरक्षण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, जिसे पनधारा विकास की तकनीकी जरूरतों के आधार पर पूरा किया जा रहा है। उपर्युक्त योजना/कार्यक्रमों के अंतर्गत इनकी शुरूआत से वर्ष 2004-05 के अंत तक उपचार किये गये क्षेत्र को संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। किसानों के लिये उपर्युक्त योजनाओं को अनुदान दिया जाता है।

बारानी खेती से संबंधित केन्द्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, हैदराबाद, सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर, केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के बारानी कृषि संबंधी अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना केन्द्रों के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रशिक्षणों, गोष्ठियों और क्षेत्रीय प्रदर्शनों का आयोजन कर रहे हैं जिसका उद्देश्य किसानों को ऐसी जानकारी देना है जिससे वे नमी संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण? जो कि सिंचाई के पूरक का काम करता है, के माध्यम से वर्षा निर्भर क्षेत्रों में इष्टतम फसल उत्पादन कर सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसानों को फार्म तालाबों, नाले बांध, अवरोध बांध, रिसाव टैंकों, खादिन तनका, नदी-गड्ढे और तटबंध तालाबों

आदि जैसे वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। विभिन्न प्रकार के कृषि जलवायवीय अंचलों के लिये सिफारिश की गई वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं को संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड सार्वजनिक स्तर पर लोगों को जानकारी देने के लिये कई उपाय कर रहा है जिसमें संसाधनों के विकास उपयोग संरक्षण और संवर्द्धन जैसे भू जल संसाधनों के विभिन्न संदर्भों के बारे में किसानों को जानकारी देना भी शामिल है।

विवरण-I

विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत, इनके प्रारम्भ से मार्च, 2005 तक विकसित किये गये क्षेत्र और निवेश की गई धनराशि

(क्षेत्र : लाख हैक्टेयर में : व्यय करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	मंत्रालय/योजना और प्रारम्भिक वर्ष का नाम	प्रारम्भ से नौवीं योजना तक उपचारित क्षेत्र तथा व्यय		X वीं योजना (2002-05) के प्रथम तीन वर्षों में उपचारित क्षेत्र और व्यय		प्रारम्भ से मार्च, 2005 तक उपचारित क्षेत्र और व्यय	
		क्षेत्र	व्यय	क्षेत्र	व्यय	क्षेत्र	व्यय
(क)	**कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग**						
1.	एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए० (1990-91)	69.79	1877.74	9.55	519.82	79.34	2397.56
2.	आर०वी०पी० एण्ड एफ०पी०आर० (1962 एवं 81)	54.88	1516.26	5.99	377.91	60.87	1894.17
3.	डब्ल्यू०डी०पी०एस०सी०ए० (1974-75)	2.58	166.27	0.6	60.16	3.18	226.43
	उप योग (क)	127.25	3560.27	16.14	957.89	143.39	4518.16
(ख)	**ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग)**						
1.	डी०पी०ए०पी० (1973-74)	13.79	897.2	12.5	844.99	26.29	1742.79
2.	डी०डी०पी० (1977-78)	6.7	686.04	8	614.78	14.7	1300.82
3.	आई०डब्ल्यू०डी०पी० (1988-99)	37.36	498.12	24.6	849.9	61.96	1448.02
	उप योग (ख)	57.85	2181.36	45.1	2309.67	102.95	4491.63
	कुल (क+ख)	185.1	5741.63	61.24	3267.56	246.34	9009.79

शब्द संक्षेप का ब्यौरा

एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०	राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्रीय पनधारा विकास परियोजना
आर०वी०पी०एण्ड एफ०पी०आर०	नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ प्रवण नदिया
डब्ल्यू०डी०पी०एस०सी०ए०	झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना
डी०पी०ए०पी०	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डी०डी०पी०	मरुस्थल विकास कार्यक्रम
आई०डब्ल्यू०डी०पी०	समेकित पनधारा विकास परियोजना

विवरण-II

विभिन्न कृषि जलवायवीय अंचलों में वर्षा जल संग्रहण संरचनायें

क्र० सं०	कृषि जलवायवीय अंचल	जल संग्रहण संरचना
1	2	3
1.	उत्तर पश्चिमी आर्द्र हिमालयी क्षेत्र	(i) छत के जल का संग्रहण (ii) बारहमासी झरनों और नालों को जल संग्रहण संरचना में बदलना (iii) गांवों के तालाब (iv) पहाड़ी ढलानों के पानी का संग्रहण
2.	हिमालय की तराई की पहाड़ियां	(i) पहाड़ी ढलानों के पानी का संग्रहण (ii) गांवों के तालाब (iii) छत के जल का संग्रहण (iv) इन्टरफ्लो हार्वेस्टिंग
3.	आर्द्र तथा उच्च वर्षा वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	(i) छत के जल का संग्रहण (ii) बारहमासी झरनों और नालों को जल संग्रहण संरचना में बदलना
4.	आर्द्र असम बंगाल मैदानी भाग	(i) टैंक (ii) अवरोध बांध (iii) नाली को रोकना (iv) कन्टूर बांध
5.	अर्ध आर्द्र एवं आर्द्र सतलुज गंगा दोमट क्षेत्र	(i) तालाब (ii) अवरोध बांध (iii) नाली को रोकना (iv) कन्टूर बांध
6.	उत्तर-पश्चिमी अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्र	(i) नदी (ii) टंका (iii) खादिन (iv) रिसाव टैंक (v) अनीकट (vi) नाली को रोकना (vii) कन्टूर बांध (viii) रूफ हार्वेस्टिंग
7.	केन्द्रीय अर्ध शुष्क विन्ध्य जोन	(i) तालाब (ii) चैक डेम (iii) कन्टूर बांध (iv) नाली को रोकना (v) उप सतह नहर
8.	उच्च वर्षा एवं अपवाह वाला छोटा नागपुर क्षेत्र	जैसा क्रम संख्या 4 में दिया गया है।
9.	विश्वसनीय वर्षा एवं गहरी काली मिट्टी वाला मालवा पठार तथा नर्मदा-बेसिन	(i) तालाब (ii) चैक डेम (iii) सब-सरफेस डेम
10.	अनिश्चित वर्षा वाला दक्षिण-मध्य पठारी क्षेत्र	(i) तालाब (ii) चैक डेम (iii) रिसाव टैंक (iv) बंधारा (v) नाली का रोकना (vi) सब सर्फेस डेम (vii) कन्टूर बांध
11.	छत्तीसगढ़ का पठारी क्षेत्र	क्रम सं० 10 के अनुसार
12.	दक्षिण पूर्वी भूरी/लाल मिट्टी वाला क्षेत्र	तालाब/टैंक रिसाव टैंक सब सर्फेस डेम
13.	अनिश्चित वर्षा वाले दक्षिण सम्मिश्रित मिट्टी वाला क्षेत्र	(i) तालाब/टैंक/कुन्टा (ii) नदी (iii) चैक डेम (iv) रिसाव टैंक (v) सब-सर्फेस डेम (vi) नाली को रोकना
14.	दक्षिणी द्विमाडल वर्षा क्षेत्र	(i) तालाब/टैंक (ii) रिसाव टैंक (iii) नाली को रोकना (iv) कन्टूर बांध (v) चैक डेम
15.	पूर्वी कोरोमण्डल	(i) तालाब/टैंक/कुन्टा (ii) नदी

1	2	3
		(iii) चैक डेम
		(vi) रिसाब टैंक
		(v) सब सर्फेस डेम
		(vi) नाली को रोकना
16.	पश्चिमी मालाबार	(i) तालाब/टैंक/कुन्टा
		(ii) चैक डेम
		(iii) रिसाव टैंक
		(vi) कन्टूर बांध
		(v) बंधारा
		(vi) कोल्हापुर टाइप बंधारा
		(vii) सब-सर्फेस डेम

कृषि क्षेत्र के विकास और विस्तार हेतु प्रोत्साहन

1647. **श्री धनुषकोडी आर० अतियन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र के तीव्र विकास और विस्तार के लिए निजी क्षेत्र को आर्थिक प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत आज की तिथि तक लाभान्वित हुए निजी क्षेत्र के संस्थान कौन से है; और

(ग) आज की तिथि तक इन संस्थानों के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि मंजूर की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के मध्यावधि मूल्यांकन ने कृषि के विकास में सार्वजनिक निजी सहभागिता और सार्वजनिक निवेश का सम्पूरण करने के लिए कृषि में गैर सरकारी निवेश को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल दिया है। वे क्षेत्र जिनमें गैर सरकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, में बागवानी विकास, कृषि विपणन अवसंरचना का विकास, भण्डारण सुविधाओं का विकास, बीज उत्पादन और वितरण, विस्तार सेवाओं का प्रावधान शामिल हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में गैर सरकारी क्षेत्र को पश्च-अंत राजसहायता के रूप में अथवा अन्यथा जरूरत आधारित आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिनमें बागवानी विकास, कृषि क्लिनिकों और कृषि-व्यापार की स्कीम के माध्यम से विस्तार सेवाओं का प्रावधान, विपणन अवसंरचना की स्थापना, फसलोपरान्त अवसंरचना जैसे ग्रामीण गोदाम, शीतागार इकाईयां और प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में तिलहनों और दलहनों का उत्पादन

1648. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 जून, 2005 को मध्य प्रदेश सरकार से जापानी सहायता से मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तिलहनों और दलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए 108.15 करोड़ रुपये का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) उक्त योजना को कब तक लागू कर दिया जायेगा;

(घ) क्या इस राज्य ने 16 जून, 2004 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) को मसालों पर अनुसंधान हेतु दो केन्द्रों की स्थापना के लिए भी एक प्रस्ताव भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दे दी जायेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) प्रस्तावित परियोजना जापानी अंतरराष्ट्रहय सहकारी एजेन्सी (जे०आई०सी०ए०) द्वारा वित्तपोषण के लिए है और दाता एजेन्सियों के समक्ष रखे जाने के लिए इसे आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया गया है।

(घ) से (च) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के कुलपति ने भा०कृ०अ०प० से मध्य प्रदेश में मंदसौर और ग्वालियर में लहसुन, धनिया और मेथी पर अनुसंधान के नए केन्द्र खोलने का अनुरोध किया था। इन प्रस्तावों पर परिषद में जांच की गई और यह सूचित किया गया है कि मसालों संबंधी अखिल भारत समन्वित अनुसंधान परियोजना (ए०आई०सी०आर०पी०एस०) के अंतर्गत 20 केन्द हैं, जो पूरे देश में फैले हैं, जिनमें जोबनेर, अजमेर और रायगढ़ स्थित केन्द्र शामिल हैं, जो वैसी ही कृषि-पारिस्थितिकी परिस्थितियों में आते हैं जो मंदसौर और ग्वालियर में प्रचालित हैं। तद्नुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्राधिकारी यह महसूस करते हैं कि प्रस्तावित नए केन्द्रों का कोई औचित्य नहीं है।

ई०पी०एफ० के अंतर्गत औद्योगिक कामगार

1649. **श्री गणेश सिंह :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के केवल 10 प्रतिशत औद्योगिक कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि (ई०पी०एफ०) का लाभ मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कामगारों को श्रम कानूनों का शत-प्रतिशत लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को ई०पी०एफ०ओ० कार्यालयों में बेईमान व्यक्तियों की गतिविधियों की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो कामगारों के शोषण को रोकने के लिए एजेंटों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, अधिनियम की धारा 16के उपबंधों के अध्यधीन, उस प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू है जो अधिनियम की अनुसूची-I में उल्लिखित किसी उद्योग में लगा एक कारखाना है अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्रतिष्ठान है और जिसमें 20 अथवा इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं।

दिनांक 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश क्षेत्र में निधि के 14,42,911 सदस्य थे।

(ग) इस अधिनियम का प्रवर्तन उसमें सम्मिलित उपबंधों के अनुसार किया जा रहा है।

(घ) जी, हां। उप क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में बंद प्रतिष्ठानों से संबंधित दो मामलों का पता चला था।

वर्ष 2003 के दौरान, मैसर्स साउंउ जबेयरडेड यूनियन इंडिया (प्रा०) लिमि० के संबंध में 27.98 लाख रुपये की राशि की एक धोखा-धडी कुछ बाहरी लोगों द्वारा संगठन के अधिकारियों की मदद से की गई।

वर्ष 2004 के दौरान एक अन्य मामले में मैसर्स भारत फाउन्ड्री वर्क्स के संबंध में 1.98 लाख रुपये धोखाधड़ी से निकाल लिए गए थे।

(ङ) दोनों मामले विस्तृत जांच के लिए सी०बी०आई० को संदर्भित कर दिए गए थे क्योंकि इसमें कुछ बाहरी व्यक्ति संलिप्त थे।

"री-इन्वेंटिंग ई०पी०एफ० इंडिया" परियोजना ऐसे अनैतिक क्रियाकलापों को रोकने, पारदर्शिता लाने, लेखा परीक्षा जांच आदि और के लिए बनाई गई है।

[अनुवाद]

कीटनाशकों के उत्पादन में खतरनाक रसायनों का प्रयोग

1650. श्री पी० मोहन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कीटनाशकों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले खतरनाक रसायनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कौन-कौन से कीटनाशकों के उत्पादन में 'परसिसटेंट आर्गेनिक पोल्युटेंट' रसायनों का प्रयोग आधार के रूप में किया जाता है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्डिक) : (क) कृषि और सहकारिता विभाग जो कीटनाशी अधिनियम, 1968 के लिए प्रशासनिक विभाग है, के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति, कीटनाशकों की मानव और पशुओं पर प्रभावकारिता और सुरक्षा के बारे में संतुष्ट होने के बाद उनके आयात/विनिर्माण के लिए पंजीकरण मंजूर करती है। पंजीकरण के लिए आवेदनों की संवीक्षा करते समय विनिर्माण की प्रक्रिया के, प्रतिक्रियात्मक तत्वों के प्रयोग की दृष्टि से सुरक्षा हेतु उनके स्वरूप और प्रमात्रा की भी जांच की जाती है। जिन कीटनाशकों को मानव और पशुओं के लिए सुरक्षित नहीं पाया जाता है, उनका पंजीकरण नहीं किया जाता है।

(ख) स्टॉकहोम समझौते के अंतर्गत परसिसटेंट आर्गेनिक पोल्युटेंट के रूप में सूचीबद्ध 8 कीटनाशकों में से 7 कीटनाशकों के प्रयोग और विनिर्माण पर सरकार ने पहले ही प्रतिबंध लगाया हुआ है। आठवें कीटनाशक, अर्थात डी०डी०टी० के कृषि में प्रयोग पर भी सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। तथापि, इसका प्रयोग सिर्फ जन स्वास्थ्य प्रयोजनों और डिकोफॉल के विनिर्माण के लिए ही किया जा रहा है।

दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश

1651. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश (एम० एंड एम०पी०ओ०) में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आयातित दुग्ध और दुग्ध उत्पादों ने घरेलू उत्पादन को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार घरेलू सहकारिताओं और दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए देश में निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाएं क्रियान्वित कर रही है :—

1. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम।

2. सहकारिताओं को सहायता।

3. गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।

4. डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष।

निर्माण कार्य से जुड़े कामगार

1652. **श्री धनुषकोडी आर० अतिथन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण कार्य से जुड़े कामगारों के कल्याणार्थ निर्माण क्षेत्र की परियोजनाओं पर उपकर लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माण कार्य से जुड़े अधिकतर कामगार अकुशल हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन कामगारों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (ङ) भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत निर्माण कामगारों के लाभार्थ विभिन्न कल्याण क्रियाकलापों के वित्त पोषण के लिए 10,00 लाख से अधिक की लागत वाली और 10 से अधिक कामगारों को नियोजित करने वाली सभी निर्माण परियोजनाओं पर 1 प्रतिशत की दर से उपकर उगाही का प्रावधान है। इस अधिनियम के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों का है। निर्माण कामगारों के कौशल परीक्षण और प्रमाणन की विश्वसनीय प्रणाली विकसित करने और उन संस्थानों/गैर-सरकारी संगठनों की पहचान करने जिन्हें परीक्षण और प्रमाणन के लिए लगाया जाएगा, के उद्देश्य से सरकार द्वारा हाल ही में, एक केन्द्र प्रायोजत योजना शुरू की गई है। निर्माण उद्योग विकास परिषद् (सी०आई०डी०सी०) ने भी निर्माण कामगारों के कौशल विकास के लिए अनेक भिन्न-भिन्न ट्रेडों/क्षेत्रों को विकसित किया है।

[हिन्दी]

वन सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए मध्य प्रदेश से प्रस्ताव

1653. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जर्मनी द्विपक्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत वन प्रशिक्षण संस्थान तथा वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक स्वीकृत कर दिये जाने की संभावना है तथा राज्य सरकारों को कितनी धनराशि जारी की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) भारत-जर्मनी द्विपक्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान के लिए राज्य सरकार से "मध्य प्रदेश में वानिकी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के विकास" हेतु एक कन्सेप्ट नोट प्राप्त हुआ है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसी परियोजनाएं विदेशी दाताओं को प्रस्तुत की जाती हैं। इन परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु कोई समय सीमा का संकेत नहीं दिया जा सकता क्योंकि दाता उनके निधिकरण करने से सहमत अथवा असहमत हो सकते हैं।

[अनुवाद]

द्वितीय हरित क्रान्ति की उपलब्धियां

1654. **श्री पी० मोहन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना के अंतर्गत प्रथम तीन वर्षों के दौरान देश में कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) क्या द्वितीय हरित क्रान्ति की प्राप्ति के लिए यह वृद्धि पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तिथि में कुल कृषि योग्य तथा बंजर भूमि कितनी है;

(ङ) देश में ऐसी भूमि का क्षेत्रफल कितना है जिस पर खेती की जाती है;

(च) क्या सरकार के पास बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने की कोई योजना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) आज की तिथि के अनुसार देश में बेरोजगार कृषि श्रमिकों की कुल कितनी संख्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) संशोधित आधार वर्ष (अर्थात 1999-2000 मूल्यों) के साथ केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा निर्मुक्त आंकड़ों के अनुसार दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास दर नीचे दी गई है :—

वर्ष	1999-2000 मूल्यों पर कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास दर (%)
2002-03	-6.9
2003-04	10.0
2004-05	0.7

(ख) और (ग) कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों के माध्यम से वर्द्धित ऋण कवरेज, सिंचाई विस्तार, फसल विविधीकरण, विपणन अवसंरचना, शुष्क भूमि कृषि, बागवानी, विस्तार सेवाओं और भण्डारण सुविधाओं के क्षेत्रों में कई पहलें की गई हैं। इस प्रक्रिया को कृषि यंत्रीकरण, कृषि क्लिनिकों और कृषि व्यापार केन्द्रों के माध्यम से सुदृढ़ किया जा रहा है। उच्च निवेश के क्षेत्रों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को सम्मिलित करते हुए सूक्ष्म सिंचाई, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सर्वांगीय दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। आशा की जाती है कि इन पहलों से विकास और उत्पादकता बढ़ाने के अतिरिक्त क्षेत्र में रोजगार और आय का सृजन होगा।

(घ) और (ङ) देश में कुल कृषि योग्य भूमि 182.7 मिलियन हैक्टेयर है और कुल बंजर भूमि 18.0 मिलियन हैक्टेयर है। कृषि के अंतर्गत भूमि 154.3 मिलियन हैक्टेयर है जो कि कृष्य और बंजर भूमियों दोनों का कुल 76.9 प्रतिशत होता है।

(च) और (छ) सरकार पनधारा विकास दृष्टिकोण के माध्यम से बंजर भूमि/अवक्रमित भूमि के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। ये हैं :—

(i) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०)

(ii) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०)

(iii) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना (आई०डब्ल्यू०डी०पी०)

(iv) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण (टी०डी०ई०टी०)

(v) निवेश संवर्द्धन स्कीम (आई०पी०एस०)

(vi) गैर सरकारी संगठनों को समर्थन और

(vii) बंजर भूमि विकास कार्य बल (डब्ल्यू०डी०टी०एफ०)

(ज) वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०) द्वारा आयोजित 55 वें चक्र के पंचवार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार सामान्य प्रमुख और सहायक स्तर (यू०पी०एस०एस०) पर कृषि में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 283 मिलियन है और चालू दैनिक स्तर (सी०डी०एस०) पर 191 मिलियन है। इससे कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी का संकेत मिलता है।

एफ०सी०आई० द्वारा सी०डब्ल्यू०सी० के गोदामों का उपयोग

1655. श्री जी० करूणाकर रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्तमान में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम की कितनी भंडारण क्षमता का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम की भंडारण क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) केन्द्रीय भण्डारण निगम के स्वामित्वाधीन 13.6 लाख टन भंडारण स्थान का भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण के लिए उपयोग किया जा रहा है।

(ख) केन्द्रीय भण्डारण निगम के भंडारण स्थान का भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपयोग में वृद्धि करने के लिए सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को यह अनुदेश दिए हैं कि वे 25% से कम उपयोग वाले निजी गोदामों (ढके हुए तथा कैप) को किराए से हटा दें। भारतीय खाद्य निगम को यह सलाह भी दी गई है कि वे खाद्यान्नों के भंडारण के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों को किराए पर लेने को प्राथमिकता दें।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को पर्यावरणीय स्वीकृति

1656. श्री जी०एम० सिद्दीश्वर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लंबित पड़े प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु कर्नाटक राज्य से कई प्रस्ताव भी सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इतने से लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए मानदण्डों में छूट दिए जाने का प्रस्ताव क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वन रोपण

1657. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू योजना में देश में वनरोपण कार्यकलाप शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ है;

(ग) अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा उपयोग में लाई गई है;

(घ) विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत आबंटित धनराशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) चालू योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दसवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान देश में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन०ए०पी०) स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम को वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण और गांव स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे०एफ०एम०सी०) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। देश में 6.2.2006 तक, 22,878 जे०एफ०एम०सी० के माध्यम से 1489.42 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 9.04 लाख हैक्टेयर के क्षेत्र के उपचार के लिए, 680 एफ०डी०ए० परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। परियोजना क्षेत्र, कुल परियोजना लागत और उन्हें जारी की गई निधियों सहित अनुमोदित एफ०डी०ए० परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवण में दी गई है।

(घ) और (ङ) अनुमोदित परियोजना में अभिज्ञात गतिविधियों के अनुसार एफ०डी०ए० और जे०एफ०एम०सी० द्वारा निधियां उपयोग में लाई गई है और ग्राम स्तर पर माइक्रोप्लान में समाविष्ट है। परियोजना के लिए अगली किस्त केवल तभी जारी की गई है जब सन्तोषजनक तरीके से किया गया हो। एफ०डी०ए० परियोजनाओं की निगरानी त्वरित क्रियान्वयन और निधियों की उपयोग में लाने के लिए और इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार स्तर पर राष्ट्रीय-स्तर की विषय निर्वाचन समिति द्वारा और राज्य स्तर पर राज्य-स्तरीय समन्वय समिति द्वारा लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य वन विभाग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारी, एफ०डी०ए० परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से क्षेत्रों के दौरे करते हैं।

विवरण

(6.2.2006 तक)

क्र० सं०	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का नाम	अनुमोदित एफ०डी०ए० परियोजना प्रस्तावों की संख्या	कुल परियोजना क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	32	47400	82.35	39.98
2.	अरूणाचल प्रदेश	13	19476	24.45	11.69
3.	असम	29	26955	36.56	19.07
4.	बिहार	7	10150	13.57	6.44
5.	छत्तीसगढ़	31	41814	72.87	49.22
6.	गोवा	3	1250	2.39	0.64
7.	गुजरात	21	30445	60.87	27.14
8.	हरियाणा	16	21055	52.24	37.25
9.	हिमाचल प्रदेश	27	32378	52.53	25.64
10.	जम्मू और कश्मीर	31	47839	74.61	21.75
11.	झारखण्ड	27	38600	55.04	25.93
12.	कर्नाटक	43	57880	110.42	73.74
13.	केरल	23	15840	47.44	10.29
14.	मध्य प्रदेश	47	75500	110.83	66.59
15.	महाराष्ट्र	45	65738	98.62	42.47

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	13	18374	26.58	19.21
17.	मेघालय	7	7400	12	7.63
18.	मिजोरम	19	26770	60.12	45.97
19.	नागालैंड	16	25528	37.71	30.39
20.	उड़ीसा	34	50727	65.17	38.4
21.	पंजाब	7	6515	14.16	5.6
22.	राजस्थान	30	27340	38.19	20.93
23.	सिक्किम	7	15280	27.72	20.42
24.	तमिलनाडु	32	52253	93.23	55.6
25.	त्रिपुरा	12	19405	25.57	16.31
26.	उत्तर प्रदेश	58	63004	103.88	82.06
27.	उत्तरांचल	34	37050	51.58	26.54
28.	पश्चिम बंगाल	16	22656	38.72	19.31
	कुल	680	904622	1489.42	846.21

न्यूनतम मजदूरी

1658. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए मजदूरी की विभिन्न दरें हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में 2004-05 के दौरान न्यूनतम मजदूरी की दर कितनी थी तथा किन-किन क्षेत्रों में कार्य के किन अलग-अलग प्रकारों के लिए राज्य-वार कितनी न्यूनतम मजदूरी दी जाती है;

(ग) क्या मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी का बड़ा भाग दलाल हड़प लेते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का पूरा लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। न्यूनतम मजदूरी को दोनों केन्द्र और राज्य स्तर पर क्रमशः मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) और राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से प्रवर्तित किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। वे नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और जब कभी भुगतान न किए जाने या मजदूरी का कम भुगतान किए जाने संबंधी कोई मामला उनके ध्यान में आता है तो वे नियोजक को कम अदा की गई मजदूरी का भुगतान किए जाने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह न मानने पर नियोजक कानूनी और शास्ति कार्रवाई के अध्यधीन होंगे।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	न्यूनतम मजदूरी की प्रतिदिन दर (रुपयों में)
1	2	3
	केन्द्रीय	61-115
	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
1.	आंध्र प्रदेश	45-110
2.	अरूणाचल प्रदेश	55-57
3.	असम	48-97
4.	बिहार	66-71
5.	छत्तीसगढ़	53-79
6.	गोवा	56-94
7.	गुजरात	50-99
8.	हरियाणा	87-88
9.	हिमाचल प्रदेश	65
10.	जम्मू और कश्मीर	66
11.	झारखंड	68
12.	कर्नाटक	56-99
13.	केरल	72-174
14.	मध्य प्रदेश	57-87
15.	महाराष्ट्र	44-149

1	2	3
16.	मणिपुर	70-72
17.	मेघालय	70
18.	मिजोरम	91
19.	नागालैण्ड	66-70
20.	उड़ीसा	53
21.	पंजाब	91
22.	राजस्थान	73-76
23.	सिक्किम	85
24.	तमिलनाडु	54-150
25.	त्रिपुरा	50-66
26.	उत्तर प्रदेश	57-110
27.	उत्तरांचल	62-95
28.	पश्चिम बंगाल	44-123
29.	अंडमान एवं निकोबार	100-107
30.	चंडीगढ़	114
31.	दादर और नागर हवेली	89
32.	दमन और दीव	75
33.	दिल्ली	122
34.	लक्षद्वीप	70
35.	पांडिचेरी	45-100

[अनुवाद]

राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना

1659. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना (आर०डब्ल्यू०एस०आर०पी०) के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इसके लिए केन्द्रीय सहायता की कितनी धनराशि प्रस्तावित है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (घ) राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (आर०डब्ल्यू०एस०आर०पी०) एक बाह्य वित्त पोषित निर्माणधीन परियोजना है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित यह परियोजना मार्च, 2002 में शुरू की गई थी। परियोजना की अनुमानित लागत 180.22 मिलियन अमेरिकी डालर है।

[हिन्दी]

भू-जल स्तर के बारे में निर्णय

1660. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री जीवाभाई ए० पटेल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने भू-जल स्तर के बारे में कोई निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई तथा इसका क्या परिणाम निकला?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) अंतर्वर्ती आवेदन सं० 32 के माध्यम से श्री एम०सी० मेहता अधिवक्ता द्वारा समाचार मद को ध्यान में लाने के पश्चात् भारत के उच्चतम न्यायालय ने 20 मार्च, 1996 को भूजल स्तर की गिरावट संबंधी मामला उठाया। 10 दिसम्बर 1996 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह निर्देश देते हुए आदेश पारित किया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3(3) के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में प्राधिकरण के रूप में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड का गठन करे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुन: आदेश दिया कि प्राधिकरण का गठन इस प्रकार किया जाए ताकि वह भूजल प्रबंधन एवं विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के प्रयोजन के लिए आवश्यक अधिनियम के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग कर सके।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने 14 जनवरी, 1997 को एक अधिसूचना जारी की और भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के उद्देश्य से केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के रूप में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड का गठन किया। इस प्रकार से गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भूजल के विकास के विनियमन के उपाय उठाए जिसमें 20 अति संकटपूर्ण/अतिदोहित क्षेत्रों को

अधिसूचित करनी शामिल है जहां प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना नई भूजल निकासी संरचनाओं की स्थापना नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा जल निकासी संरचनाओं के पंजीकरण के लिए 32 ऐसे संकटपूर्ण क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है जहां भूजल स्तर में गंभीर गिरावट देखी गई है तथा इसके विनियमन के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है। प्राधिकरण ने दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव एवं गाजियाबाद के अधिसूचित क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में जहां भूजल सतह से भूजल स्तर 8 मीटर से नीचे है, वहां ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों संस्थानों, होटलों, उद्योगों, फार्म हाउसों आदि में वर्षा जल संचयन प्रणाली को अपनाने के निर्देश भी दिए हैं। यह देश में अति दोहित, संकटपूर्ण एवं अर्ध-संकटपूर्ण क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा भूजल की निकासी को भी नियमित करता है। इसने देश के विभिन्न भागों में जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया जिससे लोगों को मौजूदा भूजल की स्थिति और वर्षा जल संचयन की आवश्यकता के संबंध में जानकारी देने में सहायता प्राप्त हुई तथा विभिन्न भूभागों एवं विविध जल वैज्ञानिक स्थितियों में भूजल संवर्धन के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं के अभिकल्पन के लिए संसाधन के रूप में व्यक्तियों को तैयार करने में भी सहायता मिली।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्रों के लिए एक विशेषज्ञ निकाय

1661. **श्री ए० साई प्रताप :**
श्री एम० राजा मोहन रेड्डी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष किस्म की फसलों को उगाने हेतु सही प्रकार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए गहन अध्ययन करने और कृषि क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) दिनांक 27-28 जून, 2005 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद (एन०डी०सी०) की 51वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कृषि तथा संबद्ध मुद्दों के लिए कार्यान्वित करने योग्य कार्रवाई योजनाओं को तैयार करने हेतु केन्द्रीय कृषि तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में कृषि एवं संबंधित मुद्दों पर एक उप समिति गठित की गई थी। दिनांक 4 अक्तूबर, 2005 को अपनी पहली बैठक में उप समिति ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्र/फसल विशिष्ट उत्पादकता विश्लेषण तथा कृषि जलवायु क्षेत्रों पर कार्यकारी दल सहित छः कार्यकारी दल गठित कराने का निर्णय लिया था।

सामाजिक वानिकी

1662. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में अभी तक कुल कितना क्षेत्र सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत है और उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई हैं;

(ख) कितने प्रतिशत वृक्ष लगाए गए थे और उनमें से अब तक कितने बचे है;

(ग) क्या सरकार का विचार वृक्षों को बेहतर तरीके से बचाना सुनिश्चित करने हेतु कोई पहल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, देश में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन०ए०पी०) स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम को वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफ०डी०ए०) और गांव स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे०एफ०एम०सी०) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में 75,500 हैक्टेयर के कुल परियोजना क्षेत्र के उपचार के लिए 110.83 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 47 एफ०डी०ए० परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और 6.2.2006 तक 66.59 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ख) से (घ) 2004-05 के दौरान, मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए स्वतंत्र मूल्य-निर्धारणकर्ताओं द्वारा मध्य प्रदेश के 5 एफ०डी०ए० परियोजनाओं के प्रथम समवर्ती मूल्यनिर्धारण के अनुसार, रोपे गए पौधों के जीवित रहने की प्रतिशतता 72 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के बीच है। एफ०डी०ए० द्वारा उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्य वन विभाग के साथ मूल्यनिर्धारण रिपोर्टों पर चर्चा की जाती है। अनुवर्ती कार्रवाई में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं — परियोजना कार्यान्वयन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपाय जो अन्य बातों सहित बेहतर उत्तरजीविता और उन्नत उत्पादकता पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई को त्वरित करने के लिए मूल्य निर्धारणकर्ताओं, राज्य वन विभागों और एफ०डी०ए० के बीच अन्योन्यक्रिया को सुगम बनाने के लिए क्षेत्रीय विचार-विमर्श कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाती हैं।

भू-जल पर सम्मेलन

1663. श्री उदय सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सतत विकास हेतु भू-जल समस्याएं, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियाँ" पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो की गई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या देश में भू-जल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है;

(घ) यदि हां, तो भू-जल में ऐसे संदूषण को रोकने के लिए क्या नीति बनाई गई है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों के बारे में विचार-विमर्श केन्द्रित किए गए थे :–

- स्थाई जल संसाधन आकलन
- पुनर्भरण प्रक्रियाएं और कृत्रिम पुनर्भरण
- जल और पर्यावरण
- कोमल और कठोर चट्टान वाली जल मृत्त प्रणालियों में माडलिंग और इसका अनुप्रयोग
- भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड
- भूजल के प्रबंधन पहलू

इस सम्मेलन की परिचर्चा में हाल की गतिविधियों पर आधारित ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित पेय जल मुहैया कराने, भूजल प्रदूषण और सुरक्षित पेय जल मुहैया कराने के व्यवहार्य समाधान में विकासशील देशों में साझी समस्याओं का निवारण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समितियों को शामिल करने, ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल को संदूषण से सुरक्षित रखने के लिए स्थाई कार्यनीति का विकास करने तथा बहुमूल्य भूजल संसाधनों के संरक्षण, संवर्द्धन और विनियमन करने की तात्कालिक आवश्यकता, बढ़ती हुए जटिल भूजल प्रदूषण समस्याओं से निपटने के लिए सम्पूर्णतावादी दृष्टिकोण तैयार करने, सुरक्षित पेय जल मुहैया कराने तथा इसके स्थाई विकास को सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया। इसमें स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं, इंजीनियरी और भूरसायनिक समाधानों, नवीन दृष्टिकोणों और सामाजिक आयामों जैसे नये अंतर्विषयक क्षेत्रों में विस्तार सहित ऐसी कार्रवाई को जारी रखे जाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के मुख्य भागों में भू-जल कुल मिलाकर पीने योग्य है। तथापि, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर भूजल अधिकांशत: धारक चट्टानों से संदूषण, उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, औद्योगिक और घरेलू बहिस्राव खनन अपशिष्टों, लवणीय जल प्रवेश आदि के कारण खराब गुणवत्ता वाला है।

(घ) "जल" राज्य का विषय होने के कारण, भूजल के संदूषण को रोकने संबंधी उपाय करने का दायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों का होता है। तथापि, इस संबंध में केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित उपाय भी शुरू किए हैं :–

(i) केन्द्र सरकार ने भूजल प्रबंधन और विकास को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी०जी०डब्ल्यू०ए०) की स्थापना की है।

(ii) जल संबंधी मितव्ययिता, कुशल उपयोग, स्वास्थ्य, साफ-सफाई और स्वच्छता के महत्व पर जन-जागरूकता और शिक्षा संबंधी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(iii) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन त्वरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०) के अंतर्गत ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेय जल के प्रावधान करने में राज्यों की सहायता और मार्गदर्शन भी कर रहा है। गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में जहां भूजल पीने के लिए अनुपयुक्त है वहां पर, सुरक्षित पेय जल या तो वैकल्पिक स्रोतों, सतही जल का उपयोग करके अथवा अन्य साधनों के द्वारा फ्लोराइड रहित करके लौहरहित और आर्सेनिक रहित करने जैसे सुधारात्मक उपायों को शुरू करके आपूर्ति की जाती है।

(iv) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी०पी०सी०बी०) ने निर्धारित मानकों के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से उद्योगों को बहिस्राव के निस्सरण को सीमित करने के निदेश देने, साझा बहि:स्राव संयंत्रों की स्थापना करने और गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में गुणवत्ता निगरानी स्कीम शुरू करने के वास्ते लघु उद्योग की इकाइयों के समूहों को सहायता देने की स्कीम शुरू करने जैसे कई उपायों को अपनाया है।

मत्स्यपालन प्रशिक्षण और विस्तार इकाइयां

1664. श्री डी०वी० सदानन्द गौडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 से मंजूर मत्स्यपालन प्रशिक्षण और विस्तार इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी राशि जारी की गई;

(ग) क्या कतिपय राज्यों विशेषकर कर्नाटक से ऐसी इकाइयों की मंजूरी के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत बिहार, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को 2004-05 से पांच (5) मत्स्यपालक प्रशिक्षण केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ख) इन राज्यों को इस उद्देश्य के लिए 2004-05 से आज की तारीख तक 79.13 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

(ग) और (घ) सरकार के पास मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार यूनिट की स्वीकृति के लिए कर्नाटक राज्य का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

पब्लिक प्राइवेट भागीदारी हेतु रोड मैप और स्ट्राटेजी प्लान

1665. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जोवाकिम बखला :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि में पब्लिक प्राइवेट भागीदारी हेतु रोड मैप और स्ट्राटेजी प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करने, संयुक्त योजना कार्यक्रम बनाने और आम हित के क्षेत्र में निवेश करने के लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है;

(ग) क्या नीति में वैश्विक बाजार में पहुंच, उत्पादों और प्रक्रिया की वैधता और प्रशिक्षण पर केन्द्रित क्षमता निर्माण जैसे मुख्य क्षेत्र शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसका अन्य ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के मध्यावधिक मूल्यांकन में कृषि के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी०पी०पी०) पर जोर दिया गया है। वे क्षेत्र जिनमें सार्वजनिक सैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं उन्हें बागवानी विकास, कृषि विपणन असरंचना विकास, भंडारण सुविधाओं का विकास, बीज उत्पादन और वितरण, विस्तार सेवाओं के प्रावधान के रूप में दर्शाया गया है।

विगत में विभिन्न मंचों पर पी०पी०पी० के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया है और इस संबंध में कई क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है जैसे-सरकारी हस्तक्षेपों को पुनः परिभाषित करना ताकि भारतीय कृषि को मांग चालित बनाया जा सके, अपनी पहलों में निजी क्षेत्र की सफलता संबंधी विवरणों का प्रचार ताकि किसानों की आय और किसानों की भागीदारी बढ़ाई जा सके, कृषि अवसंरचना, खाद्य सुरक्षा, शीत श्रृंखला, अनुसंधान और विकास और कृषि विस्तार सेवाओं में सार्वजनिक निवेश को उच्चतर बनाना।

भीलागंना नदी को पट्टे पर देना

1666. **श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरांचल सरकार ने 22.5 मेगावॉट क्षमता वाली भीलागंना पनविद्युत परियोजना को स्थापित करने हेतु मैसर्स स्वास्ति पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड नामक एक निजी कंपनी को टिहरी गढ़वाल में भीलागंना नदी को 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, नहीं। भीलागंना नदी किसी कंपनी को पट्टे पर नहीं दी गई है। तथापि उत्तरांचल सरकार द्वारा मैसर्स स्वास्ति पावर इंजीनयरिंग लिमिटेड को 22.5 मैगावाट पनविद्युत पैदा करने के लिए एक विशिष्ट स्थल को 40 (चालीस) वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) परियोजना इस समय निर्माणाधीन है। इसके दिसम्बर, 2007 में चालू होने की आशा है।

द्वितीय हरित क्रांति

1667. श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री पी०सी० थामस :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल में हैदराबाद में आयोजित साइन्स कांग्रेस में देश में द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तराल को पाटने हेतु कोई रणनीति तैयार की है और आधुनिक कृषि सेवा हेतु प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। प्रधान मंत्री ने बताया कि प्रथम हरित क्रांति से प्रवर्तित प्रौद्योगिकियों और रणनीतियों ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है और इसलिए गैर-खाद्य फसलों, बागवानी, नई पादप किस्मों में एक दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है। उन्होंने सामयिक अनुसंधान पर जोर दिया जो कि फार्म उत्पादकता बढ़ा सके और निवेशों के उपयोग की क्षमता में वृद्धि कर सके; जिससे फार्म प्रबंधन कार्यों में सुधार लाया जा सके; जो भंडारण परिवहन और प्रसंस्करण में बेहतर सस्योत्तर प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के जरिए सस्योत्तर हानियों को कम कर सके; जो अंतिम विश्लेषण में बेहतर किसान स्तर पर बेहतर आय देने में पैदावार और मूल्य वर्धन दोनों में वृद्धि कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करना अति महत्वपूर्ण है कि हमारे जो देशवासी भरण–पोषण के लिए कृषि पर निर्भर हैं, वे प्रौद्योगिकी और ज्ञान के इस युग में पीछे न रह जाएं।

(ग) और (घ) जी, हां। परिषद ने कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यनीतियों की पहचान की है जिनसे भूख मिटाई जा सके, रोजगार मिल सके और कृषि आय में वृद्धि हो सके। इससे अन्ततः ग्रामीण और शहरी विभाजन का अंतर भी कम हो सकेगा। फसल सुधार और पादप संरक्षण, बारानी क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाना, जल संसाधनों का बहु उपयोग, समेकित पोषण प्रबंधन, अम्ल, लवण और क्षारीय मृदाओं का सुधार, बागवानी का विकास, कृषि और बागवानी फसलों तथा मात्स्यिकी का बीज उत्पादन, अधिक उत्पादक लाभकारी फसल प्रणालियां, संसाधन संरक्षण वाली प्रौद्योगिकियां, कृषि विविधता, पशुधन और मात्स्यिकी सुधार तथा प्रबंधन, फार्म यंत्रीकरण तथा प्रसार प्रणाली को सुदृढ़ करना और कृषि पूर्ति करने वाली परामर्श सेवाएं कार्यान्वित की जाने वाली रणनीति के महत्वपूर्ण अंग हैं।

खरीद और वितरण संबंधी वेबसाईट

1668. श्रीमती मेनका गांधी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की दैनिक खरीद और वितरण संबंधी सरकार की कोई वेबसाईट है और जिसे नियमित तौर पर अद्यतन बनाया जाता है;

(ख) क्या सूचना प्रौद्योगिकी के साथ अपने सभी उचित मूल्य और राशन की दुकान को जोड़ने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि वितरण के बारे में वास्तव में अद्यतन जानकारी मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां। यह बेबसाइट www.fcamin.nic.in है।

(ख) और (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों के कंप्यूटरीकरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2006-07 के लिए निधियां जारी करने हेतु 5.00 करोड़ रुपये (अनंतिम) आबंटित किए गए हैं।

अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार

1669. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सकरार से अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभान्वितों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु राज्य से ही खरीदी गई चावल की सम्पूर्ण मात्रा के उपयोग के लिए भी अनुमति मांगी है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़वाने के लिए सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय किसी भी राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की कुल संख्या के लगभग 38% को अंत्योदय अन्न योजना के अधीन कवर किया गया है। इस प्रकार आंध्र प्रदेश के लिए आकलित परिवारों की संख्या 15.578 लाख है और राज्य सरकार ने सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पहले ही इनकी पहचान कर ली है और इन सभी परिवारों को राशन कार्ड जारी कर दिए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम जहां तक संभव होता है आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को राज्य के भीतर वसूल किए गए चावल की ही आपूर्ति करता है।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेकों की उपलब्धता तथा अन्य संभार तंत्रों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सहित खपत वाले प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए इष्टतम संभाव्य स्तर तक अपेक्षित संख्या में खाद्यान्नों के रेकों की योजना बनाई जाती है तथा उनका प्रेषण किया जाता है, ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के तहत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को पर्याप्त तौर पर पूरा किया जा सके और तीन महीने की औसत आवश्यकता के समकक्ष का स्टाक स्तर बनाया जा सके और रखा जा सके। स्टाक की कमी की कोई भी रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारतीय खाद्य निगम को सलाह दी जाती है कि वे अपेक्षित होने पर ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रेकों के इन्डक्शन में प्राथमिकता दें। रेलवे बोर्ड से भी आपूर्ति में वृद्धि करने तथा रेकों के इन्डक्शन के लिए उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

इण्डिया-यू०एस० नॉलिज इनिसिएटिव ऑन एग्रीकल्चर की बैठक

1670. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगठन में 15-16 दिसम्बर, 2005 के दौरान इण्डिया-यू०एस० नॉलिज इनिसिएटिव ऑन एग्रीकल्चर की पहली बोर्ड बैठक हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें किन-किन मामलों पर चर्चा की गई; और

(घ) इस संबंध में अमेरिका किस सीमा तक अपनी पूरी सहायता देने के लिए सहमत हो गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बोर्ड ने लघु अवधि में निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया।

- शिक्षा, जानकारी के संसाधन, पाठ्यक्रम विकास तथा प्रशिक्षण।
- खाद्य प्रसंस्करण तथा उपोत्पादों एवं जैव-ईंधनों का उपयोग।
- जैव-प्रौद्योगिकी।
- जल प्रबन्ध।

(घ) इन क्षेत्रों में भावी सहयोग के निर्धारण के लिए संस्थाओं तथा वित्तीय परिव्यय का पता लगाया जा रहा है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 2 — सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके सहयोग के लिये आभारी हूं। श्री शरद पवार।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : महोदय, मैं तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 26 के अंतर्गत तटीय जल कृषि प्राधिकरण नियम, 2005, जो 22 दिसंबर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 740 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल०टी० 3738/2006]

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल०टी० 3739/2006]

(3) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल०टी० 3740/2006]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के० चन्द्रशेखर राव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 291, जो 26 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 23 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 430(अ) का शुद्धि-पत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल०टी० 3741/2006]

(3) (एक) सेन्ट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एज्युकेशन, नागपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एज्युकेशन, नागपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल०टी० 3742/2006]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल०टी० 3743/2006]

(3) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल०टी० 3744/2006]

(4) (एक) नेशनल लेबर को-ऑपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[श्री कांतिलाल भूरिया]

(दो) नेशनल लेबर को-ऑपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल०टी० 3745/2006]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) वेटेरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेटेरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल०टी० 3746/2006]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत ऑपथैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत ऑपथैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल०टी० 3747/2006]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल०टी० 3748/2006]

(3) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एज्युकेशन, देहरादून के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एज्युकेशन, देहरादून के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल०टी० 3749/2006]

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) पहला संशोधन नियम, 2006, जो 3 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 46(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल०टी० 3750/2006]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 9 — श्री शरद पवार।

यदि आप चाहें, तो इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

कृषि संबंधी स्थायी समिति के छठे और दसवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में *कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : अध्यक्ष महोदय दिनांक 01 सितंबर, 2004 के लोकसभा समाचार भाग-II के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों के निदेश 73क के प्रावधानों के अनुसरण में कृषि संबंधी स्थायी समिति के छठे और दसवे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर मैं यह वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

कृषि पर स्थाई समिति ने वर्ष 2004-2005 के लिए कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (डेयर), कृषि मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों की जांच की तथा कृषि पर स्थाई समिति (2004-2005) की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर आधारित अपनी छठी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट लोकसभा में 2 मार्च, 2005 को प्रस्तुत की गई तथा उसी दिन इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 1, 2, 3, 5, 7 और 10 से संबंधित भारत सरकार के उत्तरों को स्वीकार किया है। समिति ने अपनी सिफारिश संख्या 4, 8, 9 तथा 11 से संबंधित सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया। इसके अतिरिक्त समिति अपनी सिफारिश संख्या 6 से संबंधित सरकार के अंतिम उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए इस विभाग ने इन सभी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पर सरकार के आगे के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

समिति की इन सभी सिफारिशों पर कृषि मंत्रालय के इस विभाग में विचार किया गया है और उन्हें स्वीकार किया गया। समिति द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई सभी सिफारिशों पर कर ली गई/शुरू कर दी गई है। समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों के ब्यौरे तथा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई/आगे की कार्रवाई का विरण अनुबंध-I में संलग्न है।

इसके अलावा, कृषि पर स्थाई समिति ने कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (डेयर) के वर्ष 2005-2006 से संबंधित अनुदान मांगों की जांच की तथा 20 अप्रैल, 2005 को अपनी दसवीं रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की और उसी दिन इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। कृषि मंत्रालय के इस विभाग ने सरकार के उत्तर तैयार किए हैं। और इन्हें समिति को प्रस्तुत किया गया। समिति ने अपनी सिफारिशों पर सरकार के उत्तरों पर विचार किया है।

*ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 3751/2006

समिति की सभी सोलह सिफारिशों पर कृषि मंत्रालय के इस विभाग में विचार किया गया है। और इन्हें स्वीकार किया गया है। समिति द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई के अनुसार सभी सिफारिशों पर कार्रवाई पहले ही कर ली गई है/शुरू की गई है।

समिति की सिफारिशों का विवरण और सरकार के उत्तरों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्तव्य के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यू०सी० बनर्जी की रिपोर्ट आ गई है। *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : इसे बाद में लेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपा कीजिए, हम मद संख्या 13 को लेते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : जिनके ऊपर जुर्म डाला गया है, वे जेल में सड़ रहे हैं *(व्यवधान)*।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रस्ताव है कि विजय कुमार मल्होत्रा जी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को बाद में लिया जाए। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृप्या बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा है कि मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैंने ऐसा नहीं कहा है। कृपया कार्य सूची देखें। प्रश्न काल तथा सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बाद हम नियम 193 के अधीन चर्चा जारी रखेंगे तथा माननीय प्रधान मंत्री उत्तर देंगे। हम सबको इससे सहमत होना चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके सब लेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सलीम, मैंने आपको बोलने का अवसर देने से इन्कार नहीं किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदय, अगर प्रधान मंत्री जी यह भी कह दें कि गोधरा मामले में एक्शन लेंगे, तो हम खुश हो जाएंगे। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री को जब किसी भारी महत्वपूर्ण चर्चा का उत्तर देना हो तो, ऐसा करना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर जाइए। अन्यथा मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनपर विभिन्न राजनैतिक दलों के स्पष्ट विचार हैं। हमें एक-दूसरे के विचारों का आदर करना चाहिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। हमने कहा है कि आपको बोलने का मौका देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने यह नहीं कहा कि आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। हमने तय किया है कि क्वैश्चन आवर के बाद पेपर्स ले होने के बाद

[अनुवाद]

इस मामले पर चर्चा की जाएगी तथा माननीय प्रधान मंत्री उत्तर देंगे। क्या हम माननीय प्रधान मंत्री तथा माननीय विपक्ष के नेता को बोलने का अवसर नहीं दे सकते?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर जाइए। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे शोर-शराबा करने वाले सदस्यों के नाम दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, कृपया अपने स्थान पर जाइए। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य नहीं बैठेंगे, उनके नाम

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

तथा उनके पूरे आचरण को मैं विशेषाधिकार समिति को भेज दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक शर्मनाक व्यवहार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब पहले अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को आज की कार्यवाही का एक कैसेट भेज दूंगा। कल आप देखेंगे कि यहां क्या हुआ है। यह शर्मनाक व्यवहार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसका निर्णय नहीं कर सकते। इसका निर्णय मैं करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक शर्मनाक व्यवहार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सलीम मुझे खेद है कि आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मद संख्या 13, माननीय प्रधान मंत्री।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल आप यह देखेंगे। यदि आपके पास कुछ समय हो तो उस कैसेट को देखना जो मैं आप सबको भेजूंगा। आपने जिस प्रकार का आचरण किया उसे देश ने देखा है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.11 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा — *जारी*

ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई०ए०ई०ए०) में भारत द्वारा किए गए मतदान के बारे में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 17.2.2006 को दिए गए वक्तव्य पर श्री सी०के० चन्द्रप्पन द्वारा 27.2.2006 को उठाई गई चर्चा पर प्रधान मंत्री डा० मनमोहन सिंह का उत्तर

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (डा० मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में हमारे मतदान के संबंध में मेरे स्वतः दिए गए वक्तव्य के पश्चात हुई चर्चा में माननीय सदस्यों ने कई मुद्दे उठाए हैं। महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का आदर करता हूं और इस सम्माननीय सदन में इस विषय पर हुई चर्चा में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

महोदय, अनेक सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होनी चाहिए और ऐसे मुद्दों पर हमारा रूख दूसरे देशों की स्थिति के अनुसार नहीं होना चाहिए। मेरे मित्र श्री गुरूदास दासगुप्त और श्री सुब्रत बोस ने भी यही विचार व्यक्त किए हैं जैसा कि श्री खारबेल स्वाईं ने कहा है। इसमें कोई दो-राय नहीं हो सकती कि सरकार को कोई पूर्व निर्धारित दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए अथवा दूसरे देशों के कहने पर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए तथा तथ्यों की पूर्वाग्रहरहित पड़ताल करने के बाद ऐसे मुद्दों पर कोई रूख बनाना सरकार का कर्तव्य है। मैं सम्मान पूर्वक यह कह सकता हूं कि इस मामले में सरकार ने यही किया है। हमने तथ्यों पर विचार किया है तथा कोई रूख अपनाने से पहले अपना स्वतन्त्र निर्णय लिया है। गुट निरपेक्ष नीति का मूल तत्व भी यही है, मेरे मित्र श्री रूपचंद पाल ने इसी का पालन करने का हमसे अनुरोध किया है।

महोदय, मैं मामले के आवश्यक तथ्यों का संक्षेप में ब्यौरा देता हूं :

- **ईरान को नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को विकसित करने का विधि सम्मत अधिकार है, परन्तु 'सेफगार्डस एग्रीमेंट' के अनुसार इसके कुछ दायित्व और जिम्मेदारियां भी हैं जिसे उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ स्वैच्छिक रूप से पूरा किया।**

[डा० मनमोहन सिंह]

- अनेक अनुत्तरित प्रश्नों की पृष्ठभूमि में ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को विगत अनेक गतिविधियों की जांच में सहायता देने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए सहमत हुआ।

- इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग ईरान द्वारा नवम्बर, 2004 में यूरेनियम संवर्धन और पुनः प्रसंस्करण संबंधी सभी गतिविधियों को स्वैच्छिक रूप से बंद कर देना था।

- तथापि, विगत अगस्त से ईरान ने यूरेनियम हेक्साक्लोराइड का उत्पादन तथा यूरेनियम संवर्धन का कार्य फिर से शुरू कर दिया है।

- सेन्ट्रीफ्यूज आयात और यूरेनियम मेटेलिक हेनिस्फेयर बनाने के डिजाइन संबंधी अनुत्तरित प्रश्न अभी भी बरकरार हैं। यूरेनियम का इस प्रकार से प्रापण सीधे रूप से हमारे लिए चिंता का कारण है।

इन परिस्थितियों में हमारा रूख स्वयं ईरान द्वारा दी गई सूचना और उन तथ्यों पर आधारित था जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा तटस्थ जांच से सामने आए।

अध्यक्ष महोदय, आज अनेक माननीय सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड आफ गवर्नर्स की आज होने वाली बैठक के बारे में भी एक प्रश्न उठाया है। श्री चन्द्रप्पन और श्री ओवेसी ने इस बारे में जिक्र किया। मैं सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा इस मामले को आज किस रूप में लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा पिछले महीने स्वीकृत किए गए संकल्प में कुछ निश्चित उपायों का उल्लेख किया गया है, ईरान तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिन पर चर्चा करेंगे। इस मामले पर वियना में चर्चा चल रही है। सरकार का रूख बातचीत और चर्चा के माध्यम से मामलों का निपटान करने के लिए प्रयासों को बढ़ावा देने की हमारी सतत नीति पर आधारित होगा। मैं मानीनय सदस्यों को आश्वास्त करता हूं कि हमारी सरकार सभा में इस संदर्भ में व्यक्त की गई भावनाओं को ध्यान में रखेगी।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अन्य विकल्पों पर विचार किए जाने की संभावना के संबंध में भी कुछ प्रश्न किए गए थे। इस संबंध में ईरान और रूस के बीच भी चर्चा हुई है। हम आशा करते हैं कि सभी पक्षों को स्वीकार्य समाधान निकल आएगा। हम टकराव, बड़े-बड़े वादे अथवा बाध्यकारी उपायों का समर्थन नहीं करते क्योंकि इनसे केवल क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तथा स्थिति बदतर होती है। भारत ने सतत रूप से यही कहा है कि सभी पक्षों को परस्पर स्वीकार्य समाधान ढूंढने के लिए कार्य करना चाहिए और किसी भी कीमत पर टकराव से बचना चाहिए। इसे संभव बनाने के लिए कूटनीति को कार्यान्वित करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। महोदय, मैं समझता हूं कि संसद और हमारे देश में इस बात पर आम सहमति है कि टकराव भारत या हमारे क्षेत्र के हित में नहीं है। जब भी यह मामला उठेगा, हम इस मसले का परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए गुट निरपेक्ष देशों सहित सभी समान विचार रखने वाले देशों के साथ कार्य करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मे० ज० खंडूडी सहित अनेक माननीय सदस्यों ने ईरान के साथ हमारे संबंधों तथा इस महत्वपूर्ण संबंध पर इन घटनाओं का प्रभाव के संबंध में चिंता व्यक्त की है। जैसा कि मैंने अपने स्वप्रेरणा वक्तव्य में कहा कि हमारी सरकार ईरान के साथ विभिन्न प्रकार के परस्पर लाभदायक संबंधों को और गहरा और विस्तृत करने के लिए वचनबद्ध है। अभी हाल ही मेरे सहयोगी विदेश राज्य मंत्री श्री ई० अहमद ने तेहरान का दौरान किया। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति श्री अहमदीनिजाद तथा ईरान इस्लामी गणराज्य सरकार के कई मंत्रियों के साथ बैठकें की। श्री अहमद ने वहां पारस्परिक हित के सभी मामलों में ईरान के साथ जुड़े रहने की भारत की इच्छा पर बल दिया। महोदय, मैत्रीपूर्ण तथा लाभकारी संबंधों को और भी गहरा बनाने के बारे में दोनों देशों की प्रतिक्रिया एक समान थी। सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रखेगी तथा ईरान मुद्दे को पर्याप्त गंभीरता के साथ निपटाएगी। इस मुद्दे पर कार्यवाही करते समय हम ईरान के साथ अपने संबंधों, खाड़ी क्षेत्र में शांति और स्थायित्व कायम रखने की आवश्यकता तथा हमारी स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था दुरस्त रखने की ओर समुचित ध्यान देंगे।

महोदय, मैं इस बात को दोहराता हूं कि यह सभा इस बात से आश्वस्त रह सकती है कि हम इस सम्माननीय सभा में व्यक्त की गई भावनाओं को भी ध्यान में रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले मुद्दे, प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : गोधरा इश्यु बहुत सीरियस इश्यु है, बनर्जी समिति की रिपोर्ट को टैबल किया जाए। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं। मैं सब सदस्यों को कहना चाहता हूं कि थोड़ा शांत हो जाएं, क्योंकि अशांत होने से समस्या का कोई हल नहीं होगा। आप सब जानते हैं कि हमारे रूल बुक है, उसके मुताबिक मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोगों ने तय किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जवाब हो जाए,

[अनुवाद]

नियम के अनुसार, अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करने का समय है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। केवल कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। अब, माननीय सदस्यों, क्या आप सोचते हैं कि कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ सम्मिलित किया जा रहा है, देश की जनता को इसके सिवा हम कुछ नहीं दर्सा रहे हैं कि हम अनुशासित नहीं है।

आपसे मेरी अपील है कि आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाए, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि आपके भाषण को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए, यदि आप चाहते हैं कि देश इसके बारे में जाने, यह कोई तरीका नहीं है। इसलिए, इसे पूरा होने दें, मैं आपको इन सब मुद्दों को उठाने की अनुमति दूंगा, परन्तु एक के बाद एक ताकि इन्हें कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए। परन्तु पहले अपना स्थान ग्रहण करें। कम से कम अध्यक्षपीठ के प्रति इतना शिष्टाचार तो रखें।

[हिन्दी]

मैं आपको कह रहा हूं कि मैं मौका दूंगा। लेकिन ले करने का भी एक नियम है। एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ वह देनी होगी।

[अनुवाद]

इसके लिए मुझे एक नोटिस दिया जाना चाहिए था। इस स्तर पर अनुमति देने अथवा ना देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए, शोरशराबा करने से काम नहीं बनेगा। मैं इतनी आसानी से आपकी बात नहीं मानूंगा। आप पूरे दिन शोरशराबा कर सकते हैं, मैं सभा स्थगित नहीं करूंगा ताकि आप शोरशराबा करते हुए थक जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं, श्री विजय कुमार मल्होत्रा को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बुलाता हूं।

अपराह्न 12.24 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चल रहे व्यापक तोड़-फोड़ अभियान के कारण दिल्ली के निवासियों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की तरफ से निष्क्रियता दिखाए जाने से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं शहरी विकास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें :—

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चल रहे व्यापक तोड़फोड़ अभियान के कारण दिल्ली के निवासियों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की तरफ से निष्क्रियता दिखाए जाने से उत्पन्न स्थिति"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री को वक्तव्य देने दें।

***शहरी विकास मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी)** : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम द्वारा की जा रही डिमोलिशन कार्रवाई के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों और इस मामले में भारत सरकार द्वारा किये गये उपायों के बारे में सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराने के लिए मैं यह वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

महोदय, दिल्ली में भवनों का निर्माण, एकीकृत भवन उप नियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होता है। स्थानीय निकाय अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में इन उपनियमों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

अनधिकृत निर्माण और/अथवा दुरूपयोग के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अनेक जनहित याचिकायें और रिट याचिकायें दायर

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 3752/2006

[श्री एस० जयपाल रेड्डी]

की गयी थीं और पिछले कुछ वर्षों से विचाराधीन थीं। दिनांक 14.12.2005 को इन मामलों की सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया कि सभी रिहायशी और वाणिज्यिक भवनों को स्वीकृत नक्शों के पैरामीटरों के तहत लाने और अनुमत्य उपयोग के अनुरूप करने के लिए इन भवनों के खिलाफ डिमोलिशन कार्रवाई सहित समुचित कार्रवाई की जाए।

महोदय, माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि ऐसा अनुमान है कि अनधिकृत निर्माण और परिसरों का दुरूपयोग काफी अधिक संख्या में है और इससे लाखों परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है। इतने बड़े पैमाने पर स्थानीय निकायों द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई करने से फील्ड स्टाफ के हाथों उत्पीड़न की शिकायतें भी हो सकती हैं और लोगों के मन में यह आशंका हो सकती है कि फील्ड कार्मिकों द्वारा सत्ता का मनमाना और गलत उपयोग किया जा रहा है।

ये सभी उल्लंघन एक ही श्रेणी में नहीं आते हैं — कुछ उल्लंघन अन्य उल्लंघनों की तुलना में अधिक गंभीर हैं। अत: इस समस्या से चरणबद्ध रूप से निपटना सही होगा। इसके लिए यह जरूरी है कि उल्लंघनों की विभिन्न श्रेणियां बना ली जाएं। इसके अलावा लाल डोरा क्षेत्र में निर्माण कार्यकलापों का जटिल मुद्दा भी है।

इस बीच दिल्ली मास्टर प्लान और भवन निर्माण उपनियमों के अनुसार दिल्ली के नियोजित विकास का भी मुद्दा है और यह विकास न्यायपूर्ण और पारदर्शी ढंग से किया जाना है।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि ये सभी मुद्दे इतने जटिल हैं कि हमें समग्र लोकहित को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर गहराई से और विस्तार से विचार करना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल श्री तेजेन्द्र खन्ना की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है। हमने समिति से तीन महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है।

महोदय, दिल्ली नगर निगम ने एक अर्जी दायर करके माननीय न्यायालय को इस समिति के गठन की सूचना दे दी है तथा माननीय न्यायालय से सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों/निर्माणों तथा चल रहे अनधिकृत निर्माण कार्यों के संबंध में कार्रवाई जारी रखने की इजाजत मांगी है और कहा है कि उल्लंघन व दुरूपयोग के अन्य मामलों में समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार ने भी इसी आशय की एक अर्जी उच्च न्यायालय में दायर की है। उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.2.2006 को इन अर्जियों पर विचार करके उन्हें दिनांक 22.3.2006 को सुनवाई करने के लिए दर्ज किया है।

इस प्रकार के व्यापक अनधिकृत निर्माण तथा दुरूपयोग से प्रथम दृष्टि में प्रवर्तन तंत्र की ओर से लापरवाही का पता चलता है। अत: सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से भी अनुरोध किया है कि वह दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली नगर निगम आयुक्त को कहे और अनधिकृत निर्माण होने तथा परिसरों का दुरूपयोग किये जाने के सुस्पष्ट मामलों में आपराधिक मामले दर्ज करें।

महोदय, इन तथ्यों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार इस मामले से पूरी तरह वाकिफ है और ऐसी परिस्थितियों में उसने भलीभांति सोच-समझकर समयोचित अपेक्षित कार्रवाई की है।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का बयान यहां आया है और माननीय रेड्डी जी बहुत ही सीजन्ड मंत्री है, लेकिन यह बयान अत्यंत निराशाजनक और आपत्तिजनक है। उन्होंने जो कहा है कि :

[अनुवाद]

"इन तथ्यों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार इस मामले से पूरी तरह वाकिफ हैं और ऐसी परिस्थितियों में उसने भलि-भांति सोच-समझकर समयोचित अपेक्षित कार्यवाही ..."

[हिन्दी]

दोनों ही बातें पूर्णतयया गलत हैं। मुझे लगता है कि मंत्री जी को इसका अंदाजा नहीं है कि प्राब्लम क्या है? इन्होंने कहा है कि हमने कोर्ट में जाकर यह कहा है कि :

[अनुवाद]

"उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.02.2006 को इन आवेदनों पर विचार किया तथा मामले को सुनवाई हेतु दिनांक 22.03.2006 को सूचीबद्ध किया।"

[हिन्दी]

परंतु इन्होंने यह नहीं बताया है कि कोर्ट ने समय देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने यह कहा कि जो हमने डिमोलीशन के बारे में फैसला किया है, वह जारी रहना चाहिए। न उन्होंने स्टे दिया और न ही उन्होंने इनकी बात को माना। जो स्थिति पैदा हुयी है और उसकी गंभीरता क्या है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। पहला एक्शन इन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने 14.12.2005 को पहला आर्डर किया, जैसा कि मंत्री महोदय के स्टेटमेंट में है कि :

[अनुवाद]

"सभी रिहायशी और वाणिज्यिक/व्यावसायिक भवनों को स्वीकृत नक्शों के पैरामीटरों के तहत लाने और अनुमत्य उपयोग के अनुरूप करने के लिए इन भवनों के खिलाफ डिमोलिशन कार्रवाई सहित समुचित कार्रवाई की जाए।"

[हिन्दी]

करीब 10 लाख मकान दिल्ली शहर में हैं, जिनके अंदर कोई न कोई वायलेशन है, जिनके ऊपर तलवार लटक रही है, जिनके ऊपर कोई न कोई एक्शन करना पड़ेगा। इसमें रहने वाले 50 लाख लोग हैं, उनके बारे में जब आपने कोर्ट में जाकर यह बात कही, तो कोर्ट ने इसको मानने से इंकार कर दिया। यह हाई कोर्ट का पहला आर्डर है। उसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि सब वायलेशंस को, इन्क्ल्यूडिंग डिमोलीशन, सीलिंग, इनको सील कर दिया जाए।

तीसरी बात कही है कि उनका पानी और बिजली काट दिया जाए। 10 लाख के करीब मकान ऐसे हैं। जितनी भंयकर समस्या है, उसके बारे में मंत्री महोदय का जो बयान है, उसको देखने की जरूरत है। होई कोर्ट ने कहा है कि 18 हजार मकान तो अभी गिरा दिए जाएं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के डायरेक्शंस पर उनको इंटरनेट और वेबसाइट पर लगा दिया गया है। ये चार-चार मंजिला मकान हैं। पांच लाख लोग उनमें रहते हैं। उन 18,000 घरों की तुरंत गिराने, उनको गिराने का आर्डर है। उसके लिए टाइम दिया गया और जो उसको नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कंटेंप्ट आफ कोर्ट की बात कही गयी है, साथ ही साथ उनकी भी बिजली और पानी काटने के आर्डर्स दिए गए हैं। यमुना मैली में 40 हजार मकान हैं, इनको भी गिराने के आर्डर्स हैं। इस मामले में न आपने स्टे मांगा, न उनके बारे में आपने कोई बात की है। यमुना के आस-पास बसी हुयी अन-अथोराइज्ड कालोनी के 40 हजार मकान, जिनको गिराने का टाइम भी निकल गया और आपको 40 हजार मकान को गिराने का आर्डर दिया गया।

दूसरा आर्डर है कि हर रेजीडेंशियल इलाके में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, दुकानों को तुरंत सील कर दिया जाए और उनके खिलाफ कार्यवाई की जाए। चार लाख दुकानें ऐसी हैं, इन दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी और उनके मालिकों को और उनके परिवारों को मिला लिया जाए, तो ये भी 25-30 लाख लोग होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चार लाख दुकानें गिरायी जा सकती हैं। उनके ऊपर बुलडोजर तो चल ही रहा है और करीब दो हजार दुकानें सील भी हो चुकी हैं और उनको खोला नहीं जा रहा है और इन चार लाख दुकानों के बारे में क्या रेमेडी होगी, इस बात का जिक्र भी नहीं किया गया है। लाल डोरा गांवों में, सारी दिल्ली में उनकी जमीन एक्वायर कर ली। लाल डोरे के अंदर सन् 1963 में तय किया गया था कि उन पर कोई बिल्डिंग बाइ-लाज लागू नहीं होंगे। वे सारे गांव के लोग जिनकी जमीनें एक्वायर हो गयीं, जिनकी खेती नहीं बची और उनके अंदर अब यह आर्डर आया है, क्योंकि आपने उसके बारे में कोई कार्यवाई नहीं की और यह आर्डर कर दिया गया कि उनके अंदर जो भी मकान बिल्डिंग बाई-लाज के मुताबिक नहीं हैं, जो दुकानें चल रही हैं, जो कामर्शियल इक्टिविटी हैं, इन सब को फौरन बंद कर दिया जाए। लाल डोरे के अंदर जो मकान या दुकान, जिनके बारे में तय हुआ था, उनकी जो स्थिति है, उसका भी इसके अंदर कोई हवाला नहीं आया। अभी कल सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है कि दो हफ्ते में उसको पूरा करना है। जितने पटरी वाले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, तह-बाजारी वाले, जितने संडे बाजार या वीकली बाजार लगते हैं, उन सबको दो हफ्ते के अंदर हटा दिया जाए। ऐसे कितने लोग हैं? यह ठीक है कि 50 हजार के करीब लाइसेंसी वेंडर्स हैं। तीन-चार लाख लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। उनको दो हफ्ते में हटाने के ऑर्डर हैं। वे सब बेचारे गरीब आदमी हैं। अमीर आदमी पटरी नहीं लगता है। उनको दो हफ्ते तक कैसे बसाएंगे? आपको इतने दिनों से कहा गया था कि उनके लिए जगह तय करें, पटरी बाजार बनाएं लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। यह कहा गया कि हम लोग इसके ऊपर पूरी तवज्जह दे रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। दो सप्ताह में क्या होगा? क्या यह लॉ और ऑर्डर की स्थिति नहीं बनेगी। जो वीकली बाजार लगाते हैं, पटरियों पर बैठते हैं, यह बात ठीक है कि पटरियां खाली होनी चाहिए लेकिन उनको कोई जगह तो दी जाए। इन सब को दो हफ्ते में कौन सी जगह देंगे? आपने कोई भी कार्रवाई की? कोई आश्वासन नहीं है कि दो हफ्ते में क्या किया जाएगा?

सुप्रीम कोर्ट ने अब एक ऑर्डर निकाला है कि 31 मई तक 50 हजार झुग्गियों को शिफ्ट किया जाए। बाकियों को शिफ्ट करना ही है। आपने तय किया था कि कॉमन वैल्थ गेम्स से पहले झुग्गी वालों को दूसरी जगह बसा देंगे। आपकी स्कीम है कि चार मंजिला बनाएंगे, आठ मंजिला बनाएंगे। 50 हजार झुग्गी वाले 31 मई के बाद कहां जाएंगे? आपने बहुत सी जगहों में मकान गिराने शुरू भी कर दिए हैं। कुल मिला कर देखेंगे तो पता लगेगा कि दिल्ली में डेढ़ करोड़ की आबादी है। शायद एक-दो परसैंट लोग बच जाएं। बाकी सब लोग इसके अंदर आ जाते हैं।

एक और ऑर्डर आपसे डायरैक्ट ताल्लुक रखता है। क्लास फोर्थ का किसी को सरकारी क्वार्टर मिला है लेकिन कलास थ्री की एनटाइटलमैंट है, उसे जगह नहीं दे पाते हैं, ऐसे में उसने एक कमरा बना लिया। वैसे वह आपकी प्रॉपर्टी है। उनके जो कमरे बने हैं, उन सब के पास उनके डैमोल्यूशन के ऑर्डर आए हुए हैं। दिल्ली में ऐसे 30-40 हजार क्ववार्टर होंगे। उनसे कहा गया है कि यहां से निकलो वरना मकान कैंसिल हो जाएंगे। यह एक भयंकर समस्या है। यह समस्या वार टाइप की है। लाखों लोगों के उजड़ने की बात है। मैंने आपसे पहले भी

[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा]

कहा कि कोई सुनामी, कोई भूचाल, कोई नादिरशाह शासक का ऑर्डर भी यह नहीं कह सकता है कि इस तरह से कितने घर उजड़ेंगे? आप कहते हैं कि हमने बड़ी कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है? एक कमेटी बनायी है जो तीन महीने तक रिपोर्ट देगी लेकिन तीन महीने तक सब उजड़ और खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऑर्डर होने से पहले इम्मिजिएटली कुछ करने की जरूरत थी। आप तीन महीने में देखेंगे। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि कोई समय देने को तैयार नहीं है। ऐसी हालत में वर टाइव की स्थिति है। उनका एक्शन पीस टाइव का नहीं है। इस पर क्या कार्रवाई की गई?

उल्हासनगर में क्या किया गया? एक अध्यादेश निकाल कर ऑर्डर को स्टे किया। मैंने पहले भी कहा कि एक कमेटी बनी थी जिसका मैं अध्यक्ष था। उस कमेटी में सारा मामला देखा गया। उसने एक सिफारिश की थी कि सरकार एनक्रोचमैंट को छोड़ दे, ऑन गोइंग कनस्ट्रक्शन को रोक दिया जाए। इन सबको रोकने के बाद अपनी जमीन पर, अपने घर में बनी छोटी दुकान या मकान है *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

मैं दो या तीन मिनट का समय लूंगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह मुद्दा दिल्ली के लाखों नागरिकों से जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने आपको दस मिनट का समय दिया है मैंने आपको घंटी बजाकर समय समाप्त होने की चेतावनी दी थी।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, एमनैस्टी स्कीम जैसी पहले चिदम्बरम साहब लाए थे, उन्होंने कहा था कि जिस के पास ब्लैक मनी या सोना, चांदी, जेवर रखा है, सब डिक्लेयर कर दो, हम उसे रैगुरलाइज कर देंगे। न्यायालय आपको राहत नहीं देगा। कोर्ट कहेगी कि आप कोई रूल बनाओ, लॉ बनाओ। या तो आप उल्हासनगर की तरह अध्यादेश लाते।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : क्या दिल्ली को उल्हासनगर बनाएंगे?

[अनुवाद]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : देखें सरकार को इस पर क्या कहना है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सांसद है। आप दूसरे मुद्दे पर न जाएं।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : करोड़ों की संख्या में आम आदमियों को इस समय दिल्ली में रात भर बुलडोजर आता हुआ दिखायी देता है। उसे सिवाय उस एमनेस्टी स्कीम के, वह भी आपको इस सैशन में लाना पड़ेगा, उसी तरह से लाना पड़ेगा। अगर एक आदमी के एक हजार करोड़ रुपये को व्हाइट कर सकते हैं, उसके घर में पड़े कई टन सोने को व्हाइट कर सकते हैं, उसी तरह इसे भी रैगुलराइज कर सकते हैं। वे गरीब जो छोटे मकानों और दुकानों में रहते हैं, इसे क्यों नहीं कर सकते? आप इसी सैशन में ऑर्डिनेंस लाइए। मैं यह भी कहना चाहता हूं, आपने जिक्र किया – ये अनऑथोराइज्ड कॉलोनाइजर्स कौन हैं, वे कौन लोग हैं जिन्होंने कॉलोनियां बसाईं, वे कौन बिल्डर्स लोग हैं, ये सब बिल्डर्स अनऑथोराइज्ड बिल्डर्स, कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, बड़े-बड़े पॉलिटिशियन्स हैं, उन्होंने मिल करके इन करोड़ों लोगों को इसमें फंसा दिया। वे लोग तो बचकर निकल गए। कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। *(व्यवधान)* तीन साल से दिल्ली में आपकी सरकार है *(व्यवधान)*।

श्री सन्दीप दीक्षित : आप इस पर डिबेट करवा लीजिए। *(व्यवधान)*।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें गवर्नमेंट का रिस्पांस बहुत पुअर है, बहुत डिसअपांटिंग है। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

यदि कार्रवाई नहीं की जाती है, तो दिल्ली में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगी तथा दिल्ली में जो भी होता है उसके लिए सरकार उत्तरदायी होगी। *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा, आपको अपना मौका नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें एक मौका दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री, मैं तीन और माननीय सदस्यों को अनुमति दूंगा जिन्होंने नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, क्या मैं पहले उत्तर दूं *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, बाद में आप इकट्ठे ही उत्तर दे सकते हैं।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन । मैं आपको केवल दो मिनट दे रहा हूं। आप केवल एक प्रश्न पूछे।

(व्यवधान)

श्री सी०के० चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दम से हो गई है। अनेक दशकों से, दिल्ली के कई भागों में अवैध निर्माण चल रहे थे। किसी भी सरकार ने — दिल्ली में भा०ज०पा० सरकार साथ ही कांग्रेस सरकारें भी थी — ने इस पर गंभरिता पूर्वक ध्यान नहीं किया। अब, अफसरशाही *(व्यवधान)*।

मोहम्मद सलीम : उन्होंने, ध्यान दिया है *(व्यवधान)*।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : उन्होंने ध्यान दिया है तथा शायद उन्होंने "नोट" भी लिए हैं *(व्यवधान)*। मुद्दा यह है कि उस समय अफसरशाही ने काफी धन एकत्रित कर लिया था, जिसके बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने वाले सदस्य बता रहे थे। अब वे सब तमाशा देख रहे हैं। राजनीतिज्ञ जो राज्य एवं अफसरशाही को शासित कर रहे थे *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : जहां तक मैं समझता हूं, इसमें दो तरह के लोग शामिल हैं। पहला बिल्डर्स माफिया तथा वे न्यायालय के निर्णय तथा सरकार की कार्यवाही के बावजूद निर्माण कर रहे हैं। अब, इन लोगों को जो ऐसा कर रहे हैं को, कठोरतापूर्वक कुचला जाना चाहिए तथा गरीब लोग जो इन सबका शिकार हुए हैं को बचाया जाना चाहिए *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रप्पन, आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : इसलिए, मेरा सुझाव यह है कि जिस भी विधान की आवश्यकता है उसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लाया जाना चाहिए। इन माफियाओं का दमन किया जाना चाहिए तथा जो नियमों को तोड़ रहे हैं, उनका भी दमन किया जाना चाहिए। वे लोग जो इसका शिकार हुए हैं के हितों की भी रक्षा की जाए। उनके लिए एक पुर्नवास पैकेज होना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही किए जाने हेतु एक सुझाव है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित : मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा। मेरा भारत सरकार से बड़ा विनम्र आग्रह है कि इसमें जो भी कार्यवाही करनी है, शीघ्र करें। अभी मल्होत्रा जी ने जिस कमेटी की बात कही, पहली बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले सात-आठ वर्षों में यहां जब एन०डी०ए० की सरकार थी, उसी सरकार ने यह कमेटी दी थी, इनके मंत्री भी उस समय थे, इसके अंदर डी०डी०ए० भी था जो इस सबको करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप डी०डी०ए० के आंकड़ें देखें तो लो कॉस्ट हाउसिंग का 20 से 30 प्रतिशत का टार्गेट सात साल में पूरा नहीं किया गया और न ही कमर्शियल टार्गेट पूरा किया गया। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यह पूरी तरह से गलत है *(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित : आप मुझे बोलने दीजिए उसके बाद आप अपनी बात रखें *(व्यवधान)* इन्हीं की सरकार द्वारा काम नहीं किया गया था *(व्यवधान)* यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे इश्यू का बी०जे०पी० ने राजनीतिकरण कर दिया है यहां जब दिल्ली की समस्या थी, जब एन०डी०ए० सरकार यहां थी, हजारों झुग्गी वालों को दिल्ली से उठाया गया था और आदरणीय सोनिया गांधी जी उन लोगों को देखने गई थीं, तब इनमें से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। जब दिल्ली का गरीब दिल्ली से उठाया जा रहा था, तब इन्हें याद नहीं आया कि किसे घर देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित : आज भी दिल्ली में जब केवल पैसे वाले दुकानदारों के मकान टूटते हैं तो बी०जे०पी० को राजनीति दिखती है। जब स्ट्रीट हॉकर्स की बात आई थी, तब उन्हें नहीं दिखा कि कौन सी पार्टी काम कर रही है और कौन सी पार्टी काम नहीं कर रही है। यहां हजारों गरीब, यू०पी०, बिहार और अन्य राज्यों से आकर,

[श्री सन्दीप दीक्षित]

छोटा सा आशियाना बनाकर दिल्ली के ग्रोथ इंजर में अपनी जीविका ढूंढ़ते हैं, वे हजारों-हजार की संख्या में हटा दिए गये। उस समय मल्होत्रा जी को या बी०जी०पी० को याद नहीं आयी कि दिल्ली का गरीब कहां जा सकता है। उस समय इनको नादिरशाही की याद नहीं आयी। दिल्ली का पूरा का पूरा संयम ही अलग कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : क्या क्लैरिफिकेशन चाहिये, वह पूछिये।

श्री सन्दीप दीक्षित : मैं सिर्फ यह बताने जा रहा हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन ट्रेडर्स की या दुकानदारों की यह बात करते हैं, यह उन्हीं ट्रेडर्स की पी०आई०एल० है जिसके माध्यम से माननीय हाई कोर्ट ने स्ट्रीट हॉकर्स के लिये यह निर्देश दिया है। एक तरफ यह ट्रेडर्स की बात करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं, उन लोगों से जाने-अनजाने में कहीं न कहीं रूल ब्रेक हो गया और ट्रेडर्स एसोसिएशन जब उन पांच लाख स्ट्रीट हॉकर्स के खिलाफ आगे आई और माननीय सुप्रीम कोर्ट में दरखवास्त कर दी तो उसके समर्थन में ये लोग राजनीति करते हैं। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, यह बड़े शर्म की बात है ... *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। कृपया स्पष्टीकरण मांगें।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित : इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो इन्होंने कमेटी बनाई है, उस हिसाब से यह सवाल बहुत ज्यादा पेचीदा है। इस में न केवल मकान बन रहे हैं या जिन लोगों ने कहीं न कहीं छोटी-मोटी गलती करके मकान बनाये हैं, उन्हें बचाने की बात है। इन्हें मानवीय रूप से देखा जाना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि तीन महीने का समय नहीं है, इसे जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जितना भी राजनीतिकरण किया गया है, उसमें सफरर दिल्ली का आदमी ही है। आज के माहौल में दिल्ली में बी०जे०पी० ने जो आन्दोलन चलाया है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूरे शहर में इन लोगों ने भय का माहौल पैदा किया हुआ है, हस्तिनापुर भयभीत हो गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उस पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, पिछले सात साल से दिल्ली और सैंटर में तथा कार्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी का शासन है ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कृष्णा तीरथ के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, मैं जानती हूं कि आज दिल्ली में एक बहुत ही ज्वलंत समस्या खड़ी हुई है। ... *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, जब-जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने हमेशा उजड़े हुये गरीबों को बसाया है लेकिन बी०जे०पी० ... *(व्यवधान)* लेकिन भाजपा के मल्होत्रा जी हमारे सामने बैठे हुये हैं ... *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : भाजपा असंसदीय नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ : जो बात उन्होंने उठायी है, मैं उसी पर आ रही हूं ... *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी इस अरोप को नहीं मानते हैं।

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष जी, जब इनकी सरकार उजड़ गई, तब इन्होंने नहीं देखा। यह ठीक है कि हमारी सरकार का नारा – 'हमारा हाथ हमेशा आम आदमी और गरीब के साथ' है। जिन लोगों ने न्यायालय में अपनी अर्जियां दीं, उन लोगों के खिलाफ डायरेक्टली या इनडैयरेक्टली इन से सहमत हैं।

अध्यक्ष जी, मुझे इस संबंध में एक बात याद आती है कि इनकी हालत ऐसी प्रेमिका जैसी है जिसे प्रेमी फूल देता था लेकिन शक्ल नहीं पहचानता था, चेहरे पर मुखौटा डाला हुआ था, उस पर परदा डाला हुआ था। बार-बार इन्हें फूल देता रहा लेनिक इसके बारे में कभी सोचा नहीं। जब वह मर गया, उसकी कब्र बन गई, उस पर फूल चढ़ाने गई तो वहां से एक आवाज़ आई ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृष्णा जी, आप प्रश्न पूछिये।

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष जी, वहां से आवाज़ आई –

जब वो आए मेरी कब्र-पर फातिहा पढ़ने,

जब वो बेनकाब थे, हम नकाब में आ गये।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तो ये लोग दिल्ली के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जब मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट बनी, तब इन्होंने देखभाल नहीं की। 2001 में दिल्ली का मास्टर प्लान बना था। यह मास्टर प्लान दिल्ली की जनता को सुविधायें देने के लिये बना था। जब 2001 में यह खत्म हो रहा था, उसके बाद (*व्यवधान*)।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई डिबेट नहीं है।

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष जी, उस समय सैंटर में इनकी सरकार थी और 1993 में दिल्ली में भी इन लोगों की सरकार थी। ये लोग एक दिन में नहीं बसे, वर्षों तक बसते चला आये, इन्होंने तब कुछ नहीं कहा। इसलिये कुछ नहीं बनाया और आज जब हमारी सरकार आयी है तो इन लोगों ने कोर्ट में पी०आई०एल० डलवा दी। आज बुलडोज़र चल रहे हैं तो राहत की बात करते हैं (*व्यवधान*)।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय मंत्री को बुलाऊंगा।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तरीथ (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, मेरी सरकार से मांग है कि जो कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट जल्दी आये और पर जल्दी से जल्दी ऐसी राहत मिले क्योंकि दिल्ली में जनसंख्या बढ़ी है, परिवार बढ़ा है, एक परिवार से चार परिवार बढ़े हैं, उन्होंने जो अनॉथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन अपने घर के भीतर की है, मेरी मांग है कि उस कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज़ किया जाए, लेकिन जो एनक्रोचमैंट बाहर की सरकारी ज़मीन पर की है, उसे ज़रूर हटाया जाए। क्या सरकार का ऐसा मानना है कि सरकारी ज़मीन की एनक्रोचमैंट हटाकर जो अनॉथराइज्ड कंस्ट्रक्शन अपने घर के भीतर की है, उसको रेगुलराइज़ करेंगे? (*व्यवधान*)।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री। इसके अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मुझे आप से बहुत ज्यादा आशाएं हैं। माननीय मंत्री का वक्तव्य ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : आपको अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से आदर करता हूं। वह न केवल सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं बल्कि दिल्ली राज्य के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। परन्तु मुझे दुःख हुआ कि तथ्यों की अनदेखी कर वह आम लोगों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं।

यह एक बहुत ही जटील मुद्दा है और जैसा कि उन्होंने सही कहा इससे लाखों लोग जुड़े हैं। पिछले दशकों के दौरान यह समस्या बढ़ती गई है और जटिल हो गई है। इसलिए इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक सोच विचार करने की आवश्यकता है, प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा ने एक भयावह परिदृश्य की कल्पना की है, यह सही नहीं है।

महोदय, हम इस अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय गए थे इस समय हम मात्र दो उल्लंघनों पर ध्यान केन्द्रीत करें। पहला सरकारी भूमि पर किए गए निर्माण से संबंधित है जो अतिक्रमण है और दूसरा अभी भी किया जा रहा अवैध निर्माण है। उनका समस्त भाषण का आधार न्यायालय द्वारा इस अनुरोध को अस्वीकार किए जाने पर आधारित है। मैं आपके माध्यम से इस सभा को विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। उच्च न्यायालय ने, सुनवाई की आगामी तारीख 22 मार्च, 2006 तय की है। इसलिए यह मानना सही नहीं होगा कि दिल्ली नगर निगम की याचिका या भारत सरकार के आवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया है। प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा ने आम माफी दिए जाने का तथा इससे पूर्व उनकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई ऐसी सिफारिश का भी उल्लेख किया है। मैं आम माफी के गुण-दोष में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि आम माफी में दया निहित है। इसलिए उस दृष्टिकोण से कोई असहमत नहीं हो सकता है।

इसके साथ ही मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा को पता है कि उनकी अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट को उनके सहयोगियों श्री जगमोहन और श्री अनंत कुमार द्वारा न केवल अनदेखा किया गया था। (*व्यवधान*)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय यह एक गलत वक्तव्य है। दिल्ली की मुख्यमंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित ने न तो इसका अनुमोदन

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा]

किया और न ही इसे केन्द्र को भेजा। यह रिकार्ड से स्पष्ट है। अन्यथा यह एक विशेषाधिकार का मामला भी है *(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मल्होत्रा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को दिल्ली सरकार द्वारा, न कि संघ सरकार द्वारा अस्वीकार किया गया था। शहरी विकास मंत्रालय *(व्यवधान)* इस पर सहमति नहीं हुई थी। उन्होंने रिपोर्ट सीधे शहरी विकास मंत्रालय को भेज दी थी, श्री जगमोहन और श्री अनंत कुमार इसकी सिफारिशों से सहमत नहीं थे।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा यह सर्वथा गलत वक्तव्य दिया गया है। *(व्यवधान)* श्री जगमोहन ने मात्र यह कहा था कि दिल्ली सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की सिफारिश नहीं की है *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप बाद में कहिएगा।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सच्चाई यह है कि विगत के वर्षों में मेरे विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के उत्तर के सिवाय और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया आएगा।

*(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसलिए किसी बी०जे०पी० सदस्य द्वारा माफी की बात करना शोभा नहीं देता है। मैं प्रो० मल्होत्रा की बात से सहमत हूं कि अनुकम्पा और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हमें कठोर रूप से विधि का पालन नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल, श्री तेजेन्द्र खन्ना के की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है और दिल्ली राज्य के बी०जे०पी० अध्यक्ष भी इसके सदस्य हैं। एक महीना हो चुका है और दो महीने ही बाकी हैं। यदि हमें विधि में परिवर्तन करना है तो यह जानना आवश्यक है कि किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है। विधि में परिवर्तन हेतु मानदंड क्या हैं। हम विधि में परिवर्तन किए जाने के विरुद्ध नहीं हैं। आवश्यक होने पर मैं सभा में उपयुक्त विधेयक पेश करूंगा। परन्तु इसके लिए मुझे यह जानना आवश्यक है कि मुझे इसमें क्या परिवर्तन करने हैं।

अब प्रो० मल्होत्रा विपक्ष में हैं और अतिशयोक्तिपूर्ण सिफारिश कर सकते हैं, परन्तु मैं चाहता हूं कि वह जिम्मेदारी समझें और दिल्ली को देश की खूबसूरत राजधानी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश की राजधानी के रूप में दिल्ली के दीर्घकालीन और व्यापक हित को अनदेखा नहीं कर सकते हैं।

महोदय, यह सही है जैसा कि उन्होंने कहा कि सील करने या तोड़े जाने हेतु 18,000 मकानों को सूचीबद्ध किया गया है। गिराया जाना एक अंतिम विकल्प है ना कि एक मात्र उपाय, इसलिए हम उच्च न्यायालय गए हैं जिससे कि यह पता चल सके कि क्या समिति द्वारा सिफारिश दिए जाने तक इस प्रक्रिया में ढील दी जा सकती है?

जहां तक बड़े भवनों जिनको सील करने हेतु लक्षित किया गया था मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय का रवैया बहुत ही सौहार्यपूर्ण था, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि छोटी दुकानों को छोड़ दिया जाना चाहिए, इसलिए हमने एक जन सूचना जारी की कि मात्र बड़े भवन अर्थात जिन भवनों का 50 प्रतिशत से अधिक वाणिज्यिकरण हो चुका है उन्हें ही शामिल किया जाएगा। हमारी जानकारी के अनुसार ऐसे भवनों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी।

जहां तक लाल डोरा संबंधी मुद्दों का संबंध है, इन मुद्दों को उच्चाधिकार समिति के हवाले कर दिया गया है। आप थोड़ा सब्र करें। आपने छः वर्षों में कुछ नहीं किया, आप मुझे दो महीने तो दीजिए।

जहां तक फेरीवालों का मुद्दा है, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि हमें उनके प्रति सहानुभूति दर्शानी चाहिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कल ही आदेश जारी किया है। मैंने वह आदेश नहीं देखा है। महोदय, आप एक विख्यात विधिवेता होने के नाते मुझे जल्दबाजी में किसी तरह के नतीजे पर पहुंचने की सलाह नहीं देंगे। इसलिए, मैं जब तक निर्णय को नहीं पढ़ लेता हूं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं।

झुग्गियों के संबंध में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक झुग्गियों को कोई वैकल्पिक स्थान नहीं दे पायेंगे, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। हमारी नीति स्पष्ट है कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उन जगहों की जरूरत किसी बड़े काम, बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं होती है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.00 बजे

अन्यथा, उन्हें उसी स्थिति में सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिसे हम 'स्वस्थाने' कहते हैं। अतः, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को लेकर उनकी आशंका निर्मूल है। मुझे लगता है, कि वह खामख्वाह डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कुछ निहित स्वार्थों की पूर्ति हो सके। मेरा मानना यह है कि यह रवैया ठीक नहीं है।

महोदय, जहां तक सरकारी कर्मचारियों के आवासों का भी प्रश्न है, यदि सरकारी कर्मचारी आवासों का व्यावसायिक कार्यों के लिए दुरूपयोग नहीं होता है, तो हम इसके लिए उदार रवैया अपनाने को तैयार है।

महोदय, इन्होंने उल्हास नगर का उदाहरण दिया है। मुझे नहीं लगता कि उल्हास नगर की तुलना दिल्ली से सीधे-सीधे की जा सकती है। वहां एक बस्ती थी। एक श्रेणी का उल्लेख था, और इस श्रेणी में पाकिस्तान से आए शरणार्थी थे। समिति जब भी सिफारिश करेगी, हम निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण के कुछ तत्वों को अपनायेंगे। हमें विश्वास है कि भारतीय न्यायालय भी इस अत्यंत व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनायेंगे। हमें या लोगों को ज्यादा उतेजित होने की ज़रूरत नहीं है। प्रो० मल्होत्रा मुझसे कहीं बेहतर इस समस्या को समझते हैं। महोदय, उनकी रूचि इस समस्या का सुलझाने की बजाय इस समस्या से लाभ उठाने में अधिक है।

श्री चंद्रप्पन ने विधान बनाये जाने का सुझाव दिया था। मुझे लगता है, आखिरकार, विधान अपरिहार्य है। प्रो० मल्होत्रा ने भी उसी एप्रोच की वकालत की है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि उस विधान में किन तत्वों को सम्मिलित किया जाएगा। इसी कारण से मैंने समिति को नियुक्त किया है। श्री संदीप दीक्षित निहित स्वार्थों को छोड़कर प्रभावित वर्गों को राहत मुहैया कराना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से राहत बड़े समूहों को दी जानी चाहिए। यदि इतने सारे लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, तो या तो कानून में ही खामी है या कानून लागू करने वाले तंत्र में है। श्रीमती कृष्ण तीरथ ने भी राहत देने की तरफदारी की है। समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद हम राहत मुहैया करायेंगे। हम न्यायालय से भी राहत देने की गुहार करेंगे। महोदय, अंत में, यदि आवश्यक हुआ तो मैं एक समुचित विधान लेकर, सभा में वापस आऊंगा *(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उससे कई बातें स्पष्ट नहीं होती हैं। चूंकि यह लाखों लोगों की भावनाओं का सवाल है और मंत्री महोदय का उत्तर संतोषजनक नहीं है। इसलिए हम प्रोटैस्ट में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 1.03 बजे

(तत्पश्चात् प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अपराह्न 1.03½ बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

गोधरा कांड पर न्यायमूर्ति यू०सी० बनर्जी आयोग की रिपोर्ट के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण सभापति तालिका का कोई भी सदस्य इस समय मौजूद नहीं हैं। मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है। मैं श्री मोहन सिंह से पीठासीन होने का अनुरोध करता हूं। मुझे विश्वास है, वह अध्यक्ष से अधिक सक्षम साबित होंगे। अब, वह 'शून्य काल' का संचालन करेंगे।

अपराह्न 1.04 बजे

[**श्री मोहन सिंह** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : हमने अपनी सूचनाएं दे दी हैं। *(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप लोग जो चाहते हैं, वह मैं शुरू कर रहा हूं। आप शान्त रहें। आपका नंबर भी आएगा।

ऐसा है कि यू०सी० बैनर्जी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, कुछ माननीय सदस्यों ने इस विषय को सदन में उठाने की सूचना दी थी। पहला नोटिस श्री रामजीलाल सुमन का है। मैं चाहूंगा कि वे बोलें।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, गोधरा काण्ड की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री यू०सी० बनर्जी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई, उसने स्पष्ट कहा है कि तीन साल पहले साबरमती एक्सप्रैस के कोच एस-6 में जो आग लगी, वह कोई साजिश नहीं थी, षडयन्त्र नहीं था, एक हादसा था और कहीं से इस प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि पैट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगाई गई। तथ्यों को तोड़-मरोड़कर कार्रवाई

[श्री रामजीलाल सुमन]

की जाती रही और आज स्थिति यह है कि जो गुनहगार हैं, वे बाहर हैं और बड़ी संख्या में बेगुनाह लोग अभी भी पोटा के तहत जेलों में हैं। सरकार ने एक रिव्यू कमेटी बनाई थी, इसके बावजूद भी उन लोगों को अभी तक नहीं छोड़ा गया। मुझे ऐसा लगता है कि एक सुनियोजि षडयंत्र के तहत यह सब किया गया। जब यह घटना हो गई तो रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर ने कोई जांच क्यों नहीं की और उस समय जो रेल मंत्री थी, वे भी घटनास्थल पर नहीं गये। पूरे माहौल को बिगाड़ने का काम किया गया और जो साम्प्रदायिक तत्व थे, उन लोगों ने किस तरह से बेगुनाह अल्पसंख्यक लोगों को मारा, आज यह बनर्जी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद साफ हो गया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं?

श्री रामजीलाल सुमन : हम यह चाहते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट यहां रखी जाये और नरेन्द्र मोदी की सरकार बर्खास्त हो। इसके अलावा कोई चारा नहीं। नरेन्द्र मोदी की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, हमारी यह मांग है।...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : ठीक है, आपकी बात हो गई। श्री रूपचन्द्र पाल।

श्री रामजीलाल सुमन : नरेन्द्र मोदी की सरकार बर्खास्त करो। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप शान्त रहिये, आपने अपनी बात कह ली।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका नम्बर आयेगा, आपको बुलाएंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, गोधरा पर यू०सी० बैनर्जी पैनल ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एक बार फिर इस रिपोर्ट से यह सच प्रकट हुआ है कि यह सब गहरी साजिश के तहत बनाए गए प्लान के मुताबिक हुआ था और इस नर संहार को गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा द्वारा नरेन्द्र मोदी सरकार की सक्रिय मिलीभगत से अंजाम दिया गया था।

अपराह्न 1.07 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुई*]

भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की भूमिका से देश के लोग भली-भांति अवगत हैं...*(व्यवधान)* बड़ी तादाद में निर्दोष लोग जेलों में सड़ रहे हैं और इसके लिए ज़िम्मेदार नेता खुलेआम घूम रहे हैं...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदया : श्री रूपचंद पाल के कथन के अलावा और कुछ कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री रूपचंद पाल : महोदया, मेरा आरोप है कि गुजरात के मुख्यमंत्री का इस नर संहार में सक्रिय हाथ है...*(व्यवधान)* मैं मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरूद्ध मुकदमें की मांग करता हूं।...*(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : श्री चन्द्रकान्त खैरे। बाकी सब को मैं एसोसिएट करती हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : सभापति महोदया, हम भी गुजरात से आते हैं, हमको बोलने का मौका दिया जाये।...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदया : आपने नोटिस दिया है?

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : जी, हां, मैंने नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : सभापति महोदया, मेरा नोटिस है। मैंने नोटिस दिया है रेल मंत्रालय ने गोधरा काण्ड की सूत्रधार गोधरा स्टेशन पर जिस रेल बोगी में आग लगी थी और जो बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसके बारे में बनर्जी कमेटी की स्थापना की गई थी...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदया : मुझे मालूम है, सब लोग बहुत चिन्तित हैं। आप बैठिये।

श्री चंद्रकांत खैरे : बनर्जी कमेटी की स्थापना इल्लीगल है, क्योंकि भारत सरकार ने नानावटी कमीशन की स्थापना की थी। मैं दंगों के समय गुजरात गया था और पीड़ित लोगों के घर भी गया था।... *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री चंद्रकांत खैरे : महोदया, बनर्जी कमेटी की रिपोर्ट एकदम ...* है। ...*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदया : यह शब्द प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप बैठ जाइए। मैं ऐसे नहीं बोलने दूंगी। यदि आपने नोटिस दिया है तभी मैं आपको बोलने दूंगी।

(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदया, मैंने भी नोटिस दिया हुआ है। ...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदया : इस तरह से बीच में टोकाटाकी करने से किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। सलीम जी आप तो बोल चुके हैं, फिर आप बीच में टोकाटाकी क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : इन्होंने रूपचन्द पाल जी को बोलने नहीं दिया था। ...*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : क्या आप बदला ले रहे हैं? क्या आप इतने प्रतिशोधी हैं? यह क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे : महोदया, बनर्जी कमीशन की स्थापना बिहार इलैक्शन को देखते हुए की गयी थी, ताकि इन्हें मुसलमानों के वोट मिल सके। इसके बाद भी बिहार में इनकी सरकार नहीं बन पायी। ...*(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट ...* है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदया : यह शब्द रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

श्री चंद्रकांत खैरे : साबरमती एक्सप्रैस को हम देखने गए थे, ...*(व्यवधान)* कैसे लोगों को जलाया गया था। मैं पीड़ित लोगों के घर भी गया था। मैं अहमदाबाद गया था और पीड़ित फैमिली से मिला था। उनकी फैमिली के चार लोगों को मारा गया था, उसमें से दो लड़कियां बच गयी थीं, उन्होंने मुझे पूरी कहानी बतायी थी। ...*(व्यवधान)* यह रिपोर्ट गलत है। ...*(व्यवधान)* इस रिपोर्ट को खारिज किया जाए। ...*(व्यवधान)* नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में और इस रिपोर्ट में बहुत फर्क है। ये लोग मुसलमानों के वोट के लिए ये सब करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदया : श्री मधुसूदन मिस्त्री, बस दो मिनट।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदया, दो-तीन दिन पहले यू०सी० बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट आयी है। ...*(व्यवधान)* लोगों के मकान जलाने वालों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बच्चों को मारने और उनकी लाशों को तलवार पर घुमाने वालों ...*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदया : श्री मिस्त्री, मैंने आपको अनुमति दे दी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप झगड़ क्यों रहे हैं? कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। यदि आप उचित ढंग से संबोधित करेंगे, तब ही इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। यह झगड़ा कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : ये लोग खड़े होकर बीच में टोकते हैं। मैं केवल आपको संबोधित करूंगा बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट आयी है। *(व्यवधान)*।

श्री खारबेल स्वाईं : (बालासोट) यह कमीशन नहीं है, कमेटी है। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं हैं *(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इनके नेता ने कहा था कि यह हादसा देश के ऊपर एक कलंक है और यह बात इस रिपोर्ट से साबित हो गयी है *(व्यवधान)* इतना ही नहीं, इससे भी बदतर है गुजरात का मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट को देखकर कहता है कि गुजरात का जो ताना-बाना है, उसे डैस्ट्रोय मत कीजिए। *(व्यवधान)* पूरे सौशल फैब्रिक को तोड़ने वाला अब पादरी बनकर बोल रहा है यू०सी० बनर्जी कमीशन को कि आप गुजरात का फैब्रिक मत तोड़िए। *(व्यवधान)* इन्हें क्या अधिकार है। *(व्यवधान)* इनकी सरकार ने आज तक लोगों को कम्पैनसेशन नहीं दिया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस रिपोर्ट को टेबल पर रखा जाए। *(व्यवधान)* उस सरकार को बरखास्त किया जाए और एक्शन लिया जाए। *(व्यवधान)* राज्य बचाने में श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार फेल हो गई है। उनकी सरकार को सोचना चाहिए। ऐसे मुख्य मंत्री में अगर कुछ भी मानवता बची है तो उन्हें पार्टी से निकल जाना चाहिए। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आपकी बात पूरी हो गई है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : आपका नाम नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदया : मैं श्री बसुदेव आचार्य, श्री वीरचन्द्र पासवान, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री रघुनाथ झा, श्री सी०के० चन्द्रप्पन और श्री राम कृपाल यादव के नाम एसोसिएट कर देती हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया : केवल श्री येरननायडु का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदया : अब सभा अपराह्न 2.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.17 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.15 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.15 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री बालासाहिब विखे पाटील** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.15¼ बजे

(इस समय डा० शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, आप लोग अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.15½ बजे

(इस समय डा० शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आज की कार्य सूची में नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

अपराह्न 2.15¾ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में कृषि विभाग के कार्यकरण की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कृषि विभाग, जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में उत्पादन और उत्पादकता, फसलों में सुधार इत्यादि के माध्यम से कृषक समुदाय के कल्याण के लिए उत्तरदायी है, अपना काम संतोषजनक ढंग से नहीं कर रहा है। दुर्भाग्यवश विभाग फसल उत्पादन, मृदा और जल संरक्षण और लघु सिंचाई जैसे सभी क्षेत्रों में बुरी तरह विफल हुआ है। मार्च, 2004 से, विभाग उर्वरकों, बीजों, पौध संरक्षण रसायनों इत्यादि जैसे कृषि आदानों की खरीद और आपूर्ति में विफल रहा है, जिसके कारण पूरे द्वीपसमूह में आदानों का अभाव था और परिणामस्वरूप उत्पादन कम हुआ। इससे किसानों की आय में कमी हुई और विशेष रूप से सब्जियों जैसे कृषि उत्पादों के अधिक मूल्य के कारण उपभोक्ता बुरी तरह प्रभावित हुए।

इस द्वीपसमूह की बागवानी फसलों की संभावनाओं को देखते हुए, भारत सरकार ने द्वीप विकास प्राधिकरण की सिफारिशों के अनुसार समृद्ध कृषि कार्यक्रम को स्वीकृति दी है, जिसका अनुमानित परिव्यय 50.06 करोड़ रुपये है। कृषि विभाग हाइ वैल्यू कृषि विकास अभिकरण के माध्यम से इन कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी है। कई किसानों ने क्षेत्राधिकारियों जिनमें पी०आर०आई०एस० शामिल हैं, के मार्ग दर्शन में कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस योजना से अब तक कोई किसान लाभान्वित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, कई किसानों ने भारत सरकार के मानकों के अनुसार सहायता प्राप्त करने की आशा में क्षेत्राधिकारियों की सलाह पर निवेश किया है।

इस समस्या को दूर करने के लिए शेखर सिंह आयोग द्वारा औषधीय, सुगन्धित और रंजक वृक्षों जैसे गैर-इमारती वन उत्पाद विकास का सुझाव दिया गया था। तदनुसार, खेती, संकलन, प्रसंस्करण और विपणन आदि को प्रोत्साहन देने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल की अध्यक्षता में अंडमान और निकोबार औषधीय वनस्पति बोर्ड का सृजन किया गया था। भारत सरकार ने इस कार्य के लिए निधियां प्रदान की हैं परन्तु द्वीप के लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है।

अतः, मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वे इन द्वीपों में रहने वाले किसानों की शिकायतों पर ध्यान दें।

(दो) 1984 के दंगों में लापता हुए लोगों के परिवारों को मुआवजे का दावा दायर करने के प्रयोजन से प्रमाणपत्र जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री गुरजीत सिंह राणा (जालंधर) : ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें मृत्यु प्रमाणपत्र न होने के कारण मुआवजे की मांग नहीं की जा सकती। लाशों का बिना किसी पहचान के अंतिम संस्कार कर दिया गया था। सिविल मामलों में जहां 7 वर्ष तक किसी व्यक्ति का पता ठिकाना न चलने पर, उस व्यक्ति को सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों हेतु मृत मान लिया जाता है, ऐसे मामलों में न्याय देने के उद्देश्य से यह अनुरोध है कि उस गांव का सरपंच एक प्रमाणपत्र दे कि पीड़ित उस विशेष दंगे के बाद से लापता है और इस पर संबंधित उपायुक्त के प्रति हस्ताक्षर होने चाहिए। इसी बीच ऐसे मामलों में दावे दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

(तीन) वनस्पति अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन के लिए तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के ओड्डनचट्रम टाउन में 'बायो-मेथोनेशन प्लान्ट' को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस०के० खारवेनथन (पलानी) : महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पलानी में ओड्डनचट्रम विधान सभा खण्डों में से एक है। तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले का ओड्डनचट्रम टाऊन सब्जियों, मक्खन, घी और फलों के लिए प्रसिद्ध है।

ओड्डनचट्रम टाऊन की सब्जी मण्डी सबसे बड़ी सब्जी मण्डियों में से एक है। आसपास के जिलों के हजारों किसान अपनी सब्जियां यहां बेचते हैं और यहां से भारी मात्रा में फल और सब्जियां देश के विभिन्न भागों में भेजी जाती हैं। यहां लगभग सैकड़ों खुदरा सब्जी एजेंसियां कार्य कर रही हैं। इस बाजार में प्रतिदिन भारी मात्रा में वनस्पति अपशिष्ट एकत्र हो रहा है और इसका किसी प्रयोजन में उपयोग नहीं किया जाता जिससे वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है। माननीय मंत्री को इसकी पूरी जानकारी है कि एक नई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक 'बायो – मेथोनेशन प्लान्ट' लगाकर वनस्पति अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है।

*सभापटल पर रखे माने गए।

[श्री एस०के० खारवेनथन]

अत:, मेरा माननीय अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री से अनुरोध है कि वे सब्जियों, फलों और अन्य प्लास्टिक अवशिष्टों में विद्युत उत्पादन के लिए तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले के ओड्डनचट्रम टाऊन के लिए 'बायो-मेथोनेशन प्लान्ट' की स्वीकृति दें।

(चार) मिलावटी सोने की बिक्री रोकने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एन०एस०वी० चित्तन (डिंडीगुल) : हमारे समाज का गरीब तबका सोने के आभूषणों का मूल प्रयोक्ता है। सभी समुदायों के गरीब वर्ग यही चाहते हैं कि मंगलसूत्र सोने का हो। पीली धातु ही एक ऐसी वस्तु है जिसकी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी भारतीय महिलाएं हमेशा मांग करती हैं।

इसके अलावा, सोने को वैध मंजूरी प्राप्त है और इसे आपातकालीन स्थिति में बाजार सम्पत्ति के रूप में अचल सम्पत्ति के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है।

दूध, दवाइयों, उर्वरकों और पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए कई कानून हैं। तथापि, घटिया और मिलावटी सोने की बिक्री को रोकने के लिए न ही बिक्री दुकानों पर और नहीं निर्माण क्षेत्र में ऐसा कोई कानून है। बल्कि किसी राष्ट्र के वैभव का उसके सोने के भण्डारों के आधार पर ही आकलन किया जाता है। शुद्ध सोना 22 कैरेट और उससे ज्यादा का होता है। परन्तु यह क्वालिटी काफी महंगी है और इसीलिए उपभोक्ता बाजार में कम कैरेट के सोने की आपूर्ति की जाती है। सोने में भी शुद्ध धातु सोना और सोना पाऊडर अलग-अलग होते हैं। इन दोनों के मूल्य में भी अंतर है। महिलाओं द्वारा सोने की मांग का लाभ उठाकर कई सोना विक्रेता उन्हें बेचने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं। सोने के पाऊडर को ठोस सोने के साथ मिलाया जाता है और कम कैरट के सोने की उच्च कैरट मूल्य के सोने के साथ बेचा जाता है। यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि महिलाएं सोने की जांच नहीं करती क्योंकि वे सिर्फ सोने के आभूषण ही खरीदती हैं। अत: खरीददारों को धोखा दिया जाता है। सोने के विक्रेता के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं होती जिससे खरीददार को बेचे गए सोने के कैरेट का पता चल सके। इसलिए कई सोने के विक्रेता और सवर्णाभूषण विक्रेता खरीददारों को काफी छूट देते हैं। खरीददारों की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। उपभोक्ता अधिनियम खरीददारी चरण में कोई संरक्षण नहीं देते। अत: यह आवश्यक है कि सरकार सोने के खरीददार की सुरक्षा हेतु मामले की जांच को और दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे।

(पांच) झारखंड में सिंदरी उर्वरक को पुन: चालू करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : महोदय, झारखण्ड राज्य में स्थित एकमात्र खाद कारखाना सिन्दरी है, जिसके उत्पादन से न केवल झारखण्ड अपितु बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उत्तम किस्म के खाद की आपूर्ति होती थी, जिसे एन०डी०ए० की पूर्व सरकार द्वारा 16 मार्च, 2002 को शत प्रतिशत उत्पादन होते हुए भी बंद कर दिया गया है, जिसके चलते ईस्टर्न जोन में खाद की भारी कमी होने के कारण किसानों, व्यापारियों एवं आम जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में केन्द्र सरकार ने कृषि उत्पादन एवं खाद में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया है, जिसमें सिन्दरी खाद कारखाना को पुनर्जीवित करने के लिए पी०डी०आई०एल० का एक विशेषज्ञ दल द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है और इस दल ने वर्ष 2004 में ही कारखाने को चालू करने हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

अतएव सरकार से मांग है कि जनहित में यथाशीघ्र सिन्दरी खाद कारखाने को चालू किए जाने हेतु चर्चा किए किया जाये।

(छह) झारखंड, में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किए जा रहे भू-जल दोहन को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री बागुन सुम्बरूई (सिंहभूम) : महोदय, झारखण्ड प्रदेश में भूगर्भ जल की उपलब्धता काफी कम है, इसके बावजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा डीप बोरिंग के माध्यम से भूगर्भ जल का दोहन औद्योगिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। परिणामस्वरूप पेयजल की भीषण कमी हो गयी है। चापाकल, कुएं सूखे जा रहे हैं। झारखंड के काण्ड्रा में आधुनिक ग्रुप ऑफ कम्पनीज के आधुनिक पॉवर एंड एलॉय परिसर में 22 डी बोरिंग किए गए हैं, जिससे काण्ड्रा का जलस्तर गिर गया है। काण्ड्रा गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में सैंकड़ों छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं? जो डीप बोरिंग के भूगर्भ जल का दोहन कर औद्योगिक उपयोग कर रही है। परिणामस्वरूप जलस्तर काफी गिर गया है। विभिन्न कंपनियों के डीप बोरिंग के कारण काण्ड्रा का जलस्तर गिरा, शीर्षक समाचार 28 जून, 2005 को झारखंड के जमशेदपुर से प्रकाशित उदितवाणी दैनिक के पृष्ठ संख्या-11 पर प्रकाशित हुआ है।

औद्योगिक इकाइयों द्वारा भूगर्भ जल का औद्योगिक कार्यों के लिए दोहन किया जाना चिंतनीय है, इस पर तत्काल प्रतिबंध आवश्यक है, विशेषकर पठारी राज्यों में शीघ्र प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

प्रावधान किया जाना चाहिए कि औद्योगिक इकाइयां वर्षा जल का संरक्षण करें, नदियों नालों में डैम बनाकर जल का संरक्षण कर इसी जल का औद्योगिक उपयोग करें। भूगर्भ जल का उपयोग औद्योगिक कार्यों के लिए प्रतिबंधित करने के लिए शीघ्र राष्ट्रीय नीति तैयार कर सख्ती से इसे लागू कराया जाना चाहिए ताकि आम जनता को पेयजल की समस्या न हो। काण्ड्रा, आदित्यपुर, गम्हरिया की औद्योगिक इकाइयों की डीप बोरिंग को तत्काल बंद कराया जाना चाहिए।

(सात) अरूणाचल प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू (अरूणाचल पश्चिम) : देश के पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे कम पर्यटक जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के केन्द्र सरकार के प्रयासों को पर्याप्त निधि प्रावधानों और सहायक पर्यटन नीतियों का समर्थन नहीं मिल रहा है।

अरूणाचल प्रदेश देश में सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और पर्यटकों हेतु एक आदर्श गन्तव्य है। राज्य में पर्यटक सम्भाव्यता का व्यापक क्षेत्र है जो ईको पर्यटन, सांस्कृति पर्यटन और साहसिक पर्यटन तक फैला हुआ है। मैं इस मुद्दे को कई बार उठा चुका हूं।

संघ सरकार से मिल रहे सामान्य और नियमित समर्थन से स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा क्योंकि इसमें कई अड़चनें हैं। वहां पर मुश्किल से ही कोई बुनियादी सुविधाएं और सुखसुविधाएं हैं। पर्यटक क्षेत्रों अर्थात् आलुकपौंग-बोमडिला-तवांग और इटानगर-जीरो-डपोरीजो-अलांग में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने और आय का सृजन करने की असीम सम्भावनाएं हैं। संघ सरकार के समर्थन के बिना राज्य इन अड़चनों को दूर नहीं कर सकती।

मैं माननीय पर्यटन मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वे उपर्युक्त क्षेत्रों का व्यापक स्तर पर विकास करने और अरूणाचल प्रदेश को भारत के पर्यटक मानचित्र में लाने के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान करें।

(आठ) बिहार के अररिया निर्वाचन क्षेत्र के फारबिसगंज, नरपतगंज और जोगबनी क्षेत्रों में बी०एस०एन०एल० की मोबाइल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अररिया में फारबिसगंज, नरपतगंज और जोगबनी से बी०एस०एन०एल० की मोबाइल सेवा अभी तक शुरू नहीं की गयी है। यह क्षेत्र नेपाल सीमा क्षेत्र से नजदीक है। काफी समय से यह मांग होती रही है, किन्तु सरकार ने यहां से मोबाइल सेवा अभी तक शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। यहां से भारत और नेपाल के बीच व्यापार होते हैं। यहां से नेपाल जाने के लिए जोगबनी ही एकमात्र दूसरा रास्ता है। बिहार में अन्य सीमावर्ती क्षेत्र जैसे मधुबनी, रक्सौली, सिलिगुड़ी, पानी टंकी आदि जगहों से तो बी०एस०एन०एल० की मोबाइल सेवा चालू है, किन्तु फारबिसगंज और जोगबनी से सेवा शुरू नहीं की जा रही है।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी से आग्रह कहना चाहता हूं कि आज सूचना क्रांति के दौर में फारबिसगंज और जोगबनी, नरपतगंज से भी अविलम्ब बी०एस०एन०एल० की मोबाइल सेवा चालू करने का कष्ट करें।

(नौ) देश में उपभोक्ताओं को एल०पी०जी० और केरोसिन की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा) : महोदय, उपभोक्ताओं को घरेलू गैस, एल०पी०जी० एवं केरोसिन, मिट्टी का तेल सुविधापूर्वक प्राप्त हो, इस दृष्टि से केन्द्र की सरकारों द्वारा व्यापक प्रयास किये गये। फलस्वरूप उपभोक्ता आश्वस्त थे कि उन्हें न तो लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा न ही कई-कई सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। किन्तु, आज जो कठिनाई उपभोक्ता उठा रहे हैं वह अत्यंत असहनीय है। केरोसिन के लिए प्रतीक्षा एवं लंबी कतारें लगी हैं। नये कनैक्शन जहां सुविधापूर्वक प्राप्त थे, वे भी बंद है। वितरक भी हर प्रकार से इसका लाभ उठा रहे हैं। नये कनैक्शन आगे कब तक प्राप्त होंगे, अनिश्चित है। उपभोक्ता परेशान है और वितरकों के चक्कर लगा रहा है। सरकार पिछले एक वर्ष से लगातार आश्वासन पर आश्वासन दे रही है कि जल्द ही एल०पी०जी० और केरोसिन की परेशानी दूर की जायेगी परन्तु कोरे आश्वासनों के अलावा उपभोक्ताओं को और कुछ नहीं मिल रहा है।

अत: मेरा प्राकृतिक गैस मंत्री जी से आग्रह है कि तुरंत प्रभावी कदम उठाकर एल०पी०जी० एवं केरोसिन की उपलब्धता यथापूर्व करें एवं एल०पी०जी० के नये कनैक्शन भी पूर्ववत मांग पर शीघ्र दिये जावे।

(दस) महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कोयला खनन शुरू किए जाने की आवश्यकता

प्रो० महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : महोदय, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की चिमूर तहसील में वेस्टर्न कोल फील्ड द्वारा मुरपार में कोयले की खदान चलायी जा रही है। उस खदान में एस०एच०डी० नयी मशीन देने से कोयले की तादाद अब बढ़ी है। अब इसे नफे में आने में देरी नहीं है। इसलिए 4 नयी एस०डी०एल० देने का प्रबंध करें।

[प्रो० महादेवराव शिवनकर]

उसी प्रकार से 1. नांद, बेसूर, 2. मिनझरी, 3. भानसूली, 4. मुरपार, 5. बंदर कोयले की खदानें शुरू करें। देश में कोयले का शॉर्टेज तथा कोयले के आयात करने की प्रवृत्ति को देखते हुए ये कोयला खाने त्वरित शुरू करने की आवश्यकता है। कोयले पर आधारित ऊर्जा प्रदूषण वहां हो सकता है। अतएव केन्द्र सरकार इसी वित्तीय वर्ष में शीघ्र कार्यवाही करें।

(ग्यारह) कर्नाटक के मैसूर जिले में बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय वनों से 15 किलोमीटर के भीतर वनों की कटाई रोके जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी०एच० विजयशंकर (मैसूर) : हन्सुर मैसूर जिले के उप-डिवीजन मुख्यालयों में से एक है। यह हेग्गादादेवनकोटे, प्रियापाटना, के आर नगर और हन्सुर तालुक से बना है जो दो राष्ट्रीय उद्यानों, बांदीपुर और नागराहोल से घिरा हुआ है। इन ताल्लुकों में तम्बाकू एक बड़ी वाणिज्यिक फसल है। देश में तम्बाकू के कुल उत्पादन के 90 प्रतिशत की खेती इन ताल्लुको में की जाती है। यहां उगाया जाने वाला वरजीनिया तम्बाकू काफी उच्च कोटि का है और निर्यातकों में इसकी भारी मांग है। परन्तु इस तम्बाकू को तैयार करने में काफी ईंधन की खपत होती है जो मुख्य रूप से लकड़ी है। एक बैरन (एक यूनिट) की बैकिंग में औसतन 15 एम०टी०एस० लकड़ी की खपत होती है और यह 57000 प्राधिकृत बैरन है जिसमें लगभग 9 लाख मीट्रिक टन लकड़ी की खपत होती है। तीन दशकों से अधिक समय से तम्बाकू की खेती ने हमारी भूमि की उर्वरता खत्म कर दी है। वन कटाई अगले 4-5 वर्षों तक भी जारी रहेगी तो इस अनुमंडल में राष्ट्रीय वन क्षेत्र शुष्क भूमि में परिवर्तित हो जाएगा।

अतः परिस्थिति और पर्यावरण सन्तुलन को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय वनों (बांदीपुर और नागराहोल) से जुड़े 15 किलोमीटर की परिधि के भीतर सभी तम्बाकू बैरनों पर प्रतिबंध लगाने, इन बैरनों को जलाने के लिए ईंधन की अन्य किस्मों को प्रोत्साहन देने, कृषि से बाहर के ईंधन स्रोतों को बढ़ावा देने, जिससे विकेन्द्र मेनयूवरिंग इंकाइयों (बी०एम०यू०) को सहायता मिलेगी, इन बी०एम०यू० की स्थापना के लिए उद्यमियों को राजसहायता देने, तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से राजसहायता दर पर कोयले की आपूर्ति करने जैसे कि पहले किया जाता था और स्थिति के अध्ययन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन करने के लिए कदम उठाए।

(बारह) पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दारकेश्वर नदी द्वारा होने वाले भू-क्षरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर) : मैं बताना चाहूंगी कि दारकेश्वर जैसी बड़ी नदी विष्णुपुर संसदीय क्षेत्र से होकर बहती है। बरसात में कभी-कभी यह भयावह हो जाती है। नदी की लहरों द्वारा हुए भूमि कटाव के कारण बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। नदी के किनारे नदी तल बन रहे हैं कई गांव और मिट्टी के बने घर तथा भवन बह गये हैं।

सौभाग्य से इसमें किसी की मौत नहीं हुई। इस वर्ष कुछ दिन पहले इन्दस पुलिस थाने में भाबापुर गांव और कोट्टुलपुर पुलिसथाने में मदनमोहनपुरा गांव का कुछ हिस्सा फसलों और आम के बगीचों के साथ बह गया। ऐसे में लोग बेघर, भूमिहीन और असहाय हो रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस नुकसान को रोकने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाकर उपाय करने हेतु आगे आये।

राज्य सरकार, पंचायत, जिला परिषद और सिंचाई विभाग के द्वारा नुकसान कम करने हेतु जरूरी काम कर रही है। लेकिन धनाभाव के कारण यह पर्याप्त नहीं है।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पेयजल की गम्भीर समस्या का समाधान करने की दृष्टि से धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, उत्तर प्रदेश में स्थित जनपद फतेहपुर क4 तहसील खागा व कौशाम्बी तथा इलाहबाद शहर सहित पश्चिम क्षेत्र में भूगर्भ जलस्तर के प्रतिदिन नीचे गिरने से हजारों नलकूप व हैण्डपम्प, कूप में पानी नहीं होने से बेकार होते जा रहे हैं। केन्द्र सरकार तत्काल एक सर्वे टीम भेजकर निरीक्षण कराये तथा पेयजल समस्या से निपटने के लिए कार्य दल गठित करते हुए लगभग 2000 इंडिया मार्क ll लगाते हुए धन स्वीकृत करें।

(चौदह) बिहार के सभी जिलों को त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, बिहार राज्य देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश है। जहां आधारभूत सुविधाएं नहीं के बराबर हैं — चाहे वह इण्डस्ट्री के संबंध में हो, बिजली के संबंध में हो, सड़क के संबंध में हो या पानी की व्यवस्था का हो। केन्द्र सरकार की प्रायोजित ए०पी०डी०आर०पी० में मात्र चार जिले प्रतिवर्ष लिए जाते

हैं। अगर यही रफ्तार रही तो बिहार में यह कार्य 10-15 सालों में संभव हो सकेगा। बिहार में ऊर्जा की दयनीय स्थिति को देखते हुए इस पर विचार कर वहां के सभी जिलों को ए०पी०डी०आर०पी० में एक या दो सालों के अंदर ही लेकर कार्य शुरू करने की अत्यंत आवश्यकता है।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी को अनुरोध करता हूं कि बिहार के सभी जिलों को ए०पी०डी०आर०पी० में एक दो सालों के अंदर ही लेने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में गोमती नदी से गाद निकालने के लिए धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मो० ताहिर (सुल्तानपुर) : महोदय, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से निकलने वाली गोमती नदी द्वारा प्रतिवर्ष कटाव किया जाता है, जिसमें किसानों के खेत खराब हो चुके हैं। केन्द्र द्वारा नदियों में भरे गाद की सफाई करने हेतु करोड़ों राशि खर्च की जाती है लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु अनियमितता की जा रही है। किसानों की उपजाऊ भूमि नदी के कटाव में बह जाती है। ऐसी नदियों की सफाई प्रतिवर्ष किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है। जिले में सबसे अधिक संख्या की प्रतिशतता खेती पर निर्भर है। यदि किसानों की भूमि को नदियों के कटाव से नहीं रोका गया तो खेतों के नुकसान से अनाज की कमी आने की पूरी संभावना है। ऐसी समस्या का स्थायी हल ढूंढा जाये। केन्द्र सरकार को शीघ्र निर्देश दें तथा नदियों के कटाव के बचाव हेतु कार्यक्रमों को लागू करें तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी की राशि ऐसी योजनाओं पर व्यय करें।

(सोलह) बुलढाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में 'लोनर क्रेटर' को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढ़ाना) : बुलढाणा संसदीय क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है। महोदय, उद्योगों के न होने के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र में लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लोग दयनीय स्थितियों में रहने के लिये बाध्य हैं।

मध्य महाराष्ट्र में लोनर स्थिति अनोखा क्रेटर दर्शनीय स्थल है और दुनिया के सबसे बड़े पांच क्रेटरों में एक है। लोनर क्रेटर, दुनिया में बसाल्ट चट्टान में बना अकेला प्राकृतिक क्रेटर है। क्रेटर के तल में एक झील है जिसके आस-पास छोटी बास्तियां बसी हुई हैं। यह अनोखा भौगोलिक स्थल किंगफिशर, ऑरिऑल और मिनिवेट जैसी कई प्रवासी पक्षियों का घर भी है। हालांकि यह भारत का सबसे गर्म स्थलों में है, लेकिन यहां लंबे वृक्षों के घने जंगल और फल के बगीचे हैं। यहां अनोखा और अकयारण्य भी है। क्रेटर के भीतर हेमदपंती शैली में निर्मित मंदिर है। ये जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित लोनर क्रेटर को समुचित बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण दुनिया भर में प्रचार नहीं मिल सका। महोदय, विदेशी और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये लोनर क्रेटर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि लोनर क्रेटर को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाये।

(सत्रह) महाराष्ट्र के सतारा जिले में सभी गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (कराड़) : महाराष्ट्र के सतारा जिले में 500 से अधिक की जनसंख्या वाले कई गांवों को हाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हटा दिया गया है। नये मार्गों का निर्माण कार्य पूरा किये बिना सड़कों के उन्नयन की योजना बनाई जाती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गनिर्देशों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत पहले बिना सड़क वाले गांवों को जोड़ने की आवश्यकता है। उक्त कार्य के पूरा होने के बाद पुरानी सड़कों का उन्नयन कार्य शुरू किया जाये।

(अठारह) पंजाब के फिरोजपुर में नए रेल लिंक को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए बकाया धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जोरा सिंह मान (फिरोज़पुर) : महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र फिरोजपुर पंजाब में एक बहुत महत्वपूर्ण नया रेल लिंक है, जो कि फरवरी, 2004 में एन०डी०ए० सरकार ने शुरू किया था। लगभग 90 करोड़ की राशि इस प्रोजेक्ट पर खर्च की जानी है, मगर महोदय अभी तक इस लिंक के लिए 11 करोड़ की राशि ही केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी है। आम लोगों की सहूलियत के साथ-साथ यह रेल लिंक

[श्री ज़ोरा सिंह मान]

डिफेंस की तरफ से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह रेल लिंक जल्दी बनना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द से जल्द राशि जारी की जाये ताकि यह प्रोजेक्ट इस वर्ष में मुकम्मिल किया जा सके।

(उन्नीस) पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के करायकल इलाके में सड़क अवसंरचना का विकास किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो० एम० रामदास (पांडिचेरी) : संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का कराईकल क्षेत्र सड़क अवसंरचना के अभाव के कारण पिछड़ा जिला है। पांडिचेरी और कराईकल के लोगों को रेल सुविधा के अभाव के चलते सड़क सुविधा का प्रयोग करना पड़ता था। कराईकल तमिलनाडु में नागपट्टिनम, कुंबाकोणम, मईलादुथुरई और सिरकाझी से घिरा हुआ है। कराईकल से इन स्थानों को जोड़ने वाली सड़क काफी खराब है तथा चलने योग्य नहीं है जिससे पांडिचेरी और कराईकल के लोगों को भारी असुविधा होती है। चूंकि प्रसिद्ध सनीसवाड़ा मंदिर के कारण कराईकल महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है, अत: कराईकल घूमने के इच्छुक काफी पर्यटक सड़कों की दयनीय स्थिति के कारण यहां आने से हिचकते हैं। सड़क सुविधा आवश्यक हो गई है, विशेषकर सुनामी के बाद जिसके कारण कराईकल क्षेत्र में सड़क की स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ा है। अत:, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध है कि कराईकल को कुंबाकोणम, मईलादुथुई और सिरकाझी से जोड़ने वाली सड़कें चौड़ी की जायें। इसके अलावा, सरकार चेन्नई से पांडिचेरी, कराईकल और नागपट्टिनम होते हुए वेलांकन्नी तक फेरी सेवा शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच करे ताकि पांडिचेरी और कराईकल के लोगों हेतु नई परिवहन सुविधा शुरू की जा सके। इससे लोगों के बीच संपर्क में वृद्धि होगी, असुविधा कम होगी और पर्यटन यातायात में वृद्धि होगी।

(बीस) हथकरघा उद्योग के विकास और संवर्द्धन के लिए विशेष आर्थिक ज़ोन बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मुंशी राम (बिजनौर) : महोदय, देश ने विकास की गति की चिंता तो की, किन्तु विकास के बंटवारे की अनदेखी के परिणाम सामने हैं — गत वर्षों में आर्थिक विकास की दर लगातार बढ़ने के बावजूद आर्थिक तंगी और उससे विवश होकर आत्महत्यायें। देश में 92 प्रतिशत अकुशल और प्रशिक्षित श्रम है और इसके लिए कृषि, कपड़ा, पशुपालन जैसे पारंपरिक उद्योग ही हैं, जहां इनसे श्रमिक को रोजगार मिल सकेगा। दुर्भाग्य से देश में इन उद्योगों की उपेक्षा हुई है। कपड़ा उद्योग में 3600 लाख मीटर तक उत्पादन हुआ है और प्रत्यक्ष 75 लाख लोगों को रोजगार मिला है, किन्तु इसमें धीरे-धीरे ह्रास हुआ है। आज उत्पादन सीमित होकर रह गया है। बुनकर बेरोजगार बन गये हैं। कपड़ा उद्योग में हथकरघा उद्योग की समस्या है, इसका उत्पाद न बिकना, उसे कच्चे माल का उपलब्ध न हो पाना, उसे समय पर आर्थिक सहायता न मिल पाना। मेरा सुझाव है कि हथकरघा उद्योग की इन समस्याओं का हल स्पेशल आर्थिक जोनों की तर्ज पर विकसित करने से संभव है। स्पेशल आर्थिक जोनों के माध्यम से हथकरघा उद्योग को जहां आर्थिक सुविधायें प्राप्त होंगी, कच्चे माल की भी उपलब्धि होगी और उत्पादों के विक्रय के लिए बाजार भी बनेगा। अत: सदन के माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह तत्काल इस ओर ध्यान केन्द्रित करें और देश के करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार के लाभकारी अवसर उपलब्ध कराने में मदद करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अनुपूरक कार्य सूची पर विचार करेंगे — वित्त मंत्री महोदय,

(व्यवधान)

अपराह्न 2.16 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2005-2006

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं, वर्ष 2005-2006 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.16½ बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2003-2004

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं, वर्ष 2003-2004 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों

को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.18 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री राम कृपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : माननीय सदस्य मैं आपकी बात सुनुगां। परन्तु पहले अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सभा अपराह्न 3.15 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.19 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.15 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.15 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री बालासाहिब विखे पाटील** *पीठासीन हुए*]

सदस्यों द्वारा निवेदन

गोधरा कांड पर न्यायमूर्ति यू०सी० बनर्जी आयोग की रिपोर्ट के बारे में — *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया एक-एक करके बोलें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप पत्र नहीं दिखा सकते हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 3.16 बजे

(इस समय डा० शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

सभापति महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर इस विषय पर कुछ बयान देना चाहते हैं। कृपया आप लोग उनकी बात को सुन लिजिए *(व्यवधान)* वह कुछ बयान देना चाहते हैं।

अपराह्न 3.17 बजे

(इस समय डा० शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री की बात सुन लें। मंत्री हस्तक्षेप करेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शांत रहें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, आपके माध्यम से मैं सभी सदस्यों से, जिन्होंने रिपोर्ट पर अपनी चिंता व्यक्त की है, से अनुरोध करता हूं कि सभा की सामान्य कार्यवाही चलने दें। कल इस मुद्दे को उठाने का उन्हें पूरा अधिकार है। मैं रेल मंत्री से सलाह करूंगा। वे इस बारे में अपनी टिप्पणियां कल ही प्रस्तुत कर सकेंगे। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : नहीं महोदय *(व्यवधान)*

अपराह्न 3.18 बजे

इस समय डा० शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : सभा में ऐसा व्यवहार अनुचित है।

श्री वसुदेव आचार्य : प्रधान मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए कि न्यायमूर्ति बनर्जी प्रतिवेदन के सिफारिश पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी ...(*व्यवधान*)।

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय : यह तरीका नहीं है। हम इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आप अपने स्थान से अपनी बात कह सकते हैं।

(*व्यवधान*)

अपराह्न 3.19 बजे

(*इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।*)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, हम चाहते हैं कि अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए ...(*व्यवधान*)।

सभापति महोदय : कृपया पत्र ना दिखाएं, कृपया बैठ जाएं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मंत्री कुछ निवेदन करना चाहते हैं।

अपराह्न 3.20 बजे

(*इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए*)

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। कृपया शांत रहें और मंत्री को अपना वक्तव्य देने दीजिए।

(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया पत्र मत दिखाएं यह नियम के विरुद्ध है।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

अपराह्न 3.23 बजे

(*इस समय श्री राम कृपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए*)

सभापति महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाएं और फिर बोलें।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : अब सभा मंगलवार, 7 मार्च, 2006 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.25 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार 7 मार्च, 2006/16 फाल्गुन 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री ब्रजेश पाठक श्री हितेन बर्मन	202
2.	श्री रघुनाथ झा	203
3.	श्री धनुषकोडी आर० अतिथन	204
4.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	205
5.	श्री विजय कुमार खण्डेलवाल श्री कृष्णा मुरारी मोघे	206
6.	श्री डी० विट्टल राव	207
7.	श्री बीर सिंह महतो श्री हरिकेवल प्रसाद	208
8.	श्री रघुवीर सिंह कौशल	209
9.	श्री गणेश सिंह	210
10.	श्री ए० साई प्रताप	211
11.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	212
12.	श्री सुब्रत बोस	213
13.	श्री जीवाभाई ए० पटेल	214
14.	कुंवर मानवेन्द्र सिंह	215
15.	श्री राकेश सिंह श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	216
16.	श्री संतोष गंगवार श्री जी० करूणाकर रेड्डी	217
17.	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव प्रो० महादेवराव शिवनकर	218
18.	श्री पी० मोहन	219
19.	चौधरी लाल सिंह	220
20.	श्री प्रभुनाथ सिंह	221

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	1567
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1562, 1629, 1642, 1651, 1657
3.	अहीर, श्री हंसराज जी०	1560, 1621
4.	अनंत कुमार, श्री	1596
5.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर०	1602, 1633, 1647, 1652
6.	आठवले, श्री रामदास	1577
7.	आज़मी, श्री इलियास	1570
8.	'बाबा' श्री के०सी० सिंह	1602, 1633, 1647, 1652
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1658
10.	बर्मन, श्री हितेन	1607, 1635
11.	बर्मन, श्री रनेन	1580
12.	बखला, श्री जोवाकिम	1665
13.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	1657
14.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1565, 1612
15.	चिन्ता मोहन, डा०	1619
16.	चौधरी, निखिल कुमार	1581
17.	चौधरी, श्री पंकज	1582
18.	चौधरी, श्री अधीर	1556, 1575, 1577, 1663
19.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद	1657
20.	धनराजु, डा० के०	1564, 1623, 1640
21.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	1570
22.	गढ़वी, श्री पी०एस०	1558, 1616
23.	गांधी, श्रीमती मेनका	1587, 1628, 1666, 1668
24.	गाव, श्री तापिर	1592

1	2	3
25.	गौडा, श्री डी०वी० सदानन्द	1574, 1625, 1641, 1664
26.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	1569
27.	झा, श्री रघुनाथ	1609, 1644
28.	जिन्दल, श्री नवीन	1555
29.	कनोडीया, श्री महेश	1570
30.	करूणाकरन, श्री पी०	1574
31.	कथीरिया, डा० वल्लभभाई	1593
32.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1543, 1613
33.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	1514, 1637, 1648, 1653
34.	खारवेनथन, श्री एस०के०	1573
35.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1552, 1570
36.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1619
37.	महतो, श्री बीर सिंह	1563, 1660
38.	महताब, श्री भर्तृहरि	1578
39.	महतो, श्री टेक लाल	1572
40.	मनोज, डा० के०एस०	1600
41.	मेघवाल, श्री कैलाश	1546
42.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1568
43.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1658
44.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	1520 1637
45.	मोहन, श्री पी०	1622, 1639, 1650, 1654
46.	नायक, श्री अनन्त	1594, 1598
47.	निखिल कुमार, श्री	1575, 1618
48.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1610, 1667
49.	पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण	1548
50.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1547, 1570, 1662

1	2	3
51.	पटेल, श्री जीवाभाई ए०	1612, 1660
52.	पटेल, श्री किसनभाई वी०	1557, 1594, 1598, 1632
53.	पाठक, श्री ब्रजेश	1611
54.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1561
55.	पाटील, श्री श्रीनिविास दादासाहेब	1559
56.	पटेल, श्री शिशुपाल	1585, 1626
57.	रामदास, प्रो० एम०	1553, 1605
58.	राणा, श्री काशीराम	1563, 1576
59.	राव, श्री के०एस०	1575, 1586, 1627
60.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1542, 1619, 1665, 1669, 1670
61.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	1566
62.	राव, श्री डी० विट्टल	1615
63.	रावत, श्री अशोक कुमार	1585, 1626
64.	रावत, श्री कमला प्रसाद	1549
65.	रावत, प्रो० रासा सिंह	1551
66.	रेड्डी, श्री जी० करूणाकर	1606, 1634, 1645, 1655
67.	रेड्डी, श्री एम० राजा मोहन	1661
68.	रेड्डी, श्री एम० श्रीनिवासुलु	1590, 1631
69.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1565
70.	साई प्रताप, श्री ए०	1583, 1661
71.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1542, 1619, 1665
72.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	1579
73.	सतीदेवी, श्रीमती पी०	1574
74.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1589, 1630
75.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1601, 1643

1	2	3
76.	शिवन्ना, श्री एम०	1591
77.	शिवनकर, प्रो० महादेवराव	1585, 1626
78.	सिद्दीश्वर, श्री जी०एम०	1656
79.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1554, 1608
80.	सिंह, श्री दुष्यंत	1545, 1659
81.	सिंह, श्री गणेश	1604, 1638, 1649
82.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	1541
83.	सिंह, श्री मोहन	1570, 1619
84.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1559
85.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	1571
86.	सिंह, श्री राकेश	1617
87.	सिंह, श्री सीताराम	1597
88.	सिंह, श्री सुग्रीव	1557, 1632
89.	सिंह, श्री उदय	1569, 1577, 1663
90.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	1570

1	2	3
91.	सुब्बा, श्री एम०के०	1544
92.	सुगावनम, श्री ई०जी०	1550, 1603, 1636, 1646
93.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी०	1558, 1616
94.	थामस, श्री पी०सी०	1574, 1667
95.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1548
96.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1562, 1657
97.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1584
98.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	1599
99.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी०	1576
100.	यादव, श्री बालेश्वर	1567
101.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1585, 1626
102.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1583, 1624
103.	जाहेदी, श्री महबूब	1588

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	204, 209, 210, 215, 216, 220
रसायन और उर्वरक	:	218
उपभोक्ता, मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	213, 214, 217, 221
पर्यावरण और वन	:	205, 206, 207
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	202, 211
श्रम और रोजगार	:	203, 208, 219
इस्पात	:	
जल संसाधन	:	212

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	1542, 1547, 1550, 1554, 1558, 1560, 1561, 1562, 1564, 1566, 1574, 1575, 1580, 1583, 1584, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1595, 1596, 1598, 1599, 1600, 1602, 1609, 1612, 1615, 1617, 1619, 1621, 1624, 1626, 1628, 1632, 1633, 1636, 1639, 1640, 1641, 1643, 1646, 1647, 1648, 1651, 1654, 1661, 1664, 1665, 1667, 1670
रसायन और उर्वरक	:	1555, 1556, 1557, 1582, 1635, 1642, 1650
उपभोक्ता, मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	1548, 1549, 1551, 1552, 1570, 1579, 1593, 1597, 1607, 1610, 1618, 1655, 1668, 1669
पर्यावरण और वन	:	1543, 1544, 1545, 1546, 1567, 1604, 1613, 1614, 1616, 1620, 1622, 1625, 1637, 1645, 1653, 1656, 1657, 1662, 1666
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	1553, 1573, 1594
श्रम और रोजगार	:	1569, 1577, 1578, 1605, 1608, 1611, 1627, 1631, 1634, 1638, 1644, 1649, 1652, 1658
इस्पात	:	1559, 1581, 1585, 1603, 1606, 1629
जल संसाधन	:	1541, 1563, 1565, 1568, 1571, 1572, 1576, 1592, 1601, 1623, 1630, 1659, 1660, 1663

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/18/13/2006 (एन०)
232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।